पंचदश माला, खंड 21, अंक 16

गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2011

24 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 29 April 2014

(खण्ड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

पंचदश माला, खंड 21, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)
अंक 16, गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2011/24 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 304 1-33

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 305 से 320 33-99

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 99-522

सभा पटल पर रखे गए पत्र 535-536

राज्य सभा से संदेश 522-535

56वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत के संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन 536

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन 536

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 218वें और 219वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रफुल पटेल 537

(दो) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री एम. वीरप्पा मोइली 537-538

(तीन) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी स्मिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री विन्सेंट एच. पाला 538-539

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आई.डी.बी.आई. लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन का संशोधन नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री बसुदेव आचार्य 540

श्री नमोनारायन मीणा 540-544

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नागरकोईल-बंगलूरू और कन्याकुमारी-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर 545

(दो) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से पुणे और हैदराबाद बरास्ता अमेठी और रायबरेली, रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 545-546

(तीन) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में गंगा कार्य योजना के अंतर्गत एक विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 546-547

(चार) अस्थायी और तदर्थ आधार के स्थान पर नियमित और स्थायी आधार कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री उदय प्रताप सिंह 547

(पांच) राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिन मजदूरों की सेवाएं ली गई हैं उन्हें बकाया मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री भरत राम मेघवाल 548-549

(छह) केरल राज्य के वेडर समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 549

(सात) मध्य प्रदेश के बेतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे 549-550

विषय **कॉलम**

(आठ) कानपुर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-86 तथा झांसी-छतरपुर-सतना खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग-75 को चार लेन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 550-551

(नौ) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 551

(दस) देश में लोगों को सस्ते मूल्य पर जेनरिक औषधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह 551-552

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी में गाद निकासी का कार्य आरंभ किए जाने तथा क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे 552-553

(बारह) ओडिशा में केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डाकघरों में बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वैजयंत पांडा 553

(तेरह) झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कन्हार बांध का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री कामेश्वर बैठा 554

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2011 554-556

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 557-558

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 558-568

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 569-570

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 570-572

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2011/24 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्न काल प्रारंभ होता है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो सच्चर समिति की रिपोर्ट है, अभी तक सरकार ने उस पर डिसकशन नहीं करवाया है। पूरे देश में मुस्लिमों की स्थिति बहुत ही खराब है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: वह डिसएलाउड है। किसी दूसरे नियम के अन्तर्गत नोटिस दे दीजिए। बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्नकाल में विघ्न नहीं डालिए। बैठ जाइए। आप उसे शून्यकाल में उठा लीजिए। शून्यकाल में बोलने का समय दे देंगे। अभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: लेकिन सबसे पहले हमें समय दे दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब ऐसी कंडीशंस मत रखिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 301 - श्री रमेश बैस।

तेल भंडार

+

***301. श्री रमेश बैस:**

श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों के पास कंपनी-वार और स्थान-वार तटीय तथा अपतटीय तेल भंडार कितना है;

(ख) किन-किन नदी बेसिनों में तेल भंडारों की खोज का काम किया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा देश में तेल के नए भंडारों की खोज करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में कितने महत्वपूर्ण तेल भंडार हैं और उनकी वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(ङ) इन महत्वपूर्ण तेल भंडारों के विकास के संबंध में किए गए आकलन/समीक्षा, यदि कोई की गई है, का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 1-4-2011 की स्थिति के अनुसार कच्चे तेल का कुल शेष निकासी योग्य भंडार लगभग 756.766 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) है जिसमें से 552.610 एम.एम.टी. ओ.एन.जी.सी., 81.160 एम.एम.टी. ओ.आई.एल. और 122.996 एम.एम.टी. निजी/संयुक्त कंपनियों के पास है। कच्चे तेल के भंडार के राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) वर्तमान में भारतीय तलछटीय बेसिनों, जो अंडमान-निकोबार, असम-अराकान, असम शेल्फ, बंगाल, कैम्बे, कावेरी, दक्षिण द्रोणीय, गंगा, हिमाचल की तराई, केरल-कोंकण, कृष्णा-गोदावरी, कच्छ, महानदी-उत्तर पूर्वी तट, मुंबई अपतट, प्राणहिता-गोदावरी, राजस्थान, सतपुड़ा, रीवा, सौराष्ट्र और विंध्य हैं, में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण का कार्य चल रहा है।

(ग) तलछटीय बेसिनों में हाइड्रोकार्बन की खोज करने के लिए कंपनियां भारतीय तलछटीय बेसिनों में गुरुत्व, चुंबकीय, विद्युत-चुंबकीय, भू-रासायनिक और भूकंपीय सर्वेक्षण कर रही हैं।

(घ) और (ङ) तीन स्थलों अर्थात आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और कर्नाटक में मंगलौर और पाडुर में प्रत्येक में एक 5.33 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक तेल भंडार की योजना बनाई गई है। कार्यनीतिक तेल भंडार क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	स्थल	क्षमता (एम.एम.टी.)
1.	विशाखापत्तनम	1.33
2.	मंगलौर	1.50
3.	पाडुर	2.50

इसके अलावा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा राज्यों में लगभग 12.5 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक तेल भंडार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

अनुबंध

कच्चे तेल का राज्य-वार और कंपनी-वार भंडार

(एम.एम.टी.)

	ओ.एन.जी.सी. एम.एम.टी.	ओ.आई.एल. एम.एम.टी.	निजी/संयुक्त उद्यम एम.एम.टी.	योग एम.एम.टी.
आन्ध्र प्रदेश	5.220			5.220
अरुणाचल प्रदेश		0.890	2.501	3.391
असम	89.070	80.270	0.357	169.697
गुजरात	130.230		7.202	137.432
नागालैंड	2.690			2.690
राजस्थान	0.000		75.334	75.334
तमिलनाडु	8.480			8.480
त्रिपुरा*	0.080			0.080
जमीनी योग	**235.770**	**81.160**	**85.394**	**402.324**
पश्चिमी तट	307.630		20.630	328.260
पूर्वी तट	9.210		16.972	26.182
अपतट-योग	316.840		37.602	354.442
योग	552.610	81.160	122.996	756.766

नोट:- *त्रिपुरा में अधिकांश गैस भंडार उपलब्ध हैं, तथापि, कन्डेनसेट की अल्प मात्रा का उत्पादन किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस: अध्यक्ष महोदया, जब एन.डी.ए. की सरकार थी, प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में पैट्रोलियम पदार्थों के भंडारण की क्षमता 40 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व करने की योजना बनाई थी। लेकिन अभी तक देश में मात्र 9 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व करने का प्रावधान रखा गया। दिनों-दिन पैट्रोलियम पदार्थों की खपत बढ़ रही है जिससे हमें आयात करना पड़ता है। देश में जो उत्पादन होता है, मात्र 25% है, 75 प्रतिशत हमें आयात करना पड़ता है जिससे भारी भरकम राशि हमारी पैट्रोलियम पदार्थों में खर्च होती है। कई देश मिलकर आई.ई.ए. के सदस्य हैं। लेकिन भारत अभी तक उसका सदस्य नहीं है। माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि अगर हम इसके सदस्य होते तो जब क्राइसिस होता तो हमको सहायता मिलती लेकिन सदस्य नहीं होने के कारण हमें वह सहायता नहीं मिल रही है। क्या आगे चलकर भारत को आई.ए.ई.ए. के सदस्य बनाने का सरकार का कोई प्रावधान है?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: भारत को आई.ए.ई.ए. का सदस्य बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अपने कई साकारात्मक पक्ष हैं। इसकी कई कमजोर पक्ष भी हैं, कोई विचार किए बिना मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। परंतु जहां तक अपने भंडारों की रक्षा करने का प्रश्न है, हम अपनी ओर से पुरजोर प्रयास कर रहे हैं।

आज हमारे पास तकरीबन 74 दिनों का सामरिक-सह-अतिरिक्त भंडार है। हम कई भूमिगत चट्टानों में गुफाएं बना रहे हैं जिनमें से एक विशाखापत्तनम में, दूसरी मंगलोर में और तीसरी पादुर में स्थित है। इन तीनों में 5.33 एम.एम.टी. (मिलियन मीट्रिक टन) की क्षमता होगी।

इसके अतिरिक्त हम 12.5 एम.एम.टी. क्षमता वाली इसी प्रकार की गुफाएं बनाने की भी योजना बना रहे हैं। ये गुफाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा में बनायी जाएंगी। स्थानों की पहचान की जा रही है। नई प्रौद्योगिकियों का भी पता लगाया जा रहा है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। सदन इस बात पर आश्वस्त रहे कि हम इस मुद्दे पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस: अध्यक्ष महोदया, देश में करीब चार लाख करोड़ रुपये का तेल का आयात होता है और दिनों-दिन इसके भाव बढ़ रहे हैं। आगे चलकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका भाव सौ मिलियन डालर से तीन सौ मिलियन डालर पहुंच जायेगा और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी। सी.एन.जी., कोलबैड मीथेन, सोलर इनर्जी और एथनोल के बारे में काफी चर्चा होती रही है कि इन्हें मिलाया जाए, ताकि हम जो तेल आयात करते हैं, उसकी मात्रा कम की जा सके। सरकार ने इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की है? अक्सर देखा जाता है कि पैट्रोलियम पदार्थों का रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण यह महंगा पड़ता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस खर्चे को कम करने के लिए रेल की सुविधा को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि जहां यह पहुंचाया जाता है, वहां रोड ट्रांसपोर्ट में जो ज्यादा खर्चा आता है, वह कम हो सके।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं माननीय सदस्य की चिंता का पूरी तरह से अनुसमर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि पूरा देश इस मुद्दे पर चिंतित है। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तथापि हमें यह देखने के लिए कदम उठाने चाहिए कि हम अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं तथा हम अपने वैकल्पिक स्रोतों का भी उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। हालांकि इसका उत्तर इस प्रश्न के दायरे से बाहर होगा, तथापि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

गैस और तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) बनायी है। आठवें दौर तक हम तकरीबन एन.ई.एल.पी. के अन्तर्गत तकरीबन 235 ब्लाकों का आबंटन कर पाए हैं। इन आठ राऊंड में हमने लगभग 103 खोजें की हैं। इन 103 खोजों में से 6 के मामले में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार से हम तेल और गैस दोनों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

ऊर्जा के गैर परंपरागत रूपों के संबंध में अन्य मंत्रालय भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: श्री श्रीपाद येसो नाईक - उपस्थित नहीं हैं।

श्री एम. कृष्णास्वामी: अध्यक्ष महोदया, पेट्रोलियम मंत्रालय ने काकीनाडा और तूतीकोरीन के बीच पाईपलाईन बिछाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे स्वीकृति पांच वर्ष पहले प्रदान की गयी थी। अब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। परंतु रिलायंस कंपनी तमिलनाडु नहीं, केवल गुजरात राज्य के विकास में ही रूचि दिखा रही है।

क्या अत्यधिक देरी के मद्देनजर सरकार रिलायंस कंपनी की संविदा को रद्द करके उसे भारतीय गैस प्राधिकरण लि. को सौंपने के लिए कदम उठाएगी?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह एक वाणिज्यिक लेनदेन है। रिलायंस कंपनी को ठेका मिला है। इसलिए हम संबंधित प्राधिकारी से इन प्रश्न की जांच करने के लिए कहेंगे। मैं सहमत हूं कि इसमें देरी हुई है परंतु हमारी शक्तियां यादृच्छिक नहीं है। हमें इस प्रश्न की जांच करनी होगी। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि हम प्राधिकारियों से इस मामले की जांच करने के लिए कहेंगे।

श्री टी.आर. बालू: माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस बात को पूर्ण रूप से समझता हूं कि 1997-98 के दौरान सरकार ने हाइड्रोकार्बन भंडार का पता लगाने के लिए बंगाल की खाड़ी में 12,000 वर्ग किलोमीटर तक का भूकंपीय सर्वेक्षण किया था। अंततः सरकार को यह पता चला है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के तटीय क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट्स की उपलब्धता खोजने की प्रबल गुंजायश है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के पास इस बारे में कोई कार्यक्रम है। गैस हाइड्रेट की एक इकाई प्राकृतिक गैस की 140 इकाईयों के समकक्ष है। अंडमान के तटीय क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट्स की प्रचुर उपलब्धता ऊर्जा की कमी से जूझ रहे भारत के लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध होगा। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां पर कोई कार्यक्रम चला रही है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अंडमान में भी कुछ खोजें की गयी हैं जिनकी जांच की जा रही है। हम अपनी ओर से भरसक प्रयास करेंगे।

महानगरों में रेलवे स्टेशन

+

***302. श्रीमती सुप्रिया सुले:**
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार विभिन्न महानगरों में रेल स्टेशनों को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य रेल के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के आधुनिकीकरण के लिए किसी विदेशी परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख निबंधन तथा शर्तें क्या हैं एवं रेलवे तथा उक्त परामर्शदाता के बीच किए गए करार के वित्तीय प्रावधान क्या हैं; और

(ङ) उक्त रेलवे स्टेशन के साथ-साथ अन्य महानगरों के स्टेशनों के उन्नयन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार रेलवे स्टेशनों के चारों ओर स्थित भू-संपदा और उसके एयर स्पेस का लाभ उठाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से महानगरों और महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थित 50 स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए पहचान की गई है।

(ग) और (घ) मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सी.एस.टी.) स्टेशन का विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकास करने के लिए मास्टर प्लान और व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक फ्रांसिसी कंसल्टेंसी फर्म, मैसर्स अरेप विल्ले को आर्किटेक्ट एवं टेक्नीकल कन्सल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संविदा की कीमत 11.45 करोड़ रुपये है और इस करार पर 11-05-2009 को हस्ताक्षर किए गए हैं। कंसल्टेंसी संविदा के निबंधन एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यातायात अध्ययन करना, भू-तकनीकी जांच, रियल इस्टेट अध्ययन, हैरिटेज

अध्ययन, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का आकलन करना और विभिन्न स्थानीय एजेंसियों/निकायों का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुतिकरण तैयार करना आदि शामिल हैं।

(ङ) सी.एस.टी. मुंबई के लिए मास्टर प्लान के विकल्प तैयार कर लिये गए हैं। चूंकि सी.एस.टी. मुंबई एक विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए धरोहर संरचना के चारों ओर गतिविधियों और सुविधाओं का विस्तार करने के लिए स्थान रिलीज करने के लिए बफर जोन को युक्तिसंगत बनाना होगा। इस संबंध में विश्व धरोहर केंद्र/यूनेस्को को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने का प्रस्ताव संबंधित स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किया गया है।

नई दिल्ली और पटना के लिए भी मास्टर प्लान और व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी कार्य शुरू कर दिये गए हैं। सिकन्दराबाद, आनन्द विहार (चरण II), चंडीगढ़, बिजवासन, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद, सियालदह और चेन्नै सेंट्रल के लिए भी कंसल्टेंट नियुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अन्य स्टेशनों के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिये गए हैं।

श्रीमती सुप्रिया सुले: महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहूंगी कि मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का उपयोग मुम्बई शहर के लाखों लोगों द्वारा हर समय किया जाता है विशेषकर स्टेशन पर हमले के बाद से सुरक्षा और अवसंरचना की कमी की बात सबसे पहले सामने आती है। उसका एक मास्टर प्लान तैयार करके यूनेस्को को भेजा गया है क्योंकि यह एक विश्व धरोहर स्थल है। अतएवं क्या इसके चलते अवसंरचना के उन्नयन की पूरी प्रक्रिया में देरी होगी?

श्री दिनेश त्रिवेदी: महोदया, उचित प्रक्रिया का पालन करना ही होगा क्योंकि जैसा कि उन्होंने सही जिक्र किया है वह विश्व धरोहर स्थल है। चूंकि हमारे पास उसका वर्गीकरण विश्व धरोहर का है, अतएवं विभिन्न स्वीकृतियों के लिए यूनेस्को जाना ही होगा। वस्तुतः हमारा दल जल्द ही यूनेस्को जा रहा है क्योंकि उन्होंने हमें जो क्षेत्र दिया है उसे बफर जोन के नाम से जाना जाता है और वह 90 हैक्टेयर का क्षेत्र है जिसे हम घटाकर 67 हैक्टेयर का करना चाहते हैं ताकि हमें प्रस्तावित विश्वस्तरीय स्टेशन के विकास के लिए और अधिक स्थान मिल सके। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके चलते बहुत ज्यादा देरी होगी परंतु किसी भी स्थिति में हमें उचित प्रक्रिया का पालन तो करना ही होगा। इसमें कितना भी समय लगे, परंतु मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां तक रेलवे का प्रश्न है और हमारे दल का प्रश्न है, हम सब अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती सुप्रिया सुले: रेलवे हमेशा से ही बेहद सहयोगी और साकारात्मक रही है विशेषकर अमूल और आनंद जैसे दुग्ध उत्पादन के कार्यों में संलग्न स्व-सहायता समूह और सहकारी समितियों के प्रति हमेशा से ही सभी प्रमुख स्टेशनों, पर उनके उत्पादों को विशेष स्थान गया है। अतएवं, इन सभी का उन्नयन करने की इस नई विकास योजना में क्या उन सभी उत्पादों के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाएगा जो पिरामिड के निचले स्तर पर हैं? यह उनके लिए अपनी बिक्री बढ़ाने का बड़ा अवसर है। इस प्रकार से क्या उन्हें उसी स्थान पर बने रहने दिया जाएगा जहां पर वे हैं ताकि उन्हें बिक्री बढ़ाने के अवसर मिल सकें?

श्री दिनेश त्रिवेदी: इस प्रस्तावित विश्व स्तरीय स्टेशन हेतु राजस्व मॉडल बनाने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जा रहा है। अमूल जैसी कंपनियां, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और जो ऐसे स्व-सहायता समूहों को सहयोग दे रही हैं जो व्यवसायिक रूप से अर्थक्षम भी हैं - मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि वे अपने प्रयासों से सफलता पा लेंगे।

मुझे नहीं लगता कि हमें उनके लिए अलग से कुछ करना होगा। लेकिन हां, मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि आपके प्रश्न से यह संकेत मिलता है कि हमें उन लोगों के लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है जिन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं और जो वृद्ध हैं - मुझे लगता है कि हम सब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं ताकि उनके पास डॉक्टरों, पेयजल इत्यादि पर्याप्त सुविधाएं हों। अतः इन सभी के संबंध में उन लोगों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

अन्यथा, इसे विश्व-स्तरीय कहने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री संजय दिना पाटील: अध्यक्ष महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में यह घोषणा की गई

थी कि ठाणे, नासिक और कई अन्य स्टेशनों का विश्व-स्तरीय स्टेशन के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इसका कार्य कब शुरू हो रहा है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भांडूप और नाहुर स्टेशनों का भी उन्नयन किया जाना है। उनका कार्य भी लंबित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य कितनी जल्दी किया जाएगा।

श्री दिनेश त्रिवेदी: 2006-07 के बजट भाषण में और 2009-10 में पुनः कुमारी ममता बनर्जी द्वारा ऐसे 50 विश्व-स्तरीय स्टेशनों की परिकल्पना की गई थी। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि वे स्टेशन भी इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमें एक-एक करके इन्हें लेना होगा और सबसे पहले हमने इस प्रायोगिक परियोजना को लिया है। हाल ही में, हमें केबिनेट सचिव से भी निर्देश मिले हैं जिसके कारण भूमि को पट्टे पर देना सरल नहीं हो पाएगा। अतः इसमें पर्याप्त समय लगेगा। लेकिन, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि ट्रेनें चल रही हैं। पिछले दशक की 30 ट्रेनों की तुलना में अब हमारे पास 300 ट्रेनें हैं। अतः, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन सभी स्टेशनों पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सब लोग शांत हो जाइए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदया, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं मुंबई टर्मिनल से आगे बढ़कर ऐसी रेल लाइन के बारे में प्रश्न उठाना चाहता हूं जो एक विश्व धरोहर लाइन है और उसे इसी रूप में जाना जाता है। मैं दार्जीलिंग रेल लाइन की बात कर रहा हूं जिसे हाल ही में आए भूकंप से भारी क्षति पहुंची है। भू-स्खलन से इसका लगभग 150 मीटर भाग टूट गया है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि भूकंप के बावजूद इस रेल लाइन को पुनरूज्जीवित करने हेतु कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया है। यह दार्जीलिंग तक जाने वाली एकमात्र रेल लाइन है। निःसन्देह, यह एक विश्व धरोहर स्थल है। क्या सरकार इस स्थिति में सुधार हेतु तत्काल विचार करेगी?

श्री दिनेश त्रिवेदी: मुझे बेहद खुशी है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है। दार्जिलिंग सभी को बेहद पसंद है। यह सभी पर्वतीय स्थानों की रानी है। मुझे भी हाल ही में वहां जाने का अवसर मिला था। मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता हो रहा है कि नई सरकार के आने के बाद से स्थितियां सामान्य हो रही हैं। पहले कार्य कुछेक परिस्थितियों के कारण शुरू नहीं किया जा सका जिनसे माननीय सदस्य स्वयं भी भली-भांति अवगत हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम भी कार्य शुरू करना चाहते हैं। यह ट्रेन जिसे टॉय ट्रेन कहा जाता है. जो कि एक धरोहर है और जिसकी यात्रा मनोहर है, हम भी इसका विस्तार करना चाहते हैं। पहले यह पहाड़ी की तलहटी से शुरू होती थी। मेरा प्रयास यह देखने का होगा कि क्या हम इसे पुनः पहाड़ी की तलहटी से शुरू कर सकते हैं और इसके जिस भाग की क्षति हुई है, मैं आश्वासन देता हूं कि, उसे रेलवे के तहत् जितना संभव होगा, शीघ्र ठीक कर दिया जाएगा।

श्री पी.सी. चाको: माननीय अध्यक्ष महोदया, रेलवे के आधुनिकीकरण के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने ऐसे स्टेशनों की विस्तृत सूची दी है जिनके संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट और मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, यह माननीय रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी के बजट की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। पी.पी.पी. मोड में 50 स्टेशनों का बहु-सुविधा केन्द्रों के रूप में विकास करने की घोषणा की गई है। मंत्री जी ने कहा है कि 11 स्टेशनों जिनके नाम भी दिए गए हैं, के संबंध में मास्टर प्लान और व्यवहार्यत रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। मेरा स्टेशन दुर्भाग्यपूर्ण 39 के तहत् आता है जहां मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है। मैं मंत्री जी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वे काम करने वाले व्यक्ति हैं। सबरीमाला तीर्थयात्रा के दौरान लाखों लोग थिरुसूर रेलवे स्टेशन का प्रयोग कर रहे हैं जो कि एकमात्र स्टेशन है। क्या मंत्री जी हमें यह आश्वासन देंगे कि थिरुसूर जैसे रेलवे स्टेशनों पर बहु-सुविधा केन्द्रों के विकास के लिए पी.पी.पी. मोड के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी?

श्री दिनेश त्रिवेदी: एम.एफ.सी., जैसा कि इसे कहा जाता है, और 'विश्व-स्तरीय' दो अलग-अलग माडल हैं। एक मॉडल जो विश्व स्तरीय है उसमें सम्पूर्ण अवसंरचना पर ध्यान दिया जाता है और एम.एफ.सी. स्टैंड-अलोन भवन है जिस पर कार्य करना अत्यधिक सरल है।

सबरीमलाई हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है। हाल ही में हमने यह आश्वासन भी दिया है कि कोट्टायम से गुजरने वाले लोगों के लिए शयनागार बनाए जाएंगे क्योंकि उन्हें निश्चित तौर पर विश्राम की आवश्यकता होती है। जहां तक आयोजना का संबंध है, वह भी मेरे मन में है। मैं हाल ही में केरल गया था और मैं मुख्यमंत्री सहित सभी संसद सदस्यों से मिला था। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी आवश्यक होगा निश्चित तौर पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं रेल मंत्री से एक समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रैशर नहीं है, जैसे झांसी अंग्रेजों के जमाने से सैन्ट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कनैक्ट करता है। झांसी से मानिकपुर जो ट्रेन जाती है, उसकी एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां जो ब्रिटिश इंडिया के जमाने से रेल है, वह उसी तरह से है। वहां खजुराहो रेलवे स्टेशन पड़ता है और महोवा रेलवे स्टेशन पड़ता है। सभी पर्यटक यहां जाते हैं। उसमें यह फायदा जरूर है कि वह ट्रेन इतनी जोर से हिलती है कि उसमें कोई सो नहीं सकता। क्या रेल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भविष्य के चार-पांच सालों में उसका दोहरीकरण या बिजलीकरण करने की कोई योजना है या नहीं?

श्री दिनेश त्रिवेदी: मैडम, वैसे डीरेल होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, रेल के लिए तो खतरा है मगर थोड़ा सा हम प्रश्न से भी डीरेल हो गए हैं। यह प्रश्न वर्ल्ड क्लास स्टेशन के बारे में है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह: आप मीडियम क्लास का बना दें, हम वर्ल्ड क्लास नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी: जहां तक लाइन के दोहरीकरण का प्रश्न है, मुझे लगता है कि यह अलग प्रश्न है। मुझे इसके लिए निश्चित तौर पर एक अलग नोटिस की आवश्यकता होगी और उसका उत्तर देते हुए मुझे अति प्रसन्नता होग।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 303 - श्री रमाशंकर राजभर - उपस्थति नहीं

श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जनप्रतिनिधियों की भूमिका

***303. + श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के चयन, निर्माण स्थिति की निगरानी/निरीक्षण तथा अन्य मामलों के संबंध में जनप्रतिनिधियों को क्या भूमिका सौंपी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आयोजना और कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या नीति तैयार की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेजयल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों में संसद सदस्यों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत इस संबंध में किए गए प्रमुख प्रावधान नीचे दर्शाए गए हैं:-

(i) पी.एम.जी.एस.वाई. सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की जाती हैं ताकि योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

(ii) संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर जिला पंचायत में पूर्णत: विचार विमर्श किया जाएगा

---

*चूंकि श्री रमाशंकर राजभर उपस्थित नहीं थे, माननीय अध्यक्ष महोदया ने श्रीमती सुषमा स्वराज को प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

जिसमें शामिल न किए जाने के प्रत्येक मामले में उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।

(iii) जोन/क्षेत्र का संबंधित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो पी.एम.जी.एस.वाई. का संचालन कर रहा है, उस जोन/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय संसद सदस्य और जिला प्रमुख से यह अनुरोध करेगा कि वे छह माह में एक बार संयुक्त जांच पड़ताल के लिए किसी भी पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजना(ओं) का चयन करें।

(iv) कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोहों में विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए। खासकर केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों से संबंधित प्रोटोकॉल की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी समारोहों के अनुरूप ही इन समारोहों का आयोजन किया जाना चाहिए। शिलान्यास स्थानीय संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा किया जाता है और राज्य के प्रोटोकॉल के अनुसार स्थानीय मंत्री या अन्य सम्मानित हस्ती इस समारोह की अध्यक्षता करते हैं।

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों (2001 की जनगणना) और इससे अधिक की आबादी वाली तथा पर्वतीय राज्यों, जनजातीय, (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित) और कोर नेटवर्क के आधार पर गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित/60 समेकित कार्य योजना जिलों में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली सभी सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए मानदंड की परिकल्पना की गई है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आपने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि पी.एम.जी.एस.वाई. के दिशा-निर्देशों के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में 500 से ज्यादा आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ेंगे। लेकिन हमारी जानकारी में जब से पी.एम.जी.एस.वाई. की योजना भारत निर्माण के तहत आई है, तब से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक पूरे देश में 1000 की आबादी वाले गांव नहीं जुड़ जाएंगे, तब तक हम आगे की आबादी जोड़ने के लिए पैसा नहीं देंगे। यह उन राज्यों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जहां छोटी आबादी वाले गांव हैं और जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेन्स दिखाकर त्वरित गति से अपने गांवों से 1000 आबादी वाले गांवों को जोड़ दिया है। अब तब तक वे गांव और राज्य प्रतीक्षा करेंगे, जब तक पूरे देश के 1000 की आबादी वाले गांव नहीं जुड़ जाते और तब तक आगे की आबादी जोड़ने के लिए उन राज्यों को पैसा नहीं मिलेगा। हमारा मध्य प्रदेश इसका शिकार हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि दो साल पहले एक निर्णय लिया गया था कि हम प्राथमिकता उन हैबिटेंशस को देंगे, जहां आबादी 1000 से भी ऊपर है। क्योंकि धनराशि की कमी थी, मांगें आ रही थीं अलग अलग राज्यों से, इसीलिए दो साल पहले यह निर्णय लिया गया था। मैं अभी यह सूचना देना चाहता हूं कि अभी दो दिन पहले ही हमने एक नया निर्णय लिया है कि अभी 800 से लेकर 999 तक जो हैबिटेशन्स हैं, उनको भी खोला जाएगा। उनके प्रस्ताव राज्य सरकारों से मांगे गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह गलत है।...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: मैडम, सदस्यों से कहिए कि मुझे जबाव तो देने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: गीते जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: सुषमा जी आपने सवाल पूछा है और मैं जवाब दे रहा हूं। परसों ही मैंने राज्यों सरकारों को सूचना दी है कि पहले चरण में 800 से लेकर 999 तक की हैबीटेशन्स के लिए प्रस्ताव दिए जाएं और जब 90 प्रतिशत उनके कांट्रैक्ट एवार्ड किए जाएंगे, तब 600 से लेकर 799 तक के हैबीटेशन्स भी लिए जाएंगे। एक बात मैं और कह दूं कि नक्सल प्रभावित जिले जो पहले 60 थे, अभी 78 हो गए हैं, उनमें हम ढाई सौ से भी ऊपर आबादी ले रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भी शामिल है। यह बात सही है कि जो दो साल पहले की सूचना थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बीच में मत बोलिए, बैठ जाइए। विजय बहादुर सिंह जी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: यह बात सही है कि दो साल पहले प्राथमिकता उन्हीं गांवों को दी जा रही थी, जिनकी आबादी एक हजार से ऊपर थी, लेकिन अब वह नहीं है। 800 से लेकर 999 पहले चरण में और 700 से लेकर 899 दूसरे चरण में लिए जाएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण: महोदया, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से 2009-10 और 2010-11 में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या इसने कर्नाटक राज्य को इस योजना के तहत् सड़कों का निर्माण करने की अनुमति दे दी है?

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, पी.एम.जी.एस.वाई. के दो उद्देश्य हैं - नई कनेक्टिविटी प्रदान करना और उन्नयन करना। इसमें नई क्नेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जा रही है। कई राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जहां नई कनेक्टिविटी का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नई कनेक्टिविटी का कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है और अब उन्नयन की मांग की जा रही है...*(व्यवधान)*

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: पूर्वोत्तर के बारे में क्या कहना है?

श्री जयराम रमेश: माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि हमारे पास पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए असीमित संसाधन हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यक्रम वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। इसे 2007 तक पूरा किया जाना था। असल बात यह है कि 2007 से ही पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए निधियों में काफी बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष हम पी.एम.जी.एस.वाई. पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और हमें सभी राज्यों के नई कनेक्टिविटी और उन्नयन संबंधी अनुरोधों पर विचार करना है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सभा में स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि मेरी प्राथमिकता उन राज्यों में नई कनेक्टिविटी प्रदान करने की है जहां पर अभी बसावटें जुड़ी हुई नहीं हैं और ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। उन्नयन सम्बंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने उन्नयन संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना बंद कर दिया है। लेकिन जब भी हम पी.एम.जी.एस.वाई. हेतु संसाधनों में बढ़ोतरी करेंगे, हम उन्नयन संबंधी इन प्रस्तोवं पर भी विचार करेंगे।

जहां तक कर्नाटक का संबंध है, वे शुरुआत में नई कनेक्टिविटी हेतु 800 और 999 के बीच की बसावटों हेतु प्रस्ताव भेज सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री नामा नागेश्वर राव, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री नामा नागेश्वर राव कृपया, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: क्या हुआ? सब लोग खड़े होंगे तो कैसे होगा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हैं? सब लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बारी-बारी से प्रश्न पूछें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव: धन्यवाद, महोदया। महोदया, मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में जिस तरह से बताया है, उसे सब लोग देखें, सोचें और सुनें। मंत्री जी ने अपने पहले रिप्लाई में लिखा है कि

[अनुवाद]

संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

पर, आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है। मंत्री जी के दूसरे रिप्लाई में लिखा है कि

[अनुवाद]

आधारशिला स्थानीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा रखी जाएगी।

[हिन्दी]

लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा जिला खम्माम लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिस्ट से प्रभावित है। मैडम, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं पन्द्रहवीं लोक सभा में पहली दफा आया हूं। जोशी जी का अप्रैल, 2010 में जो लैटर आया है, उसके अनुसार प्रोपोजल के बारे में अन्त में लिखा है कि

[अनुवाद]

स्थानीय संसद सदस्य द्वारा आधारशिला रखी जाएगी और प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

[हिन्दी]

लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सवाल पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव: मैडम, हमने इसके बारे में बहुत बार प्रपोजल दिया है। प्रोटोकॉल के अनुसार हमने खम्माम जिले के बारे में जो भी प्रपोजल दिया है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। यह जो लिखा गया है कि

[अनुवाद]

आधारशिला स्थानीय संसद सदस्य द्वारा रखी जाएगी।

[हिन्दी]

इसको कन्सल्ट नहीं किया। जब इसे कन्सल्ट नहीं किया तो हमने राज्य सरकार के प्रोटोकॉल सचिव को पत्र लिखा है। इसके बाद जोशी साहब को पत्र भेजा था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी आप अपना प्रश्न तो पूछ लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव: इसके बाद श्री विलासराव देशमुख जी को पत्र लिखा। इसके बाद अभी जो मंत्री हैं, उन्हें पत्र लिखा है। पर, दो मंत्री बदल गए, अभी तीसरे मंत्री हैं। दो साल हो गए। एक सांसद के इतने पत्र लिखने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी कहते हैं कि वे राज्य सरकार का प्रोटोकॉल मेनटेन करेंगे और केन्द्र सरकार के कल्चर को मेनटेन नहीं करेंगे। इस बारे में भी मैंने व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से मिल कर बात की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने के लिए मेरे पास बहुत लम्बी सूची है। मैं देख रही हूं कि सभी लोग जानना चाह रहे हैं और बहुत लोगों की चिंताएं हैं। अगर आप नोटिस देंगे और जितनी जल्दी देंगे, हम उस पर आधे घंटे की चर्चा करवा देंगे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया सूचना दें। हम चर्चा करवा देंगे।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्या चाहते हैं, क्या आप लम्बी चर्चा चाहते हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: मैं ऐसा समझ रही हूं कि आप इस पर लम्बी चर्चा चाहते हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप क्या चाहते हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बी.ए.सी. की मीटिंग है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: इस पर लम्बी चर्चा करा लेंगे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है...

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपसे कह रही हूं। यदि सभा चाहती है कि चर्चा लंबी हो, तो इस पर विचार किया जाएगा। आप क्या चाहते हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आज बी.ए.सी. की बैठक है और उसमें हम यह निर्णय लेंगे। वहां पर प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व है। हम इस संबंध में निर्णय लेंगे कि हमें इस पर चर्चा कैसे करनी है। हम इस पर लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस पर चर्चा हो।

[हिन्दी]

...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, आप चर्चा तो करा लेंगे, सवाल यह है कि इस समय माननीय सदस्य डिस्कशन नहीं, आपका संरक्षण चाहते हैं। संरक्षण यह है कि इसमें जो लिखा है कि प्रोटोकोल यह है कि हर पी.एम.जी.एस.वाई. का फाउंडेशन स्टोन, उसका भूमि पूजन लोक सभा का एम.पी. करेगा। यहां जितने माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इनमें से कभी एक माननीय सदस्य को भी सम्पर्क नहीं किया गया।...(*व्यवधान*) मुझे भी नहीं किया गया। मंत्री जी, कभी किसी एक को भी सम्पर्क नहीं किया गया कि आप फाउंडेशन स्टोन ले करें।...(*व्यवधान*) चर्चा नहीं, आज के दिन आप हमें संरक्षण दीजिए और निर्देशित करिए कि यह जो प्रोटोकोल इन्होंने दिया है,...(*व्यवधान*) खुद लिखकर दिया है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी की बात सुन लीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें और मेम्बर्स को बुलाएं।...(*व्यवधान*) फाउंडेशन स्टोन ले

करते वक्त बुलाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी मध्य प्रदेश सरकार से कहें कि हमने जो खत लिखे हैं,...*(व्यवधान)* उनका पूरा ध्यान करें।...*(व्यवधान)* यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।...*(व्यवधान)* इसमें पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेदार है। हमने राज्य सरकारों से लिखित में कहा है कि क्या-क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए,...*(व्यवधान)* अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो गलती हमारी नहीं है, राज्य सरकारों की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपय बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइये। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हां, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर अपनी बात कह रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं एक बात का पूरे सदन को आपके जरिये बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार सभी माननीय सदस्यों की पूरी कद्र करती है, उनकी पूरी इज्जत करती है।...*(व्यवधान)* मुझे आगे सुनिये। मुझे आगे कहने दीजिए। जिस-जिस योजना के तहत, किसी भी स्कीम के तहत कहीं भी जो दिशा-निर्देश हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा कि उनकी पालना की जाये।...*(व्यवधान)* मैं सरकार की तरफ से यह कह सकता हूं कि जो विषय इस वक्त माननीय सदस्यों ने उठाया है, हम उसको बिल्कुल गम्भीरता के साथ देखते हैं।...*(व्यवधान)* यह कैसे हो सकेगा, इसमें प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर, सैण्ट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर, जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका अपना-अपना रोल है, सभी को साथ लेकर कैसे यह सम्भव हो सकेगा कि माननीय सदस्यों को आगे बुलाया जाये...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिये, आप अपनी बात कहेंगे तो मैं अपनी बात नहीं कह सकूंगा।...*(व्यवधान)* नहीं, इसका सवाल के साथ ताल्लुक नहीं है, यह थोड़ा सवाल के जवाब से हटकर है कि जहां भी माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि कहीं भी उनकी अवहेलना हुई है और उसके लिए वे हमें लिखेंगे, हम एक अदरवाइज भी...*(व्यवधान)* आपको मैं जो एश्योरेंस देना चाहता हूं, वह आप लेना नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं आपको यही कह रहा हूं कि भविष्य में कहीं भी अगर ऐसा होगा, जहां भी आपसे कोई शिकायत आएगी, बेशक वे प्रान्तीय सरकारें हों, बेशक वे सैण्ट्रल एजेंसीज हों, सभी से कैसे इस बात की पालना की जाये, कैसे माननीय सदस्यों को बुलाया जाये, कैसे उनकी इज्जत हो, यह हम अपने तौर पर देखेंगे।...*(व्यवधान)* लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज प्रदेश सरकारें होती हैं, हमें उनका भी सहयोग मिलना जरूरी है। केन्द्र में बहुत सी स्कीम के तहत केन्द्र से फंड्स जाते हैं, उसका वित्त-पोषण केन्द्र से होता है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट से होता है तो हम सभी को मिलकर इसमें काम करना होगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि माननीय सदस्यों की जो जगह है, उनका आदर भी होना चाहिए और उनकी इज्जत होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: जब यहां से पैसा ही नहीं जायेगा तो इज्जत किस बात की होगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्लीज बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: दो साल से एक रुपया भी नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: यह मामला सीधे-सीधे हमारे सांसदों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए, मैं सरकार से चाहूंगी कि वह इस पर पूरी तव्वजो दे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: वह इन्श्योर करे कि उनके अधिकार में कहीं भी कमी न आये।

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, हमने बार-बार राज्य सरकारों को खत लिखा है।...*(व्यवधान)* एक बार मुझे बोल लेने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: मैं इस संबंध में बात करूंगा। मैं सांसदों को बुलाकर, राज्य सरकार के मंत्रियों को बुलाऊंगा और जो हमने गाइडलाइन्स जारी की हैं, जो हमने खत भेजे हैं, उस पर हम विचार करेंगे। हमने विस्तार से कहा है कि सांसदों की क्या भूमिका होनी चाहिए? सांसदों के जो अधिकार हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है, यह बात मैं जानता हूं, पर इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन फिर भी मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं सांसदों को बुलाऊंगा। मुख्यमंत्री और राज्यों के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में बैठक बुलाऊंगा और इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे।...*(व्यवधान)* जो हमने लिखित में कहा है,...*(व्यवधान)* आप मेरी बात तो सुनिये...*(व्यवधान)* हमने राज्य सरकारों को जो लिखित में भेजा है, उसका पूरी तरह से पालन किया जायेगा।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: जब दो साल से पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार क्या करेगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने कहा है कि वह उस पर कार्रवाई करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: इन्होंने अपनी बात कह दी है, अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री गणेश मूर्ति।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतना नाराज नहीं होते हैं। आप बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: उनको प्रश्न पूछने दीजिए। आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्या चाहते हैं? बैठ जाइए, उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप फिर से प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: यह क्या हो रहा है? उनको बार-बार प्रश्न पूछना पड़ रहा है। इतना व्यवधान मत डालिए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 304 - श्री एन. श्रीनिवासुलु रेड्डी, उपस्थिति नहीं।

श्री ए. गणेशमूर्ति।

केजी डी-6 बेसिन से उत्पादन

***304. + श्री ए. गणेशमूर्ति:**

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कंपनी-वार और स्थान-वार तेल के कितने कुओं में ड्रिलिंग की जा रही है और आगामी तीन वर्षों के दौरान कितने कुओं में ड्रिलिंग करने का प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केजी डी-6 बेसिन से किए गए उत्पादन का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केजी डी-6 बेसिन से उत्पादन में कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु देश में और अधिक तेल कुओं की खुदाई करने और केजी डी-6 से उत्पादन में भी वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उन कूपों, जिन का वेधन किया जा रहा है और अगले तीन वर्षों के दौरान जिनका वेधन किए जाने का प्रस्ताव है, का कंपनी-वार और स्थल-वार विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 2011 तक) के दौरान ब्लॉक केजी-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 से तेल और गैस के उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्तूबर 2011 तक)	योग
तेल (मिलियन मीट्रिक टन) (एम.एम.टी.)	0.129	0.502	1.078	0.429	2.138
गैस (बिलियन घन मीटर) (बी.सी.एम.)	0.079	15.10	20.40	9.91	45.49

हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय (डी.जी.एच.) ने रिपोर्ट दी है कि ब्लॉक के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 में डी1 और डी3 क्षेत्रों से गैस उत्पादन में कमी, क्षेत्र विकास योजना (एफ.डी.पी.) के अनुसार मार्च, 2012 तक वेधन के लिए अनुमोदित 31 उत्पादक कूपों में से केवल 22 कूपों (18 गैस उत्पादक कूप और 4 वेधित कूप जिन्हें सम्बद्ध नहीं किया गया है अथवा जिनमें उत्पादन शुरू नहीं किया गया है) का वेधन करने के कारण हुई है। संविदाकार ने भू-वैज्ञानिक जटिलताओं के आधार पर उपयुक्त वेधन स्थलों को सुदृढ़ करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। डी.जी.एच. संविदाकार के तर्क से सहमत नहीं है और उसने संविदाकार को डी1 और डी3 गैस क्षेत्रों में अधिक संख्या में गैस उत्पादक कूपों का वेधन करके अनुमोदित एफ.डी.पी. का अनुपालन करने और अनुमोदित एफ.डी.पी. गैस उत्पादन प्रोफाइल प्राप्त करने को कहा है। संविदाकार ने न तो शेष 9 उत्पादक कूपों का वेधन किया और न ही उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन समिति (एम.सी.) के अनुमोदन के लिए एफ.डी.पी. में संशोधन जैसी कोई वैकल्पिक कार्रवाई की है।

इसके अलावा, डी1 और डी3 क्षेत्रों में कुल 18 गैस उत्पादक कूपों में से 5 कूपों में गैस का उत्पादन कूपों में जलभराव/बालू आ जाने के कारण गैस उत्पादन बंद कर दिया गया है। एम.ए. क्षेत्र में 6 तेल/गैस उत्पादक कूपों में से एक तेल/गैस उत्पादक कूप में जलभराव के कारण तेल/गैस का उत्पादन बंद कर दिया गया है।

घरेलू तेल/गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के बोली प्रक्रिया दौरों के जरिए अन्वेषित नहीं किए गए क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए प्रस्तावित कर रही है। एन.ई.एल.पी. बोली प्रक्रिया के आठ दौरों तक कुल 235 ब्लाक प्रदान किए गए हैं। अभी तक एन.ई.एल.पी. ब्लाकों में कुल 342 अन्वेषण/आकलन कूपों का वेधन किया गया है और ब्लाक केजी-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 में बड़ी गैस खोजों सहित 34 ब्लाकों में 103 तेल/गैस खोजें की गई हैं।

अनुबंध

वेधन किए जा रहे और आगामी तीन वर्षों के दौरान वेधन किए जाने के लिए प्रस्तावित कूपों के ब्यौरे

क्र. सं.	प्रचालक	वेधन किए जा रहे कूपों की संख्या (2011-12)	स्थल	आगामी तीन वर्षों के दौरान वेधन किए जाने के लिए प्रस्तावित कूपों की संख्या (2012-13 2013-14, 2014-15)	स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	ओ.एन.जी.सी.	100	अहमदाबाद (5), मेहसाना (8), अंकलेश्वर (13), कैम्बे (2), राजस्थान एफबी (1), ऊपरी असम (18), जोरहाट एफबी (2), कसार एफबी (2), त्रिपुरा (5), एम.बी.ए. बेसिन (2), फ्रंटीयर बेसिन (4), राजामुंद्री (16), कावेरी (7), पूर्वी अपतट (15)	812	अहमदाबाद (154), मेहसाना (181), अंकलेश्वर (88), कैम्बे (28), राजस्थान, असम (82), त्रिपुरा (24), राजामुद्री (20), कावेरी (33), मुंबई हाई (81), हीरा नीलम (19), बेसिन और सेटेलाइट (36), एन.एम.एफ.डी.एम.एच. (28), एन.एम.एफ.डी. बी एंड एस (26), ई.ओ.ए. (12)

1	2	3	4	5	6
2.	ओ.आई.एल.	67	असम अराकान (56), राजस्थान (11)	217	असम अराकान (181), राजस्थान (26), के.जी.-बेसिन (10)
3.	जी.एस.पी.सी.	7	गुजरात (2) के.जी. अपतट (5)	26	मुंबई अपतट (3), राजस्थान (9), के.जी. जमीनी (7) के.जी. अपतट (7)
4.	गेल			3	तमिलनाडु (3)
5.	कैर्न	2	के.जी. जमीनी (1) राजस्थान (1)	31	आन्ध्र प्रदेश (1), पोलर अपतट (3), केजी अपतट (13), राजस्थान (14)
6.	आर.आई.एल.			99	केजी अपतट (43), महानदी-एन.ई.सी. अपतट (22), कावेरी अपतट (12), केरल-कोंकण (10), प्राणहीटा-गोदावरी अपतट (4), गुजरात सौराष्ट्र (4), गुजरात (4)
7.	प्राइज पेट्रोलियम			3	छत्तीसगढ़ (3)
8.	पेट्रो गैस			1	मुंबई अपतट (1)
9.	नाफ्टोगाज			1	मिजोरम (1)
10.	सैंटोज			1	महानदी अपतट (1)
11.	फोकस	2	राजस्थान (2)	35	राजस्थान (14), गुजरात (3), कैम्बे अपतट (18)
12.	ई.एन.आई.			3	ए एंड एन आइसलैंड (3)
13.	एच.ओ.ई.सी.			8	राजस्थान (8)
14.	एस्सार			7	गुजरात (2), असम (4), मुंबई अपतट (1)
15.	जुबीलैण्ट			22	मणिपुर (8), त्रिपुरा (2), असम (12)
16.	इंटरलिंक			5	गुजरात (5)
17.	जे.टी.आई.			6	गुजरात (6)

1	2	3	4	5	6
18.	सेलन			19	गुजरात (19)
19.	ज्योनप्रो	2	अरुणाचल (2)		
20.	अदानी			14	मुंबई अपतट (5), गुजरात (6), असम (3)
21.	ओंकार			5	गुजरात (5)
22.	क्वेस्ट पेट्रोलियम			15	गुजरात (15)
23.	मर्केटर			11	गुजरात (11)
24.	हरीश चन्द			22	गुजरात (22)
25.	एस.वी.जी. स्टील			34	गुजरात (34)
26.	वसुन्धरा			7	गुजरात (7)
	कुल	180		1407	

श्री ए. गणेशमूर्ति: धन्यवाद महोदया, मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार सरकार ने अगले तीन वर्षों में तमिलनाडु में तीन कुएं खोदने का प्रस्ताव किया है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रस्तावित कुओं का स्थान, उन कुओं से प्राप्त होने वाले आउटपुट की मात्रा और इन कुओं की खुदाई आरंभ करने की वास्तविक तिथि के बारे में जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जन औषधि केंद्रों का खोला जाना

***305. श्री सी.एम. चांग:**
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक राज्य-वार कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं;

(ख) क्या गत छह महीनों के दौरान सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्य में ऐसे केंद्रों को खोलने के लिए अवसंरचना और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश के प्रत्येक जिले में ऐसा केंद्र कब तक खोले जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) इस समय देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 115 जन औषधि बिक्री केंद्र खोले जा चुके हैं। देश में अब तक खोले गए इन जन औषधि बिक्री केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	राज्य	खोले गए जन औषधि बिक्री केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	पंजाब	22

1	2	3
2.	आन्ध्र प्रदेश	03
3.	ओडिशा	14
4.	हरियाणा	04
5.	राजस्थान	53
6.	उत्तराखंड	02
7.	पश्चिम बंगाल	03
8.	हिमाचल प्रदेश	07
9.	जम्मू और कश्मीर	01
10.	दिल्ली	03
11.	चंडीगढ़	03
	कुल	115

(ख) और (ग) श्री देव राज अर्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, कोलार, कर्नाटक के परिसर में जन औषधि बिक्री केंद्र कोलने के लिए सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसकी जांच की जा रही है।

(घ) आम आदमी को वाजिब मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयां बेचने के उद्देश्य से देश में प्रत्येक जिले में जन औषधि बिक्री केंद्र खोलने के संबंध में लगने वाला समय राज्य सरकारों की प्रवृत्त स्वास्थ्य नीति को देखते हुए उनके द्वारा अपने-अपने सरकारी अस्पतालों में स्थान आबंटित करने तथा ऐसे बिक्री केंद्रों की प्रबंध-व्यवस्था के लिए एजेंसी का भी पता लगाने में की जाने वाली सहायता और दिए जाने वाले सहयोग पर निर्भर है।

रेल ऊपरि पुल/रेल अधोगामी पुल/ सब-वे का निर्माण

***306. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेल उपरि पुल/अधोगामी पुल/सबवे/लिंक सड़क रेल पुल/फुट ओवर ब्रिज की जोन-वार कितनी परियोजनाएं चल रही हैं तथा उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) जोन-वार उक्त रेल ऊपरि पुलों/रेल उद्योगामी पुलों/सबवे/लिंक सड़क रेल पुल/फुट ओवर ब्रिज की कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वापी में विद्यमान संकरे सब-वे के स्थान पर वाहनों के यातायात के लिए सब-वे के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्माण कार्य के पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है एवं इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) रेलवे द्वारा उक्त परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) और (ख) देश में रेलवे ऊपरि सड़क पुल/निचले सड़क पुल (आर.ओ.बी./ आर.यू.बी.)/सब-वे/लिंक रोड रेल-पुल/ऊपरि पैदल पार पुल (एफ.ओ.बी.) की चालू परियोजनाओं की जोन-वार संख्या, आवंटित धनराशि और निर्माण कार्यों की स्थिति का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत आर.ओ.बी./आर.यू.बी./सबवे का निर्माण आमतौर पर सड़क प्राधिकरण (आर.ओ.बी. के पहुंच मार्ग) और रेलों (पुल वाला भाग) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि कई कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, राज्य सरकार के पास निधि की उपलब्धता, राज्य के बजट में संबंधित कार्य की स्वीकृति, सामान्य आरेखण व्यवस्था की स्वीकृति, ठेका प्रदान करने आदि पर निर्भर करती है। निधि की उपलब्धता और पहुंच मार्गों, पुल खास संबंधी कार्यों की वास्तविक प्रगति के आधार पर ऐसे कार्यों को पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित की जाती है।

(ग) और (घ) वापी नगर पालिका ने रेलवे पुल संख्या 278 किमी. 170/30 और 279 किमी. 171/20-22 के बीच वापी स्टेशन के दक्षिण में 170/31-171/01 किमी. पर 2x575 मी. x 3.75 मी. आकार के एक सबवे के निर्माण का प्रस्ताव किया है। मौजूदा पुल संख्या 279 जलमार्ग के लिए है और साफ मौसम में इसका इस्तेमाल

हल्के मोटर वाहनों द्वारा किया जा रहा है। रेलवे ने निक्षेप आधार पर सबवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रेलवे ने 01-04-2011 को सामान्य आरेखण व्यवस्था (जी.ए.डी.) को भी मंजूरी दे दी है और राइट्स की देखरेख में वापी नगर पालिका द्वारा पूरे कार्य को निष्पादित करने की भी अनुमति दी गई है। वापी नगर पालिका ने 21-10-2011 सबवे का ठेका दे दिया है। इस सबवे को जुलाई, 2012 तक पूरा करने की संभावना है। इसके निक्षेप कार्य होने के कारण वापी नगर पालिका द्वारा सबवे के लिए अपेक्षित धनराशि आवंटित की जा रही है।

(ङ) लागत में भागीदारी के आधार पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण सड़क प्राधिकरण के साथ मिलकर किया जाता है। प्रगति की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है और ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इन्हें प्रायोजित करने वाले प्राधिकरणों के साथ समन्वय बैठकें की जाती हैं।

विवरण-I

आर.ओ.बी./आर.यू.बी./सब-वे की चालू परियोजनाओं तथा उनके अन्तर्गत आबंटित धनराशि

क्र. सं.	रेलवे	पिंक बुक 2011-12 में उल्लिखित आर.ओ.बी., आर.यू.बी., सबवे कार्यों की सं.	2011-12 के दौरान आवंटित धनराशि (करोड़ रु.)	पूरे किए गए कार्य (अक्तूबर 2011 तक)	चालू कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य रेलवे	14	27	0	6
2.	पूर्व रेलवे	59	72	12	7
3.	पूर्व मध्य रेलवे	69	105	14	11
4.	पूर्व तट रेलवे	34	62	7	12
5.	उत्तर रेलवे	132	176	15	52
6.	उत्तर मध्य रेलवे	60	98	7	21
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	26	36	2	8
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	6	26	4	0
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	46	71	11	10
10.	दक्षिण रेलवे	211	83	5	62
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	101	216	18	28
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	24	34	2	8
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	29	58	5	4
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	62	55	10	8

1	2	3	4	5	6
15.	पश्चिम रेलवे	42	46	7	7
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	36	37	6	13
	जोड़	951	1200	125	257

विवरण-II

स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों (एफ.ओ.बी.)

क्र. सं.	रेलवे	पिंक बुक 2011-12 में उल्लिखित उपरि पैदल पार पुल (एफ.ओ.बी.) संबंधी कार्यों की संख्या	31-03-2012 तक आवंटित धनराशि (करोड़ रु.)
1.	मध्य रेलवे	5	3.76
2.	पूर्व रेलवे	15	1.79
3.	पूर्व मध्य रेलवे	4	4.54
4.	पूर्व तट रेलवे	2	4.92
5.	उत्तर रेलवे	1	5.65
6.	उत्तर मध्य रेलवे	4	15.65
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	-	-
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2	3.55
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	-	-
10.	दक्षिण रेलवे	40	6.62
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	-	-
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	1	1.58
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	2	1.81
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	-	-
15.	पश्चिम रेलवे	11	16.64
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	3	2.78
	जोड़	90	69.29

[हिन्दी]

कोहरे के कारण रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना/उन्हें रद्द किया जाना

***307. श्री बृजभूषण शरण सिंह:**

श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोहरे के कारण वर्ष-वार और जोन-वार कितनी यात्री रेलगाड़ियों में विलम्ब हुआ है और उन्हें रद्द किया गया है; और

(ख) रेलवे द्वारा इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए क्या तंत्र तैयार किया गया है/तैयार करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) और (ख) कोहरा एक मौसमी स्थिति है जहां गाड़ी चालकों की दृष्टयता प्रभावित होती है और चालकों को कोहरे से प्रभावित खंडों पर अधिकतम 60 कि.मी. प्रति घंटा की गति पर गाड़ी चलाने की अनुमति होती है। इसके अतिरिक्त, चालकों को सतर्क रहने और उस गति पर जिस पर वे स्पष्ट देख सकते हैं एवं सिगनलों पर ध्यान देने में सक्षम हों, पर गाड़ी चलाने के स्थायी अनुदेश भी होते हैं। यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

गाड़ियों की धीमी गति के कारण गाड़ियां खंडों को क्लीयर करने में अधिक समय लेती हैं जिससे बाद में आने वाली गाड़ियां प्रभावित होती हैं। उन खंडों जिनमें हाल के दिनों में घना कोहरा देखा गया है, वे यातायात के अत्यधिक घनत्व वाले खंड हैं और इसलिए गाडियों के संचालन पर प्रभाव भी अत्यधिक है। घने कोहरे के कारण, दृष्टयता कम होती है जिसके परिणामस्वरूप गाडियों को सामान्य मौसम की तुलना में प्रत्येक ब्लॉक खंड को क्लीयर करने में बहुत अधिक समय लगता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोहरे के कारण देर से चली और रद्द हुई मेल/एक्सप्रेस गाडियों की अनुमानित संख्या का वर्षवार और जोनवार विवरण क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

गाड़ी संचलन पर कोहरे के प्रभाव को घटाने के लिए रेलवे द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं:

(i) एल.ई.डी. (लाइट एमिटिंग डॉयोड) टाइप सिगनलों को मुहैया करा कर सिगनलों की दृष्टयता को बेहतर करना जिसे गैर-एल.ई.डी. सिगनलों की तुलना में अधिक दूर से देखा जा सकता है। भारतीय रेल पर 4,472 स्टेशनों पर एल.ई.डी. टाइप सिगनलों को मुहैया कराया गया है।

(ii) ऑटोमैटिक सिगनल खंडों जो प्रत्येक वर्ष कोहरे से प्रभावित होते हैं, पर 2010-11 में आशोधित ऑटोमैटिक सिगनल प्रणाली को मुहैया कराया गया है। इसे इलाहाबाद-नई दिल्ली, आगरा-नई दिल्ली जैसे ट्रंक मार्गों पर और उत्तरी क्षेत्र में कोहरे से प्रभावित अन्य क्षेत्रों पर किया गया है।

(iii) भारतीय रेल ने परीक्षण आधार पर कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ गाडियों में फॉग सेफ लगाने की योजना बनाई है जोकि आने वाले सिगनलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के नामों को कम दृष्टयता की स्थिति में भी दिखाता है। बहरहाल, यह आगे वाले सिगनल की स्थिति नहीं दर्शाता है। यह कोहरे वाले मौसम में गाड़ियों को चलाने के दौरान तनाव को घटाने के लिए लोको पॉयलट की सहायता के लिए एक संरक्षा उपाय है और आवश्यक नहीं है कि इससे गाड़ी की गति में बढ़ोत्तरी हो। कोहरे वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे में फॉग सेफ डिवाइसों के विस्तृत परीक्षण प्रगति पर हैं।

(iv) गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिए 35 इंजनों पर नई दिल्ली-आगरा खंड पर गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली को प्रयोग करते हुए इन-कैब सिगनल प्रणाली के प्रावधान के लिए एक पायलट परियोजना प्रगति पर है।

(v) भारी यातायात वाले कुछ ट्रंक मार्ग जो सामान्य परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता से ज्यादा संतृप्त हैं, उनके कोहरे से प्रभावित होने और गाड़ियों की गति घट जाने से इन ट्रंक मार्गों पर उतने ही गाड़ी चलाना कठिन हो जाता है। इसलिए, कोहरे के दौरान उनकी गति को घटाने के कारण लगातार दो गाड़ियों के बीच पर्याप्त स्थान

मुहैया कराने के लिए गाड़ियों को रद्द करने की योजना पहले ही तैयार कर ली जाती है। गाड़ियों के रद्द होने से इस प्रकार से उपलब्ध रेक को पेयरिंग लेट होने की स्थिति में जहां कहीं व्यवहार्य होता है, ओरिजिनेटिंग गाड़ियों के रूप में सही समय पर चलाकर उपयोग कर लिया जाता है।

उपलब्ध तकनीकी इनपुट से कोहरे के दौरान गाड़ियों की गति की समस्या का एक स्थायी हल अभी नजर नहीं आता।

विवरण-I

कोहरे के कारण देर हुई मेल/एक्सप्रेस गाडियों की संख्या (सिंगल ट्रिप)

क्र. सं.	रेलवे	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (नवंबर तक)	जोड़
1.	मध्य रेलवे	08	43	99	शून्य	150
2.	पूर्व तट रेलवे	17	15	35	शून्य	67
3.	पूर्व मध्य रेलवे	1004	1165	708	282	3159
4.	पूर्व रेलवे	258	256	280	91	885
5.	उत्तर मध्य रेलवे	1923	5192	2981	1312	11408
6.	पूर्वोत्तर रेलवे	480	611	367	119	1577
7.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	229	276	270	1	776
8.	उत्तर रेलवे	1388	4983	2907	1376	10654
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	101	459	170	5	735
10.	दक्षिण मध्य रेलवे	शून्य	71	58	शून्य	129
11.	दक्षिण पूर्व रेलवे	334	324	177	12	847
12.	दक्षिण रेलवे	शून्य	24	7	शून्य	31
13.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	शून्य	20	18	1	39
14.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	10	33	12	शून्य	55
15.	पश्चिम मध्य रेलवे	242	879	178	5	1304
16.	पश्चिम रेलवे	03	121	110	5	239
17.	कोंकण रेलवे	शून्य	5	8	शून्य	13
	जोड़	5997	14477	8385	3209	32068

विवरण-II

कोहरे के कारण रद्द हुई मेल/एक्सप्रेस गाडियों की संख्या (एकल ट्रिप)

क्र. सं.	रेलवे	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (नवंबर तक)	जोड़
1.	मध्य रेलवे	शून्य	16	शून्य	शून्य	16
2.	पूर्व तट रेलवे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	पूर्व मध्य रेलवे	27	111	60	शून्य	198
4.	पूर्व रेलवे	69	34	61	शून्य	164
5.	उत्तर मध्य रेलवे	24	शून्य	96	08	128
6.	पूर्वोत्तर रेलवे	07	42	81	04	134
7.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	36	58	शून्य	शून्य	94
8.	उत्तर रेलवे	684	755	820	32	2291
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	33	66	100	शून्य	199
10.	दक्षिण मध्य रेलवे	शून्य	शून्य	04	शून्य	04
11.	दक्षिण पूर्व रेलवे	15	शून्य	19	शून्य	34
12.	दक्षिण रेलवे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	पश्चिम मध्य रेलवे	27	23	26	04	80
16.	पश्चिम रेलवे	04	13	59	02	78
17.	कोंकण रेलवे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़	926	1118	1326	50	3420

विशेष न्यायालय

***308. श्री लालचन्द कटारिया:**

श्री पी.टी. थामस:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरकार से रेल और सड़क यातायात को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनों से निपटने तथा ऐसे प्रदर्शनकारियों के अभियोजन हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) रेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल और सड़क यातायात को रोकने के लिए उपद्रवियों को अभियोजित करने के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित करने का, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं किया गया है। अतः, इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना योजना का मूल्यांकन

***309. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना योजना की सफलता की समीक्षा/आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसे जल निकायों विशेषकर पुराने बांधों तथा जलाशयों का ब्यौरा क्या है जिनकी मरम्मत की गई है, जिन्हें पुनर्स्थापित या नवीकृत किया गया है; और

(घ) आज की तारीख तक इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वर्ष 2005 से 2008 तक कार्यान्वित सीधे कृषि से जुड़ी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आर.आर.आर.) संबंधी राष्ट्रीय परियोजना की प्रायोगिक स्कीम के अंतर्गत 15 राज्यों को 197.30 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई थी। स्कीम का मूल्यांकन, 9 राज्यों अर्थात ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और कर्नाटक में किया गया था। मूल्यांकन कार्य, जल प्रबंधन निदेशालय (आई.सी.ए.आर.), भुवनेश्वर जल एवं भूमि प्रबंधन और प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, जल संसाधन एवं विकास तथा प्रबंधन केंद्र, कोषीक्कोड, केरल और राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद द्वारा किया गया था। इन संगठनों द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्टों से जल निकायों की भंडरण क्षमता में वृद्धि, फ़सली क्षेत्र, फसल उत्पादकता, कुल उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और फसल सघनता में वृद्धि के कारण परियोजना क्षेत्र में बेहतर समग्र सामाजिक व आर्थिक स्थिति जैसे सकारात्मक परिणामों का पता चला है। विस्तृत सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

XIवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान घरेलू सहायता से कार्यान्वित की जा रही जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आर.आर.आर.) की स्कीम में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात स्वतंत्र अभिकरण द्वारा समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन करने की परिकल्पना है। तदनुसार, जल संसाधन मंत्रालय ने इस स्कीम के समवर्ती मूल्यांकन/प्रभाव आकलन के लिए जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (वाप्कोस) को अभिज्ञात किया है। कार्य, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (वाप्कोस) को निधि जारी करने के तंत्र की पुनरीक्षा करने के बाद प्रारंभ होगा। बाह्य सहायता से चलने वाली जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आर.आर.आर.) स्कीम की समीक्षा, त्रिपक्षीय कार्य समीक्षा बैठकें करके की जाती है, जिनमें दाता (डोनर) आर्थिक कार्य विभाग और परियोजना प्राधिकारियों (केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों समेत) शामिल हैं; राज्य कार्य समीक्षा बैठकें; समस्या वाली परियोजनाओं के लिए विशेष समीक्षा बैठकें, पत्राचार द्वारा निगरानी और क्षेत्र दौरे शामिल होते हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, घरेलू सहायता से आर.आर.आर. स्कीम के अंतर्गत, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड), मेघालय, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड) राज्यों को नवंबर, 2011 तक 3341 जल निकायों हेतु 661.07 करोड़ रुपए जारी

किए गए हैं। घरेलू सहायता वाली स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ किए गए जल निकायों और जारी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

बाह्य सहायता वाली जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आर.आर.आर.) की स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा, राज्यों में कुल 10,887 जल निकायों का कार्य प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक ऋण समझौतों पर 4 लाख हेक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र वाले 5763 जल निकायों के पुनरूद्धार हेतु 2182 करोड़ रुपये के लिए तमिलनाडु के साथ, 2.5 लाख हेक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र वाले 3000 जल निकायों के पुनरूद्धार हेतु 835 करोड़ रुपए के लिए आन्ध्र प्रदेश के साथ, 0.52 लाख हेक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र वाले 1224 जल निकायों के पुनरूद्धार हेतु 268.78 करोड़ रुपए के लिए कर्नाटक के साथ और 1.2 लाख हेक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र वाले 900 जल निकायों के पुनरूद्धार हेतु 448 करोड़ रुपए के लिए ओडिशा के साथ, हस्ताक्षर किए गए हैं।

जल संसाधन मंत्रालय दिसंबर, 2005 से सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करता रहा है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि में ई.आर.एम. हेतु 1151.64 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

विवरण-I

विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट

क्र. सं.	संगठन का नाम	राज्य का नाम	टिप्पणियां
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भुवनेश्वर	ओडिशा-गंजम गजपति पश्चिम बंगाल-दक्षिण-24 परगना	• ओडिशा में गजपति तथा पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना की तुलना में ओडिशा के गंजम जिले हेतु भंडारण क्षमता में परिवर्तन अधिकतम है। • तीनों जिलों में बहु फसलीय सूचकांक में वृद्धि हुई थी। • फसल क्षेत्र, फसल उत्पादकता, कुल उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष तथा फसल सघनता में वृद्धि के कारण उन्नत समग्र सामाजार्थिक स्थिति।
2.	जल एवं भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	• भंडारण क्षमता/सिंचित क्षेत्र, लाभान्वित किसानों की संख्या, फसल पद्धति में परिवर्तन, प्रायोगिक स्कीम से पूर्व तथा पश्चात मत्स्य उत्पादन में वृद्धि का आकलन करना उद्देश्य था। • अनंतपुर में भंडारण क्षमता में 2.6% से 37.76% की वृद्धि तथा महबूब नगर में 0.80-46.75%, कमानक्षेत्र में वृद्धि। • जल निकायों के समीप रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार लाभान्वित हुए हैं।

क्र. सं.	संगठन का नाम	राज्य का नाम	टिप्पणियां
			• विभिन्न तालाबों के आमाकट में खरीफ एवं रबी के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
3.	जल संसाधन तथा विकास एवं प्रबंधन केंद्र कोषीक्कोड, केरल	केरल	• स्कीम के लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राप्त हो गए हैं। • लाभान्वित किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है।
4.	राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक तथा ओडिशा	• 6 राज्यों के 9 जिलों में स्थित 746 तालाबों का अध्ययन किया जा चुका है। • मौसमी जल विस्तार, फसल क्षेत्र, फसल प्रणाली, सेटेलाईट आंकड़ों के पूर्व (2004-05) तथा पश्च वर्षों (2007-08) के मध्य मुख्य पुसल स्थिति तथा सिंचाई उपयोग की तुलना कर मूल्यांकन किया गया। वार्षिक सिंचाई के उपयोग में वृद्धि।

विवरण-II

घरेलू सहायता स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ किए गए जल निकायों/जारी निधि

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	जल निकायों की संख्या	कुल परियोजना लागत	प्रतिबद्ध केंद्रीय अंश	वर्ष 2009-10 के दौरान जारी निधि	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी निधि	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी निधि
1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	1321	254.33	228.89	72.12	75.00	
कर्नाटक	427	232.77	209.49	74.04	47.47	
आन्ध्र प्रदेश	1029	339.69	305.72		189	
बिहार	15	64.45	55.30		25.00	
उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)	28	46.15	41.53		29.08	
मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)	78	41.89	10.47		7.33	2.62

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय अमियाम झील	1	44.57 (2.83 सिंचाई संबंधित)	2.54		1.78	
महाराष्ट्र	258	135.08	119.34			80.53
गुजरात	34	17.47	15.72			10.61
छत्तीसगढ़	131	122.91	110.61			34.68
राजस्थान	16	11.35	7.45			5.02
हरियाणा	3	40.24	10.06			6.79
कुल	3341	1350.9	1117.12	146.16	374.66	140.25

[हिन्दी]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

***310. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन नहीं करने वाले परिवारों द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेजयल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) के सभी सदस्य आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों से होने चाहिए। तथापि, जरूरत पड़ने पर किसी भी समूह में अधिकतम 20% सदस्य तथा आपवादिक मामलों में जहां अनिवार्य रूप से जरूरत है, अधिकतम 30% सदस्य गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर जीवन बसर करने वाले (ए.पी.एल.) परिवारों या बी.पी.एल. परिवारों के आसपास रहने वाले परिवारों से लिए जा सकते हैं और वे समूह के बी.पी.एल. सदस्यों को स्वीकार्य होने चाहिए। तथापि, समूह के ए.पी.एल. सदस्यों को योजना के अंतर्गत न तो कोई सब्सिडी मिलेगी और न ही वे कार्यालय कार्यवाहक ही (ग्रुप लीडर, सहायक ग्रुप लीडर या खजांची) बन सकते हैं।

(ग) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत समूह के ए.पी.एल. सदस्यों को सब्सिडी मिलने के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में कोहरा सुरक्षा उपकरण

***311. श्री राकेश सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल के कोहरा प्रभावित सभी क्षेत्रों में 'ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम' नामक परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोहरे वाले मौसम में कम दिखाई देने के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा 'ब्रॉड सर्किट ब्रेकिंग डिवाइस' सहित अन्य क्या उपकरण लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उक्त उपकरणों को जबलपुर सहित भारतीय रेल के सभी जोनों में लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) जी हां।

(ख) दक्षिण रेलवे के उपनगरीय खंड अर्थात् चेन्नै सेन्ट्रल और गुम्मडीपुंडी (50 रूट कि.मी.) के बीच शुरू की गई टी.पी.डब्ल्यू.एस. की दो पायलट परियोजनाओं और दिल्ली-आगरा गैर-उपनगरीय खंड पर सर्विस ट्रायल से प्राप्त अनुभव के आधार पर, जुलाई, 2010 से पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण रेलवे के लगभग 900 रूट कि.मी. के लिए पांच कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। राइट्स लिमिटेड ने इन स्वीकृत कार्यों के निष्पादन के लिए कम लागत वाले विकल्प का आकलन किया है।

(ग) ब्रॉड सर्किट ब्रेकिंग डिवाइस नामक उपकरण का रेल इंजनों पर परीक्षण नहीं किया गया है।

भारतीय रेलवे ने कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाली कुछ गाड़ियों में फॉग सेफ डिवाइस पर आधारित ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) को केवल परीक्षण के तौर पर लगाने की योजना बनाई है। यह प्रणाली कम दृश्यता की स्थिति में भी आने वाले सिगनलों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों के नाम और उनकी दूरी के बारे में पहले से बताने में समर्थ होती है, जिससे कोहरे वाले मौसम में गाड़ी चलाने वाले लोको पायलटों के तनाव को कम करने में मदद मिलती है। यह प्रणाली बताती है कि रेलइंजन सिगनल पोस्ट पर पहुंच रहा है।

कोहरे के दौरान दो गाड़ियों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखकर गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के ऑटोमेटिक ब्लॉक खंडों पर आधारित ऑटोमेटिक सिगनल प्रणाली मुहैया करा दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

***312. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना सभी राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त हो रही है;

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों और स्थानीय पंचायतों को क्या भूमिका दी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों के लिए, जो बुढ़ापे की दहलीज पर हैं, एक नई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत सूचित किए गए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस., राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) का एक घटक है जो कि राज्य योजना के अंतर्गत आता है। लाभार्थियों का निर्धारण, सहायता की स्वीकृति एवं उसका संवितरण, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का दायित्व है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के निर्धारण के संबंध में ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं द्वारा सक्रिय भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) 1-4-2011 से आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत पात्रता आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। वर्तमान में, आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत आयु सीमा में और कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सूचित लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10,11,153
2.	बिहार	23,41,267
3.	छत्तीसगढ़	5,65,793
4.	गोवा	2,687
5.	गुजरात	3,18,084
6.	हरियाणा	1,31,326
7.	हिमाचल प्रदेश	91,440
8.	जम्मू और कश्मीर	1,29,000
9.	झारखंड	6,38,804
10.	कर्नाटक	7,82,538
11.	केरल	1,85,316
12.	मध्य प्रदेश	10,61,033
13.	महाराष्ट्र	10,72,113
14.	ओडिशा	11,93,176
15.	पंजाब	1,59,048
16.	राजस्थान	6,24,610
17.	तमिलनाडु	10,05,333
18.	उत्तर प्रदेश	33,80,290
19.	उत्तराखंड	2,52,827
20.	पश्चिम बंगाल	17,59,040
21.	अरुणाचल प्रदेश	17,500
22.	असम	5,98,965
23.	मणिपुर	50,714
24.	मेघालय	48,112
25.	मिजोरम	23,747
26.	नागालैंड	46,483
27.	सिक्किम	15,169
28.	त्रिपुरा	1,36,592
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,063
30.	चंडीगढ़	4,094
31.	दादरा और नगर हवेली	944
32.	दमन और दीव	130
33.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	3,46,997
34.	लक्षद्वीप	36
35.	पुडुचेरी	15,523
	कुल	1,80,10,947

[अनुवाद]

तेल और गैस उत्पादन

***313. श्री जोस के. मणि:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और गैस क्षेत्र में प्राप्त की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है तथा आगामी तीन वर्षों में कितनी वृद्धि प्राप्त कर लेने का अनुमान है;

(ख) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में उक्त वृद्धि में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र में विनियामक संबंधी बाधाओं के कारण तेल और गैस उत्पादन बाधित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए

परियोजनाओं को अविलंब मंजूरी दिए जाने में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन सहित पेट्रोलियम संसाधनों के दोहन और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण, विपणन और मूल्य निर्धारण हेतु उपाय करने के लिए अधिदेश दिया गया है। मंत्रालय के प्रयासों से पेट्रोलियम क्षेत्र में समग्र प्रगति की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और आगामी तीन वर्षों के लिए अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के प्रगति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	मद	विगत 03 वर्ष			आगामी 3 वर्षों में संभावित		
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	तेल का उत्पादन (मि.मी. ट.)	33.50	33.50	37.68	38.18	42.30	45.57
2.	गैस का उत्पादन (बी.सी.एम.)	32.845	47.509	52.221	51.671	52.276	61.652
3.	परिशोधन क्षमता (मि.मी.ट. प्र. वर्ष)	148.9	177.9	184.3	193.4	232.3	240.6
4.	खुदरा बिक्री केन्द्रों की सं.	36971	37952	39430	42730	44130	45530
5.	एल.पी.जी. ग्राहकों की सं. (करोड़)	10.68	11.63	12.69	13.59	14.64	15.58

तेल और गैस उत्पादन की वृद्धि में कोई विनियामक अड़चन नहीं है।

तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि और परिशोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. तेल और गैस का उत्पादन

(i) **नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) का कार्यान्वयन** - एन.ई.एल.पी. के आठ दौर पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। इन दौरों के जरिए 235 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए हैं और 103 तेल और गैस खोजें की गई हैं। एन.ई.एल.पी. के नौवें दौर की बोली प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है जिसमें प्रस्तावित किए गए 34 ब्लॉकों में से 33 अन्वेषण ब्लॉकों के लिए 74 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

(ii) **कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.)** - कोल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस के समान पर्यावरण के अनुकूल एक स्वच्छ ईंधन है। सी.बी.एम. के अन्वेषण के लिए 33 सी.बी.एम. संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी तक 5 सी.बी.एम. ब्लॉकों में 250 बी.सी.एम. भंडार सिद्ध किए गए हैं। वर्तमान में सी.बी.एम. गैस उत्पादन लगभग 2.3 लाख घन मीटर प्रति दिन है।

(iii) **तेल निकासी योजना का कार्यान्वयन** - देश में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल कंपनियां उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) और वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.) योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

ख. परिशोधन क्षेत्र

देश में परिशोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए परिशोधन क्षेत्र को वर्ष 1998 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। अब कोई भी सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की कंपनी

तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर रिफाइनरियां स्थापित कर सकती है।

इस क्षेत्र को वर्ष 1998 में लाइसेंस मुक्त किए जाने के बाद देश में परिशोधन क्षमता वर्ष 1998 में 62 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 148.96 और वर्ष 2011 में 193.386 एम.एम.टी.पी.ए. हो गई है। इसके अलावा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बी.पी.सी.एल.) ने हाल में ओमान ऑयल कंपनी, ओमान के साथ संयुक्त उद्यम में बीना, मध्य प्रदेश में 6.0 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी की स्थापना की है और अपनी कोची रिफाइनरी की क्षमता 7.5 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 9.5 एम.एम.टी.पी.ए. कर दी है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) मित्तल एनर्जी के साथ संयुक्त उद्यम में भटिंडा, पंजाब में 9.0 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी स्थापित कर रही है और इसने महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरि जिले में 9.0 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की ग्रासरूट रिफाइनरी के लिए परियोजना-पूर्व कार्यकलापों के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.) भी पारादीप, ओडिशा में 15.0 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी स्थापित कर रही है।

[हिन्दी]

भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा गैस की बिक्री

***314. श्री उदय प्रताप सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा किस दर पर प्राकृतिक गैस की खरीद की जाती है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को किस मूल्य पर इसकी बिक्री की जाती है;

(ख) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विभिन्न उद्योगों को गैस की बिक्री कर अनुचित लाभ अर्जित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के के.जी. डी.-6 बेसिन से कितनी मात्रा में और किस दर पर प्राकृतिक गैस की खरीद की गई थी;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं की कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) गेल (इंडिया) लि. विभिन्न स्रोतों से जिन दरों पर प्राकृतिक गैस प्राप्त करती है और विभिन्न क्षेत्रों को इसके बिक्री मूल्य के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, एल.पी.जी. के उत्पादन के लिए गेल इंडिया लि. द्वारा रिलायंस से खरीदी गई प्राकृतिक गैस की कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

(आंकड़े एम.एम.एस.सी.एम. में)

प्राकृतिक गैस का स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (नवम्बर तक)
आर.आई.एल. के.जी. डी.-6	0	427.21	832.74	621.76

उपर्युक्त मात्राएं गाडीमोगा, के.जी. बेसिन तक 4.205 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. मूल मूल्य पर खरीदी गई हैं।

(घ) और (ङ) एल.पी.जी. के उत्पादन के लिए, के.जी.-डी-6 गैस के कथित दुरूपयोग के संबंध में प्राप्त हुए पत्र पर एक रिपार्ट गेल से मांगी गई है।

विवरण

गेल गैस खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य

स्रोत	गेल गैस खरीद मूल्य	ग्राहक की किस्म जिसे यह बेची गई है	गैस का मूल विक्रय मूल्य जिस पर यह बेची गई है##
1	2	3	4
ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. नामांकन ब्लॉकों के विद्यमान क्षेत्र	4.2 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	विद्युत, उर्वरक, 50000 एस.सी.एम.डी. तक लघु स्तर और पूर्वोत्तर को छोड़कर न्यायालय द्वारा आदेशित	4.2 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.
	2.52 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	विद्युत, उर्वरक, 50000 एम.सी.एम.डी. तक लघु स्तर और पूर्वोत्तर में न्यायालय द्वारा आदेशित	2.52 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.
	4.2 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	अन्य ग्राहक	4.2-5.25 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.
ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. नामांकन ब्लॉकों में नए क्षेत्र**	4.2-5.25 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.	सभी ग्राहकों को	4.2-5.25 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.
पन्ना-मुक्ता	5.73 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	विद्युत और उर्वरक के नाम-निर्दिष्ट ए.पी.एम. ग्राहकों को***	4.2-5.25 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.
		अन्य सभी ग्राहकों को	5.65 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.
तापि	5.57 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	विद्युत और उर्वरक के नाम-निर्दिष्ट ए.पी.एम. ग्राहकों को***	4.2 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.
		अन्य सभी ग्राहकों को	5.65 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.
राव्वा-1*	3.5 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	नामनिर्दिष्ट ए.पी.एम. ग्राहकों को***	4.2 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.
राव्वा सत*	4.3 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	सभी ग्राहकों को	4.3 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.
फोक्स	4.11 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	सभी ग्राहकों को	4.11 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.

1	2	3	4
एच.ओ.ई.सी.	3.63 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	सभी ग्राहकों को	3.63 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.
के.जी.-डी.6	4.205 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	संकुचन के लिए गेल द्वारा प्रयुक्त	लागू नहीं
आर.एल.एन.जी. (मीयाद)****	8.4 अमरीकी डॉलर/ एम.एम.बी.टी.यू.	सभी ग्राहकों को	9.1 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू.
तत्स्थान एल.एन.जी.	अलग-अलग कार्गो में भिन्न-भिन्न	सभी ग्राहकों को	खरीद मूल्य के आधार पर अलग-अलग

*राव्वा-1 और राव्वा सत का मूल्य संशोधन के लिए लंबित

#आपूर्ति क्षेत्र के अनुसार मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। गैस के मूल बिक्री मूल्य और गैस खरीद में अन्तर। ए.पी.एम. गैर ग्राहक को आपूर्तित ए.पी.एम. गैस का मूल्य गैस पूल लेखा में जाता है।

**आपूर्ति क्षेत्र के अनुसार मूल्य अलग-अलग होता है।

***पी.एम.टी. का एक भाग और समस्त राव्वा। गैस गैर ए.पी.एम. मूल्य पर खरीदी जाती है और नामनिर्दिष्ट ग्राहकों को ए.पी.एम. मूल्य पर बेची जाती है।

****संविदाओं में वर्णित सूत्र के अनुसार मूल्य भिन्न है और वर्तमान मूल्यों का उल्लेख ऊपर किया गया है। गैस के मूल बिक्री मूल्य में पुनर्गैसीकरण प्रभार सम्मिलित है।

##इनमें कर, परिवहन प्रभार और विपणन मार्जिन आदि सम्मिलित नहीं हैं।

टक्कर-रोधी उपकरण की प्रभावकारिता

***315. श्री धर्मेन्द्र यादव:**

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन मार्गों पर कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जहां टक्कर-रोधी उपकरण लगाए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त टक्कर-रोधी उपकरण लगाए जाने के पश्चात् रेल दुर्घटनाओं में कमी रिकॉर्ड की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त उपकरण को लगाए जाने के पश्चात् रेल दुर्घटनाओं में आई कमी का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) उन मार्गों जहां टक्कर-रोधी उपकरण परिचालित किये गए हैं, पर विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 तक और अप्रैल से नवम्बर, 2011 तक चालू वर्ष के दौरान 9 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं द्वारा अनधिकार प्रवेश के मामले शामिल नहीं हैं। इन 9 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में से 4 दुर्घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण, गर्म धूरा के कारण आग लगने की 1 घटना, ज्वलनशील पदार्थ लादने के कारण पार्सल वैन में आग लगने की 1 घटना, चलती गाड़ी के दौरान प्वाइंटों को परिचालित करने के कारण 1 घटना, गेटमैन द्वारा अप्राधिकृत रूप से गेट खोलने के कारण 1 घटना और लोको पायलट द्वारा खतरे के निशान पर सिगनल पार करने के कारण 1 घटना हुई। इस अवधि के दौरान टक्कर के कारण कोई परिणामी दुर्घटना नहीं हुई।

(ख) और (ग) टक्कर-रोधी उपकरण केवल पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सर्विस ट्रायल के आधार पर परिचालित किया गया है और जुलाई, 2006 में टक्कर-रोधी उपकरण परिचालित किये जाने के बाद टक्कर के कारण कोई परिणामी घटना नहीं हुई।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवक

***316. श्री अजय कुमार:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन के लिए समर्पित व्यक्तियों के नियोजन के साथ-साथ उन्हें दिए गए कार्यों/दायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों/स्टाफ के लिए अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाले ग्राम रोजगार सेवक को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्राम रोजगार सेवक के कार्य-निष्पादन सहित सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) की धारा 18 के अनुसार यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को यथावश्यक स्टाफ एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए। जैसाकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों द्वारा एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 164642 ग्राम रोजगार सहायक/सेवक, ब्लॉक स्तर पर 5817 लेखाकार, 23844 अभियंता/तकनीकी सहायक, 5724 कार्यक्रम अधिकारी एवं 9035 कम्प्यूटर सहायक और जिला स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा एवं शिकायत निवारण के लिए 892 कार्य प्रबंधक/तकनीकी सहायक, 816 आई.टी. प्रबंधक/कम्प्यूटर सहायक, 519 लेखा प्रबंधक, 428 प्रशिक्षण समन्वयक तथा 869 समन्वयकों की तैनाती की गई। जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) और कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) के कार्य इस अधिनियम की धारा 14(3) एवं 15(5) में दर्शाए गए हैं। डी.पी.सी. के प्रमुख कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य निष्पादन में जिला पंचायतों की सहायता करना, परियोजनाओं की सूची में शामिल किए जाने के लिए ब्लॉकों द्वारा बनाई योजनाओं को एकत्रित करना, आवश्यक मंजूरी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देना, इस अधिनियम के अंतर्गत हकदारी सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना, जारी कार्यों का निरीक्षण करना आदि है। पीओ के प्रमुख कार्य ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाओं की निगरानी करना, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करना, कामगारों को मजदूरी का उचित भुगतान, सामाजिक लेखा परीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना एवं शिकायतों की सुनवाई करना आदि है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों द्वारा एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. का कार्यान्वयन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 18 के अनुसार यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को यथावश्यक स्टाफ एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए और इसलिए यह संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है कि वे इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम रोजगार सेवक के निष्पादन सहित सेवाओं का स्तर सुधारने के लिए प्रक्रियाविधि बनाएं एवं उपाय करें।

अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं

***317. शेख सैदुल हक:**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक समुदायों

के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति योजनाओं को मांग आधारित बनाने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छात्रवृत्तियां प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए वर्तमान में निम्न-लिखित 4 छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

(iv) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एम.ए.एन.एफ.)

प्रथम तीन योजनाएं केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से किया जाता है। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना जिसके लिए वित्त-पोषण की साझेदारी केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 को अनुपात में की जा रही है, को छोड़कर अन्य शेष तीन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

उपर्युक्त योजनाओं के तहत आवेदन खुले विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित छात्रों को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाद के वर्षों में राज्यों/संघ राज्यों को तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धनराशि का निर्गमन उनके द्वारा उन्हें पहले वर्ष निर्गमित धनराशि को उपयोग में लाए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आधारित है।

इन योजनाओं के तहत निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकती हैं:-

(i) माता-पिता की वार्षिक आय सीमा (मैट्रिक-पूर्व के लिए 1 लाख रु., मैट्रिकोत्तर के लिए 2 लाख रु., मेरिट-सह-साधन आधारित के लिए 2.5 लाख रु. और मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 2.5 लाख रु.)।

(ii) मेरिट (50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक अर्जित किया हुआ होना)।

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पांच अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय का होना।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) योजना आयोग द्वारा गठित 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबद्ध कार्यबल ने छात्रवृत्ति योजनाओं को मांग आधारित योजना का रूप देने की अनुशंसा की थी, ताकि सभी पात्र छात्रों को योजना के तहत शामिल किया जा सके।

(ङ) देश में किसी भी जगह से मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2011-12 से **ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली** शुरू की गयी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निदेश दिया गया है।

[हिन्दी]

यूरिया की उत्पादन लागत

***318. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में यूरिया उत्पादक औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन लागत में अत्यधिक भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में उर्वरक इकाइयों की उत्पादन लागत कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यूरिया की उत्पादन लागत कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) लागत में भिन्नता का कारण विभिन्न फीडस्टॉक (गैस/नाफ्था/एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.) का प्रयोग, यूरिया संयंत्र और प्रौद्योगिकी का पुराना होना है। वर्ष 2010-11 के दौरान सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की यूरिया का उत्पादन कर रही 29 इकाइयों के उत्पादन की मानक लागत का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने के.जी.-डी.-6 बेसिन से घरेलू प्राकृतिक गैस का उर्वरक इकाइयों को प्राथमिक आधार पर आबंटन किया है जिसने महंगे फीडस्टॉक अर्थात् नाफ्था को प्रतिस्थापित कर दिया है। एफ.ओ./एल.एस.एच.एस. फीडस्टॉक आधारित इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित किया जा रहा है। नाफ्था आधारित यूरिया इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए गैस पाइप लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करने का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अनुमोदन कर दिया है।

विवरण

वर्ष 2010-11 के दौरान सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की प्रचालनरत यूरिया उत्पादन कर रही इकाइयों की उत्पादन की मानकीय लागत

(रुपए/मी.टन)

क्र.सं.	यूरिया इकाइयों के नाम (एन.पी.एस. समूह)	श्रेणी	उत्पादन की मानक लागत 2010-11
1	2	3	4
समूह-1-फीडस्टॉक गैस (1992 से पहले)			
1.	बी.वी.एफ.सी.एल.-नामरूप-III	सी.पी.एस.यू.	9462
2.	इफको-आंवला-1	सहकारी	8690
3.	इण्डोगल्फ-जगदीशपुर	निजी	9497
4.	कृभको-हजीरा	सहकारी	8212
5.	एन.एफ.एल.-विजयपुर-1	सी.पी.एस.यू.	8362
6.	आर.सी.एफ.-ट्राम्बे-V	सी.पी.एस.यू.	12171
समूह-2-फीडस्टॉक गैस (1992 के बाद)			
7.	एन.एफ.सी.एल.-काकीनाडा-1	निजी	8426
8.	सी.एफ.सी.एल.-गडेपान-1	निजी	9955
9.	टी.सी.एल.-बबराला	निजी	9392
10.	के.एस.एफ.एल.-शाहजहांपुर	निजी	9098
11.	एन.एफ.सी.एल.-काकीनाडा-II	निजी	9080

1	2	3	4
12.	इफ्को आंवला-II	सहकारी	8922
13.	एन.एफ.एल.-विजयपुर-II	सी.पी.एस.यू.	9157
समूह-3-फीडस्टॉक नेफ्था (1992 से पहले)			
14.	एस.एफ.सी.-कोटा	निजी	11432
15.	इफ्को-फूलपुर-I	सहकारी	13264
16.	एम.सी.एफ.एल.-मंगलोर	निजी	28391
17.	एम.एफ.एल.-मद्रास	सी.पी.एस.यू.	33133
18.	एस.पी.आई.सी.-तूतीकोरीन	निजी	31737
19.	जेड.आई.एल.-गोवा	निजी	29234
समूह-4-फीडस्टॉक नेफ्था (1992 के बाद)			
20.	इफ्को-फूलपुर-II	सहकारी	13450
21.	सी.एफ.सी.एल.-गडेपान-II	निजी	11767
समूह-5-फीडस्टॉक एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.			
22.	जी.एन.वी.एफ.सी.-भरुच	राज्य-जे.वी.	15848
23.	एन.एफ.एल.-नांगल	सी.पी.एस.यू.	25156
24.	एन.एफ.एल.-भटिंडा	सी.पी.एस.यू.	25257
25.	एन.एफ.एल.-पानीपत	सी.पी.एस.यू.	24692
समूह-6-फीडस्टॉक-मिश्रित			
26.	जी.एस.एफ.सी.-बड़ौदा	राज्य-पी.एस.यू.	10550
27.	इफ्को-कलोल	सहकारी	10565
28.	आर.सी.एफ.-थाल	सी.पी.एस.यू.	8798
29.	बी.वी.एफ.सी.एल.-नामरूप-II (किसी समूह में नहीं)	सी.पी.एस.यू.	12645

नोट: 1. डंकन इंडस्ट्रीज लि. कानपुर और फैक्ट-उद्योगमंडल प्रचालनरत/यूरिया का उत्पादन नहीं कर रही है।

2. इकाइयों का उपर्युक्त समूहीकरण दिनांक 8 मार्च, 2007 की नीति अधिसूचना के अनुसार किया गया है। अब समूह 3.4 और 6 की कुछ इकाइयां गैस में परिवर्तित हो गई हैं।

[अनुवाद]

जल की गुणवत्ता के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट

***319. श्री विश्व मोहन कुमार:**
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने भारत की नदियों में जल की गुणवत्ता संबंधी एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या नदियों में विशेष रूप से तमिलनाडु में जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूरे देश में नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) की "भारत की नदियों की 'हॉट-स्पाट' जल गुणवत्ता" शीर्षक की रिपोर्ट को अक्तूबर, 2011 में जारी किया गया था। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं को संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सी.डब्ल्यू.सी. ने सूचित किया है कि देश की नदियों के विभिन्न क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता में कमी आई है। तमिलनाडु में विभिन्न नदियों के जल में कुछ मानदंडों को सी.डब्ल्यू.सी. के कुछ निगरानी केन्द्रों पर "भारतीय मानक ब्यूरो" (बी.आई.एस.) की निर्धारित सीमाओं से अधिक पाया गया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। उनके द्वारा 481 नदियों के जल की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत के राष्ट्रीय जलीय संसाधनों की निगरानी (एम.आई.एन.ए.आर.एस.) तथा वैश्विक पर्यावरण निगरानी प्रणाली (जी.ई.एम.एस.) नामक कार्यक्रमों के तहत कावेरी जैसी वृहद नदियों तथा इसकी सहायक नदियों वैगई, तमिराबरानी और पालार के जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। समग्र विश्लेषण रिपोर्ट से पता चलता है कि नदियों का गन्दगी से संदूषण होना नदियों में अस्वस्थ्यकर कणों और या तो आंशिक रूप से उपचारित या फिर उपचारित नगरपालिका के सीवेज को निस्सरण किए जाने की वजह से एक आम प्रवृत्ति है।

(घ) नदियों का संरक्षण करना केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सतत् और सामूहिक प्रयास होता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के तहत नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में योगदान कर रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश भर की नदियों में जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने पर प्रदूषण करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

(ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) को तैयार करना और इसका कार्यान्वयन करना। एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत कच्चे सीवेज का डायवर्जन करने, सीवेज उपचार संयंत्रों को स्थापित करने कम लागत की स्वच्छता सुविधाओं का सृजन करने, विद्युत/लकड़ी द्वारा बेहतर दाह संस्कार करने की व्यवस्था करने तथा नदी मुख विकास सहित विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत की हिस्सेदारी से किया जा रहा है।

देश भर में नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कदमों का विवरण संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

"भारत की नदियों की 'हॉट-स्पॉट' जल गुणवत्ता" शीर्षक की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट में हमारी नदियों की भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) और अन्य मानकों के अनुसार जल

गुणवत्ता परिदृश्य का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों के दौरान सी.डब्ल्यू.सी. मानीटरिंग स्टेशनों में पाए गए औसत आंकड़ों पर आधारित है।

- सिओंधा और गुम्मानूर के जल गुणवत्ता स्टेशनों में मानसून मौसम (जुलाई-सितंबर) के दौरान पी.एच. की 8.5 से अधिक मात्रा पाई गई है। गैर मानसून मौसम (अक्तूबर-जून) के दौरान 8 राज्यों में 12 जल गुणवत्ता स्टेशनों में पी.एच. की मात्रा 8.5 से अधिक पाई गई है। (भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सिफारिश की गई पी.एच. की सीमा 6.5 से 8.5 तक है)।

- 3 राज्यों में फैले 3 जल गुणवत्ता स्टेशनों में विद्युत चालकता की मात्रा 3000 माईक्रो सीमन प्रति से.मी. (µs) से अधिक पाई गई है (भारतीय मानक ब्यूरो ने विद्युत चालकता की सीमा 750 µs/से.मी. संस्तुत की है जिसे किसी विकल्प स्रोत के उपलब्ध न होने पर 3000 µs/से.मी. तक बढ़ाया जा सकता है)।

- तमिलनाडु राज्य में एक जल गुणवत्ता स्टेशन में क्लोराइड की मात्रा 1000 मि.ग्रा. प्रति लीटर (एम.जी./ली.) से अधिक पाई गई है। (भारतीय मानक ब्यूरो ने क्लोराइड की मात्रा 250 एम.जी./ ली. तक सीमित होने की सिफारिश की है जिसे कोई और विकल्प न होने पर 1000 एम.जी./ ली. तक बढ़ाया जा सकता है।)

- पानी में फ्लोराइड की 1.5 मि.ग्रा./ली. से अधिक मात्रा पीने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। 10 राज्यों में 15 जल गुणवत्ता स्टेशनों में फ्लोराईड की मात्रा 1.5 मि.ग्रा./ली. से अधिक पाई गई है। (भारतीय मानक ब्यूरो फ्लोराइड की मात्रा 1.0 मि.ग्रा./ली. तक सीमित होने की सिफारिश की है जिसे अन्य विकल्प स्रोत न उपलब्ध होने पर 1.5 मि.ग्रा./ली. तक बढ़ाया जा सकता है।

- सी.डब्ल्यू.सी. के सभी जल गुणवत्ता स्टेशनों में नाईट्रेट की मात्रा अनुज्ञेय सीमा के भीतर है।

- पानी में 400 मि.ग्रा./ली. से अधिक सल्फेट की मात्रा पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। मध्य प्रदेश के एक जल गुणवत्ता स्टेशन में मानसून मौसम में 400 मि.ग्रा./ली. से अधिक सल्फेट की मात्रा पाई गई है।

- पेयजल हेतु भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के अनुसार सतही जल में लोहे की अनुज्ञेय मात्रा 1.0 मि.ग्रा./ली. है। 6 राज्यों में 22 जल गुणवत्ता स्टेशनों में लोहे की उच्च मात्रा 1.0 मि.ग्रा./ली. से अधिक पाई गई है।

- सी.डब्ल्यू.सी. के सभी जल गुणवत्ता स्टेशनों में कैल्शियम की मात्रा अनुज्ञेय सीमा के भीतर है।

- पानी में मैग्नीशियम की मात्रा 100 मि.ग्रा./ली. से अधिक होने पर पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। तमिलनाडु राज्य में एक जल गुणवत्ता स्टेशन में मैग्नीशियम की सापेक्ष उच्च मात्रा 100 मि.ग्रा./ ली. से अधिक पाई गई है।

- भारतीय मानक ब्यूरो ने बाह्य स्नान हेतु मिली हुई आक्सीजन की मात्रा 5.0 मि.ग्रा./ली. तक उपयुक्त होने की सिफारिश की है। 9 राज्यों में 17 जल गुणवत्ता स्टेशनों में मिली हुई आक्सीजन की मात्रा 5.0 मि.ग्रा./ली. से कम पाई गई है।

- भारतीय मानक ब्यूरो ने बाह्य स्नान हेतु जैव-रासायनिक आक्सीजन की मांग (बी.ओ.डी.) की मात्रा 3.0 मि.ग्रा./ली. तक होने की सिफारिश की है। 14 राज्यों में 37 जल गुणवत्ता स्टेशनों में बी.ओ.डी. की उच्च मात्रा (3.0 मि.ग्रा. प्रति ली. से अधिक) पाई गई है।

- सी.पी.सी.बी. के दिशानिर्देशों के अनुसार बाह्य स्नान हेतु कुल कॉलीफॉर्म की गणना 500 मोस्ट प्रोबेब्ल नंबर प्रति 100 मि.ली. (एम.पी.एन./100 मि.ली.) तक या इससे कम होनी चाहिए। भारत के मध्य और निचले क्षेत्रों की अधिकांश नदियों में कुल कॉलीफॉर्म की संख्या अधिक है। यह रिपोर्ट दी गई है कि उच्च बी.ओ.डी. वाले क्षेत्रों में कुल कॉलीफॉर्म और फीकल कॉलीफॉर्म की भी संख्या अधिक होती है।

- सी.डब्ल्यू.सी. के सभी जल गुणवत्ता स्टेशनों में आर्सेनिक की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित अनुज्ञेय सीमा के भीतर पाई गई है।

विवरण-II

तमिलनाडु में केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों में जल गुणवत्ता संबंधी मानदंडों का विवरण

क्र. सं.	जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्र का नाम	जिला	नदी/सहायक नदी	पाए गए जल गुणवत्ता मानदंड				
				मानदंड	इकाई	पेयजल हेतु बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित सीमा	केन्द्रों पर प्रेक्षित आंकड़े	
							मानसून	गैर-मानसून
1.	गुमानुर	धर्मपुरी	पोन्नियार	पी.एच.	-	8.5	9.91	8.78
2.	इलुंथीमंगलम	इरोड	नोय्याल	इलेक्ट्रिकल कन्डक्टैंस	µएस/ सी.एम.	3000	5910	4602
3.	इलुंथीमंगलम	इरोड	नोय्याल	मेगनेशियम (एम.जी.)	एम.जी./एल.	100	104.70	-
4.	इलुंथीमंगलम	इरोड	नोय्याल	कुल कठोरता (टी.एच.)	एम.जी./एल.	600	684	656
5.	इलुंथीमंगलम	इरोड	नोय्याल	क्लोराईड (सी.एल.)	एम.जी./एल.	1000	1656	1175
6.	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम	पोन्नियार	लौह (एफ.ई.)	एम.जी./एल.	1	1.15	-
7.	थोप्पुर	सलेम	थोपियार	फ्लोराईड (एफ)	एम.जी./एल.	1.5	1.76	-
8.	इलुंथीमंगलम	इरोड	नोय्याल	बी.ओ.डी.	एम.जी./एल.	3.0	-	3.10
9.	गुमानुर	धर्मपुरी	पोन्नियार	बी.ओ.डी.	एम.जी./एल.	3.0	3.03	3.10

बी.ओ.डी. - जैव रासायनिक आक्सीजन मांग

µएस/से.मी.- माइक्रो सीमेंस प्रति सेंटीमीटर

मि.ग्रा./ली. - मि.ग्रा. प्रति लीटर

विवरण-III

*नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रस्तावित कदम**

- नदियों का संरक्षण करना केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सतत् सामूहिक प्रयास है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्य सरकारों को राष्ट्रीय संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के माध्यम से नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए उनके प्रयासों को बढ़ावा देता है।

- नदी संरक्षण कार्यक्रम को वर्ष 1985 में गंगा कार्रवाई योजना (जी.ए.पी.) को प्रारंभ करने के साथ गंगा के अभिज्ञात प्रदूषित क्षेत्रों में शुरू

*पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना पर आधारित।

किया गया था तथा इसका एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत अन्य बड़ी नदियों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया, जिसमें वर्तमान में 20 राज्यों में 190 नगरों में 39 नदियां शामिल हैं। एन.आर.सी.पी. का उद्देश्य नदियों का प्रदूषण रोकना तथा कच्चे सीवेज को रोकने और डायवर्ट करने, सीवेज उपचार संयंत्रों को स्थापित करने, कम लागत की स्वच्छता सुविधाओं का सृजन करने, इलेक्ट्रिक/विकसित लकड़ी के क्रिमेटोरिया की स्थापना करने तथा नदी फ्रंट का विकास करने सहित विभिन्न प्रदूषण रोधी स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा जल की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- 30 सितंबर, 2011 को परियोजना की स्वीकृत लागत 7638.48 करोड़ रुपये है। परियोजना को केन्द्र और राज्यों के बीच 70:30 के लागत बंटवारे के अनुपात में कार्यान्वित किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों हेतु अनुपात 90:10 है।

- एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार ने फरवरी, 2009 में एक अधिकार प्राप्त प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) का गठन किया है। एन.आर.सी.पी. के अन्तर्गत अब तक प्रतिदिन 4418 मिलियन लिटर सीवेज परिशोधन क्षमता सृजित की गई है। अब तक पूर्ण किए गए प्रदूषण शमन कार्यों से नदी के किनारे बसे नगरों में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या में भारी वृद्धि के बावजूद एन.आर.सी.पी. के तहत प्रदूषण शमन कार्यों को करने से पहले जल गुणवत्ता की तुलना में बड़ी नदियों के संबंध में अपेक्षित जैव रसायन ऑक्सीजन (बी.ओ.डी.) की मात्रा के संदर्भ में, ख्यातिप्राप्त संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई निगरानी के आधार पर, सुधार होने की सूचना दी गई है।

- सीवेज के प्रबंधन और निस्तारण हेतु अवसंरचना निर्माण का कार्य भी, अन्य केन्द्रीय स्कीमों अर्थात जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन और छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के माध्यम से और राज्य स्कीमों के अंतर्गत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां

***320. श्री कामेश्वर बैठा:** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के लिए झारखंड सहित राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार निर्धारित और आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत चालू योजनावधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार अब तक कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत राज्यों को निधियों का आवंटन अनुमोदित मानदंड के आधार पर किया जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत निधियों के आवंटन तथा रिलीज का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके तथा राज्यों का दौरा करके आवधिक रूप से एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। मंत्रालय में ऑन-लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाई गई है, जिसके जरिए मासिक आधार पर वित्तीय एवं वास्तविक कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है। चालू वर्ष का कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत आवंटन तथा रिलीज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	295.30	305.24	394.53	395.05	437.09	537.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	112.41	112.41	146.12	162.46	180.00	178.20
3.	असम	189.59	189.59	246.44	187.57	301.60	323.50
4.	बिहार	279.37	169.69	425.38	452.38	372.21	186.11
5.	छत्तीसगढ़	95.95	95.95	130.42	125.26	116.01	128.22
6.	गोवा	3.31	1.66	3.98	0.00	5.64	3.32
7.	गुजरात	205.89	205.89	341.44	369.44	482.75	482.75
8.	हरियाणा	93.41	93.41	117.29	117.29	207.89	206.89
9.	हिमाचल प्रदेश	117.46	130.42	141.51	141.51	138.52	182.85
10.	जम्मू और कश्मीर	329.92	329.92	397.86	396.49	447.74	402.51
11.	झारखंड	113.88	84.46	160.67	80.33	149.29	111.34
12.	कर्नाटक	278.51	283.16	477.19	477.85	573.67	627.86
13.	केरल	82.93	84.25	103.33	106.97	152.77	151.89
14.	मध्य प्रदेश	251.62	251.62	370.47	380.47	367.66	379.66
15.	महाराष्ट्र	404.40	404.40	572.57	648.24	652.43	647.81
16.	मणिपुर	38.59	45.59	50.16	45.23	61.60	38.57
17.	मेघालय	44.46	55.29	57.79	63.38	70.40	79.40
18.	मिजोरम	31.88	38.88	41.44	54.19	50.40	55.26
19.	नागालैंड	32.72	39.75	42.53	42.53	52.00	47.06
20.	ओडिशा	168.85	171.95	298.68	298.68	187.13	226.66
21.	पंजाब	52.91	51.80	86.56	86.56	81.17	88.81

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	606.72	606.72	970.13	971.83	1036.46	1012.16
23.	सिक्किम	13.42	20.13	17.45	32.45	21.60	20.60
24.	तमिलनाडु	190.90	190.90	241.82	287.82	320.43	317.95
25.	त्रिपुरा	39.43	54.43	51.25	41.01	62.40	77.40
26.	उत्तर प्रदेश	401.51	401.51	539.74	615.78	959.12	956.36
27.	उत्तराखंड	89.30	89.30	107.58	85.87	126.16	124.90
28.	पश्चिम बंगाल	191.37	191.37	389.39	389.39	372.29	394.30
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुडुचेरी	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़						
	कुल	4757.01	4699.67	6896.72	7056.02	7986.43	7989.72

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		कुल 11वीं योजना (2007-12)	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज*	आवंटन	रिलीज
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	491.02	558.74	510.84	224.74	2128.78	2021.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	123.35	199.99	127.79	63.89	689.67	716.95
3.	असम	449.64	487.48	428.86	214.43	1616.13	1402.57
4.	बिहार	341.46	170.73	355.66	177.83	1774.08	1156.73
5.	छत्तीसगढ़	130.27	122.01	130.81	65.40	603.46	536.84

1	2	9	10	11	12	13	14
6.	गोवा	5.34	0.00	5.56	2.78	23.83	7.76
7.	गुजरात	542.67	609.10	485.11	242.56	2030.86	1909.74
8.	हरियाणा	233.69	276.90	221.22	110.61	873.50	805.10
9.	हिमाचल प्रदेश	133.71	194.37	138.98	66.82	670.18	715.97
10.	जम्मू और कश्मीर	449.22	468.91	466.80	233.40	2091.54	1831.23
11.	झारखंड	165.93	129.95	172.69	86.35	762.46	492.43
12.	कर्नाटक	644.92	703.80	571.64	294.47	2545.93	2387.14
13.	केरल	144.28	159.83	150.18	75.09	633.49	578.03
14.	मध्य प्रदेश	399.04	388.33	387.79	162.38	1776.58	1562.46
15.	महाराष्ट्र	733.27	718.42	686.84	343.42	3049.51	2762.29
16.	मणिपुर	54.61	52.77	56.74	28.37	261.70	210.53
17.	मेघालय	63.48	84.88	65.27	32.63	301.40	315.58
18.	मिजोरम	46.00	61.58	37.11	18.55	206.83	228.46
19.	नागालैंड	79.51	77.52	53.71	26.85	260.47	233.71
20.	ओडिशा	204.88	294.76	213.30	106.65	1072.84	1098.69
21.	पंजाब	82.21	106.59	82.46	32.96	385.31	366.72
22.	राजस्थान	1165.44	1099.48	1151.53	575.76	4930.28	4265.95
23.	सिक्किम	26.24	23.20	16.06	6.52	94.77	102.90
24.	तमिलनाडु	316.91	393.53	264.56	125.55	1334.62	1315.75
25.	त्रिपुरा	57.17	74.66	55.98	26.93	266.23	274.43
26.	उत्तर प्रदेश	899.12	848.68	690.22	350.11	3489.71	3172.44
27.	उत्तराखंड	139.39	136.41	144.88	72.44	607.31	508.92
28.	पश्चिम बंगाल	418.03	499.19	321.71	160.85	1692.79	1635.10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	1.09	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00

1	2	9	10	11	12	13	14
31.	दमन और दीव	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00
32.	दिल्ली	4.31	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
34.	पुडुचेरी	1.54	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00
35.	चंडीगढ़	0.40		0.00	0.00	0.40	0.00
	कुल	8550.00	8941.81	7994.30	3928.34	36184.46	32615.56

30-11-2011 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

2011-12 के दौरान वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय (केन्द्रीय निधि) (करोड़ रु.)					
		अथशेष	आवंटन	रिलीज	कुल उपलब्धता	रा./सं.रा. क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	% खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	285.20	510.84	224.74	509.94	249.94	49.01
2.	बिहार	322.92	355.66	177.83	500.75	130.38	26.04
3.	छत्तीसगढ़	82.13	130.81	65.4	147.53	50.8	34.43
4.	गोवा	1.92	5.56	2.78	4.7	1.16	24.68
5.	गुजरात	60.24	485.11	242.56	302.8	239.9	79.23
6.	हरियाणा	150.95	221.22	110.61	261.56	137.67	52.63
7.	हिमाचल प्रदेश	60.38	138.98	66.82	127.2	56.86	44.7
8.	जम्मू और कश्मीर	221.05	466.8	233.4	454.45	237.07	52.17
9.	झारखंड	91.83	172.69	86.35	178.18	24.96	14.01
10.	कर्नाटक	328.21	571.64	294.47	622.68	165.2	26.53
11.	केरल	26.01	150.18	75.09	101.1	50.08	49.54

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	122.34	387.79	162.38	284.72	189.13	66.43
13.	महाराष्ट्र	237.37	686.84	343.42	580.79	178.3	30.7
14.	ओडिशा	145.27	213.3	106.65	251.92	125.98	50.01
15.	पंजाब	1.68	82.46	32.96	34.64	31.91	92.12
16.	राजस्थान	595.09	1151.53	575.76	1170.85	724.94	61.92
17.	तमिलनाडु	96.05	264.56	125.55	221.6	45.67	20.61
18.	उत्तर प्रदेश	105.18	690.22	350.11	455.29	252.69	55.5
19.	उत्तराखण्ड	184.89	144.88	72.44	257.33	55.07	21.4
20.	पश्चिम बंगाल	126.31	321.71	160.85	287.16	242.16	84.33
21.	अरुणाचल प्रदेश	35.03	127.79	63.89	98.92	69.39	70.15
22.	असम	65.94	428.86	214.43	280.37	192.24	68.57
23.	मणिपुर	8.72	56.74	28.37	37.09	28.61	77.14
24.	मेघालय	25.97	65.27	32.63	58.6	21.41	36.54
25.	मिजोरम	24.94	37.11	18.55	43.49	18.03	41.46
26.	नागालैंड	1.99	53.71	26.85	28.84	23.87	82.77
27.	सिक्किम	10.35	16.06	6.52	16.87	10.39	61.59
28.	त्रिपुरा	27.53	55.98	26.93	54.46	47.54	87.29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	3445.49	7994.3	3928.34	7373.83	3601.35	48.84

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक					
		गुणवत्ता प्रभावित					
		बसावट			जनसंख्या		
		लक्ष्य	कवरेज	प्रतिशत	लक्ष्य	कवरेज	प्रतिशत
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	206	14	6.8	226527	22061	9.74
2.	बिहार	6535	1137	17.4	4639801	1083466	23.35
3.	छत्तीसगढ़	3583	480	13.4	900239	141858	15.76
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	230	95	41.3	442503	218645	49.41
6.	हरियाणा	23	6	26.09	63311	11459	18.1
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	2	0	0	3267	0	0
9.	झारखंड	804	39	4.85	229751	20127	8.76
10.	कर्नाटक	1689	331	19.6	2185033	474519	21.72
11.	केरल	157	38	24.2	279400	86807	31.07
12.	मध्य प्रदेश	587	237	40.37	370233	170051	45.93
13.	महाराष्ट्र	1367	505	36.94	2410617	909653	37.74
14.	ओडिशा	1793	619	34.52	718145	276879	38.55
15.	पंजाब	19	5	26.32	24106	5474	22.71
16.	राजस्थान	9165	1876	20.47	4102910	737107	17.97
17.	तमिलनाडु	77	7	9.09	39880	3521	8.83
18.	उत्तर प्रदेश	800	171	21.38	680889	174370	25.61
19.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	1310	326	24.89	1291054	338527	26.22

1	2	9	10	11	12	13	14
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
22.	असम	4056	803	19.8	1431649	265040	18.51
23.	मणिपुर	4	0	0	1031	0	0
24.	मेघालय	12	2	16.67	4715	2052	43.52
25.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
26.	नागालैंड	50	13	26	44493	14217	31.95
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	982	313	31.87	335847	127082	37.84
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	33451	7017	20.98	20425401	5082915	24.89

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक					
		आंशिक रूप से कवर की गई					
		बसावट			जनसंख्या		
		लक्ष्य	कवरेज	प्रतिशत	लक्ष्य	कवरेज	प्रतिशत
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	5494	1313	23.9	8176860	2239004	27.38
2.	बिहार	10065	1962	19.49	12975252	2522364	19.44

1	2	15	16	17	18	19	20
3.	छत्तीसगढ़	7871	2352	29.88	3002778	1105586	36.82
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	897	404	45.04	908313	372858	41.05
6.	हरियाणा	920	259	28.15	2936711	771057	26.26
7.	हिमाचल प्रदेश	2557	1347	52.68	280938	144183	51.32
8.	जम्मू और कश्मीर	1449	115	7.94	1261442	90389	7.17
9.	झारखंड	18755	3089	16.47	7919535	1868094	23.59
10.	कर्नाटक	8006	2026	25.31	8177504	2668940	32.64
11.	केरल	667	68	10.19	1388296	167536	12.07
12.	मध्य प्रदेश	16157	8190	50.69	10557571	5378560	50.95
13.	महाराष्ट्र	5135	1837	35.77	4112894	1531180	37.23
14.	ओडिशा	6849	2168	31.65	3069861	962142	31.34
15.	पंजाब	1611	351	21.79	2323544	410820	17.68
16.	राजस्थान	5097	1210	23.74	4485673	991798	22.11
17.	तमिलनाडु	5923	233	3.93	2395912	108543	4.53
18.	उत्तर प्रदेश	22500	9999	44.44	12895422	6052809	46.94
19.	उत्तराखण्ड	1359	436	32.08	162961	52117	31.98
20.	पश्चिम बंगाल	4786	939	19.62	5314259	878819	16.54
21.	अरुणाचल प्रदेश	308	21	6.82	65800	5523	8.39
22.	असम	3248	706	21.74	1068956	234044	21.89
23.	मणिपुर	326	147	45.09	354991	156483	44.08
24.	मेघालय	769	181	23.54	211143	46179	21.87
25.	मिजोरम	128	30	23.44	81706	12448	15.24
26.	नागालैंड	59	40	67.8	69257	42970	62.04
27.	सिक्किम	200	20	10	42145	3982	9.45

1	2	15	16	17	18	19	20
28.	त्रिपुरा	0	78	0	0	47442	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	131136	39521	30.14	94239724	28865870	30.63

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि के कब्जे वाले काश्तकार

3451. श्री विष्णु पद राय: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भूमि के कब्जेदार काश्तकार को अपने कब्जे वाली भूमि में मौजूद वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं दी जाती यद्यपि भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विनियमन, 1966 तथा भू-राजस्व भूमि सुधार नियमावली, 1968 के खंड 156 के उपखंड (1) और (5) में निर्धारित है कि कब्जे वाली भूमि में मौजूद सभी वृक्ष कब्जे वाले काश्तकार के होंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने कब्जे वाले काश्तकारों को अपनी कब्जे वाली भूमि के अंतर्गत वृक्षों को काटने की अनुमति देने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, हां।

(ख) 1995 की रिट याचिका (ग) सं. 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, राजस्व भूमि पर भी प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध है।

(ग) जी, हां।

(घ) गैर-वन भूमि पर वृक्ष प्रजातियों की कटाई और अभिवहन को समाविष्ट करने वाला "अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह गैर-वन भूमि में वृक्षों की प्रजातियों के कटान एवं अभिवहन विनियम 2005" नामक एक विनियम अंडमान और निकोबार प्रशासन के विचाराधीन है।

वस्त्र मशीन उद्योग

3452. श्री धनंजय सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में वस्त्र मशीन उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत में वस्त्र मशीनरी उद्योग के विकास के लिए सरकार के पास कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बेहतर करने के लिए पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्ष 2010-11 के दौरान भारत में टेक्सटाईल मशीनरी बनाने वाली 1446 यूनिटें है जिनका उत्पादन 6,150 करोड़ रुपए था। इस उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से कुल 95,000 लोग कार्यरत हैं। उत्पादित की जाने वाली मुख्य मशीनरी में विविंग मशीन, स्पाइनिंग मशीन, वाइडिंग मशीन, प्रोसेसिंग मशीन, सिंथेटिक फाईबर मशीन, टेक्सटाईल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट आदि शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित "प्रौद्योगिकी विकास योजना" नामक योजना स्कीम के जरिए भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी/इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें टेक्सटाईल इंस्ट्रूमेंट भी शामिल हैं, के आंतरिक विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए सहायता मिलती है।

आयोजनों पर व्यय

3453. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शिलान्यास आयोजनों एवं ऐसे अन्य आयोजनों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पर तिथि-वार, आयोजन-वार कितना व्यय किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वंचित वर्गों के मामले

3454. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए कॉर्पोरेट संबंधी मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा वंचित वर्गों से संबंधित निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन न्यायालयों द्वारा वंचित व्यक्तियों से संबंधित मामलों को उचित समयावधि में निपटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) केंद्रीय रूप से ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) न्यायालयों में मामलों का निपटान, न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, सरकार ने, सभी उच्च न्यायालयों से तारीख 1-7-2011 से 31-12-2011 तक न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक अभियान मोड को आरंभ किए जाने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों से, वरिष्ठ नागरिकों, अल्पवयों, अक्षम तथा अन्य निर्धन समूहों से संबंधित दीर्घकाल से लंबित मामलों के निपटान को पूर्विकता देने का भी अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पुलों का निर्माण

3455. श्री खगेन दास: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.) के अंतर्गत जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित जनसंख्या मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पुलों का निर्माण भी किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों में बनाए गए पुलों का वर्ष-वार एवं क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के संबंध में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष-वार कौन से विशेष प्रयास किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के मौजूदा दिशा-निर्देशों में मैदानी क्षेत्रों में 500 एवं इससे अधिक और पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरुभूमि वाले क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित/गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित 60 समेकित कार्य योजना वाले जिलों में 250 एवं इससे अधिक आबादी वाली सभी बसावटों को सड़क से जोड़ने की संकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) 50 मीटर तक की लंबाई वाले पुल की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। 50 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले पुलों के संदर्भ में निर्माण की पूर्वनिर्धारित लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। तथापि, समेकित कार्य योजना वाले 60 जिलों के संदर्भ में, 75 मीटर तक की लंबाई वाले पुलों की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है कि भविष्य में, किसी भी सड़क के प्रस्ताव में निश्चित रूप से सभी आवश्यक पात्र सीडी कार्य कवर किए जाएंगे।

(घ) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/समेकित कार्य योजना (आई.ए.डी.) वाले 60 जिलों के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों में दी गई कुछ प्रमुख छूटें इस प्रकार हैं:

1. अन्य क्षेत्रों में 500 की आबादी की तुलना में समेकित कार्य योजना वाले जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सभी बस्तियां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगी, चाहे वे बस्तियां अनुसूची-V के क्षेत्रों में हों या नहीं।

2. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/समेकित कार्ययोजना वाले जिलों के मामले में न्यूनतम निविदा पैकेज राशि को घटाकर 50 लाख रु. कर दिया गया है।

3. कार्य पूरा करने के लिए 24 महीने तक की समय सीमा की अनुमति दी जाएगी। तथापि, लागत में वृद्धि के कारण किसी भी प्रकार की अतिरिक्त देयता का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कार्यक्रम संबंधी निधि से नहीं किया जाएगा।

पत्रिकाओं का मुद्रण

3456. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय विनिर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल विनिर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय आपराधिक विनिर्णय पत्रिका एवं अन्य हिंदी प्रकाशनों का मुद्रण निर्धारित समय से एक वर्ष पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन पत्रिकाओं का समय पर मुद्रण सुनिश्चित करती है;

(घ) यदि हां, तो इन पत्रिकाओं को कब तक मुद्रित किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भारत के संविधान के भाग 17 में निहित राजभाषा अधिनियम के अनुच्छेद 344, 345, 346, 347, 348 एवं 349 में राजभाषा अधिनियम, 1963 के द्वारा संशोधन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इन अनुच्छेदों का निरसन नहीं करने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के सिविल और आपराधिक निर्णयों को अंतर्विष्ट करने वाली क्रमशः 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका', 'उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका, तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका' के प्रकाशन में कुछ विलंब हुआ है। यह, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से विभिन्न निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों की प्राप्ति के लिए लगभग तीन से चार मास का विलंब,

निर्णयों की प्राप्ति के पश्चात्, विधि साहित्य प्रकाशन को भी, मुद्रण निदेशालय को प्रस्तुत करने के लिए, जिसको विभिन्न सरकारी प्रेसों का मुद्रण कार्य सौंपा गया है, तीन पूर्वोक्त जर्नलों के अनुवाद तथा उनकी कैमरा रेडी कापी (सी.आर.सी.) को तैयार करने के लिए 3 से 4 मास लगना अपेक्षित है। प्रेसें भी, मुद्रित प्रतियों का प्रदाय करने के लिए कुछ समय लेती हैं।

(ग) से (ङ) मुद्रण निदेशालय/सरकारी प्रेस में, मामले में लगकर यथासंभवशीघ्र, इन पत्रिकाओं को अद्यतन करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। तथापि, मुद्रण संबंधी प्रक्रिया में विभिन्न चरण सम्मिलित हैं, कोई समय-सीमा अधिकथित नहीं की जा सकती है।

(च) और (छ) अनुच्छेद 343(2) संविधान के प्रारंभ से अर्थात् 26-01-1965 से, पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किए जाने का उपबंध करता है। अनुच्छेद 343(3), संसद को विधि द्वारा, 26-01-1965 के पश्चात् भी विनिर्दिष्ट शासकीय प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने के लिए उपबंध करने को सशक्त करता है। इस प्राधिकार के प्रयोग में, भारत के संविधान में भाग सत्रह के अनुच्छेद 344, 345, 346, 347, 348 और 349 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 को अधिनियमित किया गया था। वर्तमान में, संविधान के उक्त अनुच्छेदों को निरसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंतर्राज्यीय जल संसाधन परियोजनाएं

3457. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 7 वर्षों के दौरान देश में अनुमोदित अंतर्राज्यीय जल संसाधन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) विगत सात वर्षों के दौरान जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत वृहद/मध्यम अन्तरराज्यीय सिंचाई परियोजनाओं (नई/संशोधित/ई.आर.एम.) और इन परियोजनाओं को ए.आई.बी.पी. के तहत जारी केन्द्रीय सहायता की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ये परियोजनायें चल रही हैं।

विवरण

जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा पिछले सात वर्षों के दौरान स्वीकार की गई अन्तरराज्यीय परियोजनाओं और जारी केन्द्रीय सहायता की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्यों के नाम	प्रकार	वर्ष 2005-06 से सितम्बर, 2011 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर, चरण-I (संशोधित)	बिहार और झारखंड	वृहद	जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना स्वीकृत कर ली गई फिर भी ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत शामिल नहीं की गई
2.	दूधगंगा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र और कर्नाटक	वृहद	कर्नाटक - 7.507, महाराष्ट्र - 0.00 (पी.एन.आर.*)

1	2	3	4	5
3.	आर.डी. 179000 से 496000 - ई.आर.एम. तक राजस्थान फीडर का पुन:संरेखण	पंजाब और राजस्थान	वृहद	पंजाब - 105.840, राजस्थान - 0.00 (पी.एन.आर.*)
4.	बताने जलाशय परियोजना (संशोधित)	बिहार और झारखंड	वृहद	बिहार - 0.00, झारखंड - 0.00 (पी.एन.आर.*)
5.	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र और गोवा	वृहद	गोवा - 113.87, महाराष्ट्र - 72.785
6.	बाणसागर बांध (यूनिट-1) परियोजना, मध्य प्रदेश (संशोधित)	मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश	वृहद	मध्य प्रदेश - 37.037, बिहार - 0.00, उत्तर प्रदेश - 459.043
7.	सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना (संशोधित)	गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	वृहद	गुजरात - 1660.529, राजस्थान - 0.00 (पी.एन.आर.*), महाराष्ट्र - 0.00 (पी.एन.आर.), मध्य प्रदेश - 0.00 (पी.एन.आर.)
8.	राजीव सागर (बावनथाड़ी) (संशोधित)	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	वृहद	मध्य प्रदेश - 39.686, महाराष्ट्र - 104.77
9.	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना (संशोधित)	झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल	वृहद	ओडिशा - 962.781, पश्चिम बंगाल - 0.00 झारखंड - 0.00
10.	तलवाड़ा से नीचे हिमाचल प्रदेश में सिंचाई (साहनहर सिंचाई परियोजना) (संशोधित)	हिमाचल प्रदेश और पंजाब	वृहद	पंजाब - 6.097, हिमाचल प्रदेश - 94.804

*पी.एन.आर. - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

द्वारका में नलकूप

3458. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका में नलकूपों की बोरिंग के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सी.जी.डब्ल्यू.बी. की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को द्वारका में नलकूपों की खुदाई संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पृथ्वी की माप के लिए वैश्विक बोली

3459. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पृथ्वी को मापने के लिए वैश्विक बोली लगाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कब तक कार्य प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास नहीं है।

(ख) शून्य।

(ग) शून्य।

एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषण

3460. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने रेलवे के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण सुविधा का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत शामिल की गई/की जाने वाली परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) रेलवे सेक्टर निवेश कार्यक्रम एशियन विकास बैंक द्वारा 18-10-2011 को अनुमोदित 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पहली ट्रैंचे के साथ 500 अमेरिकी डॉलर के लिए मल्टी ट्रैनिंग फाइनेनसिंग सुविधा (एम.एफ.एफ.) के रूप में 31-08-2011 को अनुमोदित कर दिया गया था।

(ग) ऋण का निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा:-

1. पूर्वतट रेलवे पर संभलपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण (182 कि.मी.)
2. पूर्वतट रेलवे पर रायपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण (203 कि.मी.)
3. दक्षिण-पश्चिम रेलवे पर होसपेट-तिनाइघाट दोहरीकरण (352 कि.मी.)
4. मध्य रेलवे पर दौंड-गुलबर्गा (225 कि.मी.) और मध्य एवं दक्षिण मध्य रेलवे पर पुणे-गुंतकल रेलवे विद्युतीकरण (641 कि.मी.)

इसके अतिरिक्त ऋण का उपयोग न्यू एकाउंटिंग आर्किटेक्चर के कार्यान्वयन और क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (सी.डी.एम.) गतिविधियों के लिए भी किया जाएगा।

दहेज हत्या के लिए दंड

3461. श्री शिवकुमार उदासी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने दहेज एवं नाबालिक लड़कियों की बलात्कार के कारण होने वाली मृत्यु के मामलों में मृत्यु दंड देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जलाशयों का गाद निकालना

3462. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सहित देश के अधिकांश जलाशयों में गाद भरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र देश में सभी जलाशयों में गाद निकालने के लिए कोई उपाय कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक

कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी हां। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा कर्नाटक सहित देश में 144 जलाशयों के संबंध में जारी किया गया 'भारत में जलाशयों का अवसादन (2001)' संबंधी सार-संग्रह के अनुसार गाद जमा होने के कारण सकल भंडारण क्षमता में होने वाली औसत वार्षिक हानि को 0.44% आंका गया है।

सी.डब्ल्यू.सी. 8वीं योजना से क्षमता सर्वेक्षण कर रहा है। अभी तक 29 जलाशयों का क्षमता सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

(ग) और (घ) जलाशयों का गाद हटाना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यह खुदाई की मिट्टी को हटाने तथा बारंबार अवसाद हटाने की अत्यधिक लागत की समस्याओं से संबंधित है।

[हिन्दी]

भू-जल का दोहन

3463. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के जंजगीर-चांपा जिले में स्थित अमरताल गांव में अमझर विद्युत संयंत्र तथा के.वी.के. विद्युत संयंत्र भू-जल का दोहन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये संयंत्र भू-जल के उपयोग के लिए सरकार को कर का भुगतान कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयंत्रों के कारण इस क्षेत्र के लगभग 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में भू-जलस्तर की गिरावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने जंजगीर-चम्पा जिले में अमझर गांव में स्थित मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एवं विद्युत लि. को 1150 घन मीटर प्रतिदिन के हिसाब से भूमि जल की निकासी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) जारी किया है। प्राधिकरण द्वारा जंजगीर-चम्पा जिले के ब्लाक बालोडा में अमरताल गांव में स्थित मैसर्स के.बी.के. बायो एनर्जी प्रा.लि. को कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है क्योंकि यह पहले से मौजूद था। तथापि, प्राधिकरण को उपलब्ध सूचना के अनुसार मै. के.बी.के. बायो एनर्जी प्रा.लि. 2010 घन मीटर प्रति दिन के हिसाब से भूमि जल की निकासी कर रहा है।

(ग) से (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण भूमि जल का उपयोग करने हेतु कर वसूल करना केन्द्र सरकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

(ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूमि जल संगठन द्वारा वर्ष 2004 में संयुक्त रूप से किए गए भूमि जल संसाधनों के अंतिम आकलन के अनुसार इन दो संयंत्रों वाला क्षेत्र 13.75% भूमि जल विकास की अवस्था की सुरिक्षत श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्षेत्र में भूमि जल स्तरों के दीर्घकालीन प्रकृतियों में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं देखी गई है। तथापि, मैसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एवं विद्युत लि. को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र में जल के मीटरों को संस्थापित करने और जल के दोहन की मात्रा को दर्ज करने, आस-पास के भूमि जल स्तरों और गुणवत्ता की निगरानी करने तथा भूमि जल संसाधनों के संवर्धन हेतु 1,39,650 घन मीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से भूमि जल के पुनर्भरण का कार्यान्वयन करने का उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

भेषज क्षेत्र में निवेश

3464. श्री एम.के. राघवन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भेषज उद्योग औषधि उत्पादन हेतु मूल-भूत रसायनों तथा सक्रिय भेषज तत्वों की उपलब्धता के लिए चीन के बाजार पर अत्यधिक निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास में वृद्धि करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं;

(ग) क्या देश में औषधियों की मूल्यवृद्धि पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) औषध फार्मूलेशनों के मामले में देश कुल मिलाकर आत्मनिर्भर है। विदेश व्यापार नीति तथा गुणवत्ता और मित्तव्ययीता के आधार पर आयात किया जाता है और यह जरूरी नहीं है कि स्वदेशी स्त्रोतों से अनुपलब्धता के आधार पर।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के लिए इसके द्वारा बल्क औषधियों/ व्युत्पन्नों के जो मूल्य निर्धारित/संशोधित किए गए हैं उनसे मिले-जुले रूझान का पता चलता है। जिन कारकों से मूल्यों में वृद्धि होती है उनमें शामिल हैं - वेतन तथा मजदूरी, बिजली तथा ईधन, विनियम दर, चीन से आयात सहित स्वदेशी कच्ची सामग्री आदि की लागत।

उर्वरकों के मूल्य

3465. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ए.पी., पोटाश एवं यूरिया के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि ने देश में कृषि क्षेत्र की अव्यवहार्यता को और बढ़ाया है तथा कृषि आदानों की लागत बेहद बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सब्सिडी को फिर से बहाल कर डी.ए.पी., पोटाश एवं यूरिया की कीमतें घटाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को डी.ए.पी./पोटाश आदि के मूल्यों को कम करने के लिए कृषि संगठनों से कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (च) उर्वरक विभाग ने नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एण्ड के) उर्वरकों के लिए पहले की रियायत योजना के स्थान पर 1-4-2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति लागू की है। तत्कालीन रियायत योजना के अंतर्गत पी एण्ड के उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) सरकार द्वारा उर्वरकों की वास्तविक लागत से कम निर्धारित किया गया था। तदनुसार, पी एण्ड के उर्वरकों की वास्तविक लागत और एम.आर.पी. के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा रियायत के रूप में उत्पादकों/आयातकर्ताओं को की जाती थी। परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की लागत में होने वाली किसी वृद्धि को सरकार द्वारा वहन किया जाता था। एन.बी.एस. नीति के अनुसार पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. को उत्पादकों/आयातकों द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए खुला रखा गया है और राजसहायता की राशि सरकार द्वारा प्रत्येक पोषक-तत्व अर्थात् नाइट्रोजन 'एन', फॉस्फेट 'पी', पोटाश 'के' और सल्फर 'एस' के अनुसार वार्षिक आधार पर निश्चित की जाती है। तदनुसार पी एण्ड के उर्वरकों और इसकी कच्ची सामग्री के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी वृद्धि/कमी और डॉलर के मूल्य में वृद्धि/कमी का पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि देश में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता का 90% और पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता का 100% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। वर्तमान में एन.बी.एस. योजना पी एण्ड के उर्वरकों के 25 ग्रेडों पर लागू है। पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है। उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उर्वरक विभाग द्वारा जारी की जा रही राजसहायता की राशि संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है। एन.बी.एस. के लागू होने के बाद भी किसानों को उर्वरकों की वास्तविक लागत के लगभग 50% का भुगतान करना होता है। यूरिया भारत सरकार के सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। यूरिया की एम.आर.पी. को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह 1-4-2010 से 5310 रुपए प्रति मी.टन है।

पी एण्ड के उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि की आदान लागत में बढ़ोत्तरी हो सकती है लेकिन इसकी कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को निर्धारित करते समय गणना की जाती है।

बाजार में पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. में वृद्धि होने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उर्वरक

विभाग को पंजाब विधान सभा द्वारा दिनांक 8-10-2011 को उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि को वापस लेने के संबंध में पारित किए गए संकल्प की एक प्रतिलिपि भी प्राप्त हुई है।

पी एण्ड के उर्वरकों पर एन.बी.एस. नीति अभी भी जारी है। सरकार द्वारा इस नीति को वापस लिए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान एम.आर.पी. दर्शाने वाला विवरण

(रुपए/मी.टन)

क्र. सं.	उर्वरकों के ग्रेड	2008-09, 2009-10 सभी तिमाहियां	10-11 (तिमाही-वार)				11-12 (तिमाही-वार) (चालू)			टिप्पणियां
			I	II	III	IV	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	डी.ए.पी. : 18-46-0-0	9350	9950	9950	9950	10750	13245	18200	18350	
2.	एम.ए.पी. : 11-52-0-0	9350	9950	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	18200	18200	
3.	टी.एस.पी. : 0-46-0-0	7460	8057	8057	8057	8057	8057	8057		बाजार में नहीं
4.	एम.ओ.पी. : 0-0-60-0	4455	5055	5055	5055	5055	6064	11300	11300	
5.	16-20-0-13	5875*	6620	6620	6620	7200	लागू नहीं	12500	12500	
6.	20-20-0-13	6295*	7280	7280	7395	8095	11400	14800	14800	
7.	23-23-0-0	6145*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7445	7445	7445		बाजार में नहीं
8.	10-26-26-0	7197*	8197	लागू नहीं	8300	10103	10910	16000	16633	
9.	12-32-16-0	7637*	8637	8237	8637	9437	11313	16400	16400	
10.	14-28-14-0	7050*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14950	14950	
11.	14-35-14-0	8185*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9900	11622	15148	15148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	15-15-15-0	5121*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7421	8200	11000	11000	
13.	ए.एस. : 20.3-0-0-23	10350	8600	8600	7600	8700	7600	11300	11300	
14.	20-20-0-0	5343*	5943	लागू नहीं	6243	7643	9861	14000	14135	
15.	28-28-0-0	7481*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	11181	11810	15740	15740	
16.	17-17-17-0	5804*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
17.	19-19-19-0	6487*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
18.	एस.एस.पी. (0-16-0-11)	4600**	3200	3200	3200	3200	3200	4000	6000	
19.	16-16-16-0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7100	7100	7100		बाजार में नहीं
20.	डी.ए.पी. लाइट (16-44-0-0)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	11760	17600	17820	
21.	15-15-15-09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6800	9300	12900	14851	
22.	24-24-0-0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7768	9000	11550	12455	
23.	13-33-0-6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	16200	16200	
24.	एम.ए.पी. लाइट (11-44-0-0)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	16000	15700	
25.	डी.ए.पी. लाइट-II (14-46-0-0)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14900	14900	

*18-6-08 से प्रभावी।

**मई 2008 से सितम्बर, 2009 तक एस.एस.पी. की एम.आर.पी. 3400 रुपए/मी.टन थी।

विवरण-II

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रति मी.टन पोषक तत्व आधारित राजसहायता की दरें

(ए) पोषक-तत्वों के प्रति कि.ग्रा., पोषक-तत्व आधारित राजसहायता

(राशि रुपए)

क्र.सं.	पोषक-तत्व	1-4-2010 से 31-12-2010 तक प्रति कि.ग्रा. पोषक-तत्व (2010-11) पर एन.बी.एस. (अधिसूचना दिनांक (16-3-2010)	जनवरी से मार्च 2011 (2010-11) में प्रति कि.ग्रा. पोषक-तत्व (2010-11) पर एन.बी.एस. (अधिसूचना दिनांक (1-12-2010)	1-4-11 से 31-3-12 तक प्रभावी (अधिसूचना दिनांक 5-5-2011)
1.	'एन'	23.227	23.227	27.153
2.	'पी'	26.276	25.624	32.338
3.	'के'	24.487	23.987	26.756
4.	'एस'	1.784	1.784	1.677

(बी) प्रति मी.टन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता

(राशि रुपए में, प्रति मी.टन)

क्र. सं.	उर्वरक	(अधिसूचना दिनांक 16-3-2010 प्रति मी.टन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (2010-11)	(अधिसूचना दिनांक 1-12-2010) जनवरी से मार्च 2011 में प्रति मी.टन पोषक-तत्व आधारित राज-सहायता (2010-11)	(अधिसूचना दिनांक 5-5-2011) 1-4-11 से 31-3-12 तक प्रभावी
1	2	3	4	5
1.	डी.ए.पी.	16268	15968	19763
2.	डी.ए.पी. लाइट (16-44-00)	-	14991 (1-2-2011 से)	18573
3.	एम.ए.पी.	16219	15879	19803
4.	टी.एस.पी.	12087	11787	14875
5.	एम.ओ.पी.	14692	14392	16054
6.	एन.बी.एस.	4400	4296+200	5359+200
7.	10-26-26-0	15521	15222	18080

1	2	3	4	5
8.	12-32-16-0	15114	14825	17887
9.	14-28-14-0	14037	13785	16602
10.	14-35-14-0	15877	15578	18866
11.	15-15-15-0	11099	10926	12937
12.	15-15-15-09	11259 (1-10-2010 से प्रभावी) 22-12-2010 तक	11086	13088
13.	16-16-16-0	11838 (1-7-2010 से प्रभावी, एन.बी.एस. में 6-8-2010 से शामिल किया गया)	11654	13800
14.	16-20-0-13	9203	9073	11030
15.	17-17-17-0	12578	12383	14662
16.	19-19-19-0	14058	13839	16387
17.	20-20-0-0	9901	9770	11898
18.	अमोनियम सल्फेट (20.0-0-0-23)	5195	5195	5979
19.	20-20-0-13	10133	10002	12116
20.	23-23-0-0	11386	11236	13683
21.	24-24-0-0	11881 (1-10-2010 से प्रभावी) 22-12-2010 तक	11724	14278
22.	28-28-0-0	13861	13678	16657
23.	13-33-0-6			14302
24.	एम.ए.पी. लाइट 11-44-0-0			17216
25.	डी.ए.पी. लाइट ग्रेड (II) 14-46-0-0			18677

ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दुर्घटना

3466. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो सी.बी.आई. द्वारा अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गयी हैं; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) अभी तक 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) 29-11-2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मिदनापुर की अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और इस मामले में मुकदमा चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

नहरों में दरार

3467. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश के खारगौन तथा बड़वानी जिलों में इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बनी नहरों में दरारें पायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नहरों के पुनर्निर्माण का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य प्रारंभ किए जाने का अनुमान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (भोपाल) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर का निर्माण 58.856 से 67.00 कि.मी. और 96.00 कि.मी. से 107.00 कि.मी. क्षेत्र को छोड़कर 107 कि.मी. तक पूरा हो चुका है। मुख्य नहर में पूरे हो चुके हिस्से में कोई दरार नहीं पाई गई है जिससे नहर प्रणाली को कोई क्षति पहुंचे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एम.पी. लैड निधि

3468. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एम.पी. लैड योजना के अंतर्गत सांसदों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों की लागतों का सटीक आकलन करने के लिए उन्हें तकनीकी समर्थन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम.पी. लैड योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को प्रभावी एवं न्यायोचित रूप से धनराशि आवंटन में संसद सदस्यों की मदद के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय ने इस आशय का परिपत्र जारी किया है कि जिला प्राधिकारी सांसदों के लिए 'परियोजनाओं की सूची' तैयार करके उसे सांसदों को मुहैया कराएंगे। इस सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की परियोजनाएं भी शामिल होंगी। परियोजनाओं की यह सूची सुझाव के रूप में होगी ताकि आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सांसदों को परियोजनाओं के चयन में सहूलियत हो।

[हिन्दी]

यूरिया पर राजसहायता

3469. श्री राजू शेट्टी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया को पोषक आधारित राजसहायता योजना में शामिल करने के पश्चात् इसके लिए एक समान राजसहायता के रूप में सरकार द्वारा कितनी राशि प्रति टन राजसहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ख) सरकार के इस कदम से यूरिया की कीमतों में किस हद तक वृद्धि होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.) चरण-III के बाद एक मूल्य निर्धारण नीति सरकार के विचाराधीन है।

अन्वेषण हेतु सर्वेक्षण

3470. श्री रामकिशुन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारी और निजी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण हेतु किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कपंनियों द्वारा पूरा किए गए अन्वेषण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन तेल कंपनियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.), आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए अन्वेषणात्मक कार्यों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :-

ओ.एन.जी.सी. - 01-10-2011 की स्थिति के अनुसार, ओ.एन.जी.सी. ने असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम राज्यों में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बराबर कुल 91605 वर्ग किलोमीटर (एस.के.एम.)/अर्द्ध विस्तृत मैपिंग (एस.डी.एम.), गुरुत्व चुंबकीय सर्वेक्षण के 27394 स्टेशन और 37982 ग्राउंड लाइन किलोमीटर द्वि-आयामी भूकंपीय का अर्जन और 5016.27 वर्ग कि.मी. त्रि-आयामी भूकंपीय आंकड़ों के अर्जन का कार्य किया है। ओ.एन.जी.सी. ने असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 856 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन भी किया है।

ओ.आई.एल. - ओ.आई.एल. ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 27347 (जी.एल.के.) द्वि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण, असम और अरुणाचल प्रदेश में 7676 वर्ग किलोमीटर का त्रि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण किया है। इसके अतिरिक्त, ओ.आई.एल. ने 4495.56 किलोमीटर वेधन किया है।

निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियां - निजी/जेवीज कम्पनियों द्वारा किए गए अन्वेषण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

(i) 4492 ग्राउण्ड लाइन किलोमीटर (जी.एल.के.) द्वि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण और 1660 वर्ग किलोमीटर त्रि-आयामी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन।

(ii) 18 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन।

(iii) 3 ब्लाकों (असम में 1 ब्लाक और त्रिपुरा में 2 ब्लाक) में 4 गैस खोजें की गईं।

(ग) विगत पांच वर्षों अर्थात 2006-07 से 2010-11 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चे तेल के उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	तेल उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) में		
	ओ.एन.जी.सी.	ओ.आई.एल.	निजी/जेवीज
1	2	3	4
2006-07	1.331	3.107	0.07
2007-08	1.290	3.101	0.07
2008-09	1.223	3.468	0.085
2009-10	1.191	3.572	0.109

1	2	3	4
2010-11	1.150	3.586	0.103
2011-12*	0.699	2.262	0.0538

*अक्तूबर, 2011 तक

बस्ती चीनी मिल का विलय

3471. श्रीमती सीमा उपाध्याय: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बस्ती चीनी मिल के फेनिल चीनी मिल में विलय हेतु दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति मांगी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को शेयरहोल्डरों के हितों के अंतरण और उक्त विलय के कारण उत्पन्न अनेक अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) अंतरिती कंपनी अर्थात् बस्ती शुगर मिल ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में स्कीम दर्ज करने से पहले दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में पत्र लिखकर सेबी के सूचीबद्ध करार के खंड 24(च) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

(ग) और (घ) प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित समामेलन कार्यवाही से संबंधित मुद्दे पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया है कि अंतरिती कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) के समक्ष अंतरिती कंपनी की कार्यप्रणाली के संबंध में इस प्रकार के बनावटी एवं झूठे दस्तावेज दायर किए गए हैं जो सदस्यों एवं आम जनता के हितों के विरूद्ध हैं। यह आरोप दिल्ली उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने से पहले कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जांचे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

3472. श्रीमती जे. शान्ता: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डी.ए.पी., यूरिया और अन्य उर्वरकों का सीधे आयात करने वाली कंपनियों को 1000 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों से आयातित उर्वरकों को किसानों तक पहुंचने से पूर्व आयात करने वाली कंपनियों द्वारा पत्तनों, पोतों और ट्रकों से कम से कम पांच से छह स्थानों पर लादा और उतारा जाता है जिसके कारण 20 प्रतिशत उर्वरक बर्बाद हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयात करने वाली कंपनी हानि नहीं दर्शाती है और उस पर भी राजसहायता लेती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सरकार डी.ए.पी., यूरिया और उर्वरकों का आयात कर रही कंपनियों को सीधे 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राजसहायता प्रदान करती है।

(ख) से (घ) जी नहीं, आपूर्ति श्रृंखला में उर्वरकों का बहुत कम अपव्यय होता है और सरकार द्वारा अपव्यय मात्रा पर कोई राजसहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(ङ) चूंकि उर्वरक की अपव्यय मात्रा पर राजसहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है इसलिए किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

लघु उद्योगों हेतु समझौते

3473. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और मलावी ने

दोनों देशों में लघु उद्योगों के विकास हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त समझौते से दोनों देश किस हद तक लाभान्वित हुए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) ने मलावी में लघु उद्यमों के विकास में आपसी सहयोग के लिए वन विलेज वन प्रोडक्ट बोर्ड, मलावी के साथ करार किया है। इस करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मलावी में लघु उद्यमों के विकास के लिए मुख्य क्षेत्रों और अवसरों की पहचान करने के लिए औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन करना।
- मलावी में इनक्यूबेटर केंद्रों की स्थापना जैसे उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम चलाना, आपसी सहमति से विभिन्न क्षेत्रों में भावी मलावियन उद्यमियों का प्रशिक्षण/चिन्हित व्यवसाय अवसरों को उद्यमियों से लिंक करना।
- भारत और मलावी के उद्यमों के बीच एक उद्यम का दूसरे उद्यम के साथ संपर्क को बढ़ाना।
- भारत और मलावी के उद्यमों के बीच प्रौद्योगिकी के अंतरण और टिकाऊ व्यावसायिक संबंध आरंभ करने में मदद करने के लिए व्यवसाय मिशनों का आदान-प्रदान।
- मलावी में लघु उद्यमों की स्थापना और औद्योगिक साझेदारी बनाने के लिए विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में भारत से प्रौद्योगिकी के अंतरण को सुगम बनाना।
- भारतीय प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन के लिए मलावी में प्रौद्योगिकी कार्यशालाओं और सेमिनारों के आयोजन में सहायता करना और सुगम बनाना।
- लघु उद्यमों के लिए वस्तुओं, सेवाओं और साझेदारी/संयुक्त उद्यम के बारे में सूचना का आदान-प्रदान और प्रसार।

(ग) और (घ) करार के अनुसार दोनों देशों के एम.एस.एम.ई. के विकास के लिए अनुभव बांटने के लिए प्रतिनिधिमंडलों का आना-जाना हुआ है। इसमें वन विलेज वन प्रोडक्ट (ओ.वी.ओ.पी.) के अधिकारियों और मलावी के व्यापार और उद्योग मंत्री का नई दिल्ली में इनक्यूबेशन सेंटर का दौरा करने सहित मलावी से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का दौरा शामिल है। नवंबर 2010 और नवंबर 2011 में मलावियन प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी "टेकमार्ट इंडिया" के दौरे के परिणामस्वरूप भारतीय प्रौद्योगिकियों और वस्तुओं के निर्यात के लिए मालावियन बाजार भारतीय एम.एस.एम.ई. के लिए खुल गए।

नांदेड़-बीदर रेल लाइन

3474. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल बजट 2011-2012 में यथाघोषित नांदेड़-बीदर नई रेल लाइन के कार्य का ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त रेल लाइन का कार्य कब तक आरंभ/समाप्त होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नांदेड़-बीदर नई लाइन स्वीकृत परियोजना नहीं है। नांदेड़-बीदर नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना को अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए इसे पूरा करने की समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

अग्निशमन विभाग की स्थापना करना

3475. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे में अग्निशमन विभाग की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लद्दाख क्षेत्र में ईसाई

3476. श्री हसन खान: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में ईसाई सबसे छोटा समुदाय है;

(ख) यदि हां, तो लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले ईसाई परिवारों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में प्रतिनिधित्व सहित अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत उन्हें और उनके संस्थानों को प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना रिपोर्ट में लद्दाख में इसाई परिवारों की ठीक-ठीक संख्या का उल्लेख नहीं है। तथापि, वर्ष 2001 की जनगणना संबंधी आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य में इसाईयों की कुल आबादी 20299 है, जो कुल आबादी का 0.2 प्रतिशत है।

(ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सभी योजनाएं, यथा - छात्रवृत्ति योजनाएं, नि:शुल्क कोचिंग योजना, बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) तथा वक्फ अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना का कार्यान्वयन जम्मू-कश्मीर राज्य में किया जा रहा है। आबादी तथा पिछड़ेपन के मानकों के आधार पर एम.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से एक जिले के रूप में लेह/लद्दाख को भी अभिनिर्धारित किया गया है। लद्दाख में इसाईयों सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों को मंत्रालय की उपर्युक्त योजनाओं का लाभ मिलता है।

सहारनपुर स्टेशन पर ठहराव

3477. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ध्यान सहारनपुर स्टेशन पर अहमदाबाद-हरिद्वार मेल के ठहराव के संबंध में सहारनपुर-मेरठ और उत्तराखण्ड मंडल के लोगों की मांगों/अनुरोधों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 19105/19106 अहमदाबाद-हरिद्वार मेल सहारनपुर के रास्ते नहीं गुजरती है इसलिए इसे सहारनपुर में ठहराव देने का प्रश्न नहीं उठता।

भेषज कारोबार

3478. श्री नवीन जिंदल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भेषज उद्योग की वैश्विक स्थिति की तुलना में देश में भेषज कारोबार का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): भारतीय औषध निर्माण उद्योग का विश्व में परिमाण की दृष्टि से तीसरा और मूल्य की दृष्टि से 14वां स्थान है और यह उद्योग कुल वैश्विक उत्पादन के लगभग 10% की आपूर्ति करता है। वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	करोड़ रुपए
1.	मार्च, 2008	80300
2.	मार्च, 2009	95275
3.	मार्च, 2010	104209*

*अनन्तिम

तेल कंपनियां

3479. श्री सी. शिवासामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने अधीन तीन शीर्ष तेल कंपनियों में भूतपूर्व नौकरशाहों को नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तीन तेल कंपनियों के लिए नामों की लघु सूची तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में गैर सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) और मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (ए.सी.सी.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लोक उद्यम विभाग की खोज समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इन दिशा-निर्देशों में अलग-अलग पृष्ठभूमियों/क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के लिए अलग-अलग योग्यता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी गैर सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र होते हैं। सरकारी/लोक प्रशासन क्षेत्र के व्यक्तियों पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे सिद्ध योग्यता और अनुभव वाले हैं।

(ग) जी हां।

(घ) लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) ने निम्न-लिखित नामों का चयन किया है:-

(1) श्री एस.के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ऑयल इंडिया लि. के पद के लिए, फिलहाल महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन के पद पर हैं।

(2) श्री पी.पी. उपाध्याय, प्रबंध निदेशक, एम.आर.पी.एल. पद के लिए, फिलहाल निदेशक (तकनीकी), मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (एम.आर.पी.एल.) के पद पर हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण

3480. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले रेल बजट में यथा घोषित देश में नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण का ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में भिंड-महोबा-लोंच-पापुड़-उरई-जालौन-हमीरपुर मोड़-हमीरपुर, आरा-चंदौत-मौधा और जौलहुपुर-कल्पी-खुशेरपुर खंड पर नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त खंडों पर सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 2011-12 के रेल बजट में, नई लाइन परियोजनाओं के लिए 107 सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, 15 सर्वेक्षणों को पूरा कर लिया गया है और 92 सर्वेक्षण प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) और (ग) सर्वेक्षणों की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) भींड-फफूंद - कोई सर्वेक्षण स्वीकृत नहीं है।

(ii) कोंच-जालौन - सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

(iii) भींड-जालौन-उरई-महोबा - सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

(iv) हमीरपुर-हमीरपुर रोड - सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

(v) अटा-चांदौत-मउदा तथा जोल्हूपुर-कलपी-खुशेरपुर-ऐसा कोई सर्वेक्षण स्वीकृत नहीं है। बहरहाल, अटा-खेडा शिलाजीत-बीमर-मउदा रागौल और जोल्हूपुर-हमीरपुर के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

इन सभी सर्वेक्षणों के 31-12-2012 तक पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी

3481. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की भर्ती में कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीकार की गई नीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह 'ग' पदों की विभिन्न राज्य स्तरीय भर्तियों में अखिल भारतीय स्तर का आरक्षण प्रतिशत लागू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विशेषकर समूह 'क' और समूह 'ख' में अनुसूचित जनजातियों को दी गई पदोन्नतियां बहुत कम हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भर्ती और पदोन्नति में अ.जा./अ.ज.जा. का एक समान प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की भर्ती के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण है। लोक उद्यम सर्वेक्षण 2009-10 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 206 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संदर्भ में 1-1-2010 तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति का समग्र प्रतिनिधित्व 18.09% और अनुसूचित जनजाति 7.43% प्रतिनिधित्व है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में समयबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सभी पिछली रिक्तियों को भरने हेतु केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित अपनी सभी स्थापनाओं में एक विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे। भर्ती अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम का प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग करता है।

(ग) से (छ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों सहित निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के सभी पदों की भर्ती और पदोन्नति चालू आरक्षण नीति के अनुसार की जाती है और यह सभी राज्यों में स्थित सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों पर एकसमान लागू है। निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के संदर्भ में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की निगरानी सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

आयातित उर्वरकों की कीमतें

3482. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित उर्वरकों की कीमतें राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की कीमतों से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयातित उर्वरक किसानों को वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) सरकार सभी प्रमुख स्वदेशी और आयातित उर्वरकों पर राजसहायता का भुगतान कर रही है। यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण अधीन है और इसका आयात स्वदेशी उत्पादन और आकलित मांग के बीच अंतर को पूरा करने के लिए भारत सरकार के नाम पर प्रत्यक्ष कृषि प्रयोग के लिए किया जाता है। इस तरह आयातित यूरिया को विभिन्न बंदरगाहों पर नियुक्त की गई हैण्डलिंग एजेंसियों द्वारा हैण्डल और वितरित किया जाता है। यूरिया की लागत के अलावा सरकार बंदरगाहों पर हैण्डलिंग और राज्यों के विभिन्न स्थानों पर इसके संचलन के व्यय को भी वहन कर रही है। पूरे देश में किसानों को यूरिया सांविधिक नियंत्रित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया का निर्गम मूल्य (एम.आर.पी. में से वितरण

मार्जन घटाकर) हैण्डलिंग एजेंसियों से वसूला जाता है। सकल व्यय और यूरिया के निर्गम मूल्य के बीच के अंतर को सरकार द्वारा आयातित यूरिया पर राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है।

पी. एण्ड के. उर्वरकों (स्वदेशी और आयातित दोनों) पर राजसहायता का भुगतान पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एन.बी.एस.) योजना के अंतर्गत उत्पाद में निहित पोषक-तत्व के आधार पर एक निर्धारित दर पर इन उर्वरकों के आयातकों/उत्पादकों को किया जाता है। इन उर्वरकों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दी गई है और कंपनियां इन उर्वरकों का आयात अपने वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार करती हैं। इन उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य नियंत्रणमुक्त हैं और आयातकों/उत्पादकों द्वारा मौजूदा बाजार मूल्यों और रुपए डॉलर विनिमय दर को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

उर्वरक कंपनियों को राजसहायता

3483. श्री हरिभाऊ जावले:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य तौर पर देश में विशेषकर महाराष्ट्र में उर्वरक कंपनियों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) उर्वरक कंपनियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और राजसहायता व्यवस्था के युक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक कंपनियों को दी गई राजसहायता का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	स्वदेशी पी एण्ड के*	आयातित यूरिया	आयातित पी एण्ड के	आयातित यूरिया	योग
2008-09	32957.10	12971.38	32597.50	20968.74	99494.72
2009-10	16000.00	6999.63	23452.06	17580.25	64031.94
2010-11	20650.00	9255.95	20850.00	15080.73	65836.68

*पी एण्ड के का अभिप्राय फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक है।

महाराष्ट्र राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त/बेचे गए पी एण्ड के उर्वरकों की मात्रा पर दी गई राजसहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	स्वदेशी पी एण्ड के*	आयातित पी एण्ड के	योग
2008-09	4439.00	3730.42	8169.42
2009-10	2368.99	2059.19	4428.18
2010-11	3735.91	2815.73	6551.64

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन में सुधार हुआ है। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान सभी उर्वरकों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन)
2008-09	331.48
2009-10	368.22
2010-11	376.25

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने नियंत्रणमुक्त पी एण्ड के उर्वरकों के लिए पूर्व की रियायत योजना के स्थान पर 1-4-2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एन.बी.एस.) नीति लागू की है। 1-4-2010 से पहले पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. को सरकार द्वारा वास्तविक लागत से कम पर निर्धारित किया जाता था और वास्तविक लागत और एम.आर.पी. के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता के रूप मे की जाती थी। एन.बी.एस. नीति के अंतर्गत पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. को उत्पादकों/आयातकों द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए खुला रखा गया है और राजसहायता की राशि का निर्धारण पोषक-तत्वों नाइट्रोजन 'एन', फॉस्फेट 'पी', पोटाश 'के' और सल्फर 'एस' के संबंध में वार्षिक आधार पर किया जाता है। तदनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में पी एण्ड के उर्वरकों और इसकी कच्ची सामग्री के मूल्यों में किसी भी वृद्धि/कमी का पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप उर्वरक कंपनियों के बीच अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।

राजसहायता का वितरण लागत और नई मूल्य निर्धारण योजना के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत इकाइयों को कंपनियों द्वारा ऊर्जा दक्षता पर बचत को बनाए रखते हुए दक्ष उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बी.बी.यू.एन.एल. का पुनर्गठन

3484. श्री आर. धुवनारायण: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम भारत भारी उद्योग निगम लि. (बी.बी.यू.एन.एल.) की तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल स्थित इकाइयों के कार्यकरण में सुधार हेतु इसके पुनर्गठन को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बी.बी.यू.एन.एल.) का वित्तीय पुनर्गठन और इसकी सहायक कंपनियों अर्थात बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) और ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बी.सी.एल.) का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को तथा बी.एस.सी.एल. की सलेम स्थित रिफ्रेक्टरी यूनिट को इस्पात मंत्रालय के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (एस.ए.आई.एल.) को हस्तांतरित करने का अनुमोदन दे दिया है।

बी.एस.सी.एल. के संबंध में अभी तक उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

(i) भारत सरकार द्वारा बी.बी.यू.एन.एल. के जरिए दी गई 31.70 करोड़ रुपए के योजनागत ऋण, 350.82 करोड़ रुपए के योजनेतर ऋण तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-12-2009 की स्थिति के अनुसार दिए गए 75.03 करोड़ रुपए के शून्य दर डिबेंचर का इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके बाद संचित हानि में संगत कटौती से 457.55 करोड़ रुपए तक की इक्विटी की कटौती।

(ii) भारत सरकार द्वारा बी.बी.यू.एन.एल./बी.एस.सी.एल. के जरिए दिनांक 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार बी.एस.सी.एल. को दी गई 28.16 करोड़ रुपए के योजनागत ऋण और योजनेतर ऋण तथा 14.30 करोड़ रुपए के शून्य दर डिबेंचर का इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके बाद संचित हानि में संगत कटौती से 42.46 करोड़ रुपए तक की इक्विटी की कटौती।

(iii) दिनांक 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार वर्तमान सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए इक्विटी के रूप में 25.43 करोड़ रुपए की योजना निधि का प्रावधान।

(iv) दिनांक 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ऋण तथा बी.बी.यू.एन.एल. के जरिए ऋण पर 639.15 करोड़ रुपए के सामान्य तथा दंडात्मक ब्याज को माफ करना तथा इसके अलावा दिनांक 31-03-2009 की निर्धारित तिथि से अनुमोदन की तिथि तक कोई ब्याज नहीं लगाना।

खुर्दा रोड-बेगुनिया रेल लाइन

3485. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुर्दा रोड-बेगुनिया खंड पर नई रेल लाइन के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त रेल लाइन के कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) खोदरा रोड-बेगुनिया (32 किमी.) खोरदा रोड-बोलांगीर (289 किमी.) नई लाइन परियोजना का एक भाग है। इस खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा होने के करीब है, 58 छोटे पुलों में से 57 पुलों का, 3 बड़े पुलों में से 2 पुल का, 7 आर.ओ.बी.एस. (ऊपरी सड़क पुल) में से 4 का और 14 आर.यू.बी.एस. (निचले सड़क पुल) में से 12 का कार्य पूरा हो गया है। 7.785 किमी. लंबाई के लिए रेलपथ जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है। इस खंड को 2011-12 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चौकीदार वाले रेल समपार

3486. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को भिवानी जिले के अंतर्गत मोहिला-देवसर खंड और लोहारू सहित हरियाणा में चौकीदार वाले रेल समपारों के लिए कार्य शुरू करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अभी तक इस बारे में जारी और व्यय की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) (i) राज्य सरकार ने 4 लाइन बाइपास सड़क के 57.565 कि.मी. पर एक समपार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। यह सड़क रेवाड़ी-भटिंडा खंड पर चरखी दादरी के निकट राज्य राजमार्ग सं. 17 से जुड़ती है। संरक्षा की दृष्टि से समपार संबंधी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। राज्य सरकार को निक्षेप शर्तों पर ऊपरी सड़क पुल के संबंध में प्रस्ताव पेश करने के लिए सूचित कर दिया गया है।

(ii) लोहारू के निकट रेवाड़ी और सादुलपुर खंड के बीच 183/2-3 कि.मी. पर एक अप्राधिकृत प्रवेश का स्थल है। यहां ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करना व्यावहारिक पाया गया है। राज्य सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) योजना के जरिए निक्षेप शर्तों पर निचले पुल के संबंध में प्रस्ताव पेश करने के बारे में सूचित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना की स्वीकृति अभी नहीं मिली है।

विधिक पेशे की गुणवत्ता उन्नयन

3487. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विधिक पेशे में गुणवत्ता उन्नयन हेतु हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता के बारे में अवगत है;

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का आरंभिक वर्षों में कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वृत्तिका अथवा प्रेक्टिस भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि इस पेशे में सर्वश्रेष्ठ स्नातकों को आकर्षित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने, युवा वकीलों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए और उनको वृत्तिक प्रशिक्षण देने के लिए राजीव गांधी अधिवक्ता प्रशिक्षण स्कीम का शुभारंभ किया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद्, एक कानूनी निकाय, ने भी यह सूचित किया है कि उसने, विधिक शिक्षा के मानक की समस्या को कम करने के साथ-साथ भारत में विधि के व्यवसाय के न्यूनतम मानक को स्थापित करने तथा विधि के आधारिक ज्ञान से अभ्यर्थी को अवगत करा कर व्यवसाय की योग्यता का और एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने से पूर्व विश्लेषणात्मक योग्यता का निर्धारण करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा कराने के लिए नियम विरचित किए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। इस संबंध में, अंतिम विनिश्चय करने के लिए किसी समय-सीमा को उपदर्शित करना संभव नहीं है।

इंटरसिटी रेलगाड़ी का ठहराव

3488. श्री अमरनाथ प्रधान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ओडिशा के अंगुल जिले के जारपाड़ा और बामूर में संबलपुर-भुवनेश्वर इंटरसिटी रेलगाड़ी का ठहराव करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सम्बलपुर-भुवनेश्वर इंटरसिटी एक्सप्रेस नाम से कोई गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। बहरहाल, भुवनेश्वर के रास्ते 18303/18304 सम्बलपुर-पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। उक्त गाड़ी को जरपदा और बामूर स्टेशनों पर ठहराव देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 18303/18304 सम्बलपुर-पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस को जरपदा और बामूर स्टेशनों पर ठहराव देना वाणिज्यिक दृष्टि से फिलहाल औचित्यपूर्ण नहीं है।

विधि विश्वविद्यालय से प्लेसमेंट

3489. श्री सुरेश अंगड़ी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की संख्या का ब्यौरा क्या है और इन विश्वविद्यालयों में नौकरी उपलब्ध कराने की दर कितनी है;

(ख) इन विश्वविद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं;

(ग) उनमें मौजूद अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों पर राजसहायता

3490. चौधरी लाल सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत उर्वरक राजसहायता में चला जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश राजसहायता किसानों की बजाय अकुशल घरेलू उर्वरक उद्योग को सहायता देने में चली जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों द्वारा भुगतान किये जाने वाले उर्वरकों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के समीप हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद 7877947 करोड़

रुपए है। वर्ष 2010-11 के दौरान उर्वरक राजसहायता पर किया गया व्यय 65836.68 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2010-11 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद का 0.84% बैठता है।

(ग) और (घ) जी नहीं, संपूर्ण राजसहायता केवल किसानों को ही दी जाती है। तथापि, कुछ उर्वरक इकाइयों के लिए राजसहायता की दर अधिक है जिसमें उत्पादन की लागत फीडस्टॉक की उच्च लागत के कारण अधिक है, जिसका भुगतान आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए उच्च घरेलू उत्पादन के लिए किया जाता है।

(ङ) और (च) जी नहीं, किसानों द्वारा दिया जाने वाला मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का 40% (औसत) है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों का कल्याण

3491. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से भिवंडी सहित महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाये जाने वाले/चलाए जा रहे कार्यक्रमों को संस्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को संस्वीकृत किया गया है और कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक संस्वीकृत किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया गया।

नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार से वर्ष 2011-12 के दौरान 35 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से चयन समिति द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर एक प्रस्ताव को कोचिंग/प्रशिक्षण हेतु चुन लिया गया था तथा एक प्रस्ताव को चयन समिति द्वारा रोक लिया गया। शेष 33 संस्थानों का चयन न होने के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार से वर्ष 2011-12 के दौरान 33.59 करोड़ रु. का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा 23.44 करोड़ रु. स्वीकृत की गयी है।

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के तहत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से एक प्रस्ताव हैंड होल्डिंग तथा अन्य प्रभारों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने इस प्रयोजन से 7.13 लाख रु. निर्गत कर दिए हैं तथा इस योजना के तहत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) अपनी योजनाओं का वित्त पोषण राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। एन.एम.डी.एफ.सी. की ऋण नीति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में **एनुअल एक्शन प्लान** के प्रारूप में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। एनुअल एक्शन प्लान में सावधि ऋण और लघु ऋण योजनाओं के तहत राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की धनराशि संबंधी कुल अपेक्षाओं का उल्लेख होता है। एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा एनुअल एक्शन प्लान पर राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के परामर्शन में निर्णय लिया जाता है तथा **लेटर ऑफ इंटेंट** जारी किया जाता है। महाराष्ट्र के राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा 40 करोड़ रु. राशि का प्रस्ताव किया गया था तथा एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा पात्रता मानदंड के अनुसार 28.51 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र राज्य के 4 जिलों यथा - वाशिम, बुलढाना, हिंगोली और परभनी को अल्पसंख्यक बहुल जिलों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक जिले के लिए 15 करोड़ रु. अर्थात् कुल 60 करोड़ रु. की राशि महाराष्ट्र राज्य के इन 4 जिलों के आवंटित किए गए हैं। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 59.73 करोड़ रु. राशि की जिला योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। एम.एस.डी.पी. के तहत महाराष्ट्र राज्य का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण-I

33 संस्थानों में चयन न होने के कारण

क्र.सं.	संस्थान का नाम और पता	अनुशंसाएं	अभ्युक्तियां
1.	सी-डैक, कैम्पस ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे-411007	पात्र नहीं	छात्रों की केवल एक वर्ष की सूची दी गयी।
2.	गुंजन बहुद्देश्यीय संस्था, तहसील तुम्सर, जिला - भंडार	पात्र नहीं	केवल दो कक्षा-कक्ष। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
3.	विदर्भ इंस्टीच्यूट ऑफ रूरल यूथ डेवलपमेंट पोस्ट-नेरी, तहसील-चिमूर, जिला-चन्द्रपुर	पात्र नहीं	तीन वर्षों का अनुभव और छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
4.	श्रीसंत शिरोमणि महामठ स्वामी शिक्षण प्रसारक, शिवडी (बा), तल्लुक-लोहा, जिला-नादेड़	पात्र नहीं	छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
5.	ई सी आई एल, 1207, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, सिद्धिविनायक टेम्पल के पीछे, दादर (पं.), मुम्बई	पात्र नहीं	सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के संबंध में 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से कम की सफलता दर।
6.	सेन्ट्रल इंडिया सार्वजनिक वाचनालय, कोचिंग सेंटर, सर्वे नं. 78, मौजा-गोधनी, तहसील व जिला-नागपुर	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों की सूची नहीं दी गयी।
7.	दर्जी बहुउद्देश्यीय संस्था, जी-22, द्वितीय तल, गोलानी मार्केट, जलगांव	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। परिसर का क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से कम। तीन वर्षों का अनुभव नहीं दिया गया। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
8.	रीसोनैंस अकादमी, समता कालोनी, कथोरा रोड, वी.एम.वी.-पोस्ट, अमरावती	पात्र नहीं	राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित नहीं।
9.	आदर्श सेवा भावी संस्था, आर के अकादमी, शनिवार बाजार, परभनी, जिला-परभनी	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। परिसर का क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से कम।
10.	ग्लोबल इनफोसिस लर्निंग, प्रथम तल, साहु सुतरोड, कामगार संघ बिल्डिंग, साहुमिल चौक के पीछे	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं।
11.	महाराष्ट्र कस्मोपोलिटन एजूकेशन सोसायटी, 2390-बी, के.बी. हिदायतुल्ला रोड, आजम कैम्पस, कैमप, पुणे	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं।

क्र.सं.	संस्थान का नाम और पता	अनुशंसाएं	अभ्युक्तियां
12.	ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट, 7, लक्ष्मीनरायण अपार्टमेंट, विद्या फैक्ट्री एरिया, शिवाजी नगर, नांदेड	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। परिसर का क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से कम। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
13.	द रहबर एजूकेशन कल्चरल एंड वेलफेयर सोयायटी, प्लाट नं. 9, रोज पार्क कालोनी, दमड़ी महल, मंजू हिल रोड, औरंगाबाद	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
14.	कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नॉलोजीस लि., सोहुम ट्रेनिंग अकादमी, सी-विंग, मोदी हाउस, लोटस बिजनेस पार्क के पीछे, अंधेरी वेस्ट	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं।
15.	कोर प्राजेक्ट्स एंड टेक्नॉलोजीस लि., 9, सोराबजी अपार्टमेंट, इरला लेन, विले पार्ले, मुम्बई	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं।
16.	कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नॉलोजीस लि., 201, लक्ष्मी पैलेस, सोनी-मोनी, इलेक्ट्रनिक्स के ऊपर, एस.वी.रोड, बोरीवली, मुम्बई	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं।
17.	कोर प्रोजेक्ट्स एंड टैक्नॉलोजीस लि., मैसर्स जेनेसिस अकादमी, 6, वधानी एस्टेट, प्रथम तल, दामोदर पार्क के पीछे, श्रेयस सिनेमा के निकट, एल.एस.बी. मार्ग, घाटकोपर वेस्ट, मुम्बई	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं।
18.	श्री साई समरथ बहु उद्देशीय सेवा भावी संस्था, किल्लेधरूर, ताल्लुक-किल्ले धरूर, जिला-बीड़ (एम.एस.)	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
19.	आइडियल कलासेस प्रा. लि., चौथी मंजिल, उमा स्मृति फिल्मिस्तान स्टूडियो के समीप, एम.वी. रोड मोरेगांव (प.)	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
20.	शालवा महिला बाल कल्याण मंडल देवरी, वार्ड नं. 2, पंचशील चौक, जिला-गोंडिया	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं।
21.	मसीद बहु उद्देशीय सेवा भावी संस्थान ओल्ड मार्केट यार्ड, औरंगपुरा, निलंगा ताल्लुक निलंगा, जिला-लातूर	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। तीन वर्षों की सफलता दर का उल्लेख नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं।

क्र.सं.	संस्थान का नाम और पता	अनुशंसाएं	अभ्युक्तियां
22.	डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर बहु उद्देश्यीय सेवा भावी संस्था, उडमिर, ताल्लुक-उडगिर, जिला-लातूर	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। सफलता दर निर्धारित दर से कम। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
23.	चन्ना वस्वेस्वर फारमेसी पालिटेक्नीक, कावा रोड, बस्वेस्वर चौक, लातूर	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। तीन वर्षों के सफलता दर का उल्लेख नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अलपसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
24.	गुलशन बहु उद्देश्यीय सेवाभावी संस्थान, ओल्ड मार्केट यार्ड, औरंगपुरा, नीलंगा, ताल्लुक नीलंगा, जिला-लातूर	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। तीन वर्षों के सफलता दर का उल्लेख नहीं।
25.	वसंत ग्राम विकास शिक्षण संस्था, हिंगनघाट, जिला-वर्धा, ब्लॉक नं. 1, शिवाजी मार्केट याड, ए.पी.एम.सी. हिंगघाट, जिला-वर्धा	पात्र नहीं	छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
26.	कोमल शिक्षण प्रसारक मंडल, 2-सरस्वती अपार्टमेंट, शिवाजी नगर, बर्सी रोड, बीड़ (एम.एस.)	पात्र नहीं	छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
27.	लोक हित सेवाभावी संस्था, मेनरोड, मजालगांव, जिला-बीड़	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। तीन वर्षों का अनुभव नहीं दिया गया। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
28.	जनकल्याण ग्रामीण विकास संस्था, मेनरोड, मजालगांव, जिला-बीड़ (महाराष्ट्र)	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। तीन वर्षों के सफलता दर का उल्लेख नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
29.	राजर्षि साहू महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल आजाद चौक, सिडको, औरंगाबाद	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
30.	कस्मोपोलिटन एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वीन्स रूटडी सेंटर, शिवाजी पार्क के पीछे, नानल पेठ, परभनी	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं।

क्र.सं.	संस्थान का नाम और पता	अनुशंसाएं	अभ्युक्तियां
31.	हबीब एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, हबीब एजूकेशनल कॉम्पलेक्स, एम.एस. मोहानी रोड, कौसा, मुम्बई	पात्र नहीं	निर्धारित प्रारूप (भाग-IV) में राज्य सरकार की अनुशंसा संलग्न नहीं। छात्रों की सूची पूरी नहीं।
32.	जनकल्याण विकास मंडल, पोस्ट खर्ब खंड गांव, ताल्लुक-मुखेड, जिला-नादेड	पात्र नहीं	छात्रों की सूची पूरी नहीं। अल्पसंख्यक छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया।
33.	गवर्नमेंट इंस्टीच्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नालोजी, सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट कैम्पस, डॉ. डी.एन. रोड, सी.एस.टी. स्टेशन के पीछे, मुम्बई	पात्र नहीं	रोजगार के संदर्भ में सफलता दर नहीं दी गयी।

विवरण-II

जिला योजनाएं जिन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है

(लाख रु.)

क्र.सं.	जिले और परियोजना का नाम	अनंतिम आवंटन	स्वीकृत केन्द्रीय हिस्सेदारी
1	2	3	4
	महाराष्ट्र	(i)	(ii)
	परभनी	1500.00	
	प्रशासनिक स्वीकृति		
1.	इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण		577.50
2.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण		600.00
3.	आंगनवाड़ी केंन्द्रों का निर्माण		45.00
4.	परभनी और गंगाखेड़ा में 100 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास का निर्माण		267.48
	उप-योग	**1500.00**	**1489.98**
	वाशिम	**1500.00**	
1.	इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण		525.00
2.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण		396.00
3.	इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण		26.25

1	2	3	4
4.	बालिका छात्रावास का निर्माण		332
5.	इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण		216
	उप-योग	**1500.00**	**1495.25**
	बुलढाना	**1500.00**	
1.	इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण		787.50
2.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण		711.00
	उप-योग	**1500.00**	**1498.50**
	हिंगोली	**1500.00**	
1.	इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण		749.96
2.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण		36.00
3.	हिंगोली और वसमत में 100 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास का निर्माण		319.1
4.	इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण		294.64
5.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण		90
	उप-योग	**1500.00**	**1489.70**
	योग महाराष्ट्र	6000.00	5973.43

लखनऊ-कानपुर रेल लाइन पर रेल ऊपरिपुल

3492. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का मोहन रोड पर हरोनी स्टेशन के निकट लखनऊ-कानपुर रेल मार्ग पर रेल ऊपरिपुल (आर.ओ.बी.) का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हरौनी स्टेशन के निकट स्थित तीनों समपारों (कि.मी. 20/9-11 पर सं. 12 कि.मी. 22/27-29 पर सं. 13 और कि.मी. 25/33-35 पर सं. 15) पर गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) एक लाख से कम है। अत: ये समपार लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल की स्वीकृति के लिए अर्हक नहीं है।

गुजरात में रेल नेटवर्क

3493. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का गुजरात के साबरकांठा जिले में

रेल नेवटर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे को जानकारी है कि उक्त जिले में कोई भी 'रेक प्वाइंट' सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो मोदासा स्टेशन पर उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गुजरात के साबरकांठा जिले में पूर्णतः/अंशतः आने वाली मोडासा-शामलाजी रोड (22.53 कि.मी.) नई लाइन का निर्माण अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में 110.91 करोड़ रु. की लागत पर शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। मोडासा में रेक सम्हलाई सुविधा की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि यहां आवक यातायात बहुत ही कम है और जावक यातायात की कोई संभावना नहीं है।

सिंचाई सुविधा

3494. श्री रामसिंह कस्वां: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में सिंचाई विभाग द्वारा केन्द्रीय जल आयोग, बाढ़ प्रबंधन बोर्ड, केन्द्रीय भूजल बोर्ड को प्रस्तुत की गई योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी योजनाओं को अनुमोदित किया गया है;

(ग) सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक संस्वीकृत किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के सिंचाई विभाग से केंद्रीय जल आयोग में 7 सिंचाई परियोजनाएं और 1 बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (वर्ष 2009 के दौरान 2 परियोजनाएं, 2010 के दौरान 2 परियोजनाएं और 2011 के दौरान 4 परियोजनाएं) प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय भू जल बोर्ड में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 4 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं।

(ग) 3 सिंचाई परियोजनाएं केंद्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन हैं और एक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की जांच की गई थी तथा टिप्पणियां राजस्थान के सिंचाई विभाग को भेजी गई थीं।

(घ) परियोजनाओं की स्वीकृति, परियोजना प्राधिकरणों द्वारा केंद्रीय जल आयोग एवं अन्य केंद्रीय अभिकरणों के प्रेक्षणों के संकलन में लगने वाले समय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, आदि से सांविधिक स्वीकृति को प्रस्तुत करने में लगने वाले समय पर निर्भर करती हैं।

[अनुवाद]

ऊर्जा क्षेत्र में भेल का विस्तार

3495. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लि. (भेल) लागत प्रतिस्पर्द्धा तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयत्नरत है और इसके मार्च, 2012 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत उपस्करों का निर्माण करने वाली कंपनी बनने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भेल द्वारा चालू वर्ष सहित पिछले एक वर्ष के दौरान क्या अन्य पहल की जा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बी.एच.ई.एल.) लागत प्रतिस्पर्द्धा और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयासरत है तथा उसने मार्च, 2010 तक 20,000 मेगावाट

विद्युत उपस्कर विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने की योजना बनाई है।

(ख) ग्लोबल सोर्सिंग, स्वदेशीकरण और विविध एकीकृत प्रचालनों, लागत, खरीद और सप्लाई चेन प्रबंधन आदि जैसे सुधारकारक उपायों के माध्यम से इनपुट के लिए सस्ते विकल्प का पता लगाकर बी.एच.ई.एल. लागत प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। कंपनी की सभी प्रमुख इकाइयों के लिए आई.एस.ओ. (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन) प्रमाणन प्राप्त करने के अलावा बी.एच.ई.एल. ने कारोबार में उत्कृष्टता के लिए यूरोपीयन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (ई.एफ.क्यू.एम.) मॉडल अपनाया है। बॉयलर, टरबाइन, जेनरेटर तथा इलेक्ट्रॉनिक क्यूबिकलों जैसे प्रमुख विद्युत उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षमता विस्तार का कार्य लगभग 1593 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत पूंजीगत व्यय से कंपनी की वर्तमान प्रमुख इकाइयों में ब्राउन फील्ड विस्तार प्रणाली में किया जा रहा है।

(ग) बी.एच.ई.एल. द्वारा किए उपायों में वेंडर आधार विस्तार, उन्नत विनिर्माण गतिविधियां, परिष्कृत आउटसोर्सिंग और अवे सेंटर फ्रेब्रिकेशन, अतिरिक्त उपकरणों और संयंत्रों का डिप्लायमेंट तथा रिवर्स ऑक्शन शामिल हैं। कंपनी ने अपेक्षित जनशक्ति की भर्ती कर ली है। विस्तार के लिए निधियां आंतरिक संसाधनों से प्राप्त कर ली गई है। बी.एच.ई.एल. ने निरंतर क्षमता वृद्धि की योजना बनाई है जैसे वर्ष 2007 में क्षमता 6,000 मेगावाट से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट और वर्ष 2010 में 15,000 मेगावाट।

(घ) पिछले वर्ष के साथ-साथ वर्तमान वर्ष में बी.एच.ई.एल. द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- वर्ष 2010-11 के दौरान 1,655 करोड़ रुपए का पूंजीगत तथा 982 करोड़ रुपए का आर एंड डी व्यय।
- वर्ष 2010-11 के दौरान 303 पेटेंट और कॉपीराईट दर्ज की गई।
- नए 700 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल सेट शुरू किए गए।
- पॉवर प्लांट, उद्योग और नगर निगम के लिए जल शोधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जी.ई. इंडिया इंडस्ट्रियल प्रा. लि. (जी.ई.आई. आई.पी.एल.) के साथ, भारत में कंसंट्रटेड सोलर पावर (सी.एस.पी.) परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एबेनगोआ, स्पेन के साथ और बड़े आकार के सेंट्रीफयूगल कंप्रेशरों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी मंगाने हेतु न्यूवों पिगनोन (जी.ई. ऑयल एवं गैस का एक भाग), इटली के साथ स्ट्रेटजिक भागीदारी।
- रेलवे तथा उद्योग के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनों के विनिर्माण हेतु केरल इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग कंपनी लि. (के.ई.एल.) की कसारगोड इकाई की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर केरल सरकार के साथ से बी.एच.ई.एल. की सहायक कंपनी, बी.एच.ई.एल. इलेक्ट्रिकल मशीन लि. का गठन, जिसे 19-10-2011 को निगमित किया गया।

[हिन्दी]

भूकंप की तीव्रता

3496. श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूकंपों की तीव्रता को मापने के लिए एक इलेक्ट्रानिक प्रणाली स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रणाली ज्वारीय तरंगों के माध्यम से भूकंप का पता लगाने में सक्षम होगी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रणाली को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) भारत मौसम-विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) देश में चौबीसों घण्टे भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए राष्ट्रीय भूकंपमापी नेटवर्क का प्रचालन तथा रखरखाव करता है। भूकंपीय रिकार्डों का प्रयोग कर भूकंप के परिमाण

तथा स्रोत संबंधी अन्य पैरामीटरों का अनुमान लगाया जाता है।

(ग) जी नहीं। यह प्रणाली भूकंपीय तरंगों का प्रयोग करके भूकंपों का पता लगाने का प्रयत्न करती है।

(घ) यह प्रणाली पहले से ही कार्यरत है।

[अनुवाद]

पी.एस.यू. में रोजगार के अवसर

3497. डॉ. कुपारानी किल्ली: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में कितनी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) दिनांक 24-2-2011 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण (2009-10) के अनुसार पिछले 03 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में रोजगार का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:-

तालिका: केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में रोजगार

(संख्या में)

वर्ष	कर्मचारी
2007-08	1565629
2008-09	1533531
2009-10	1490699

उक्त तालिका में स्थायी कर्मचारी दर्शाए गए हैं (ठेके के कर्मचारियों को छोड़कर)। पिछले 03 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में स्थायी कर्मचारियों में गिरावट का कारण अधिवर्षिता आयु पर सेवा निवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम है।

(ग) 31-3-2010 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 10 केन्द्रीय सरकारी उद्यम प्रचालित थे। इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम 24-2-2011 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 2009-10 (खण्ड-I, पृष्ठ संख्या वि-163) में दिये गये हैं।

[हिन्दी]

गैस एजेंसियों द्वारा अनियमितताएं

3498. श्री कमलेश पासवान:

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में एल.पी.जी. सिलेंडरों की कालाबाजारी और कम वजन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) के अधिकारी संबंधित दोषी व्यक्तियों का पक्ष ले रहे हैं और उन्होंने ऐसे भ्रष्ट आचरण में संलिप्त गैस एजेंसियों को पुन: खोलने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो ओ.एम.सी. के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच अथवा की गई दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) की एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैसर्स बरहाज गैस सर्विस के विरुद्ध कम वजन वाले सिलेण्डरों की आपूर्ति करने, अधिक वसूली करने, अनधिकृत तरीके से नए कनेक्शन जारी करने और रिफिल सिलेण्डरों की बारी से पहले सुपुर्दगी करने जैसी विभिन्न अनियमितताओं के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी (डी.एस.ओ.), देवरिया से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। दिनांक 05-07-2011 को डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध बरहाज

पुलिस थाने में एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई थी और उसी दिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप का गोदाम सील कर दिया गया था। इसके अलावा, दिनांक 06-07-2011 को अधिकारियों के एक दल द्वारा जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक (एल.पी.जी-बिक्री), आई.ओ.सी., गोरखपुर. नागरिक आपूर्ति विभाग और माप व तोल विभाग शामिल थे, उपस्कर संबंधी संयुक्त वस्तुसूची की जांच की गई थी, जिसमें स्टाक रजिस्टर की तुलना में सिलेण्डरों में कोई विसंगति नहीं पाई गई थी।

दिनांक 08-07-2011 को जिला आपूर्ति अधिकारी (डी.एस.ओ.), देवरिया से प्राप्त पत्र के आधार पर दिनांक 09-07-2011 से उक्त डिस्ट्रीब्यूटर की आपूर्तियां बंद कर दी गई हैं और की गई अनियमितताओं के बारे में दिनांक 09-07-2011 को डिस्ट्रीब्यूटर से स्पष्टीकरण मांगा गया था। डिस्ट्रीब्यूटर ने दिनांक 18-07-2011 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया था।

जिला मजिस्ट्रेट (डी.एम.), देवरिया ने आई.ओ.सी. को सलाह दी कि रिफिल प्राप्त करने में जनता की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर की आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। इसी दौरान डिस्ट्रीब्यूटरशिप के मालिक ने बिक्री और आपूर्ति के निलंबन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं, 41617/ 2011 दाखिल कर दी। दिनांक 23-08-2011 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताहों की अवधि के अंदर जांच पूरी करने के लिए डी.एस.ओ. को निर्देश देते हुए रिट याचिका का निपटान किया। तदुपरांत, डी.एस.ओ. ने दिनांक 07-09-2011 को यह उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित किया कि उनके पास कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और आई.ओ.सी. को उचित कार्रवाई करने के लिए सलाह दी।

तदनुसार, उक्त डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ-साथ डी.एस.ओ., देवरिया के आदेश की आई.ओ.सी. द्वारा जांच की गई और दिनांक 24-10-2011 को निलंबन वापस ले लिया गया था।

जब जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण का पूरा ब्यौरा/ संबंधित दस्तावेज आई.ओ.सी. को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो मामले में दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना

3499. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने देश में अल्पसंख्यक संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अब तक राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी निधियां व्यय की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में तैयार की गई भावी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) राज्य वक्फ बोर्डों की विभिन्न कार्यप्रणालियों/प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, रिकॉर्ड कीपिंग कार्य को कारगर बनाने तथा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) ने अपनी नौवीं रिपोर्ट में राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा की थी। समिति ने यह अनुशंसा भी की थी कि राज्य सरकारों द्वारा राज्य वक्फ बोर्डों को उपलब्ध करायी जा रही सहायता अपर्याप्त एवं असमान होने के कारण उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सरकार की स्वीकृति से राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण की योजना दिसम्बर, 2009 में शुरू की जा रही है। इस योजना के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, 26 राज्य वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद को 12.02 करोड़ रु. की राशि संवितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजना के लिए वर्ष 2010-11 के बजट में 7 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गयी थी। इस योजना के लिए योजना आयोग से सिद्धान्ततः स्वीकृति मांगी गयी थी, किन्तु बाद में यह पाया गया कि 11वीं योजना अवधि के बिल्कुल अंत में इसे शुरू किया जाना व्यवहार्य नहीं था।

इसलिए इस नई योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने की योजना की शुरुआत वर्ष 2007-09 में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों कार्य निष्पादन और उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दृष्टि से की गयी थी। इसके अतिरिक्त, एन.एम.डी.एफ.सी. को अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत पूंजी अंशदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। एन.एम.डी.एफ.सी. की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 1500 करोड़ रु. कर दिया गया है। एन.एम.डी.एफ.सी. को और सुदृढ़ करने तथा इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार लाने संबंधी उपाय सुझाने हेतु एक परामर्शदाता फर्म की नियुक्ति एन.एम.डी.एफ.सी. के पुनर्गठन संबंधी अध्ययन के लिए की गयी थी। परामर्शदाता ने हाल ही में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर दी हैं।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि वर्ष 2006-07 में 200 करोड़ रु. थी, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाकर 700 करोड़ रु. कर दिया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टूर पैकेज

3500. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आर.सी.टी.सी. ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने टूर पैकेजों के नियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आई.आर.सी.टी.सी./रेलवे को ऐसे पैकेजों से वर्ष-वार कुल कितनी आय हुई; और

(घ) आई.आर.सी.टी.सी./रेलवे की आय पर नियमों में ऐसे परिवर्तनों के क्या प्रभाव पड़े हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत 4 वर्षों के दौरान टूअर पैकेज से भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को होने वाली आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आमदनी (करोड़ रु.)
2008-09	10.00
2009-10	11.53
2010-11	14.63
2011-12 (अक्तूबर, 2011 तक)	8.14

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बुंदेलखण्ड में भूजल में कमी

3501. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुंदेलखण्ड को दिये गये विशेष पैकेज में भू-जल स्तर को बढ़ाने की योजना को भी शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत किसी भी अनन्य/विशिष्ट स्कीम को शामिल नहीं किया गया है। तथापि, पैकेज के तहत जल क्षेत्र में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार, नयी एवं चालू लघु सिंचाई स्कीमों, चेक बांधों तथा बंधियों की मरम्मत इत्यादि जैसे कार्यों को करने और वाटरशेड कार्यक्रमों से क्षेत्र में भूजल स्तर के पुनर्भरण और उसे ऊपर उठाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंदौर में नया स्टेशन

3502. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदौर में नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) रतलाम-इंदौर खंड पर लक्ष्मीबाई नगर और पालिया स्टेशनों के बीच बरद्री गांव में हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और जिसे वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

बहरहाल, एम.आर.-10 पर लक्ष्मीबाई नगर और मंगालिया गांव स्टेशनों के बीच नए स्टेशन विकसित करने के लिए तकनीकी/परिचालनिक दृष्टि से एक अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है।

कर्मचारी कल्याण संघ

3503. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के अंतर्गत चल रही कल्याण समितियों/संघों का नाम सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ को अन्य संघों और मजदूर संघों के समान सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क)

रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही ट्रेड यूनियनों की सूची	रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही एसोसिएशनों/फेडरेशनों की सूची
(1) महासचिव, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, 4 स्टेट इंट्री रोड, नई दिल्ली-110055	(1) महासचिव, सेण्ट्रल एक्सक्यूटिव कमेटी, ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी. रेलवे इम्पलाइज एसोसिएशन, 171-बी/3, बसंत लेन, रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली-110055
(2) महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-110055	(2) महासचिव, सेण्ट्रल एक्सक्यूटिव कमेटी, ऑल इंडिया ओ.बी.सी./रेलवे इम्पलाइज फेडरेशन,, 171-ए/3, बसंत लेन, रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली-110055
	(3) महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
	(4) महासचिव, ऑल इंडिया, आर.पी.एफ. एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
	(5) सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

(ख) और (ग) ऑल इंडिया एस.सी/एस.टी. रेलवे इम्पलाइज एशोसिएशन को एक कल्याणकारी एशोसिएशन होने के कारण ओ.बी.सी. एशोसिएशन जैसी अन्य कल्याणकारी एशोसिएशनों को यथा उपलब्ध सुविधाएं दी जाती हैं। ऑल इंडिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति रेलवे इम्पलाइज एशोसिएशन जैसी कल्याणकारी एशोसिएशनें मान्यता प्राप्त यूनियनों और एशोसिएशनों के साथ तुलनीय नहीं हैं। उनकी गतिविधियां और लक्ष्य अन्य ट्रेड यूनियनों से भिन्न हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में रेल नेटवर्क

3504. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का भोपालगढ़, अशाय, शाखावास आदि को शामिल करते हुए राजस्थान राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त विस्तार के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) रेलवे द्वारा उक्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माल और पार्सल सेवा

3505. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रुपसा-बारिपदा-बांगरी पोसी स्टेशनों के अंतर्गत माल और पार्सल सेवा पुन: शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मांग के वर्तमान स्तर के संदर्भ में, जो कम है, रुपसा-बरीपदा-बांगरीपोसी खंड पर स्थित स्टेशन पार्सल यातायात के लिए नहीं खोले गए हैं। बहरहाल, रुपसा स्टेशन आवक और जावक माल यातायात दोनों की बुकिंग के लिए खुला है।

जैसलमेर खण्ड में रेल उपरिपुल

3506. श्री हरीश चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायका बाग पैलेस-जैसलमेर खण्ड के बीच 0/5-6 कि.मी. की दूरी पर समपार सं. सी-2 पर रेल उपरिपुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) रेलवे द्वारा उक्त कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राय का बाग पैलेस-जैसलमेर खंड के बीच कि.मी. 0/5-6 पर समपार सं. सी-2 पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य रेलवे के निर्माण कार्यक्रम 2011-12 में स्वीकृत किया गया है। कार्य योजना और अनुमान स्तर पर है। ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए समूचा कार्य रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन को सौंपा गया है।

तालचेर उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार

3507. श्री तथागत सत्पथी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तालचेर उर्वरक संयंत्र की अनुमति दिए जाने के बाद इसके पुनरुद्धार हेतु अब तक क्या प्रगति हासिल की गई है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में निधियां जुटाने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त संयंत्र के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

श्रीकांत जेना): (क) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) और एफ.सी.आई.एल. की तलचर इकाई सहित फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) की बंद इकाइयों को पुनरुद्धार का प्रस्ताव आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस शर्त के साथ 4 अगस्त, 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की कार्यवाहियों में शीघ्रता लाई जाए और तत्पश्चात् बोली मानदण्डों में अपेक्षित परिवर्तन, आदि कोई हो, सहित मामले को अंतिम निर्णय के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बी.आई.एफ.आर. ने 18 अगस्त, 2011 और 15 नवंबर, 2011 को आयोजित अपनी सुनवाई में मामले पर विचार किया था और एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.आई.एल. के लिए भारतीय स्टेट बैंक को प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.) के रूप में नियुक्त किया था। बी.आई.एफ.आर. के निर्देश के अनुसार एस.बी.आई. ने पुनर्गठन योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने की कार्रवाई प्रारंभ की है ताकि उसे बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत किया जा सके।

(ख) और (ग) पी.एस.यू. के परिसंघ नामत: गेल (इंडिया) लिमिटेड, कोल इंडिया लमिटेड (सी.आई.एल.) तथा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सी.एफ.) को एफ.सी.आई.एल. की तलचर इकाई का पुनरुद्धार करने का कार्य सौंपा गया है। परियोजना का इन पी.एस.यू. द्वारा वित्त-पोषण किया जाएगा।

(घ) पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के शुरू होने से नए संयंत्र के चालू होने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली और अलीगढ़ के बीच ई.एम.यू. ट्रेन शुरू करना

3508. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जनता के प्रतिनिधियों से दिल्ली और अलीगढ़ के बीच नई ई.एम.यू. ट्रेन चलाने तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु उनके लिए आरक्षित डिब्बों में आर.पी.एफ. की सुविधा प्रदान करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दिल्ली और अलीगढ़ के बीच ई.एम.यू. गाड़ी चलाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन भी शामिल हैं। बहरहाल, महिलाओं के लिए आरक्षित सवारी डिब्बों में रे.सु.ब. की सुविधा मुहैया कराने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों के कारण दिल्ली और अलीगढ़ के बीच ई.एम.यू. गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली-सहारनपुर लाइन का दोहरीकरण

3509. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का दिल्ली-शाहदरा-शामली-सहारनपुर लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस लाइन पर दोहरीकरण का कार्य कब तक शुरू/पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दिल्ली-शाहदरा-शामली एकहरी लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। परियोजना पर आगे का निर्णय सर्वेक्षण कार्य पूरा होने और मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद ही लिया जाएगा। शामली आगे टपरी के रास्ते सहारनपुर से जुड़ी हुई है जिस पर टपरी-सहारनपुर एक दोहरी लाइन खंड है। मध्यवर्ती शामली-टपरी इकहरी लाइन खंड का दोहरीकरण फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। चूंकि परियोजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व-विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

3510. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि "अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश और असम राज्य हेतु चयनित और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना जनवरी, 2010 में शुरू हुई थी। तथापि, दिनांक 5 मार्च, 2010 को जारी रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन की कार्रवाई को कुछ अनिश्चितता के मद्देनजर रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार इस योजना के तहत किसी भी परियोजना को न ही सूचीबद्ध किया गया है और न ही स्वीकृति प्रदान की गयी है।

हीराकुण्ड बांध के विस्थापितों हेतु पुनर्वास के प्रयास

3511. श्री सुखदेव सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में हीराकुंड बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी विस्थापित गांव को 'राजस्व गांव' के रूप में घोषित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार हीराकुंड बांध का निर्माण पूरा हो गया है। ओडिशा सरकार द्वारा पुनर्स्थापना हेतु किए गए प्रयासों संबंधी सूचना और उसका ब्यौरा ओडिशा राज्य सरकार से एकत्र किया जा रहा है।

अलाभप्रद मार्ग

3512. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अलाभप्रद रेल मार्गों को बंद करने के लिए राज्य सरकारों से पूछा है या पूछने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे सुधार समिति, 1983 ने 57 अलाभप्रद शाखा लाइनों को बंद करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, इन लाइनों को या तो बंद करने के लिए अथवा 50:50 के आधार पर हानि में भागीदारी करने के लिए इस मामले को 10 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ मार्च, 1985 में उठाया गया था।

(ख) राज्य सरकारें न तो इन लाइनों को बंद करने के लिए और न ही यथा प्रस्तावित हानि में भागीदारी के लिए सहमत हुई।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं चलाना

3513. श्री विष्णु देव साय: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को वर्तमान समय में कार्यान्वयनाधीन शैक्षिक संस्थाएं खोलने और चलाने के लिए कानून बनाकर प्रदान की गई विभिन्न विशिष्ट सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संस्थाओं में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और इनमें कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या इन संस्थाओं को पाठ्यक्रमों को तय करने और परीक्षाओं के आयोजन के लिए विशेष अधिकार अथवा रियायतें प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक

कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन संबंधी उनके अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 30(1) में है। संसद द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून अथवा राज्यों का विधान इसी सांविधानिक गारंटी पर आधारित है।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि "प्रशासन" के अधिकार का आशय "कुप्रशासन" से नहीं है। संसद के पास उच्चतर शिक्षा हेतु मानकों के निर्धारण तथा उनके समन्वयन संबंधी कानून बनाने का अधिकार है तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न विनियामक निकाय गुणवता के न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं, जिनका अनुपालन अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों द्वारा किया जाना होता है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को भी यह अधिकार है कि वे अपनी पंसद के विश्वविद्यालय से संबद्धता की मांग करें। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 का अधिनियमन किया गया है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग स्थापित किया गया था ताकि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा की जा सके तथा किसी शैक्षिक संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का निर्धारण किया जा सके।

[अनुवाद]

कोंकण रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण

3514. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोंकण रेल परियोजना के लिए अधिग्रहीत कुल भूमि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अधिग्रहण के कारण कितने किसान/परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) प्रभावित लोगों को दी गई क्षतिपूर्ति/रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कोंकण रेलवे परियोजना के लिए अधिगृहित की गई भूमि का कुल क्षेत्र 6215 हैक्टेयर था जिसमें से 5008.06 हैक्टेयर निजी भूमि थी। इस अधिग्रहण के कारण कुल 33818 भूमि धारक प्रभावित हुए थे।

(ख) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को प्रदान की गई कुल मुआवजा 103.18 करोड़ रु. थी और अब तक 2037 भूमि गवाने वालों अथवा उनके बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार समय-समय पर विभिन्न भर्तियों के माध्यम से भर्ती किया गया है।

(ग) कोंकण रेलवे ने अपनी भर्तियों में और कोंकण रेलवे स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठेके देने में प्रभावित परिवारों को वरीयता देने की नीति अपनाई है बशर्ते कि वे रिक्तियां और योग्यता मानदंड को पूरा करते हों, कोंकण रेलवे ने भूमि गवाने वालों की कोटि से संबंधित उम्मीदवारों की भर्ती में, अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी है।

[हिन्दी]

अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव

3515. श्रीमती राजकुमारी चौहान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ट्रेन सं. 12303, 12033, 12034, 14006 और 12306 के अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव के लिए किए गए अनुरोध की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन ट्रेनों के अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव दिए जाने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अलीगढ़ में रेल क्रासिंग के निकट उपरिपुल के निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क)

से (ग) 14005/14006 सीतामढ़ी-आनंद विहार लिच्छिवी एक्सप्रेस, 12033/12034 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और 12305/12306 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव देने संबंधी अनुरोधों की जांच करवाई गई है। 14005/14006 सीतामढ़ी-आनंद विहार लिच्छिवी एक्सप्रेस को अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव देने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। 12303/12304 हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस पहले ही अलीगढ़ स्टेशन पर ठहरती है। बहरहाल, अन्य गाड़ियों को अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव देना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

(घ) से (च) 1327/33-35 कि.मी. पर समपार सं. 111-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का कार्य वर्ष 2010-11 में स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, जेल बाउंड्री और विश्वविद्यालय कैम्पस का क्षेत्र होने के कारण यहां ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

अहमदनगर स्टेशन पर सुविधाएं

3516. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इसकी जानकारी है कि अहमदनगर स्टेशन पर प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल, केंटीन सुविधाएं आदि उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या रेलवे दोनों प्लेटफार्मों पर शेडों के विस्तार और इस स्टेशन पर सभी ट्रेनों के ठहराव की मांग से भी अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन मांगों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अहमदनगर स्टेशन पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार, प्रतीक्षालय, शौचालय, पीने का पानी सहित सभी अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। खानपान सेवाओं के संबंध में, अहमदनगर रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रालियों के साथ 1 (एक) टी कॉफी शाकाहारी भोजन स्टाल, 4 ट्रालियों के साथ 1 (एक) टी कॉफी मिठाई और फल स्टाल तथा 2 (दो) मिल्क स्टाल उपलब्ध हैं जो यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(ग) और (घ) स्टेशनों पर सुविधाओं को बढ़ाना/सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। अहमदनगर स्टेशन पर 11037/11038 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) आदि को ठहराव देने के लिए मांग प्राप्त हुई है। इसकी जांच की गई थी परंतु फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

पेट्रोल पंपों की संख्या में वृद्धि

3517. श्री समीर भुजबल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों में 6.5 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् देश में पेट्रोल पंपों की कुल संख्या में केवल 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खुदरा तेल बाजार में निजी तेल शोधकों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा राज्यवार कितनी संख्या में पेट्रोल पंप खोले गए हैं;

(घ) क्या राजसहायता के साथ निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए तेल खुदरा बाजार को उदार बनाने हेतु कोई योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एच.पी.सी.) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बी.पी.सी.) के संबंध में पेट्रोल पंपों (आर.ओज) की संख्या में प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:

	आरओज की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 2009-10	आरओज की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 2010-11	आरओज की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 2011-12 (1-10-11)
आई.ओ.सी.	2.8	4.4	2.4
एच.पी.सी.	6.54	11.73	4.13
बी.पी.सी.	3.65	6.8	3.78

ओ.एम.सीज द्वारा नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना सर्वेक्षणों और व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर पहचाने गए स्थलों पर की जाती है। पर्याप्त संभाव्यता रखने वाले और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए जाने वाले स्थलों को खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य-वार विपणन योजनाओं में सूचीबद्ध किया जाता है।

(ग) खुदरा तेल बाजार में मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर.आई.एल.), मैसर्स एस्सार ऑयल लि. और मैसर्स शेल तीन निजी शोधनकर्ता हैं। उनके द्वारा खोले गए आरओज की संख्या विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

दिनांक 01-11-2011 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र की विपणन कंपनियों द्वारा स्थापित राज्य-वार आर.ओ. नेटवर्क

राज्य	आर.आई.एल.	एस्सार	शैल
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	123	78	5
अरुणाचल प्रदेश	0	16	0
असम	24	26	4
बिहार	25	42	0
चण्डीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ़	18	3	0
दादरा और नगर हवेली	2	3	0
दमन और दीव	2	1	0
दिल्ली	0	0	0
गोवा	0	0	0
गुजरात	223	215	19

राज्य	आर.आई.एल.	एस्सार	शैल
हरियाणा	46	59	0
हिमाचल प्रदेश	7	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0
झारखण्ड	35	26	0
कर्नाटक	79	65	23
केरल	43	38	0
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	93	113	0
महाराष्ट्र	155	162	9
मणिपुर	0	4	0
मेघालय	7	5	0
मिजोरम	0	1	0
नागालैण्ड	1	11	0
ओडिशा	42	36	0
पुडुचेरी	1	2	0
पंजाब	78	45	0
राजस्थान	107	106	0
सिक्किम	0	1	0
तमिलनाडु	96	80	18
त्रिपुरा	1	3	0
उत्तर प्रदेश	134	224	0
उत्तराखण्ड	11	11	0
पश्चिम बंगाल	47	25	0
समग्र योग	1400	1401	78

उर्वरकों का आयात

3518. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक कंपनियां सोच समझकर किए गए दीर्घकालिक ठेकों के आधार पर उर्वरकों को प्राप्त करने में असमर्थ हो रही हैं तथा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अत्यधिक कीमत पर आयात करने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय उर्वरक कंपनियों को बेहतर दीर्घावधि ठेका दरें प्राप्त करने के लिए कोई सहायता दे रही है ताकि उर्वरकों का अधिक ऊंची हाजिर दर पर आयात न किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दीर्घकाल में ऐसे आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई नीतिगत उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) अन्य देशों में प्रतिस्पर्धी मांग और कार्टेलाइजेशन के कारण खरीफ मौसम में पी एण्ड के क्षेत्र में दीर्घावधि अनुबंध सुनिश्चित करने में कठिनाइयां हुई थीं। तथापि, प्रमुख उत्पादकों और विपणन कंपनियों के बीच कार्टेलाइजेशन के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उर्वरक आदानों के मूल्य में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार नीति के अनुसार यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों का आयात खुली सामान्य सूची (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत किया जाता है और उर्वरक कंपनियां इन उर्वरकों के आयात के बारे में निर्णय अपने वाणिज्यिक हितों और देश में उर्वरकों की मांग के अनुसार करती हैं। तथापि, उर्वरक विभाग भारतीय कंपनियों को देश में उर्वरकों और उर्वरक आदानों के आयात के लिए बेहतर दीर्घावधि अनुबंध सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कूटनीतिक और अन्य सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) उर्वरक विभाग की यह नीति रही है कि विदेश मंत्रालय, व्यय विभाग और भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श/सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों और भारत की निजी उर्वरक कंपनियों को प्रचुर संसाधन संपन्न देशों में उर्वरक खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और विदेशों में संयुक्त उर्वरक उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने तथा ऐसे कुछ देशों से उर्वरकों/उर्वरक आदानों की आपूर्ति के लिए अधिमान्य मूल्यों पर दीर्घावधि करार करने के लिए प्रोत्साहित करने के सभी प्रयास करता है।

रेल सेवा आरंभ करना

3519. श्री अरविन्द कुमार शर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे इस बात से अवगत है कि दिल्ली-करनाल रेलमार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पूर्वाह्न 8.15 बजे से अपराह्न 1 बजे तक दिल्ली से कुरूक्षेत्र के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है जिसके कारण इस मार्ग पर यात्रियों की अत्यधिक भीड़ होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे का पूर्वाह्न 8.15 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक की बीच की अवधि के दौरान कोई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने का है;

(ङ) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस समय, दिल्ली-करनाल खंड पर प्रतिदिन औसतन लगभग 37000 यात्री (आरक्षित और अनारक्षित दोनों) यात्रा करते हैं और दिल्ली और करनाल के बीच 20 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस और 4 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां उपलब्ध हैं।

(ग) दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक 8.15 बजे और 13.00 बजे के बीच कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं है। बहरहाल, इस समय इस अवधि के दौरान दिल्ली से प्रस्थान करने वाली 3 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध हैं जिन्हें कुरुक्षेत्र में ठहराव दिया गया है।

(घ) से (च) जी नहीं। 8.15 बजे से 1.00 बजे तक

की मध्यवर्ती अवधि के दौरान परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण यात्री गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

रामेश्वरम-धनुषकोडी लाइन पुन: बिछाना

3520. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रामेश्वरम-धनुषकोड़ी रेलवे लाइन पुन: बिछाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) रामेश्वरम-धनुषकोडी नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

3521. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में समावेशी विकास और समग्र सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चिन्हित किया है कि विपणन ग्रामीण शिल्पकारों के उत्थान में एक बड़ी बाधा है तथा सरकार ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह किस हद तक स्थिति को सुधारने में मददगार रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रसासनों के जरिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम यथा-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) और समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार, ग्रामीण संपर्क, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण विकास करना और जीवन स्तर में समग्र सुधार लाना है। एस.जी.एस.वाई. को एन.आर.एल.एम. के रूप में पुनर्गठन किया गया है ताकि इसे स्वसहायता समूहों में गरीबों, उनके परिसंघ तथा आजीविका एवं संगठन बनाकर लक्षित एवं समयबद्ध परिणाम हासिल करने के लिए चरणबद्ध ढंग से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) से (ङ) विपणन को ग्रामीण कारीगरों के उत्थान में प्रमुख संकेन्द्रित क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। ग्रामीण कारीगरों सहित एस.जी.एस.वाई./एन.आर.एल.एम. के स्वरोजगारियों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरस मेला आयोजित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय सरस मेला आयोजित करने के लिए निधियां रिलीज करता है। महानगरों और अन्य शहरों में सरस मेला आयोजित करने के लिए क्रमश: 25 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मेला/प्रदर्शनी आयोजित करने और मेलों और प्रदर्शनियों में स्वरोजगारी की भागीदारी के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

दिवालिया/परिसमापन प्रक्रिया

3522. श्री रवनीत सिंह: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कंपनियों की परिसमापन प्रक्रिया में लंबा समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना दिवालिया संबंधी कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने तथा रुग्ण प्रतिष्ठानों को अपने कार्यों

को शीघ्र बंद करने में मदद करने के लिए एक पृथक कानून बनाने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में करवाए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में किसी कंपनी के परिसमापन में लगने वाला औसत समय लगभग सात वर्ष है।

(ग) से (ङ) दिवालिया संबंधी कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के लिए पृथक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रस्तावित कंपनी विधेयक, 2011, जिसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करना है, एक समयबद्ध तरीके से कंपनियों के पुनर्वास, परिसमापन तथा बंद करने हेतु अधिक प्रभावी विनियमन प्रदान करता है।

[हिन्दी]

लोकोमोटिव पायलट के रिक्त पद

3523. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार लोको पायलटों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेलवे का विचार इन पदों को भरने हेतु भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त खाली पदों को भरने हेतु रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 01-04-2011 को लोको पायलट के 7832 (अनंतिम) पद रिक्त थे।

(ख) से (घ) रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। सहायक लोको पायलट (ए.एल.पी.) के पद सहित लगभग 1,90,000 पदों को भरने के लिए अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। 7697 सहायक लोको पायलट का एक पैनल भी क्षेत्रीय रेलों को मुहैया करा दिया गया है।

रेलवे सुरक्षा कोष

3524. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे सुरक्षा कोष की शुरुआत कितनी कायिक निधि के साथ की गई थी;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कोष के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/आबंटित कुल निधियां और उसके अन्तर्गत उपयोग की गई राशि कितनी है;

(ग) क्या जिस उद्देश्य से उक्त कोष का सृजन किया गया था, वह पूरी तरह हासिल हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेल संरक्षा निधि 2001-02 में 532.31 करोड़ रु. की धनराशि से स्थापित की गई थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित रकम निधि से विनियोजित और निकाली गई थी।

(करोड़ रु.)

	शुरू के समय शेष	विनियोग	निकासी	अंतिम शेष
1	2	3	4	5
2008-09	2105	777	565	2316

1	2	3	4	5
2009-10	2316	1071	805	2582
2010-11	2582	935	1100	2417
2011-12 (बी.ई.)	2417	1043	2000	1460

(ग) जी हां।

(घ) रेल संरक्षा निधि की स्थापना से रेल और सड़क उपयोगकर्त्ताओं को बेहतर संरक्षा मुहैया करवाते हुए 379 ऊपरी सड़क पुल/नीचले पुल और 3,164 चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात करने संबंधी कार्य निपटाया गया।

सीतापुर-ऊंचाहार रेल लाइन का विद्युतीकरण

3525. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश में सीतापुर-बालामऊ-उन्नाव-ऊंचाहार रेल खंड पर विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल, सीतापुर-बालामऊ-उन्नाव-ऊंचाहार रेल लाइन को विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि रेल पथों का विद्युतीकरण वित्तीय व्यावहार्यता, यातायात घनत्व और परिचालनिक औचित्य के आधार पर निर्धारत किया जाता है।

[अनुवाद]

स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3526. श्री के.पी. धनपालन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चलकुडी, अलुवा, अंकामली रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन स्टेशनों पर आधुनिकीकरण का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) अब तक इस संबंध में आवंटित/उपयोग की गई धनराशियों का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) अलुआ और अंगामाली स्टेशनों पर आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत शुरू किए गए आधुनिकीकरण कार्य पूरे हो गए हैं। चलकुडी स्टेशन पर कार्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है।

(ख) कार्यों को समय से पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके विभिन्न चरणों पर कार्य की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।

(ग) आबंटित/व्यय किए गए धन का स्टेशन-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इन कार्यों को योजना शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। 2011-12 के लिए दक्षिण रेलवे को आबंटन, जहां ये रेलवे स्टेशन आते हैं, 54.85 करोड़ रु. है और व्यय 44.59 करोड़ रु. (अक्तूबर-2011 तक) है।

कॉयर उत्पादों का निर्यात

3527. श्री पी.के. बिजू: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए कॉयर और कॉयर उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कॉयर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) विगत प्रत्येक तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात किए गए कॅयर एवं कॅयर उत्पादों का ब्यौरा निम्नोक्त है:-

वर्ष	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु.
2008-09	199925	639.07
2009-10	294508	804.05
2010-11	321016	807.07
2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	194491	436.46

(ख) और (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्यातों में तेजी लाने के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहनों में विभिन्न निर्यात संवर्धनात्मक कार्यकलापों जैसे कि मेलों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकें, व्यापार प्रतिनिधिमंडल, रिलीज बोर्ड के लिए कैटालॉग निर्मित करने आदि के लिए वित्तीय सहायता शामिल हैं। कॅयर उद्योग के विकास के लिए योजनाओं में 'कौशल उन्नयन, गुणवत्ता सुधार और महिला कॅयर योजना', 'उत्पादन संबंधी आधारभूत संरचना का विकास', 'पुनर्जीवन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन' (रिमोट) शामिल हैं।

एम.एस.एम.ई. हेतु राष्ट्रीय अवार्ड

3528. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में कार्यरत उत्कृष्ट उद्यमियों को राष्ट्रीय अवार्ड देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु विहित चयन के मानदंड तथा प्रक्रिया क्या हैं; और

(घ) चालू वर्ष के लिए चयनित अवार्ड पाने वालों की राज्यवार संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की राष्ट्रीय अवार्ड योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के क्षेत्र में कार्यरत उत्कृष्ट उद्यमियों को उद्यमशीलता, अनुसंधान और विकास तथा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों और खादी व ग्रामोद्योग तथा कॅयर उद्योग में उत्कृष्टता के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय अवार्ड दिए जाते हैं।

(ग) चयन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट मानकों के आधार पर किया जाता है जिसमें कार्यनिष्पादन और विकास, विनिर्माण पद्धतियां, ऊर्जा संरक्षण, निर्यात, कच्चे माल का परीक्षण/निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण मानक, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, आई.एस.ओ. आदि शामिल हैं। एम.एस.एम.ई. से आवेदन विज्ञापन के जरिए मंगाए जाते हैं और उद्यमों का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है। अवार्ड प्राप्तकर्ताओं का चयन इस प्रयोजन के लिए स्थापित और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा अनुमोदित समिति द्वारा किया जाता है।

(घ) चालू वर्ष के लिए चुने गए अवार्ड प्राप्त करने वालों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चालू वर्ष में अवार्ड प्राप्तकर्ताओं की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योग
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	7
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	3

1	2	3
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	16
8.	हरियाणा	9
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	3
11.	झारखंड	5
12.	कर्नाटक	10
13.	केरल	19
14.	मध्य प्रदेश	6
15.	महाराष्ट्र	12
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	5
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	1
20.	ओडिशा	3
21.	पंजाब	12
22.	राजस्थान	14
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	5
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तराखंड	7
27.	उत्तर प्रदेश	6
28.	पश्चिम बंगाल	9
	संघ शासित क्षेत्र	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	दिल्ली	8
32.	दादरा और नगर हवेली	0
33.	दमन और दीव	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुडुचेरी	0
	योग	199

ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर

3529. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी/इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चेन्नई में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की अनुमानित लागत तथा उसके प्रस्तावित प्रकार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त केन्द्र की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) में लगभग 618.83 करोड़ रुपए के कुल निवेश से चेन्नई के ओर्गेडम में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर में फुल फ्लैज्ड परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करना परिकल्पित है। इसमें दो और तीन पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक के ऑटोमोबाइल के होमोलोगेशन और निष्पादन परीक्षण की पूर्ण सुविधा होगी। यह केन्द्र पैसिव सेफ्टी, इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी और इंफोट्रोनिक्स के लिए उत्कृष्टता केन्द्र भी होगा।

(ग) यह केन्द्र दिसम्बर, 2012 तक पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

कोसी नदी पर बांधों का रख-रखाव

3530. श्री जगदानंद सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच समझौते के अंतर्गत कोसी बैराज का निर्माण कोसी नदी के जल के उपयोग हेतु किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोसी बैराज और 'बहिर्वाह बांध' का निर्माण नेपाल की सीमा के भीतर हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी, हां। 25 अप्रैल, 1954 को नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के बाद कोसी नदी के जल के उपयोग कोसी बैराज का निर्माण, कोसी नदी पर 1963 में किया गया था। समझौते में तत्पश्चात 19 दिसम्बर 1966 को संशोधन किया गया था। परियोजना में हनुमान नगर (नेपाल) में कोसी नदी पर निर्मित बैराज शामिल है जहां से नेपाल और भारत में बिहार राज्य को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर नामक दो नहर प्रणालियां प्रारंभ होती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कोसी बैराज और बैराज के दोनों बहिर्वाह-बांध (पूर्वी बहिर्वाह बंध) और (पश्चिमी बहिर्वाह-बंध) नेपाल क्षेत्र में स्थित हैं। पूर्वी बहिर्वाह बांध 32.0 कि.मी. लम्बा और पश्चिमी बहिर्वाह-बंध 12.0 कि.मी. लम्बा है।

[अनुवाद]

खाप पंचायत

3531. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने 'प्रीवेन्शन ऑफ इन्टरफेरेंस विद् मेट्रीमोनियल अलायंस बिल' का प्रारूप तैयार किया है ताकि खाप पंचायतों को 'सगोत्र' (समान-गोत्र), अंतरजातीय, अंतर समुदाय और अंतर-धार्मिक विवाहों के विरुद्ध डराने-धमकाने, दबाव डालने और अत्यंत निर्ममतापूर्ण कार्रवाई करने को गैर-कानूनी घोषित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रारूप विधेयक के संबंध में विभिन्न 'स्टेकहोल्डरों' से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विधेयक को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) जी हां। भारत विधि आयोग ने सूचित किया है कि उसने विधि विरुद्ध जमाव प्रतिषेध (वैवाहिक गठबंधन की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप) विधेयक, 2011 नामक प्रस्तावित विधेयक के साथ एक सुझाए गए विधायी ढांचे "सम्मान के नाम पर विवाहों में जाति पंचायतों आदि का विधि विरुद्ध हस्तक्षेप" पर एक प्रारूप परामर्श पत्र तैयार किया है।

उक्त परामर्शी पत्र, विचारों तथा सुझावों को प्राप्त करने के लिए लोक क्षेत्र में रखे जाने की प्रक्रिया में है। सरकार, विषय पर विधि आयोग की रिपोर्ट और प्रस्तावित विधेयक पर, उसके सौंपे जाने पर विचार करेगी।

एच.ई.सी. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया

3532. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एच.ई.सी.) के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी वेतन संशोधन के 1997 से 2008 तक अपने बकाया हेतु आंदोलनरत रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कर्मचारियों को उनका सही बकाया का भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एच.ई.सी. में 1997 के वेतन मान 18-9-2008 से भावी प्रभाव से लागू कर दिया गया। एच.ई.सी. के सेवानिवृत्त

कर्मचारी अपने संघों के माध्यम से 1-1-1997 से वेतन संशोधन लागू करने और इस पर एरियर का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।

(ख) एच.ई.सी. लंबे समय से एक रुग्ण कंपनी है और बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 6-7-2004 के अपने आदेश में एस.आई.सी.ए. अधिनियम, 1985 की धारा 20(1) के तहत इसे बंद करने की सिफारिश की थी। बी.आई.एफ.आर. के आदेश को झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तथा बाद में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की गई। बी.आर.पी.एस.ई. द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के अनुरूप भारत सरकार ने कंपनी को 102 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं और 1101 करोड़ रुपए के कंपनी के कुल बकाया ऋण को माफ कर दिया है।

1997 के वेतन संशोधन कंपनी द्वारा भावी प्रभाव से लागू किए गए थे क्योंकि कंपनी 1-1-1997 से वेतन संशोधन लागू करने के मानदण्ड पूरे नहीं करती थी।

कंपनी अभी भी 903.20 करोड़ रुपए की संचयी हानि में है और इसका नेटवर्थ ऋणात्मक है तथा यह 1-1-1997 से वेतन संशोधन लागू करने के वित्तीय भार को उठाने की स्थिति में नहीं है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए, एच.ई.सी. के कर्मचारियों को 1997 के वेतन संशोधन के फलस्वरूप एरियर के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिलों में पी.एम.जी.एस.वाई. का कार्यान्वयन

3533. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) प्रभावित जिलों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़कों को बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सड़कों के निर्माण में विलंब के क्या कारण बताए गए हैं;

(घ) एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिलों में कितने ठेकेदार नक्सलियों द्वारा मारे गए हैं;

(ङ) क्या मौजूदा परिस्थितियों के कारण ठेकेदारों की कमी है;

(च) यदि हां, तो इन जिलों में काम करने हेतु ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान करती है/करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) 'ग्रामीण सड़कें' राज्य का विषय है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/समेकित कार्य योजना वाले जिलों सहित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों में समेकित कार्य योजना वाले 60 जिलों में संस्वीकृत सड़कों और सितम्बर, 2011 तक बनाई गई सड़कों की लंबाई इस प्रकार है:

राज्य का नाम	संस्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी. में)	सितम्बर, 2011 तक बनाई गई सड़कों की लंबाई (किमी.) में
आन्ध्र प्रदेश	2270	2069
बिहार	5666	2521
छत्तीसगढ़	14965	9689
झारखण्ड	9310	3664
मध्य प्रदेश	11181	9784
महाराष्ट्र	1925	1270
ओडिशा	16906	11005
उत्तर प्रदेश	724	648
पश्चिम बंगाल	1249	869

(घ) राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/समेकित कार्य योजना वाले जिलों में महाराष्ट्र में 3 ठेकेदारों और ओडिशा में दो ठेकेदारों की हत्या कर दी गई है।

(ङ) से (ज) कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। तथापि, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/समेकित कार्ययोजना वाले 60 जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारगर कार्यान्वयन और ठेकेदारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों में दी गई कुछ प्रमुख छूटें इस प्रकार हैं:

1. अन्य क्षेत्रों में 500 की आबादी की तुलना में समेकित कार्ययोजना वाले जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सभी बस्तियां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगी, चाहे वे बस्तियां अनुसूची-V के क्षेत्रों में हों या नहीं।

2. समेकित कार्ययोजना वाले जिलों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 75 मीटर तक की लंबाई वाले पुलों की लागत भारत सरकार वहन करेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह सीमा 50 मीटर है।

3. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/समेकित कार्ययोजना वाले जिलों के मामले में न्यूनतम निविदा पैकेज राशि को घटाकर 50 लाख रु. कर दिया गया है।

4. कार्य पूरा करने के लिए 24 महीने तक की समय सीमा की अनुमति दी जाएगी। तथापि, लागत में वृद्धि के कारण किसी भी प्रकार की अतिरिक्त देयता का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कार्यक्रम संबंधी निधि से नहीं किया जाएगा।

5. प्राक्कलन और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय संयंत्रों और मशीनरी आदि की क्षति या उन्हें जला दिए जाने जैसे जोखिमों के लिए ठेकेदारों की बीमा प्रीमियम की लागत को भी शामिल किया जा सकता है।

औषधि की आपूर्ति

3534. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहु-राष्ट्रीय औषधि फर्मों ने भारतीय 'जेनेरिक' उत्पादों को एड्स कैंसर और 'कार्डियो वासक्यूलर' समस्याओं जैसी गंभीर बीमारियों का उपचार करने हेतु औषधि आपूर्ति को बंद करने की चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) वर्ष 2009 के दौरान सरकार के ध्यान में यह बात लायी गई थी कि भारतीय जेनेरिक औषधि निर्माताओं को विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय औषधि निर्यातकर्ताओं को पेश आने वाली सबसे अधिक समस्या यह है कि उनके माल को भेषजीय उत्पादों के संबंध में ई.यू. विनियम संख्या 1383/2003 के अनुपालन में विभिन्न ई.यू. ट्रांजिट बंदरगाहों पर अभिगृहीत कर लिया जाता है।

औषध विभाग की सलाह पर वाणिज्य विभाग ने इस मसले को सुलझाने के लिए इसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/सरकारी मंचों पर उठाया था। औषध विभाग ने वाणिज्य विभाग को यह भी सुझाव दिया था कि वह उन भारतीय औषधि निर्यातकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार करे जो लातिन अमरीका को औषधि निर्यात करने के इच्छुक है ताकि अपेक्षाकृत लंबे वैकल्पिक निर्यात रास्ते के जरिए निर्यात के समय भाड़े से संबंधित हानियों को वहन किया जा सके।

हैंड पम्पों को लगाना

3535. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों के माध्यम से हैंड पम्पों को लगाए जाने की योजना कार्यान्वित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल राज्य का विषय है। भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उनके प्रयासों में मदद करती है। योजनाओं को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (प्रसार) घटक के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर के लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच 90:10 के आधार पर) पर सहायता दी जाती है। राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के पैरा संख्या 15.3 और 15.4 के अनुसार संसद सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली बस्तियों में हैंड पंप लगाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों को जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना करते समय प्राथमिकता दी जाएगी। संसद सदस्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों को राज्य की वार्षिक परियोजनाओं में शासित करने के लिए राज्य जलापूर्ति विभाग को भेजा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यथा संभव राज्य के नोडल विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को संसद सदस्यों को उनके प्रस्ताव शामिल न किए जाने की सूचना देनी चाहिए और प्रस्ताव शामिल न किए जाने के मामले में कारण स्पष्ट करने चाहिए। मौजूदा प्रावधान उपयुक्त प्रतीत होता है।

स्वच्छता के परिष्कृत स्रोत

3536. श्री प्रेमदास राय: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत स्वच्छता का परिष्कृत और अपरिष्कृत स्रोत के रूप में वर्गीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घर में शौचालयों की संख्या को बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान टी.एस.सी. के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी विकल्पों वाले सैनिटरी शौचालयों के निर्माण को ही बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बकैट शौचालयों के निर्माण की अनुमति नहीं है। मौजूदा बकैट शौचालयों को भी, यदि कोई हो, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय घटक के अंतर्गत सैनिटरी शौचालय में बदला जाना आवश्यक है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) नामक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को दूर करना और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग जनित आधार पर चलाया जाने वाला ऐसा परियोजना आधारित कार्यक्रम है, जिसमें जिले को एक इकाई माना जाता है। फिलहाल संपूर्ण स्वच्छता अभियान देश के 607 ग्रामीण जिलों में चलाया जा रहा है। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण और उपयोग के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में शामिल है। स्वच्छता सुविधाओं की मांग बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। वैयक्तिक संचार और घर-घर जाकर संपर्क करने को इस कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का सबसे जरूरी साधन माना गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 21.9% आबादी को स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त थीं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कारगर कार्यान्वयन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का प्रसार बढ़कर नवम्बर, 2011 तक लगभग 74% हो गया है।

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम को मांग जनित

आधार पर चलाया जाता है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण का वर्ष वार ब्यौरा

(शौचालयों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (नवम्बर 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	292697	606277	1049704	332938
2.	अरुणाचल प्रदेश	3399	16682	19799	18625
3.	असम	206256	489334	498849	244862
4.	बिहार	756465	640359	717792	391331
5.	छत्तीसगढ़	305456	460320	236164	38500
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	18753	0	800	0
8.	गुजरात	984200	607078	515224	183101
9.	हरियाणा	367097	191242	132137	71953
10.	हिमाचल प्रदेश	313872	239576	216571	29392
11.	जम्मू और कश्मीर	39415	55390	125228	25603
12.	झारखंड	362573	335592	299678	33812
13.	कर्नाटक	409816	1087674	810104	271123
14.	केरल	81865	68302	20241	0
15.	मध्य प्रदेश	1105250	1354632	1166016	526107
16.	महाराष्ट्र	854563	934879	562183	234087
17.	मणिपुर	4590	15941	49576	14915
18.	मेघालय	30004	47256	65417	28668
19.	मिजोरम	8973	7639	1611	4809

1	2	3	4	5	6
20.	नागालैंड	5543	25993	18224	40527
21.	ओडिशा	323802	539077	853303	241738
22.	पुडुचेरी	227	208	77	0
23.	पंजाब	262194	158060	118415	0
24.	राजस्थान	889762	665660	750948	301187
25.	सिक्किम	3712	0	0	0
26.	तमिलनाडु	421967	533108	473647	178331
27.	त्रिपुरा	62971	27346	30392	20171
28.	उत्तर प्रदेश	2415154	2669547	2915407	1006846
29.	उत्तराखंड	98884	115071	132913	72947
30.	पश्चिम बंगाल	636422	515535	466311	386123

[हिन्दी]

नियंत्रण मुक्त औषधियों की उत्पादन लागत

3537. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रित औषधियों की उत्पादन लागत की तुलना में नियंत्रण मुक्त औषधियों की उत्पादन लागत कई गुणा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने कैंसर और एड्स की जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को कम करने हेतु कोई नीति बनायी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भेषज कंपनियों ने उक्त निर्णय के विरुद्ध औषधि उत्पादन को बंद करने की चेतावनी दी है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर आने वाली औषधियों तथा मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली औषधियों की उत्पादन लागत के अंतर से संबंधित कोई ऐसा ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राणिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं अर्थात् गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एन.पी.पी.ए. से अनुमोदन लिये बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। तथापि, मूल्य मॉनीटरिंग के अंग के रूप में एन.पी.पी.ए. गैर-अनुसूचित औषधियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। जहां कहीं 10% वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में संबंधित फार्मूलेशन के मूल्य का निर्धारण करने के लिए डी.पी.सी.ओ., 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एन.पी.पी.ए. ने पैरा 10(ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्यों का निर्धारण किया है और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वेच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गैर अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य एन.पी.पी.ए. के हस्तक्षेप के परिणामतः घटे हैं।

(घ) औषध विभाग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित तात्विकता और आवश्यकता के मानदण्डों के आधार पर प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एन.पी.पी.पी.-2011) तैयार की है। इस प्रारूप नीति में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एन.एल.ई.एम.), 2011 को तथा तत्संबंधी दवाइयों को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने की बात कही गई है।

(ङ) जी, नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(च) और (छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अधिक मूल्यों पर दवाइयों की बिक्री

3538. श्री अरुण यादवः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत रखे गए अनेक आवश्यक दवाइयों के राष्ट्रीय भेषज मूल्यन प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचे जाने के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक उपाए किए गए हैं; और

(ग) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत आवश्यक औषधि एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर बाजार में न बेचे जाएं यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) कई औषधि कंपनियों के बारे में यह पाया गया है कि वे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर दवाइयां उपभोक्ताओं को बेच रही हैं। ऐसे मामलों में राज्य औषधि नियंत्रकों (एस.डी.सी.) से प्राप्त सूचना, अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों, कंपनियों द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूचियों की जांच करने के आधार पर तथा स्वतः अनुसूचित पैकों के नमूने खरीद कर अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा कार्यवाही की जाती है। जहां कहीं किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर दवाइयां/फार्मूलेशन बेच रही है वहां राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के पैरा 13 के अधीन उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2008-09 से तीन वर्षों के दौरान अधिप्रभार के मामलों का पता लगाए जाने के आधार पर राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने 287 मामलों में मांग नोटिस जारी किए हैं जिनमें डी.पी.सी.ओ., 1995 के अधीन निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों पर बेची जा रही दवाइयों के संबंध में 758.34 करोड़ रुपए की अधिप्रभार तथा उस पर ब्याज की रकम शामिल है और इसमें से 112.32 करोड़ रुपए की रकम वसूल हो चुकी है।

(ग) अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिन फार्मूलेशनों के संबंध में कंपनियों के बारे में यह पाया गया हो कि वे निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य ले रही हैं तो उनके मामले में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) दवाइयों के संगत बैचों के नियंत्रण नमूने और ऐसी कंपनियों की

मूल्य सूचियां मंगवाता है। इस बात का सुनिश्चत करने के लिए कि कंपनियां एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित मूल्यों का पालन करती हैं, राज्य औषधि नियंत्रकों को संबंधित जानकारी देकर यह कहा जाता है कि वे अधिसूचित मूल्य का अनुसरण न किए जाने से संबंधित मामलों का ब्यौरा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) को भेजें। इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि कंपनियां अधिसूचित अधिकतम मूल्यों का पालन कर रही है, बाजार की लगातार निगरानी करने के अंग के रूप में राष्ट्रीय औषद मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) विभिन्न अनुसूचित फार्मूलेशनों के नमूने भी खरीदता है।

[हिन्दी]

पेटेंट की गयी दवाइयों का विकास

3539. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेटेंट की गयी दवाइयों का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप जेनेरिक दवाइयों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण भारतीय भेषज विनिर्माण कंपनियों को हानि हो रही है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार जेनेरिक दवाइयों के मूल्य को नियंत्रित करने हेतु कोई अन्य कदम उठा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबद्ध पहलू पर करार के अनुच्छेद 33 के अनुसार उपलब्ध संरक्षण की अवधि आवेदन दायर करने की तिथि से बीस वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले समाप्त नहीं होगी।

(ग) से (छ) जेनेरिक औषधि निर्माता पेटेंट की अवधि समाप्त होने पर पेटेंटशुदा दवाइयों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मौजूदा नीति के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.)/सरकार द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के प्रावधानों के अनुसार 74 बल्क औषधियों तथा इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन किया जाता है। इन अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करते समय बल्क औषधि के मूल्य को भी हिसाब में लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति एन.पी.पी.ए./सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन (दवाई) को उपभोक्ता के पास नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माता स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. (अब आई.एम.एस. स्वास्थ्य के नाम से ज्ञात) की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

इंटरनेशनल आरबीट्रेशन हब

3540. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत को इंटरनेशनल आरबीट्रेशन हब बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के केंद्र के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और भारत का विकास करने के लिए सरकार ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित संशोधनों में, अन्य बातों के साथ, उच्च न्यायालयों में अपीलों तथा अधिनिर्णयों के आक्षेपों के लिए और निष्पादन करने, आवेदनों के फाइल किए जाने, मध्यकों द्वारा प्रत्येक बैठक के आधार पर जब तक कि पक्षकारों द्वारा सहमति न हों, फीस नहीं लिए जाने, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों को, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित माध्यस्थम् संस्थानों को निर्देशित किए जाने, प्रस्तावित मध्यकों द्वारा विवाद की विषय-वस्तु के संबंध में किन्हीं अन्य पक्षकारों या परामर्शी के साथ किसी जानकारी तथा परिस्थिति के प्रकट किए जाने, माध्यस्थम् अधिनिर्णय, आदि पर आक्षेप करने वाले पक्षकार द्वारा न्यायालय अधिनिर्णीत रकम का पचास प्रतिशत जमा किए जाने के लिए उपबंध करते हैं।

खेल के मैदान बनाना

3541. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित 60 जिलों के प्रत्येक गांव में एक-एक खेल का मैदान बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त खेल के मैदान संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा बनाए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) 2005 को प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मांग करने पर अकुशल शारीरिक कार्य के लिए एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। मजदूरी रोजगार के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यकलापों का मुख्य फोकस अधिनियम की अनुसूची-I में निर्धारित किया गया है। समेकित कार्य योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित जिलों में खेल मैदानों के निर्माण को दिनांक 21-10-2011 की अधिसूचना के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी नरेगा की धारा 16 (1) में प्रावधान है कि ग्राम सभा तथा वार्ड सभा की सिफारिश के अनुसार, इस योजना के अतंर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के निर्धारण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगी। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 13 (1) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत योजनाओं की आयोजना एवं उनके कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पंचायतें, मध्यवर्ती एवं ग्राम स्तरीय पंचायतें मुख्य प्राधिकरण होंगी।

नदी जल बंटवारा

3542. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे देश भारत के साथ नदी जल बंटवारे पर आपत्ति उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) इस कार्यालय में भारत के साथ नदी जल बंटवारे के संबंध में किसी देश से आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एस.के. दास समिति

3543. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉ. एस.के. दास की अध्यक्षता में "मानव संसाधनों" पर गठित समिति ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) डॉ. एस.के. दास समिति के कार्यकारी दल की रिपोर्ट के सारांश की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) डॉ. एस.के. दास समिति की रिपोर्ट अनुशंसात्मक स्वरूप की है जिसके विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया गया और अलग से विचार किया गया तथा उन पर उपयुक्त कार्रवाई की गई।

विवरण

कार्यकारी दल की रिपोर्ट का सारांश

नवसृजित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय महासागर तथा वायुमण्डल से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान करने के अतिरिक्त पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की एकीकृत मत प्राप्त करने तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैसी परिघटना को समझने के लिए अन्तर-विधात्मक संबंधों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन हैं: भारत मौसम-विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.), भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.) तथा महासागर विकास विभाग (डी.ओ.डी.) के पहले संस्थान (एन.आई.ओ.टी., एन.सी.ए.ओ.आर., आई.एन.सी.ओ.आई.एस., सी.एम.एल.आर.ई. तथा आई.सी.एम.ए.एम.)।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष आयोग की तर्ज पर पृथ्वी आयोग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पथ प्रदर्शन करेगा। यह सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों से युक्त उच्चाधिकार प्राप्त निकाय है।

चूंकि मंत्रालय के अधीन आने वाली विभिन्न यूनिटों में बिल्कुल भिन्न प्रशासनिक ढांचा है तथा उनमें से अधिकांश की औपचारिक कैडर संरचना भी नहीं है, इसलिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने प्रचालन कार्यों में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक पुनर्संरचना संबंधी मुद्दों का समाधान करने तथा प्रत्येक केन्द्र/यूनिट के भीतर निर्विघ्न, कार्यक्षम तथा पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए श्री एस.के. दास, पूर्व वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

प्रशासनिक ढांचा

पृथ्वी प्रणाली संगठन (ई.एस.ओ.) पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, समुद्र-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समग्र कार्यक्रम निर्देश मुहैया कराएगा। ई.एस.ओ. परिषद का गठन नीतियां तथा योजनाएं तैयार करने, केन्द्रों/यूनिटों के लिए कार्यक्रम निर्देश मुहैया कराने तथा बजट, जनशक्ति इत्यादि सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में किया जाएगा। सभी यूनिटों के निदेशक इस परिषद के सदस्य होंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे तथा मंत्रालय के वैज्ञानिक सचिव ई.एस.ओ. परिषद के सदस्य-सचिव होंगे।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केन्द्रों/यूनिटों के लिए एक चार स्तरीय प्रबंधन संरचना का प्रस्ताव किया गया है:

1. प्रबंधन परिषद नीति निर्माण, आपस की कार्यक्रम संबंधी प्राथमिकताएं, बजट, जनशक्ति, मानव संसाधन विकास, विदेश में प्रतिनियुक्ति तथा कल्याण की कर्यवाहियों सहित सभी महत्वपूर्ण मसलों पर निदेशक को सहायता तथा सलाह देगी। प्रबंधन परिषद के सदस्यों में केन्द्र/यूनिट के वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रतिनिधि शामिल होंगे। केन्द्र/यूनिट के निदेश इसके अध्यक्ष होंगे।

2. वस्तुत: वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति केन्द्र/यूनिट की गहन विचार-विमर्श करने वाली इकाई (थिंक टैंक) होगी। इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा बाहर

के इस क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति केन्द्र/यूनिट में चलाई जा रही/चलाई जाने वाली वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियों और परियोजनाओं पर सलाह देगी तथा विभिन्न प्रासंगिक वैज्ञानिक/तकनीकी मोर्चों पर सामयिक विवेचन उपलब्ध कराएगा। अनिवार्यत: यह समिति समीक्षा करेगी कि क्या केन्द्र/यूनिट को सौंपे गए अधिदेश को प्रभावी रूप से अमल में लाया जा रहा है।

3. परियोजना प्रबंधन परिषद/बोर्ड ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाकलापों के लिए परियोजना/मिशन मोड में कार्य करने की सिफारिश की है ताकि क्रियाकलापों को निश्चित समय में और स्वीकृत लागत में तथा संबंधित तकनीकी विनिर्देशों का पालन करते हुए पूरा किया जा सके। मॉनीटरन एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए द्वि-स्तरीय परियोजना प्रबंधन संरचना-पी.एम.सी. और पी.एम.बी. का सुझाव दिया गया है, जिसका गठन सचिव (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) द्वारा किया जाएगा।

4. कैंटीन, पुस्तकालय, खेल, रखरखाव, सांस्कृतिक एवं कल्याण क्रियाकलापों के क्षेत्रों में सहायक सेवा समितियां (संघों के प्रतिनिधि सहित)।

स्वायत्तशासी निकायों के मामले में, उपर्युक्त के अलावा-शासी परिषद और वित्त समितियां भी होंगी। समझौता ज्ञापन और पृथ्वी आयोग के निदेशों के अनुसार संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शासी परिषद सर्वोच्च कार्यकारी निकाय बनी रहेगी। सभी संस्थाओं की कार्य-प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए, यह सिफारिश की गई है कि सभी स्वायत्तशासी निकायों के नियमों को एक समान बनाने के लिए मंत्रालय इनकी जांच करे।

वित्तीय संरचना

पृथ्वी आयोग को विनियोजन, पुन: विनियोजन परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय (100 करोड़ रु. तक) की स्वीकृति, पुन: प्रत्यायोजन, माल एवं उपकरण के क्रय के लिए ठेके, अपनी स्वयं की खरीद और माल प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए, एफ.सी.एस. और संवर्ग पुन: संरचना के तहत पदों का सृजन सहित सरकार की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

आयोग में एक वित्त सदस्य (एम.एफ.) होगा, जिसकी सहायता के लिए संयुक्त सचिव (वित्त)/निदेशक (वित्त) होंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से आंतरिक वित्त प्रणाली की स्थापना करने की सिफारिश की जाती है, जिसमें नीचे के स्तर पर सरलता से अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के उद्देश्य से व्यय नियंत्रण के लिए सन्निहित कार्यप्रणाली होगी। इस प्रणाली के अंतर्गत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास आंतरिक वित्तीय सलाहकार (आई.एफ.ए.) होगा और केन्द्रों/यूनिटों को प्रत्यायोजित सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग आई.एफ.ए. की सलाह प्राप्त करके ही किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का आई.एफ.ए., भारत सरकार के निदेशक से नीचे के पद का नहीं होगा।

परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय की मंजूरी के लिए शक्तियां-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 10 करोड़ रु. से कम की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय की मंजूरी देने का अधिकार होगा। यदि अनुमानित लागत 10 करोड़ रु. से अधिक तथा 25 करोड़ रु. से कम हो तो इस शक्ति का उपयोग वित्त सदस्य (एम.एफ.) के परामर्श से किया जाएगा। 25 करोड़ से अधिक तथा 100 करोड़ रु. तक की राशि के लिए पृथ्वी आयोग का अनुमोदन आवश्यक होगा तथा 100 करोड़ रु. से अधिक की राशि के लिए, पृथ्वी आयोग की सिफारिश से मंत्रिमंडल का अनुमोदन आवश्यक होगा।

माल और उपकरणों की खरीद के लिए ठेका-केन्द्रों/यूनिटों/स्वायत्तशासी संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि वे 1 करोड़ रु. तक के संविदा मूल्य वाले ठेके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के परामर्श के बिना अपनी संस्था के आंतरिक वित्त सलाहकार की सहमति से कर लें। 1 करोड़ रु. से अधिक तथा 3 करोड़ रु. तक के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मंत्रालय के आंतरिक वित्त सलाहकार के परामर्श से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 3 करोड़ रु. से अधिक तथा 5 करोड़ रु. तक के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के परामर्श से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 5 करोड़ रु. से अधिक होने पर वित्त मंत्रालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपनी स्वयं की खरीद प्रक्रिया तैयार करे जिसे स्वायत्तशासी संस्थाओं सहित सभी केन्द्रों/यूनिटों द्वारा समान रूप से अपनाया जाएगा। मसौदा खरीद प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

जनशक्ति ढांचा

मंत्रालय और स्वायत्तशासी संस्थाओं सहित इसकी यूनिटों के कार्मिक को दो कैडर में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात वैज्ञानिक/तकनीकी कैडर और प्रशासनिक कैडर।

सभी वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का तीन श्रेणियों, अर्थात् वैज्ञानिक/इंजीनियर, कनिष्ठ वैज्ञानिकों और तकनीकी सहायक, के अंतर्गत पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से यह सिफारिश की जाती है कि वह अपने स्वयं के भर्ती और पुनर्विलोकन नियम बनाएं तथा अपने स्टाफ की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम के बजाए स्वयं सभी अधिकार रखे। सभी समूह 'क' और 'ख' पदों को अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के जरिए भरने की सिफारिश की गई है। एम.ई./एम.टेक के लिए आई.आई.टी., आर.ई.सी. जैसे प्रमुख संस्थानों से कैम्पस भर्ती करने की भी सिफारिश की गई है। समूह ग और घ पदों को रोजगार समाचार में विज्ञापन देने के अलावा स्थानीय रोजगार कार्यालय से संपर्क कर भरा जाए। वैज्ञानिक संगठन होने के कारण पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 5000-8000 रु. के वेतनमान से ऊपर की श्रेणी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग उम्मीदवारों के आरक्षण (केवल वैज्ञानिक कैडर) से छूट होनी चाहिए।

वैज्ञानिक और तकनीकी कैडर के लिए प्रौन्नतियां योग्यता आधारित सुनम्य पूरक योजना (एफ.सी.एस.) के अंतर्गत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि प्रशासनिक कैडर के अंतर्गत प्रौन्नतियां निम्न श्रेणियों के लिए सीमित एफ.सी.एस. सहित रिक्ति के आधार पर किए जाने की सिफारिश की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संशोधित प्रौन्नति मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत तथा सामान्यीकरण प्रक्रिया अर्थात प्रौन्नति की प्रभावी तिथि तय करे क्योंकि इसके लिए वर्तमान कार्मिकों के विभिन्न वेतनमानों और मंत्रालय में उनके रहने की अवधि का विस्तृत अध्ययन करना होता है।

श्रेणी परिवर्तन प्रणाली की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्टाफ को उनके कौशल और ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

रिपोर्ट में श्रेणियों, प्रशासनिक और खरीद प्रक्रियाओं तथा समग्र शासन के संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा दिया गया है। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मौजूदा ग्रेड को अपनाया गया है जिन्हें आवश्यक होने पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आसानी से तैयार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

वन क्षेत्रों का एक्सक्ल्युजन

3544. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन क्षेत्रों के एक्सक्ल्युजन के बारे में हिदायतें जारी की हैं जिससे न केवल रिज से घाटी तक समेकित पनधारा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि इससे वन क्षेत्रों में लोग और जानवर पीने के पानी जैसी मूलभूत जरूरत से भी वंचित हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पनधारा विकास हेतु एक वैज्ञानिक और एकीकृत रिज से घाटी दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार गुजरात राज्य में समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के ट्रीटमैन्ट हेतु अनुमोदन प्रदान नहीं कर रही है/निधियां आबंटित नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग ने अनुदेश जारी किए हैं कि वनों के प्रकारों के बावजूद, चयनित वाटरशेड परियोजना क्षेत्र के अभिन्न भाग के रूप में भूमि जिसमें कृषि/बंजर भूमि तथा वन भूमि उपयोग, सीमान्त-वन क्षेत्र तथा अवक्रमित क्षेत्र जिसे निरूपण की आवश्यकता होती है जिनका बहाव/जल संग्रहण, मृदा क्षरण एवं अवसादन, चारे आदि की शर्तों के अनुसार वाटरशेड के ढलानों पर प्रभाव हो, यह मृदा एवं नमी संरक्षण पर विशेष तौर पर केन्द्रित करते हुए समग्र वाटरशेड निरूपण योजना आदि के साथ इसका एक अंग होना चाहिए। ऐसे बानिकी क्षेत्रों में किए गए कार्यों का समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) योजना से वित्तपोषण किया जा सकता है। यह रिज से घाटी तक वैज्ञानिक एवं समेकित पनधारा विकास सुनिश्चित करेगा।

(ग) भूमि संसाधन विभाग आई.डब्ल्यू.एम.पी. के तहत गुजरात सहित राज्यों के वन क्षेत्रों के विकास हेतु निधियां स्वीकृत कर इन्हें जारी कर रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

कृषि रसायनों की खपत

3545. श्री उदयनराजे भोंसले: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कृषि रसायनों की कुल कितनी खपत हुई;

(ख) क्या लक्षित कीटों और तदुपरान्त उत्पादन पर कृषि रसायनों के प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अजैव रसायनों के उपयोग को विनियमित करने और जैविक कीट नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं/उठाने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान कीटनाशकों की कुल खपत निम्नानुसार है:

वर्ष	खपत एम.टी. (तकनीकी ग्रेड)
2007-08	43630
2008-09	43860
2009-10	41822

(ख) से (घ) पेस्टनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 के अधीन पंजीकरण के समय, अन्य बातों के साथ-साथ, पेस्टनाशकों की जैव प्रभावकारिता का मूल्यांकन भी किया जाता है। जबकि पेस्टनाशकों के कारण फसल की हानि का वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नुकसान विभिन्न कारकों जैसे मौसम की स्थिति, फसल की सांस्कृतिक पैदावार प्रथाओं एवं पादप रक्षा प्रथाओं पर निर्भर करता है, पेस्ट के हमले की गंभीरता पर निर्भर करते हुए पेस्ट के कारण फसल की हानि का मूल्यांकन 10 से 30 प्रतिशत वार्षिक के बीच किया जाता है।

(ङ) से (च) केन्द्र सरकार द्वारा समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रम में पादप संरक्षण रणनीति के प्रमुख हथियार के तौर पर समेकित पेस्ट प्रबंधन (आई.पी.एम.) को वर्ष 1991-92 में अपनाते हुए "भारत में पेस्ट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण" नामक एक योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। आई.पी.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा 31 केन्द्रीय आई.पी.एम. केन्द्र 28 राज्यों एवं 01 केन्द्र शासित प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों का कार्य पेस्ट/रोग निगरानी, उत्पादन एवं जैव नियंत्रण एजेंट/जैव पेस्ट नाशियों का निर्गम, जैव नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण तथा किसानों के क्षेत्र में फार्मर फील्ड स्कूल (एफ.एफ.एस.) के आयोजन के द्वारा जमीनी स्तर पर कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करके आई.पी.एम. में मानव संसाधन का विकास करना है। रसायनिक पेस्टनाशकों का उचित उपयोग, पेस्टनाशकों का सुरक्षित उपयोग, पेस्ट प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपाय जैसे पेस्ट नियंत्रण के सांस्कृतिक, भौतिक एवं यांत्रिक उपाय के साथ-साथ जैव पेस्टनाशकों एवं जैव नियंत्रण एजेंटों के उपयोग, कीटों के प्राकृतिक दुश्मन पर पेस्टनाशियों के प्रभाव, पेस्टनाशी के उपयोग जिसमें उपकरणों एवं तकनीक का समुचित उपयोग शामिल हैं, के संबंध में 'करने' एवं 'न करने' योग्य बातों पर विशेष जोर दिया जाता है।

सी.एन.जी. चालित कारों में आग लगना

3546. श्री वरुण गांधी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी सी.एन.जी. चालित कारों में आग लगने की घटनाएं हुईं;

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने

के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) सी.एन.जी. किट वाले मोटर वाहनों के संबंध में मानदंड और सुरक्षा मानकों से संबंधित नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.) के तहत सेन्ट्रल मोटर वाहन नियम (सी.एम.वी.आर.), 1989 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि सी.एम.वी.आर., 1989 के तहत अधिसूचित नियमों को कड़ाई से लागू करे तथा सी.एन.जी. मोड में परिवर्तित वाहन सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो। इसके अलावा, सी.एन.जी. कारों में आग लगने की ऐसी घटनाओं की जांच करना तथा इसके कारणों का पता लगाना तथा सुधारात्मक उपाय करना भी राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। इस मंत्रालय में सी.एन.जी. से चलने वाले कारों में आग लगने की घटनाओं के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

सिंचाई हेतु विश्व बैंक सहायता

3547. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं के विकास हेतु भारत और विश्व बैंक के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हस्ताक्षरित समझौतों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) शेष राशि कब जारी किए जाने और निर्माणाधीन परियोजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष परियोजनावार हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा कालम 2 एवं 3 में दिया गया है तथा प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ जारी धनराशि निम्नलिखित तालिका के कालम 5 में दी गई है।

राज्य	परियोजना का नाम	समझौते की तारीख/संवितरण की समाप्ति की तिथि	ऋण की धनराशि (आई.बी.आर.डी./ आई.डी.ए.) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	30-11-2011 तक संचयी आहरित राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)	30-11-2011 तक अनाहरित शेष राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)
1	2	3	4	5	6
राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना 4709-आई.एन. को अतिरिक्त वित्त पोषण	21-5-2010/ 31-03-2013	एक्स.डी.आर. 12.40 (आई.डी.ए.)	0.97	11.43
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना 7897-आई.एन.	14-08-2010/ 31-07-2016	450.60 (आई.बी.आर.डी.)	48.11	402.49

1	2	3	4	5	6
ओडिशा	ओडिशा सामुदायिक टैंक प्रबंधन परियोजना-7576-आई.एन.	27-01-09/ 31-12-2014	38.47 (आई.बी.आर.डी.)	3.56	34.91
ओडिशा	ओडिशा सामुदायिक टैंक प्रबंधन परियोजना 4499-आई.एन.	27-01-09/ 31-08-2014	एक्स.डी.आर. 23.46 (आई.डी.ए.)	2.20	21.26

(घ) परियोजना के संवितरण की समाप्ति की तारीख तक शेष धनराशि के जारी हो जाने की संभावना है तथा उसी तारीख तक चल-रही परियोजनाओं के पूरा हो जाने की भी संभावना है।

जहरीले अपशिष्ट को हटाना

3548. श्री पी. कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिस स्थान पर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वहां से 346 मीट्रिक टन जहरीला अपशिष्ट हटाने के लिए 30 करोड़ रु. व्यय करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त औद्योगिक त्रासदी के 25 वर्ष बीत जाने के बाद उक्त जहरीला अपशिष्ट न हटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) यूनियन कार्बाइड इंडिया लि., भोपाल के परिसर में सुरक्षित गोदाम में लगभग 350 मि.ट. जहरीला कचरा सुरक्षित तरीके से रखा गया है। अंकलेश्वर, गुजरात में इसके भस्मीकरण के शुरुआती प्रयास को गुजरात सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। तदनन्तर, भारत सरकार ने आवश्यक उपचारी कार्रवाई करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को निगरानी और सहायता प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में 15 जुलाई, 2010 को पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक निगरानी समिति गठित की। भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी मंत्रियों के समूह की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने, प्रथम दृष्टया, "प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है" के सिद्धान्त पर पर्यावरणीय नुकसान के लिए उत्तरदायी पाये गए व्यक्तियों/कंपनियों से मुआवजे के दावे को लम्बित रखते हुए लगभग रु. 310 करोड़ की अनुमानित लागत को वहन करने का निर्णय लिया है।

पीतमपुर सुविधा केन्द्र में जहरीले कचरे को भस्म करने के मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपनी असमर्थता व्यक्त किए जाने को ध्यान में रखते हुए 350 मि.ट. जहरीले कचरे के निपटान के मामले पर निगरानी समिति द्वारा 24 मार्च, 2011 और 25 मई, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुरोध पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) नागपुर के निकट बोरखेडी स्थित अपने भस्मीकरण सुविधा केन्द्र में जहरीले कचरे का सुरक्षित निपटान करने के लिए तैयार हो गया है। भोपाल से नागपुर तक इस जहरीले कचरे के परिवहन की लागत को छोड़कर डी.आर.डी.ओ. ने उक्त जहरीले कचरे के भस्मीकरण की लागत रु. 30 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई डी.आर.डी.ओ. भस्मीकरण केन्द्र को प्राधिकार की मंजूरी और अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए जहरीला कचरा (प्रबंधन, संचालन और सीमा पार गमनागमन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत यथापेक्षित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र पर निर्भर करती है। यह मामला जबलपुर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में न्यायाधीन भी है।

टायर उद्योग द्वारा उत्पादक-संघ बनाना

3549. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) को टायर उद्योग में उत्पादक संघ के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.सी.आई. अब टायर उद्योग में उत्पादन संघ होने की संभावनाओं की जांच करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन टायर कंपनियों के नाम क्या हैं जिनकी जांच की जा रही है तथा उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चूंकि मामला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जो कि एक अर्धन्यायिक निकाय है, के समक्ष न्यायाधीन है, अत: जांचाधीन टायर कंपनियों के नाम तथा प्रतिक्रिया सहित महानिदेशक की रिपोर्ट की ब्यौरे का खुलासा करना न्याय के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

भू-अर्जन

3550. श्री यशवंत लागुरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए अभी तक राज्य-वार कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है और उसकी कितनी कीमत है;

(ख) क्या उक्त भूमि के अर्जन से किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में किसानों के हितों की किस प्रकार से रक्षा की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (ग) भूमि राज्य का विषय है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त की जाती है। राज्य सरकारें इस प्रयोजन के लिए सरकारी जमीन आबंटित करती हैं और जब कभी जरूरत पड़ती है ये भूमि का अधिग्रहण भी करती हैं। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के मामले में पहली प्राथमिकता बंजर भूमि के अधिग्रहण को दी जाए और यदि जरूरी हो तो विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) के लिए एकल फसल कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाए। यदि मजबूरन न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेषकर बहु-उत्पादी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) के लिए, दोहरी फसलीय कृषि भूमि के कुछ भाग को अधिगृहीत करना पड़े तो यह एस.ई.जेड. के लिए अपेक्षित कुल भूमि का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। एस.ई.जेड. संबंधी अनुमोदन प्रदान करने वाला बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया हो। इसके अलावा, अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ई.जी.ओ.एम.) की उनकी दिनांक 5 अप्रैल, 2007 को बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों को 15 जून, 2007 को सूचित किया गया है कि अनुमोदन संबंधी बोर्ड ऐसे किसी एस.ई.जेड. का अनुमोदन नहीं करेगा जिसमें राज्य सरकारों ने ऐसे एस.ई.जेड. के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण 5 अप्रैल, 2007 के बाद किया हो अथवा ऐसा करने का प्रस्ताव हो। राज्य सरकारों की एजेंसियां एस.ई.जेड. के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुए व्यक्ति के लिए राहत तथा पुनर्वास पैकेज को कार्यान्वित कर रही हैं। अधिसूचित एस.ई.जेड. में निहित भूमि का कुल क्षेत्र 45849 हैक्टेयर है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 से लागू हो गयी है जिसमें अस्वैच्छिक विस्थापन के सभी मामले आते हैं। नीति में प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि यदि जरूरतमंद निकाय की ओर से

किसी परियोजना में भूमि अधिग्रहण शामिल हो तो जरूरतमंद निकाय प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार कम से कम एक व्यक्ति को परियोजना में रोजगार देने में तरजीह देगी, यह रिक्तियों की उपलब्धता तथा प्रभावित व्यक्ति की रोजगार के लिए उपयुक्तता के अधीन होगा। इसके अलावा, जहां कहीं जरूरी हो, जरूरतमंद निकाय प्रभावित व्यक्ति के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति उपयुक्त कार्यों को करने में समर्थ हों। उपर्युक्त नीति को वैधानिक आधार देने के लिए सरकार ने 7 सितम्बर, 2011 को लोक सभा में भूमि अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया है।

विवरण

अनुमोदित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का राज्य-वार क्षेत्र (हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचित एस.ई.जेड.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12258.32
2.	चंडीगढ़	58.46
3.	छत्तीसगढ़	101.28
4.	दादरा और नगर हवेली	10.3
5.	गोवा	249.48
6.	गुजरात	12755.05
7.	हरियाणा	1465.38
8.	झारखंड	36.42
9.	कर्नाटक	2196.35
10.	केरल	728.231
11.	मध्य प्रदेश	265.27
12.	महाराष्ट्र	9197.69
13.	नागालैण्ड	50.7
14.	ओडिशा	616.887
15.	पंजाब	46.12
16.	राजस्थान	679.95
17.	तमिलनाडु	4501.9
18.	उत्तराखंड	13.54
19.	उत्तर प्रदेश	419.45
20.	पश्चिम बंगाल	198.664
	योग	45849.44

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार

3551. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जीवन निर्वाह सूचकांक के अनूरूप उक्त पेंशन को आवधिक रूप से बढ़ाने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अशक्तता और कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का एक पृथक वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन):

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों के लिए लागू किया गया है।

(ख) और (ग) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर केन्द्रीय सहायता दर बढ़ाई जाती है। वर्तमान में, जीवन निर्वाह सूचकांक के संबंध में मौजूदा पेंशन को आवधिक संशोधन के जरिए बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में अपंगता और जीविकापार्जक सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत अतिरिक्त पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यमुना नदी पर बराज का निर्माण

3552. प्रो. रामशंकर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा में यमुना नदी पर बराज के निर्माण संबंधी कोई स्कीम केन्द्र सरकार के पास भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना नदी पर बैराज के निर्माण का प्रस्ताव किया है तथा अप्रैल, 1996 में 100.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का 'आगरा बैराज परियोजना' प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तावित परियोजना जवाहर ब्रिज के 2 कि. मी. प्रति प्रवाह तथा आगरा के निकट ताजमहल के 8 कि.मी. प्रति प्रवाह पर स्थित है तथा बैराज से आगरा शहर के लिए पेय जल की आपूर्ति करने की संभावना है।

(ग) केंद्रीय जल आयोग द्वारा जून, 1999 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जल की उपलब्धता संबंधी परियोजना स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना को मई 2003 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भी इस शर्त पर स्वीकृत किया गया है कि बैराज के अनुप्रवाह में नदी के न्यूनतम प्रवाह की मॉनीटरिंग उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

3553. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में आज की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कितने विकलांग और महिलाएं भर्ती की गईं; और

(ख) विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक पी.एस.यू. में उक्त श्रेणी व्यक्तियों की भर्ती के लिए क्या योजना बनाई गई है और इस बारे में क्या लक्ष्य नियत किए गए?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ महिलाओं की भर्ती के बारे में जानकारी लोक उद्यम विभाग में किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है। ऐसे आंकड़े केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा उनके सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध हैं।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों सहित निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के सभी पदों पर भर्ती सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। किसी वर्ष विशेष में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की भर्ती के लक्ष्य के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा श्रमशक्ति की अपनी आवश्यकता के अनुसार तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार किए जाते हैं।

[अनुवाद]

टाटा मोटर्स द्वारा अर्जन

3554. श्री रघुवीर सिंह मीणा: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा मोटर्स सरकार की पूर्वानुमति के बिना पोलैंड का फरीयाका समोकाडोव ओसोबोविच (एफ.एस.ओ.) कार प्लांट खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की विलय और अर्जन (एम एंड ए) नीति के उल्लंघन के मामले में कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सरकार को टाटा मोटर्स द्वारा पोलैंड का फरीयाका समोकाडोव ओसोबोविच (एफ.एस.ओ.) कार प्लांट खरीदे जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल का माप-तोल

3555. श्री मधुसूदन यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माप-तोल के मामले में पुराने मैकेनाइज्ड पेट्रोल और डीजल पंपों की तुलना में नए इलैक्ट्रानिक पेट्रोल पंप सटीक साबित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति पांच लीटर उनकी सटीकता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने अभी हाल ही में प्रति पांच लीटर पेट्रोल और डीजल की शार्ट सप्लाई सीमा को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 मिलीलीटर किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इलैक्ट्रानिक पंपों की सटीकता के मद्देनजर उक्त बढ़ोत्तरी उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं है; और

(ङ) उक्त बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप विगत वर्ष देश में डीजल और पेट्रोल की कुल बिक्री में कितनी वृद्धि हुई और उसका बाजार मूल्य कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) डिस्प्ले की बेहतर अल्पतम गणना और प्रयोग किए गए इलेक्ट्रानिक्स के बेहतर विघटन स्तरों के कारण विद्युत वितरण पंपों की शुद्धता पुराने यांत्रिक वितरण इकाइयों की तुलना में बेहतर है। शुद्धता की सीमा विद्युत डिस्प्ले इकाई के विघटन (अल्पतम गणना) के अध्यधीन है। यांत्रिक वितरण पंपों के मामले में अल्पतम गणना 100 मिलीलीटर और विद्युत पंपों के मामले में यह 10 मिलीलीटर मानी जाती है।

(ग) सरकार ने हाल में पेट्रोल और डीजल पंपों की अल्प आपूर्ति सीमा को प्रति 5 लीटर पर 15 मिलीलीटर से बढ़ाकर 25 मिलीलीटर नहीं किया है, अधिकतम ± 0.5% की अनुमेय चूक का जून, 2009 से पालन किया जा रहा है और विधिक माप-विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में इसको समाविष्ट किया गया है। इसलिए जून, 2009 से वितरण पंप के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की सुपुर्दगी की अधिकतम अनुमेय चूक में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों में खाद्य पदार्थ

3556. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ खाद्य मदों का विनिर्माण अनन्य रूप से लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में, लघु उद्योगों (अब सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र) में विशिष्ट विनिर्माण के लिए निम्नलिखित चार खाद्य विनिर्माण वस्तुएं आरक्षित हैं:

1. अचार और चटनी

2. ब्रेड

3. सरसों तेल (निकाले गए सॉल्वेंट के अलावा)

4. मूंगफली का तेल (निकाले गए सॉल्वेंट के अलावा)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं

3557. श्री निनोंग ईरींग: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चालू वित्त वर्ष में उक्त परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विदेशी बैंकों से कोई स्पांसरशिप प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (एन.ई.आर.सी.ओ.आर.एम.पी.) एक आजीविका एवं ग्रामीण विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में निर्धनों तथा अलग-थलग कर दिए गए जनजातीय परिवारों की दयनीय स्थिति में सुधार करना है और इस क्षेत्र को उक्त इलाके में एक विकासात्मक मॉडल बनाना है।

एन.ई.आर.सी.ओ.आर.एम.पी. का समग्र उद्देश्य "वंचित समूहों के संसाधन आधार के उन्नत प्रबंधन के माध्यम से उनकी आजीविका में सतत रूप से इस प्रकार सुधार करना है कि उससे पर्यावरण के संरक्षण एवं पुन: स्थापन में सहायता मिले।"

एन.ई.आर.सी.ओ.आर.एम.पी. ने अपना प्रथम चरण सितम्बर, 2008 में पूरा किया। इसकी परयोजना लागत 166.25 करोड़ रु. थी और इसके लिए निधियां, पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) तथा कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष (आई.एफ.ए.डी.) द्वारा संयुक्त रूप से 22.9 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गई थीं। एन.ई.आर.सी.ओ.आर.एम.पी.-I परियोजना असम के कारबी अंगलोंग एवं उत्तरी कछार हिल्स जिलों, मणिपुर के सेनापति एवं उखरूल जिलों तथा मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स एवं पश्चिमी गारो हिल्स जिलों में प्रचालित की गई थी। इसे 39161 परिवारों वाले 860 गांवों में कार्यान्वित किया गया है।

परियोजना के दूसरे चरण अर्थात् एन.ई.आर.सी.ओ. आर.एम.पी.-II के लिए आई.एफ.ए.डी. से 20 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुपूरक ऋण प्राप्त किया गया था। 200 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत वाली एन.ई.आर. सी.ओ.आर.एम.पी.-II परियोजना को इसके चरण-I के जिलों में ही प्रचालित किया जाएगा, जिसके तहत 400 नए गांवों के 20,000 परिवारों को कवर किया जाएगा।

उर्वरकों के मूल्य में कटौती

3558. श्री एल. राजगोपाल:
श्री चंदूलाल साहू:
डॉ. के.एस. राव:
श्री रवनीत सिंह:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री बद्री राम जाखड़:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को मदद पहुंचाने के लिए उर्वरकों के मूल्यों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में किसी राज्य सरकार अथवा जनप्रतिनिधि से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) उर्वरक विभाग ने नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एण्ड के) उर्वरकों के लिए पहले की रियायत योजना के स्थान पर 1-4-2010

से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति लागू की है। तत्कालीन रियायत योजना के अंतर्गत पी एण्ड के उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) सरकार द्वारा उर्वरकों की वास्तविक लागत से कम निर्धारित किया गया था। तदनुसार, पी एण्ड के उर्वरकों की वास्तविक लागत और एम.आर.पी. के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा रियायत के रूप में उत्पादकों/आयातकर्ताओं को की जाती थी। परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की लागत में होने वाली किसी वृद्धि को सरकार द्वारा वहन किया जाता था। एन.बी.एस. नीति के अनुसार पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. को उत्पादकों/आयातकों द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए खुला रखा गया है और राजसहायता की राशि सरकार द्वारा प्रत्येक पोषक-तत्व अर्थात् नाइट्रोजन 'एन', फॉस्फेट 'पी', पोटाश 'के' और सल्फर 'एस' के अनुसार वार्षिक आधार पर निश्चित की जाती है। तदनुसार पी एण्ड के उर्वरकों और इसकी कच्ची सामग्री के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी वृद्धि/कमी और डॉलर के मूल्य में वृद्धि/कमी का पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि देश में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता का 90% और पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता का 100% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। वर्तमान में एन.बी.एस. योजना पी एण्ड के उर्वरकों के 25 ग्रेडों पर लागू है। पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उर्वरक विभाग द्वारा जारी की जा रही राजसहायता की राशि संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है। एन.बी.एस. के लागू होने के बाद भी किसानों को उर्वरकों की वास्तविक लागत के लगभग 50% का भुगतान करना होता है। यूरिया भारत सरकार के सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। यूरिया की एम.आर.पी. को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह 1-4-2010 से 5310 रुपए प्रति मी.टन है।

पी एण्ड के उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि की आदान लागत में बढ़ोत्तरी हो सकती है लेकिन इसकी कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को निर्धारित करते समय गणना की जाती है।

बाजार में पी एण्ड के उर्वरकों की एम.आर.पी. में वृद्धि होने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उर्वरक विभाग को पंजाब विधान सभा द्वारा दिनांक 8-10-2011 को उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि को वापस लेने के संबंध में पारित किए गए संकल्प की एक प्रतिलिपि भी प्राप्त हुई है। पी एण्ड के उर्वरकों पर एन.बी.एस. नीति अभी भी जारी है। सरकार द्वारा इस नीति को वापस लिए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान एम.आर.पी.

(रुपए/मी.टन)

क्र. सं.	उर्वरकों के ग्रेड	2008-09, 2009-10 सभी तिमाहियां	10-11 (तिमाही-वार)				11-12 (तिमाही-वार) (चालू)			टिप्पणियां
			I	II	III	IV	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	डी.ए.पी. : 18-46-0-0	9350	9950	9950	9950	10750	13245	18200	18350	
2.	एम.ए.पी. : 11-52-0-0	9350	9950	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	18200	18200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	टी.एस.पी. : 0-46-0-0	7460	8057	8057	8057	8057	8057	8057		बाजार में नहीं
4.	एम.ओ.पी. : 0-0-60-0	4455	5055	5055	5055	5055	6064	11300	11300	
5.	16-20-0-13	5875*	6620	6620	6620	7200	लागू नहीं	12500	12500	
6.	20-20-0-13	6295*	7280	7280	7395	8095	11400	14800	14800	
7.	23-23-0-0	6145*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7445	7445	7445		बाजार में नहीं
8.	10-26-26-0	7197*	8197	लागू नहीं	8300	10103	10910	16000	16633	
9.	12-32-16-0	7637*	8637	8237	8637	9437	11313	16400	16400	
10.	14-28-14-0	7050*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14950	14950	
11.	14-35-14-0	8185*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9900	11622	15148	15148	
12.	15-15-15-0	5121*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7421	8200	11000	11000	
13.	ए.एस. : 20.3-0-0-23	10350	8600	8600	7600	8700	7600	11300	11300	
14.	20-20-0-0	5343*	5943	लागू नहीं	6243	7643	9861	14000	14135	
15.	28-28-0-0	7481*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	11181	11810	15740	15740	
16.	17-17-17-0	5804*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
17.	19-19-19-0	6487*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
18.	एस.एस.पी. (0-16-0-11)	4600	3200	3200	3200	3200	3200	4000	6000	
19.	16-16-16-0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7100	7100	7100		बाजार में नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	डी.ए.पी. लाइट (16-44-0-0)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	11760	17600	17820	
21.	15-15-15-09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6800	9300	12900	14851	
22.	24-24-0-0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7768	9000	11550	12455	
23.	13-33-0-6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	16200	16200	
24.	एम.ए.पी. लाइट (11-44-0-0)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	16000	15700	
25.	डी.ए.पी. लाइट-II (14-46-0-0)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14900	14900	

*18-6-08 से प्रभावी।

**मई 2008 से सितम्बर, 2009 तक एस.एस.पी. की एम.आर.पी. 3400 रुपए/मी.टन थी।

विवरण-II

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रति मी.टन पोषक तत्व आधारित राजसहायता की दरें

(क) पोषक-तत्वों के प्रति कि.ग्रा., पोषक-तत्व आधारित राजसहायता

(राशि रुपए)

क्र.सं.	पोषक-तत्व	1-4-2010 से 31-12-2010 तक प्रति कि.ग्रा. पोषक-तत्व (2010-11) पर एन.बी.एस. (अधिसूचना दिनांक (16-3-2010)	जनवरी से मार्च 2011 (2010-11) में प्रति कि.ग्रा. पोषक-तत्व (2010-11) पर एन.बी.एस. (अधिसूचना दिनांक (1-12-2010)	1-4-11 से 31-3-12 तक प्रभावी (अधिसूचना दिनांक 5-5-2011)
1.	'एन'	23.227	23.227	27.153
2.	'पी'	26.276	25.624	32.338
3.	'के'	24.487	23.987	26.756
4.	'एस'	1.784	1.784	1.677

(ख) प्रति मी.टन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता

(राशि रुपए में, प्रति मी.टन)

क्र. सं.	उर्वरक	(अधिसूचना दिनांक 16-3-2010 प्रति मी.टन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (2010-11)	(अधिसूचना दिनांक 1-12-2010) जनवरी से मार्च 2011 में प्रति मी.टन पोषक-तत्व आधारित राज-सहायता (2010-11)	(अधिसूचना दिनांक 5-5-2011) 1-4-11 से 31-3-12 तक प्रभावी
1	2	3	4	5
1.	डी.ए.पी.	16268	15968	19763
2.	डी.ए.पी. लाइट (16-44-00)	-	14991 (1-2-2011 से)	18573
3.	एम.ए.पी.	16219	15879	19803
4.	टी.एस.पी.	12087	11787	14875
5.	एम.ओ.पी.	14692	14392	16054
6.	एन.बी.एस.	4400	4296+200	5359+200
7.	10-26-26-0	15521	15222	18080
8.	12-32-16-0	15114	14825	17887
9.	14-28-14-0	14037	13785	16602
10.	14-35-14-0	15877	15578	18866
11.	15-15-15-0	11099	10926	12937
12.	15-15-15-09	11259 (1-10-2010 से प्रभावी) 22-12-2010 तक	11086	13088
13.	16-16-16-0	11838 (1-7-2010 से प्रभावी, एन.बी.एस. में 6-8-2010 से शामिल किया गया)	11654	13800
14.	16-20-0-13	9203	9073	11030

1	2	3	4	5
15.	17-17-17-0	12578	12383	14662
16.	19-19-19-0	14058	13839	16387
17.	20-20-0-0	9901	9770	11898
18.	अमोनियम सल्फेट (20.0-0-0-23)	5195	5195	5979
19.	20-20-0-13	10133	10002	12116
20.	23-23-0-0	11386	11236	13683
21.	24-24-0-0	11881 (1-10-2010 से प्रभावी) 22-12-2010 तक	11724	14278
22.	28-28-0-0	13861	13678	16657
23.	13-33-0-6			14302
24.	एम.ए.पी. लाइट 11-44-0-0			17216
25.	डी.ए.पी. लाइट ग्रेड (II) 14-46-0-0			18677

[हिन्दी]

देश में भूकंपीय जोन

3559. श्री कमल किशोर कमांडो:

श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूकंप की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में भूकंपनीय जोनों के ब्यौरे क्या हैं तथा ये किन-किन राज्यों के अंतर्गत आते हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह प्रदेश तक फैला एल्पाइन-हिमालय का भूकंपी क्षेत्र विश्व के भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। देश में क्षति पहुंचाने वाले पांच भूकंप आए, जो पिछले लगभग दो दशकों के दौरान इन क्षेत्र में आए हैं। इनमें उत्तरकाशी (1991), चमोली (1999), सुमात्रा (2004), मुजफ्फराबाद (2005) तथा सिक्किम-नेपाल (2011) में आए भूकंप शामिल हैं। एल्पाइन-हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र की भूकंपीय सक्रियता के संबंध में यह जाना जाता है कि यह क्षेत्र विभिन्न समय अवधियों के दौरान भूकंप का स्थानिक-कालिक वितरण दर्शाता है। भारतीय प्रायद्वीपीय परिरक्षण क्षेत्र में भी इस अवधि के दौरान तीन भूकंप अर्थात् लातूर (1993), जबलपुर (1997) तथा भुज (2001)

में आए। भारतीय प्रायद्वीपीय परिक्षण क्षेत्र में विगत में भी छुट-पुट भूकंप आए। अतः भूकंप की इन घटनाओं से देश में भूकंपों में वृद्धि होने का कोई संकेत नहीं मिलता।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो [आई.एस.-1893 (भाग-1): 2002], ने विगत में आए भूकंपों के इतिहास के आधार पर, देश को चार भूकंपी जोनों अर्थात जोन-II, III, IV तथा V में वर्गीकृत किया है। इनमें से जोन V भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन II सबसे कम सक्रिय है। पृथ्वी की सतह पर भूकंपों के प्रभाव को मापने वाली संशोधित मर्कली (एम.एम.) तीव्रता को मोटे तौर पर विभिन्न जोनों के साथ इस प्रकार जोड़ा गया है:

भूकंपी जोन	एम.एम. पैमाने पर तीव्रता
II (कम तीव्रता वाला जोन)	VI (अथवा कम)
III (मध्यम तीव्रता वाला जोन)	VII
IV (प्रचंड तीव्रता वाला जोन)	VIII
V (अत्यधिक प्रचंड तीव्रता वाला जोन)	IX (और अधिक)

मोटे तौर पर, जोन V में संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के कुछ भाग, गुजरात में कच्छ का रन, उत्तरी बिहार एवं अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के भाग शामिल हैं। जोन IV में जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली संघ शासित प्रदेश, सिक्किम के शेष भाग, उत्तर-प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, गुजरात के भाग तथा पश्चिम तट के पास स्थित महाराष्ट्र तथा राजस्थान के छोटे-छोटे भाग शामिल हैं। जोन-III में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के शेष भाग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओड़िशा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग शामिल हैं। जोन-II में देश के शेष भाग शामिल हैं।

[अनुवाद]

विज्ञान की गम्भीर स्थिति

3560. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने देश में विज्ञान की गम्भीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व विज्ञान में योगदान के प्रतिशत के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता के रिसर्च पेपर की प्रतिशतता के संदर्भ में भी मूल विज्ञान में कार्यनिष्पादन कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विश्व विज्ञान में भारत का योगदान केवल 3 प्रतिशत है जो ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे छोटे देशों से बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने समीक्षा की है तथा इसके पीछे कारणों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे; और

(छ) सरकार द्वारा अगली योजनावधि में मूल विज्ञान के लिए अवसंरचना प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) हाल के वर्षों में भारतीय विज्ञान का कार्यनिष्पादन प्रभावशाली और आशाजनक रहा है। स्कोपस इंटरनेशनल डाटाबेस के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसंधान और

विकास के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति, जैसाकि प्रकाशित शोधपत्रों की संख्या से मापा गया है, वर्ष 1996 में 13वें स्थान से सुधरकर, वर्ष 2001 में 12वें स्थान पर तथा वर्ष 2006 में 10वें स्थान पर तथा आगे वर्ष 2010 में 9वें स्थान पर आ गई है। उदाहरणार्थ, नैनोविज्ञान और नैनोप्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सरकार के संवर्धनात्मक प्रयासों से देश में 18,290 प्रकाशनों के साथ लगभग 1000 अनुसंधानकर्ताओं के सक्रिय समुदाय का सृजन हुआ है। नैनोविज्ञान और नैनोप्रौद्योगिकी में प्रकाशनों की दृष्टि से वर्ष 2010 में भारत छठे स्थान पर रहा। रसायन विज्ञान में अनुसंधान के संबंध में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में भारत विश्व में पांचवें स्थान पर रहा। यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट 2010 में रिपोर्ट दी गई है कि "विगत पांच वर्षों अथवा लगभग इसी अवधि के दौरान भारत की विज्ञान प्रणाली में बोधगम्य परिवर्तन हुए हैं।"

हमारे देश ने वर्ष 2008 में लगभग 36,200 वैज्ञानिक प्रकाशनों का योगदान किया है तथा ताईवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने क्रमशः लगभग 22,500 और 35,500 प्रकाशनों का योगदान किया है। अनुसंधान एवं विकास में तुलनात्मक दृष्टि से कम निवेश और अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की अपर्याप्त संख्या से सरकार निजी क्षेत्र से अनुसंधान और विकास में उच्चतर निवेश के लिए अनुकूल नीतिगत परिवेश अपनाने तथा अनुसंधान और विकास एवं नवोन्मेष में शामिल कार्मिकों की सघनता बढ़ाने के लिए तत्पर है।

(छ) सरकार ने देश में मूल विज्ञान के विकास और संवर्धन में तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने संसद के अधिनियम के माध्यम से देश में हाल में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) की स्थापना कर मूल विज्ञान के लिए एक नई अवसंरचना का सृजन किया है। एस.ई.आर.बी. के सृजन से, मौलिक अनुसंधान निधिकरण के स्तर को पर्याप्त रूप से सुधारने के अतिरिक्त, अनुसंधान कार्यक्रमों का निर्माण करने तथा अनुसंधानकर्ताओं को निधियां प्रदान करने में आवश्यक स्वायत्तता, लचीलापन और गति भी आएगी। वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आबंटनों में क्रमिक वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, शैक्षिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते हुए और अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और सुविधा केन्द्रों का सृजन, नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरुआत, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इन्सपायर) की शरुआत, आदि मूल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपायों में शामिल हैं। परिमाण और गुणवत्ता की दृष्टि से अनुसंधानकर्ता केन्द्रिक बाह्य अनुसंधान सहायता कार्यक्रम के क्षेत्र का विस्तार करने के अतिरिक्त, भारतीय शैक्षिक जगत में फैकल्टी का कार्यभार स्वीकार करने वाले भारतीय डायसपोरा के लिए अनुसंधान कार्य को शुरू करने के लिए अनुदान, विदेशी डॉक्टोरल छात्रवृत्ति और पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाना आदि जैसे बहुपक्षीय कार्यक्रम xiiवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित हैं ताकि मूल विज्ञान को उच्चतर स्तरों तक लाया जा सके। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा वैज्ञानिकों की समावेशी क्षमता में वृद्धि करेगी जिससे भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फैकल्टी वर्ग सुदृढ़ होगा।

[हिन्दी]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. की वेबसाइट में सूचना

3561. श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की वेबसाइट में दी गई सूचना में अनियमितताओं सहित अनेक मजूदरों को 100 दिन के रोजगार को सही नहीं पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अनियमितताओं के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट पर डाले गए आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई हैं, जिनमें महात्मा

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 100 दिनों से ज्यादा अवधि के लिए रोजगार दिए जाने के मामले शामिल हैं। महात्मा गांधी नरेगा के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा संख्या 10.9.3 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन प्राधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट पर प्रबंधन सूचना प्रणाली में नियमित रूप से ऑनलाइन रिपोर्ट करें और यह सुनिश्चित करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि सही आंकड़े दर्ज किए जाएं। वर्ष 2010-11 में 100 दिनों से अधिक अवधि के लिए रोजगार दिए जाने के मामले राज्य सरकारों के साथ उठाते हुए, उनसे प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज आंकड़ों की गलतियां, यदि कोई हों, ठीक करने या इस अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार अपनी बनाई उन योजनाओं के उपबंधों को स्पष्ट करने को कहा गया है, जिनके अंतर्गत 100 दिनों से अधिक अवधि तक रोजगार दिया गया। यदि उनकी योजनाओं में ऐसे कोई उपबंध नहीं हैं तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे मामलों में किए गए व्यय की वसूली करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत वेज डेज

3562. श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ राज्यों में कुछ मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत 365 दिनों से भी अधिक के वेतन का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) मनरेगा की धारा 3(4) के अंतर्गत इस बाबत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में ही धारा 3(1) के तहत् 100 दिनों की गारंटीशुदा अवधि से अधिक किसी भी अवधि के लिए योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को काम दिलाने का प्रावधान कर सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत किसी भी मजदूर को एक वर्ष में 365 दिनों से अधिक दिनों की मजदूरी दिए जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिनियम में गारंटीशुदा निर्धारित दिनों से अधिक दिनों के लिए किए गए भुगतान के मामले में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस मामले पर चर्चा की गई है ताकि आंकड़े में यदि कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके तथा अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं में उपबंधों को स्पष्ट किया जा सके जिसके तहत गारंटीशुदा दिनों से अधिक अवधि का रोजगार दिया गया है। यदि उनकी योजनाओं में ऐसा कोई उपबंध नहीं है तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे मामलों में किए गए खर्च की वसूली करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

3563. श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी:
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
योगी आदित्यनाथ:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के स्थान-वार केन्द्रों के ब्यौरे क्या हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार प्राप्त, स्वीकृत और लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा

इस प्रयोजनार्थ आवंटित एवं जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) देश में काम कर रहे जिन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को ग्रामीण विकास मंत्रालय से वित्त पोषण प्राप्त होता है, उन संस्थानों और 01 अप्रैल, 2010 से 30 सितम्बर, 2011 के दौरान उनके प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की योजना के अनुसार देश के प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों वाले बैंक द्वारा एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) राज्य-वार प्राप्त, मंजूरीकृत और लम्बित प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए प्रति आर.एस.ई.टी.आई. 1 करोड़ रु. की निधि का आवंटन करता है। एन.आई.आर.डी. ने 255 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को पहली किस्त के रूप में आवंटन का 50% रिलीज किया है। शेष 9 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को पूरी राशि जारी कर दी गई है।

विवरण-I

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों तथा उनके प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त अभ्यार्थी

क्र.सं.	राज्य	जिला	बैंक	कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	पू. गोदावरी	आंध्र बैंक	47	1166	533
2.		कृष्णा	आंध्र बैंक	74	1905	2202
3.		श्रीकाकूलम	आंध्र बैंक	27	647	288
4.		प. गोदावरी	आंध्र बैंक	48	1150	928
5.		अनंतपुर	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	22	725	311
6.		प्रकाशम	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	24	745	646
7.		अदिलाबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6	180	102
8.		खम्मम	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0	0	0
9.		नालगौंडा	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	9	256	45
10.		निजामाबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	9	210	34
11.		रंगारेड्डी	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7	197	0
12.		वारंगल	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	11	267	56

1	2	3	4	5	6	7
13.		महबूबनगर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	17	454	136
14.		मेडक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	22	607	861
15.		विशाखापट्टनम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6	128	616
16.		विजयनगरम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	21	580	454
17.		कुर्नूल	सिंडीकेट बैंक	39	864	506
18.		वाई.एस.आर.(कडप्पा)	सिंडीकेट बैंक	25	660	377
19.	असम	नागांव	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	0	0	0
20.		बक्सा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6	102	289
21.		चिरांग ***	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
22.		उदलगुड़ी ***	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
23.	बिहार	शेखपुरा	केनरा बैंक	26	955	616
24.		वैशाली	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	52	1806	876
25.		अररिया	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
26.		जमुई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1	32	0
27.		मधेपुरा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
28.		पुर्णिया	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
29.		सहरसा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
30.		खगड़िया	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
31.		समस्तीपुर ***	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
32.	छत्तीसगढ़	सरगूजा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1	31	31
33.		दुर्ग	देना बैंक	3	45	66
34.		दंतेवाड़ा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2	83	0
35.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	देना बैंक	0	0	0
36.	गुजरात	आनंद	बैंक ऑफ बड़ौदा	79	2760	1388
37.		भरूच	बैंक ऑफ बड़ौदा	26	677	135

1	2	3	4	5	6	7
38.		बलसाड़	बैंक ऑफ बड़ौदा	33	976	1296
39.		नर्मदा	बैंक ऑफ बड़ौदा	23	995	507
40.		नवसारी	बैंक ऑफ बड़ौदा	35	1174	725
41.		पंचमहल	बैंक ऑफ बड़ौदा	82	3080	1962
42.		सूरत	बैंक ऑफ बड़ौदा	37	872	270
43.		बड़ोदरा	बैंक ऑफ बड़ौदा	14	469	376
44.		बनासकांठा	देना बैंक	38	1161	1070
45.		कच्छ/भुज	देना बैंक	41	1500	286
46.		मेहसाणा	देना बैंक	49	2065	800
47.		पाटन	देना बैंक	105	3562	698
48.		साबरकांठा	देना बैंक	25	714	662
49.		अमरेली	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	32	733	287
50.		भावनगर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	55	1372	642
51.		जामनगर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	52	1646	0
52.		जूनागढ़	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7	188	47
53.		पोरबन्दर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	17	538	20
54.		राजकोट	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	41	1450	151
55.		सुरेन्द्रनगर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	46	1308	363
56.	हरियाणा	गुडगांव	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	33	1007	444
57.		मेवात	सिंडीकेट बैंक	30	821	552
58.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक	39	1047	405
59.		कांगड़ा	पंजाब नेशनल बैंक	14	430	49
60.		कुल्लू	पंजाब नेशनल बैंक	6	161	120
61.		मंडी	पंजाब नेशनल बैंक	4	54	0
62.		उना	पंजाब नेशनल बैंक	10	226	0

1	2	3	4	5	6	7
63.		बिलासपुर	यूको बैंक	2	60	25
64.		शिमला	यूको बैंक	8	117	52
65.		सोलन	यूको बैंक	5	126	37
66.	झारखंड	गोड्डा	इलाहाबाद बैंक	3	90	0
67.		हजारीबाग	इलाहाबाद बैंक	22	543	274
68.		बोकारो	बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
69.		धनबाद	बैंक ऑफ इंडिया	2	49	49
70.		पू. सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया	37	1168	924
71.		गिरीडीह	बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
72.		गुमला	बैंक ऑफ इंडिया	1	29	0
73.		खुंटी	बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
74.		कोडरमा	बैंक ऑफ इंडिया	3	119	119
75.		लोहरदग्गा	बैंक ऑफ इंडिया	0	0	15
76.		सिमडेगा	बैंक ऑफ इंडिया	1	31	31
77.		प. सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
78.		रामगढ़	पंजाब नेशनल बैंक	56	1481	0
79.		सरायकेला	पंजाब नेशनल बैंक	18	697	89
80.		रांची	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	0	0	0
81.		लातेहार	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
82.	कर्नाटक	बिदर	बिदर डी.सी.सी.	28	1104	315
83.		चिकबल्लापुर	केनरा बैंक	30	818	596
84.		दावणगेरे	केनरा बैंक	64	2329	2272
85.		हासन	केनरा बैंक	26	722	706
86.		कोलार	केनरा बैंक	35	988	1548
87.		रामनगर	केनरा बैंक	51	2827	2216

1	2	3	4	5	6	7
88.		शिमोगा	केनरा बैंक	50	1778	1759
89.		चिकमंगलूर %	कॉर्पोरेशन बैंक	42	980	49
90.		कोडागु %	कॉर्पोरेशन बैंक	1	50	50
91.		बागलकोट	आई.एन.जी. वैश्य बैंक	93	3300	2212
92.		बीजापुर	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	38	1001	1026
93.		चित्रदुर्ग	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	77	2539	1612
94.		धारवाड़	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	60	2061	1628
95.		मैसूर	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	57	1913	1246
96.		नीलामंगला/बंगलोर ग्रामीण	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	41	1092	745
97.		उजिरे/दक्षिण कन्नड	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	40	1180	836
98.		उडुपी	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	39	1028	608
99.		गुलबर्गा	एस.बी.आई. एवं कृष्णा ग्रामीण बैंक	177	3118	2774
100.		गडग	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	41	1368	851
101.		तुमकुर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	38	1721	335
102.		बेलगाम	सिंडीकेट बैंक	72	2473	2256
103.		बेल्लारी	सिंडीकेट बैंक	6	148	100
104.		उत्तर कन्नड/कुमटा	सिंडीकेट बैंक	53	1227	827
105.		हवेरी	विजया बैंक	27	945	631
106.		मांड्या	विजया बैंक	56	1193	884
107.	केरल	कसारगौड	आंध्र बैंक	25	656	489
108.		मालाप्पुरम	केनरा बैंक	52	1643	449
109.		थ्रिसुर	केनरा बैंक	8	308	107
110.		तिरूवनंतपुरम	इंडियन ओवरसीज बैंक	60	1640	338
111.		कन्नापुरम/कन्नूर	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	22	653	257

1	2	3	4	5	6	7
112.		अलाप्पुझा	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	33	860	619
113.		कोट्टायम	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	47	1428	454
114.		पठानामिथिट्टा	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	52	1337	327
115.		वायनाड	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	58	1652	900
116.		कोल्लम	सिंडीकेट बैंक	43	1389	667
117.		एर्नाकूलम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11	394	236
118.		इडुक्की	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7	151	48
119.	लक्षद्वीप	कावारत्ती ***	सिंडीकेट बैंक	0	0	0
120.	मध्य प्रदेश	सतना	इलाहाबाद बैंक	3	117	11
121.		अलिराजपुर ***	बैंक ऑफ बड़ौदा	0	0	0
122.		झाबुआ	बैंक ऑफ बड़ौदा	0	0	0
123.		बरवानी	बैंक ऑफ इंडिया	1	6	0
124.		बुरहानपुर	बैंक ऑफ इंडिया	2	24	0
125.		देवास	बैंक ऑफ इंडिया	5	139	65
126.		धार	बैंक ऑफ इंडिया	4	172	188
127.		खंडवा	बैंक ऑफ इंडिया	3	59	230
128.		खारगौन	बैंक ऑफ इंडिया	2	38	0
129.		राजगढ़	बैंक ऑफ इंडिया	3	137	332
130.		शाजापुर	बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
131.		सिहोर	बैंक ऑफ इंडिया	6	246	0
132.		उज्जैन	बैंक ऑफ इंडिया	2	50	79
133.		अनूपपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
134.		बालाघाट	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
135.		बैतुल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
136.		भिंड	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
137.		छिंदवाड़ा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
138.		डिन्डोरी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
139.		ग्वालियर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2	74	168
140.		होशंगाबाद	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
141.		जबलपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
142.		मांडला	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
143.		मंडसोर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
144.		मुरैना	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
145.		नरसिंहपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	13	775	0
146.		रायसेन	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
147.		रतलाम	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
148.		सागर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
149.		सिवनी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
150.		शहडोल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
151.		दतिया	पंजाब नेशनल बैंक	34	951	83
152.		भोपाल	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	32	954	485
153.		अशोक नगर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4	106	30
154.		छत्तरपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11	273	125
155.		दामोह	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	21	647	868
156.		गुना	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11	339	389
157.		हर्डा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2	96	0
158.		कटनी	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6	146	141
159.		नीमच	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7	171	138
160.		पन्ना	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	15	336	164
161.		शिवपुरी	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	25	701	1176

1	2	3	4	5	6	7
162.		टिकमगढ़	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	14	345	208
163.		उमरिया	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8	182	178
164.		विदिशा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7	187	69
165.		सिधी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
166.		सिंगरौली	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
167.		रेवा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11	233	93
168.		इंदौर	विजया बैंक	2	58	3
169.	महाराष्ट्र	भंडारा	बैंक ऑफ इंडिया	1	24	45
170.		चंद्रपुर	बैंक ऑफ इंडिया	1	30	29
171.		गडचिरौली	बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
172.		रत्नागिरी	बैंक ऑफ इंडिया	23	914	362
173.		शोलापुर	बैंक ऑफ इंडिया	4	124	173
174.		अमरावती	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	17	411	1137
175.		औरंगाबाद	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	16	323	132
176.		नागपुर	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	16	357	31
177.		नासिक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	16	386	123
178.		पुणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	14	285	240
179.		जलगांव	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2	49	0
180.		लातूर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7	156	51
181.		नांदेड़	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2	43	17
182.	मिजोरम	आइजॉल	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9	46	6
183.	नागालैंड	पेरेन***	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
184.	ओडिशा	गजपति	आंध्रा बैंक	1	22	0
185.		गंजम	आंध्रा बैंक	43	1013	137
186.		क्योंझर	बैंक ऑफ इंडिया	11	540	2075

1	2	3	4	5	6	7
187.		मयूरभंज/बारीपदा	बैंक ऑफ इंडिया	18	483	508
188.		खोर्दा/भुवनेश्वर	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	30	887	821
189.		बारगढ़	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
190.		बोलांगीर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1	25	15
191.		बौध***	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
192.		जाजपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
193.		कालाहांडी	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8	213	319
194.		केन्द्रपाड़ा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9	317	317
195.		नवरंगपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
196.		नयागढ़***	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
197.		नुवापाड़ा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
198.		सम्बलपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
199.		सुवर्णपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
200.		सुंदरगढ़	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
201.		बालासोर	यूको बैंक	6	185	135
202.		भद्रक	यूको बैंक	4	43	82
203.		पुरी	यूको बैंक	20	553	257
204.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	इंडियन बैंक	29	591	2368
205.	पंजाब	फिरोजपुर	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	53	1923	1152
206.		फरीदकोट	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	11	245	8
207.		लुधियाना	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	21	651	324
208.		मोगा	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	16	453	329
209.		अमृतसर	पंजाब नेशनल बैंक	5	129	53
210.		एस.ए.एस. नगर/ मोहाली	पंजाब नेशनल बैंक	2	102	19
211.		जालंधर	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	23	571	305

1	2	3	4	5	6	7
212.		बरनाला	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	39	122
213.		मुक्तसर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	25	0
214.		पटियाला	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	13	210	692
215.	राजस्थान	अजमेर	बैंक ऑफ बड़ौदा	142	2815	2259
216.		बांसवाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा	44	916	678
217.		चित्तौड़गढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा	69	2560	2006
218.		चुरू	बैंक ऑफ बड़ौदा	47	1415	355
219.		डुंगरपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा	42	999	559
220.		करौली	बैंक ऑफ बड़ौदा	22	813	412
221.		प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा	14	371	457
222.		टोंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	35	799	610
223.		उदयपुर	बैंक ऑफ राजस्थान/ आई.सी.आई.सी.आई.	19	487	70
224.		कोटा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
225.		झालरा पाटन	पंजाब नेशनल बैंक	33	1195	723
226.		बारन	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	62	2143	1021
227.		भीलवाड़ा	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	27	1574	1133
228.		जयपुर	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	43	1314	935
229.		बीकानेर	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	39	1164	523
230.		हनुमानगढ़	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	25	641	137
231.		राजसमंद/नाथडवारा	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	60	1277	636
232.		सिरोही	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	34	797	341
233.		दौसा	यूको बैंक	12	610	1119

1	2	3	4	5	6	7
234.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	केनरा बैंक	47	1320	683
235.		डिंडीगुल	केनरा बैंक	0	0	0
236.		इरोड	केनरा बैंक	29	1158	399
237.		नीलगिरी	केनरा बैंक	21	575	144
238.		शिवगंगा	केनरा बैंक	46	789	10
239.		सलेम	इंडियन बैंक	18	548	395
240.		वेल्लौर	इंडियन बैंक	36	1069	331
241.	उत्तर प्रदेश	अमेठी	बैंक ऑफ बड़ौदा	27	772	1131
242.		बरेली	बैंक ऑफ बड़ौदा	35	1075	232
243.		फैजाबाद	बैंक ऑफ बड़ौदा	29	776	216
244.		बाराबंकी	बैंक ऑफ इंडिया	1	30	20
245.		कन्नौज	बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
246.		अलीगढ़	केनरा बैंक	5	108	218
247.		सहारनपुर	पंजाब नेशनल बैंक	24	561	185
248.		आगरा	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	33	1051	508
249.		गाजियाबाद	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	31	868	354
250.		मथुरा	सिंडीकेट बैंक	0	0	0
251.		मेरठ	सिंडीकेट बैंक	27	800	239
252.		मुरादाबाद	सिंडीकेट बैंक	29	867	285
253.	उत्तराखंड	उधमसिंह नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा	10	294	311
254.		देहरादून	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	9	215	25
255.		अल्मोड़ा	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	18	447	90
256.		बागेश्वर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10	315	465
257.		चमोली	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	15	680	587
258.		रुद्रप्रयाग	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7	259	160

1	2	3	4	5	6	7
259.		टिहरी गढ़वाल	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4	84	82
260.	पश्चिमी बंगाल	बीरभूम	इलाहाबाद बैंक	103	3450	555
261.		प. मिदनापुर	इलाहाबाद बैंक	15	479	355
262.		जलपाईगुड़ी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	30	514	524
263.		मुर्शीदाबाद	आर.यू.डी.एस.ई.टी.आई.	37	1097	761
264.		दक्षिणी 24 परगना	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	58	1260	1355
	कुल			5529	162586	100217

***ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों ने अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हैं।

विवरण-II

राज्य-वार प्राप्त, मंजूरीकृत और लम्बित प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	मंजूरीकृत प्रस्तावों की सं.	लंबित प्रस्तावों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	18	18	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	-
3.	असम	4	4	-
4.	बिहार	12	9	3
5.	छत्तीसगढ़	5	3	2
6.	गुजरात	20	20	-
7.	गोवा	0	0	-
8.	हरियाणा	2	2	-
9.	हिमाचल प्रदेश	8	8	-
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	-
11.	झारखण्ड	16	16	-
12.	कर्नाटक	26	25	-

1	2	3	4	5
13.	केरल	12	12	-
14.	मध्य प्रदेश	50	49	1
15.	महाराष्ट्र	14	13	1
16.	मणिपुर	0	0	-
17.	मेघालय	1	0	1
18.	मिजोरम	1	1	-
19.	नागालैंड	1	1	-
20.	ओडिशा	20	20	-
21.	पंजाब	11	10	1
22.	राजस्थान	19	19	-
23.	सिक्किम	0	0	-
24.	तमिलनाडु	7	7	-
25.	त्रिपुरा	0	0	-
26.	उत्तर प्रदेश	12	12	-
27.	उत्तराखंड	7	7	-
28.	पश्चिम बंगाल	5	5	-
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	-
30.	चंडीगढ़	0	0	-
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	-
32.	दमन और दीव	0	0	-
33.	दिल्ली	0	0	-
34.	लक्षद्वीप	1	1	-
35.	पुडुचेरी	1	1	-
	कुल	273	264	9

नोट : ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रत्येक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़ रु. आवंटित किए हैं। एन.आई.आर.डी. ने देशभर के 255 आर.एस.ई.टी.आई. के लिए बैंकों को अग्रिम के रूप में 50% राशि रिलीज कर दी है।

पेट्रोलियम का मूल्य

3564. श्री आधि शंकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल के मूल्यों में कमी के मद्देनजर सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को फिर कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 15 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 2011 तक प्रति बैरल कच्चे तेल का मूल्य क्या था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) किरीट पारिख समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने दिनांक 26-06-2010 से रिफाइनरी द्वारा और खुदरा स्तर, दोनों पर, पेट्रोल का मूल्य बाजार-निर्धारित कर दिया है। इसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के मूल्य में कमी आने के कारण ओ.एम.सीज ने 16-11-2011 और 01-12-2011 से क्रमश: 1.85 रु. और 0.65 रुपया (राज्य वैट के अतिरिक्त) घटा दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में होने वाली वृद्धि के पूर्ण प्रभाव से तथा घरेलू स्फीतिकारी दशाओं से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है और इनका मूल्य अपेक्षित बाजार मूल्य से नीचे रखा जाता है, जिसके परिणामत: ओ.एम.सीज को अल्प-वसूली झेलनी पड़ती है। दिनांक 01-12-2011 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्य के आधार पर, ओ.एम.सीज को डीजल की बिक्री पर 12.03 रुपए प्रति लीटर की अल्प-वसूली झेलनी पड़ रही है और वर्ष 2011-12 की प्रथम छमाही के दौरान डीजल की बिक्री पर पहले से ही वे 37,719 करोड़ रुपए की अल्प-वसूली झेल रही हैं।

(ग) दिनांक 15-10-2011 से 30-11-2011 की अवधि के लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

*15 अक्तूबर, 2011 से 30 नवम्बर, 2011 के दौरान कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का मूल्य**

दिनांक	अमरीकी डॉलर प्रति बैरल
1	2
17 अक्तूबर, 2011**	110.62
18 अक्तूबर, 2011	107.74
19 अक्तूबर, 2011	109.18
20 अक्तूबर, 2011	107.02
21 अक्तूबर, 2011	108.43
24 अक्तूबर, 2011	108.99
25 अक्तूबर, 2011	109.64
27 अक्तूबर, 2011	108.73
28 अक्तूबर, 2011	108.87
31 अक्तूबर, 2011	106.65
01 नवम्बर, 2011	105.70
02 नवम्बर, 2011	108.40
03 नवम्बर, 2011	107.34
04 नवम्बर, 2011	109.46
08 नवम्बर, 2011	113.33
09 नवम्बर, 2011	113.01
10 नवम्बर, 2011	111.13
11 नवम्बर, 2011	112.59
14 नवम्बर, 2011	112.44
15 नवम्बर, 2011	111.68
16 नवम्बर, 2011	111.83

1	2
17 नवम्बर, 2011	110.42
18 नवम्बर, 2011	108.56
21 नवम्बर, 2011	107.23
22 नवम्बर, 2011	107.88
23 नवम्बर, 2011	107.89
24 नवम्बर, 2011	107.71
25 नवम्बर, 2011	107.33
28 नवम्बर, 2011	108.54
29 नवम्बर, 2011	109.36
30 नवम्बर, 2011	110.07

नोट:

*वर्ष 2011-12 के लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का संयोजन 62.2:34.8 के अनुपात में सोर श्रेणियों के लिए ओमान और दुबई और स्वीट श्रेणी के लिए ब्रेंट (दिनांकित) का औसत दर्शाता है।

**15 अक्तूबर, 2011 और 16 अक्तूबर, 2011 अवकाश के दिन थे और कच्चे तेल की दरें उपलब्ध नहीं हैं। केवल उन्हीं दिनों के मूल्य दिए गए हैं, जब कच्चे तेल की दरें बाजार में उपलब्ध थीं। शेष दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दरें उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

सुरक्षा संबंधी पदों में रिक्तियां

3565. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री राजू शेट्टी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में आज की तिथि अनुसार पद-वार और श्रेणी-वार सुरक्षा संबंधी पदों की कुल रिक्तियां कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान की गई भर्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल दुर्घटनाओं के ऐसे मामले फिर होने से बचने के लिए ऐसी महत्वपूर्ण रिक्तियों को तय सीमा में भर्ती में शीघ्रता लाने हेतु उठाए गए कदम क्या हैं;

(घ) क्या रेलवे विभिन्न भर्तियां करने में किसी वित्तीय संकट का सामना कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपाय क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण कार्य

3566. श्री शिवराज भैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश मे जबलपुर-दामोह-पन्ना और भोपाल-खजुराहो-छतरपुर-सागर लाइनों पर सर्वेक्षण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक आबंटित/खर्च की गई निधियों के परियोजना-वार ब्यौरे क्या हैं;

(ग) उक्त लाइनों पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के समय पर पूरा होने के लिए रेलवे द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जबलपुर-दमोह-पन्ना (246 कि.मी.) तथा भोपाल-खजुराहो-छतरपुर-सागर (320 कि.मी.) नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं तथा इन्हें क्रमश: मार्च, 2012 तथा दिसंबर, 2012 तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा सर्वेक्षण रिपोर्टों की मैरिट पर निर्णय को अंतिम रूप दे दिए जाने पर इन प्रस्तावों पर आगे विचार करना व्यावहारिक होगा।

(ख) से (घ) इन प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है और न ही इन्हें पूरा करने की कोई अनुसूची निर्धारित की गई है, क्योंकि परियोजना अभी स्वीकृत नहीं है।

[अनुवाद]

महानदी नदी का जल प्रवाह

3567. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानदी नदी से छत्तीसगढ़ राज्य में जल के प्रवाह का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर मार्च से मई के महीनों में छत्तीसगढ़ में विभिन्न जांच स्थलों पर मापा गया जल प्रवाह कितना था?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) निस्सरण मापन के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) छत्तीसगढ़ में महानदी नदी पर बंसतपुर, राजीम और शिरीनारायण नामक 3 जल-वैज्ञानिक प्रेक्षण केंद्रों का रखरखाव करता है।

(ग) वर्ष 2008, 2009 और 2010 में मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में उपर्युक्त स्थलों पर देखा गया माह-वार औसत निस्सरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2008, 2009 और 2010 के मार्च, अप्रैल और मई के महीने के दौरान छत्तीसगढ़ के महानदी नदी पर बसंतपुर, राजीम और शिवरीनारायण कार्यस्थल पर माह-वार निस्सरण

घन मीटर प्रति सेकेंड

कार्यस्थल का नाम	वर्ष	मार्च	अप्रैल	मई
राजीम	2008	2.081	2.406	1.721
	2009	0	0	3.419
	2010	0	0	0
शिवरीनारायण	2008	7.026	6.767	3.779
	2009	4.393	4.082	1.989
	2010	0.878	0.25	0.104
बसंतपुर	2008	37.06	0	0.709
	2009	48.85	50.41	38.37
	2010	10.52	5.125	4.197

कर्नाटक में रेल लाइन

3568. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कर्नाटक सरकार से नई रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) कर्नाटक राज्य में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक में रेल लाइन बिछाने के चालू कार्य

की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नई लाइनों को बिछाने के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्ताव और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नई लाइन प्रस्ताव	लंबाई (किमी. में)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	बीजापुर-शाहबाद	140	व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
2.	अलमट्टी-कोप्पल	124	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
3.	कदूर-चिकगलुर नई लाइन का श्रींगेरी तक विस्तार	70	सर्वेक्षण शुरू हो गया है। वन क्षेत्र में बेलुर-श्रींगेरी लाइन के लिए सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है।
4.	तलगुप्पा-होनावर	82	व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
5.	यादगीर-शाहपुर-शोरापुर-मुदीबिहल-अलमट्टी	150	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
6.	मदनपल्ली-श्रीनिवासपुरा	75.47	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
7.	कोट्टर-चित्रदुर्गा	80	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
8.	केंगरी-कनकपुरा (चामराजनगर)	-	केंगरी के रास्ते तुमकुर-चामराजनगर नई लाइन का सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
9.	कुशलनगर-कृष्णराजनगर	58.60	सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है। प्रस्ताव को अपर्याप्त यातायात क्षमता और किसी प्रकार की परिचालनिक व्यवहार्यता न होने के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया है।
10.	धारवाड़-कुत्तुर-बेलगाम	91	व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
11.	एनेककल रोड-बिदाई	40	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
12.	बगलकोट-रायचुर	-	बेलगाम-बगलकोट-रायचुर (300 किमी.) के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
13.	गुलबर्ग-बीजापुर	-	परियोजना खंड में बीजापुर-शाहबाद (140 किमी.) के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
14.	कोप्पल-सिंगानुर	110	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

1	2	3	4
15.	गदग-वाडी	252	प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया है। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा लागत में 50 प्रतिशत भागीदारी पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जा रहा है।
16.	गदग-हवेरी	80	सर्वेक्षण समाप्त हो गया है।
17.	बीदर-नांदेड़	150	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
18.	मरीकुप्पम-कुप्पम	23.7	अपेक्षित अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को भेजा गया है।
19.	चिककबल्लपुर-पुत्तपार्थी (श्री सत्य साई प्रशांति निलयम)	103	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

(ग) कर्नाटक राज्य के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाली प्रस्तावित नई रेल लाइनों के विवरण को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले चालू नई लाइन कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना	स्थिति
1.	कोट्टुर-हरिहर (65 किमी.)	लाइन चालू करने वाले दस्तावेजों को सी.आर.एस. की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उच्चतर मुआवजे की मांग करते हुए ग्रामीण छोटे कार्यों को बाधा पहुंचा रहे हैं।
2.	कदुर-चिकमगलुर-सकलेशपुर (93 किमी.)	कदुद-चिकमगलुर (46 किमी.) कार्य प्रगति पर है जहां कदुद-सकरयपटना-कनिवेलहल्ली (32 किमी.) पूरा हो गया है और कनिवेहल्ली-चिकमगलुर (14 किमी.) को जून, 2012 तक पूरा किए जाने की योजना है। चिकमगलुर-सकलेशपुर (47 किमी.) पर कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू हो गई है जोकि वर्तमान में लंबित है।
3.	हुबली-अंकोला (167 किमी.)	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निदेशों के अनुसार संपूर्ण परियोजना पर कार्य को रोक दिया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कार्य को शुरू करने के लिए सी.ई.सी. के सम्मुख शपथपत्र को पेश किया जा रहा है।

क्र. सं.	परियोजना	स्थिति
4.	गडवाल-रायचुर (60 किमी.)	गडवाल-पांडुरंगस्वामी (30 किमी.) पूरा हो गया है। शेष भाग पर कार्य को तेज किया जा रहा है।
5.	श्रवणबेलगोला के रास्ते हॉसन-बंगलौर (166 किमी.)	हॉसन-श्रवणबेलगोला (42 किमी.) और चिकबनवेर-नेलमंगला (14 किमी.) पूरा हो गया है। नेलमंगला-सोलुर (19 किमी.), सोलुर-हिरीसवे (72 किमी.) और हिरीसवे-श्रवणबेलगोला (19 किमी.) खंड पर कार्य प्रगति पर है। हिरीसवे-श्रवणबेलगोला (19 किमी) खंड को मार्च, 2012 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार को कुनिगल स्टड फार्म क्षेत्र सहित शेष भाग के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य में तेजी लानी होगी।
6.	रायदुर्ग-तुमकुर (213 किमी.)	इस लाइन की 103 किमी. की लंबाई कर्नाटक राज्य में पड़ती है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण समाप्त हो गया है और भूमि अधिग्रहण जारी है। राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण में सहायता करनी है।
7.	बगलकोट-कुदची (142 किमी.)	90 किमी. के अंतिम स्थान सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। बगलकोट की ओर से 56 किमी. के लिए भूमि अधिग्रहण को राज्य प्राधिकरणों को प्रस्तुत किया जाना है।
8.	बंगलोर-सत्यमंगलम (260 किमी.)	तमिलनाडु वन विभाग के आपत्तियों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निदेशों के अनुसार सभी कार्यों को रोक दिया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों को इस परियोजना को छोड़ने पर अपने विचार बताने के लिए कहा गया है।
9.	मुनीराबाद-महबूबनगर (246 किमी.)	कर्नाटक क्षेत्र में पड़ने वाली इस लाइन की 165 किमी. लंबी लाइन कर्नाटक क्षेत्र में पड़ती है। गिनिगेरा सिरे से 60 किमी. के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को शुरू किया गया है।
10.	गुलबर्ग-बीदर (140 किमी.)	चरण-I, खानापुर-होमनाबाद (37 किमी.) पर कार्य समाप्त हो गया है और होमनाबाद-हल्लीखेड (15 किमी.) और हल्लीखेड-गुलबर्ग (54 किमी.) खंड पर कार्य प्रगति पर है।
11.	कुड्डपह-बंगलोर (255.4 किमी.)	21.80 किमी. भाग को दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा निष्पादित किया जा रहा है और शेष को रेल विकास निगम लिमिटेड को अंतिरत किया गया। भूमि अधिग्रहण दस्तावेजों को राज्य प्राधिकरणों के पास प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	परियोजना	स्थिति
12.	शिमोगा-हरिहर (78.65 किमी.)	नए कार्य को बजट 2011-12 में शामिल किया गया है।
13.	व्हाइटफील्ड-कोलार (52.9 किमी.)	नए कार्य को बजट 2011-12 में शामिल किया गया है।
14.	तुमकुर-दावणगेरे (199.7 किमी.)	नए कार्य को बजट 2011-12 में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे क्रॉसिंग के लिए मानदंड

3569. डॉ. संजय सिंह:

राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे क्रॉसिंग के निर्माण के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) उन रेलवे क्रॉसिंग की जोन-वार संख्या कितनी है जहां मानदंडों के पूरा होने के बावजूद अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया/पूरा किया गया; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) संवैधानिक बाध्यताओं के अनुसार, रेलवे की जिम्मेदारी नई लाइन बिछाने के समय पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके नए समपारों की व्यवस्था करने तक सीमित है। लाइन के चालू होने के 10 वर्ष पश्चात् नए समपार की व्यवस्था निक्षेप कार्यों के रूप में की जाती है। आरंभिक पूंजी लागत के साथ-साथ वार्षिक पुनरावर्ती अनुरक्षण की पूंजीगत लागत और परिचालनिक लागत को वहन करने के लिए प्रायोजित प्राधिकारी की आवश्यकता होती है। सामान्यत: संरक्षा की दृष्टि से खुली लाइनों पर नए समपारों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

(ख) और (ग) समपारों की व्यवस्था का कार्य (यदि कोई हो) नई लाइन के निर्माण के साथ शुरू किया जाता है और परियोजना के शुरू चालू होने के साथ पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे लाइनों के लिए अनुरोध

3570. डॉ. के.एस. राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे उन राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर विचार करेगा जो रेलवे को रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि मुफ्त में प्रदान करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे क्या हैं तथा इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। यदि संबंधित राज्य सरकार परियोजना की लागत में भागीदारी करने और नि:शुल्क भूमि मुहैया कराने के लिए सहमत होती है तो रेलवे नई लाइन परियोजनाएं शुरू करने के बारे में विचार कर सकती है। वर्ष 2011-12 में पांच नई लाइन परियोजनाएं यथा नडिकुडे-श्रीकालाहस्ती (309 किमी.), तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावणगेरे (199.7 किमी.) शिमोगा-हरिहर (78.66 किमी.), व्हाइटफील्ड-कोलार (52.9 किमी.) और बांसवाड़ा के रास्ते रतलाम-डूंगरपुर (176.47 किमी.) शुरू की गई हैं जिनमें राज्य सरकार नि:शुल्क भूमि मुहैया कराने और परियोजना की शेष लागत में 50% हिस्सेदारी करने के लिए सहमत है।

सरकारी आस्तियों का निवेश

3571. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

श्री मनोहर तिरकी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश में सरकारी आस्तियों

के अन्य क्षेत्रों में निवेश तथा सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विशेष क्षमता सृजित करने के लिए निवेश पर गंभीर चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तेल कंपनियों द्वारा किए जा रहे निवेश के संबंध में सरकार का न तो कोई निगरानी तंत्र है और न ही कोई निदेश या दिशा-निर्देश है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) योजना आयोग की चिंता को देखते हुए सरकार द्वारा की गयी किसी संदर्शी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का अन्य क्षेत्रों में निवेश करने पर योजना आयोग द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (पी.एस.यूज) में निवेश के निर्णय उनके संबंधित निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोल्हापुर में गुड्स यार्ड

3572. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कोल्हापुर रेलवे गुड्स यार्ड में कार्य की स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) कोल्हापुर गुड्स यार्ड में (गुड़ मार्किट) वर्किंग कंडीशन में सुधार करने हेतु सतत् प्रक्रिया के अंतर्गत किए जा रहे संवर्धन उपायों के रूप में (i) 19 लाख की अनुमानित लागत पर प्रकाश व्यवस्था करने और (ii) 15.20 लाख की अनुमानित लागत पर शौचालय, विश्राम कक्ष और पेयजल सुविधाओं में वृद्धि करने के कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 60 लाख की अनुमानित लागत पर सीधे रिसेप्शन तथा डिस्पैच सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए साइडिंग नं. 4 को पूरी लंबाई में बनाने की कार्रवाई चल रही है।

आई.जी.एल. द्वारा पी.एन.जी. की आपूर्ति

3573. श्री यशवीर सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) द्वारा पी.एन.जी. (पाइप्ड नैचुरल गैस) की आपूर्ति के लिए दिल्ली की कालोनियों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) निवासियों से मांगी गई राशि जमा कराने के बावजूद डी.डी.ए. फ्लैट आनंद विहार में पाईप लाइन नहीं बिछाने के क्या विशेष कारण हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में सभी घरों को पी.एन.जी. गैस प्रदान की गई है;

(ग) आई.जी.एल. की इन खामियों को दूर करने तथा इसमें सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के डी.डी.ए. फ्लैट्स को पी.एन.जी. गैस प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन फ्लैटों में कब तक पाइप लाइन बिछाई जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) आई.जी.एल. द्वारा पी.एन.जी. की आपूर्ति के तहत सामिल किए जाने वाले क्षेत्रों/कालोनियों का चयन अन्य बातों के साथ-साथ ट्रंक स्टील पाइपलाइनों की उपलब्धता, सुरक्षा दृष्टिकोणों, भूमि की स्वामी एजेंसियों से खुदाई की अनुमति की उपलब्धता और ग्राहक प्रत्युत्तर के आधार पर किया जाता है।

(ख) आई.जी.एल. ने सूचित किया है कि डी.डी.ए. फ्लैट, आनन्द बिहार में संकरी गलियों के कारण अलग-अलग रिहायशी ब्लॉकों को संबद्धता उपलब्ध करवाने के लिए पाइपलाइनों के नेटवर्क को भूमि के अन्दर बिछाना

प्रचालन और अनुरक्षण की दृष्टि से असुरक्षित है। संकरी गलियां, रिसाव के कारण किसी अग्नि दुर्घटना की स्थिति में, अग्नि शमन गाड़ी की आनन्द बिहार डी.डी.ए. फ्लैटों तक पहुंच को मुश्किल बना देंगी। डी.डी.ए. फ्लैट, आनन्द बिहार के केवल तीन निवासियों से नामांकन प्राप्त हुआ था जिन्हें बाद में वापस कर दिया गया था क्योंकि ये कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाए गए थे।

(ग) आनन्द बिहार, डी.डी.ए. फ्लैटों तक पी.एन.जी. आपूर्ति का विस्तार नहीं करने का निर्णय सुरक्षा चिन्ताओं के कारण पूर्णत: तकनीकी आधार पर लिया गया है और यह विभेदकारी नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केरल में भूकंप के झटके

3574. श्री एंटो एंटोनी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गत दस वर्षों से केरल में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित वर्ष-वार भूकंप के झटकों की संख्या और तीव्रता क्या है;

(ग) क्या केरल भूकंपीय जोन की श्रेणी तीन के अंतर्गत आता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) विगत दस वर्षों में केरल प्रदेश में कुल मिलाकर 16 भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें वर्ष 2000 में आए 3.6-5.0 तक के परिमाण वाले 3 भूकंप, वर्ष 2001 में आए 3.1-4.8 तक के परिमाण वाले 3 भूकंप, वर्ष 2006 में आए 3.0-3.7 तक के परिमाण वाले 3 भूकंप, वर्ष 2007 में आए 2.8-3.0 तक के परिमाण वाले 2 भूकंप, वर्ष 2010 में आया 2.8 परिमाण वाला 1 भूकंप तथा वर्ष 2011 में आए 3.1-3.5 तक के परिमाण वाले 4 भूकंप शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए भारत के भूकंपीय जोन मानचित्र [आई.एस.-1893 (भाग-1): 2002] के अनुसार देश का चार जोनों अर्थात जोन-II, III, IV और V में वर्गीकरण किया गया है। इनमें से जोन V भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन II सबसे कम सक्रिय है। केरल जोन-II तथा III दोनों में आता है।

वृद्ध और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पेंशन

3575. श्री राजेन गोहैन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवंटित राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गरीब वृद्ध इस लाभ से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शारीरिक रूप से विकलांग गरीब व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए विकलांगता के प्रतिशत के वर्तमान मानदंड में छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस योजना के अधीन अंधे-गूंगे और बहरे श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को लाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो 60 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले हैं, पेंशन पाने के लिए पात्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) के अंतर्गत लाभार्थियों का निर्धारण, सहायता की मंजूरी एवं वितरण करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का कार्य है। सभी पात्र व्यक्तियों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को पर्याप्त निधियां रिलीज की जाती हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत लगभग 180 लाख लाभार्थी कवर किए गए हैं।

(ग) और (घ) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले 18-59 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर अथवा विविध अपंगता वाले सभी व्यक्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) के अंतर्गत पेंशन पाने के लिए पात्र हैं। 60 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के व्यक्ति आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। निर्धारित मानदंडों में छूट देने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) आई.जी.एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपंग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 1995) और राष्ट्रीय स्वलीनता, प्रमष्तिष्क घात, मानसिक विक्षिप्त कल्याण न्यास, समय-समय पर संशोधित विविध अपंगता अधिनियम, 1999 (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम) और इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देशों में यथा परिभाषित गंभीर अथवा विविध अपंगताओं से पीड़ित होना चाहिए।

भू-जल के उपयोग के लिए लाइसेंस

3576. श्री डी.वी. चन्द्रे गौडा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा लाइसेंस दिए गए मिनरल वाटर और पेयजल संयंत्रों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) इन संयंत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कितने भू-जल का उपयोग किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) मिनरल वाटर/साफ्ट ड्रिंक संयंत्रों को स्थापित करने हेतु लाइसेंसिग प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) है, न कि केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) बी.आई.एस. नए मिनरल वाटर और साफ्ट ड्रिंक संयंत्रों को स्थापित करने/'अति दोहित', 'गंभीर' अथवा 'अर्द्ध गंभीर' क्षेत्रों में आने वाली विद्यमान यूनिटों के विस्तार करने के लिए भूमि जल की निकासी करने संबंधी प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) के विचारार्थ भेजता है। वर्ष 1999 से प्राधिकरण ने 98 मिनरल वाटर/साफ्ट ड्रिंक यूनिटों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा इन संयंत्रों द्वारा निकासी किए गए भूमि जल की मात्रा के आंकड़ों का रिकार्ड वार्षिक आधार पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल की निकासी हेतु उन मिनरल वाटर/साफ्ट ड्रिंक इकाईयों का विवरण जिन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया है

क्र. सं.	फर्म का नाम	स्थान	भूजल की अधिकतम निकासी मात्रा जिसकी अनुमति दी गई है (घन मी. प्रति दिन)
1	2	3	4
1.	मै. केवल फार्म	742/1/बी, कारोडिया रोड, पीओ. वाजवा-391310, जिला बरोडा, गुजरात	भूजल के 10 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
2.	मै. खर फूड एवं बेवेरिस्	12बी, निजी औद्योगिक क्षेत्र, गांव भोर्सला संवर, उज्जैन रोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश	भूजल के 9 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
3.	मै. हरि ओम बेवेरेजिज	87 हरि ओम बंगला, अबद नगर, गांव	भूजल के 8 घन मी. प्रतिदिन की

1	2	3	4
		भोपाल, तालुक दसकोरी, जिला अहमदाबाद, गुजरात	निकासी हेतु अनुमोदन
4.	मै. ओम बेवेरेजिज	सर्वे सं. 872, मार्फत हिरबा पार्टी प्लाट, करणवती क्लब के सामने, गांव तेजपुर, अहमदाबाद, गुजरात	भूजल के 22.5 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
5.	मै. कांती बेवेरेजिज	प्लाट सं. जी 50-59, सड़क सं. 1, न्यू औद्योगिक क्षेत्र, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान	भूजल के 22.5 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
6.	मै. भारतीयम फूड एण्ड बेवेरेजिज प्रा. लि.	सर्वे सं. 181(पी), 191/1, 191/2, और 193 विदादी औद्योगिक क्षेत्र, बनंदुर गांव, रामानगर तालुक बंगलौर, कर्नाटक	भूजल के 150 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
7.	मै. त्रिरूची फर्माकेम (प्रा) लि.	नंगवरम रोड, नचलुर गांव, नंगवरम शहर पंचायत, कुलिथलैतलुक करूर जिला, तमिलनाडु	भूजल के 30 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
8.	मै. श्री कृष्ण मिनरल वाटर	एस.एफ. सं. 606/2-ए, मथुवरयपुरम गांव, करूनय नगर पोस्ट, सडिवायल, कोयम्बटूर-641114 (तमिलनाडु)	भूजल के 15 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
9.	मै. जे.एम.डी. बेवेरेजिज	एफ-1487, डी.एस.आई.डी.सी., नरेला दिल्ली	भूजल के 32 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
10.	मै. सबोल एसोसेएट	सिरूवाणी, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु	भूजल के 15 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
11.	मै. वरूण बेवेरेजिज	आर.आई.आई.सी.ओ. औद्योगिक क्षेत्र, चोपांकी, भिवाडी, अलवर, राजस्थान	550 घन मी. प्रतिदिन की निकासी हेतु अनुमोदन
12.	मै. बदरी एंटरप्राइसेस	वल्यपेतै, धरसुरम, कुम्बकोनम तालुक, थंजावुर तमिलनाडु	विद्यमान एक ट्यूबबैल द्वारा भूजल के 6 घन मी. प्रति दिन की निकासी हेतु अनुमोदन
13.	मै. अक्षया अक्वा फर्मस्	उलुदै गांव, थिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु	75 घन मी. प्रति दिन की निकासी हेतु अनुमोदन
14.	मै. कोडाई शिपिंग वाटर कम्पनी प्रा. लि.	गांव पोन्मर, थिरुपोरुर पंचायत यूनियन चेंगल्पेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	विद्यमान डी.डब्ल्यू. व बी.डब्ल्यू. द्वारा 100 घन मी. प्रति दिन
15.	मै. प्रकाश बेवेरेजिज	कृष्ण नगर, गांव पाडीव, सिरोही राजस्थान	विद्यमान बी.डब्ल्यू. द्वारा 300 घन मी. प्रति दिन

1	2	3	4
16.	मै. ट्रांसपारेसिस मिनरल प्रा. लि.	सुंदरपेरुमल्कोइल कुम्बकोनम तालुक थंजवुर जिला तमिलनाडु	विद्यमान एक टी.डब्ल्यू. द्वारा 20 घन मी. प्रति दिन
17.	मै. फैश पैकेज ड्रिंकिंग वाटर	गांव डिंडोली ब्राहमिण फलिअ चौरासी सूरत गुजरात	विद्यमान एक टी.डब्ल्यू. द्वारा 12 घन मी. प्रति दिन
18.	मै. पटेल बेवेरेजिज	505/2-3-4, जी.आई.डी.सी. एस्टेट मकरपुर वदोदरा, गुजरात	विद्यमान एक टी.डब्ल्यू. द्वारा 10.7 घन मी. प्रति दिन
19.	मै. पुंजलैंड बेवेरेजिज प्रा. लि.	गांव दीपनगर, ब्लाक डोराह जिला लुधियाना, पंजाब	विद्यमान (एक) टी.डब्ल्यू. द्वारा 10 घन मी. प्रति दिन
20.	मै. दैनिक एक्वाफ्लुक्स प्रा. लि.	गांव माजरा, धेलो ब्लॉक, लुधियाना जिला, पंजाब	विद्यमान ट्यूबवैल द्वारा (1) 50 घन मी. प्रति दिन
21.	मै. शक्ति बेवेरेजिज	गांव गोरवा, तहसील एवं जिला वदोदरा, गुजरात	विद्यमान बोरवैल (1) द्वारा 8 घन मी. प्रति दिन
22.	मै. गुजरात बेवेरेजिज	जामवाडी, तालुक गोंडल जिला राजकोट गुजरात	विद्यमान ट्यूबवैल द्वारा 10 घन मी. प्रति दिन
23.	मै. श्रीनिर्मल एक्वा उद्योग	यवल गांव, यवल ब्लॉक, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	विद्यमान एक डगवैल द्वारा 0.4 घन मी. प्रति दिन
24.	मै. शिवमणि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर	गांव तथा तालुक महबूबाबाद वारंगल जिला, आन्ध्र प्रदेश	विद्यमान एक बोरवैल द्वारा 12 घन मी. प्रति दिन
25.	मै. मनैर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर	इंदिरा नगर थिम्नपुर करीम नगर जिला आन्ध्र प्रदेश	विद्यमान 1 ट्यूबवैल द्वारा 2 घन मी. प्रति दिन
26.	मै. यूनिक फूड एण्ड बेवेरेजिज	गांव शेरपुर, ब्लॉक लुधियाना तहसील व लुधियाना पंजाब	विद्यमान 1 ट्यूबवैल द्वारा 50 घन मी. प्रति दिन
27.	मै. जे.के. फूड्स	गांव गग्सिना, ब्लॉक घरुंडा जिला करनाल, हरियाणा	विद्यमान एक ट्यूबवैल द्वारा 50 घन मी. प्रति दिन
28.	मै. बायोनिक फूड	गांव जरिफा विरानी जिला करनाल, हरियाणा	प्रस्तावित एक गहरे ट्यूबवैल द्वारा 100 घन मी. प्रति दिन
29.	मै. डी.एस. प्लास्टिक	गांव हमब्रह, ब्लॉक सिधबानबेट जिला लुधियाना, पंजाब	प्रस्तावित एक गहरे ट्यूबवैल द्वारा 100 घन मी. प्रति दिन
30.	मै. महालक्ष्मी मिनरल वाटर	गांव लल्ना, ब्लॉक कुनेर तहसील कोटपुतली,	प्रस्तावित एक गहरे ट्यूबवैल द्वारा 10 घन मी. प्रति दिन

1	2	3	4
31.	मै. ए.एम. उद्योग	गांव नवलाखा गार्डन (नालौर ग्रामीण) ब्लाक तथा जिला नालौर आन्ध्र प्रदेश	विद्यमान एक ट्यूबवैल द्वारा 20 घन मी. प्रति दिन
32.	मै. कनकप्रभा एग्रो फूड प्रा. लि.	प्लाट नं. 735, चैचई अली गुनसोलीगांव के पास, तहसील थाना नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	विद्यमान एक ट्यूबवैल द्वारा 16 घन मी. प्रति दिन
33.	मै. अंश फूड एण्ड बेवेरेजिज	गांव प्रभात ब्लाक डेरा बस्सी जिला एस.ए.एस. नगर पंजाब	प्रस्तावित एक ट्यूबवैल टैपिंग गहरे जलभृतों द्वारा 80 घन मी.
34.	मै. एक्स फूड	प्लाट नं. 64, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	विद्यमान एक बोरवैल द्वारा 20 घन मी. प्रति दिन
35.	मै. लिजोएस् उद्योग	गांव क्रिशयन पालल्य ब्लॉक व जिला महबूब-नगर आन्ध्र प्रदेश	विद्यमान एक बोरवैल द्वारा 2 घन मी. प्रति दिन
36.	मै. एम.एस. चौहान एंटरप्राइसेस्	गांव गली नं. 3, छालेरा ब्लॉक मंडल बिस्रख तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	विद्यमान एक बोरवैल द्वारा 10 घन मी. प्रति दिन
37.	श्री बाला जी ड्रिंकस्	इनमदुगु गांव, कौवुमंडल नालौर जिला, आन्ध्र प्रदेश	प्रस्तावित एक ट्यूबवैल द्वारा 9 घन मी. प्रतिदिन
38.	मै. साईसात्विक बेवेरिस्	गांव कालाब्नूर ब्लॉक संगारेड्डी जिला मेडक, आन्ध्र प्रदेश	विद्यमान एक बोरवैल द्वारा 40 घन मी. प्रति दिन
39.	मै. सप्तगिरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर	गांव अन्नाराम ब्लॉक जिन्नाराम जिला मेडक, आन्ध्र प्रदेश	विद्यमान एक (1) बोरवैल द्वारा 3 घन मी. प्रति दिन
40.	मै. श्री लक्ष्मी एक्वा प्रोडेक्ट	एस. सं. 277/5 बी, सिरंगदु गांव, कन्निवदि, जिला, दिंदिगुल, तमिलनाडु	विद्यमान एक (1) बोरवैल द्वारा 10 घन मी. प्रति दिन
41.	मै. शिव गंगा इंडस्ट्रीज	गांव तुर्कयम्जल हयातनगर जिला रंगा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश	विद्यमान एक (1) बोरवैल द्वारा 6 घन मी. प्रति दिन
42.	मैसर्स त्रिभुवन एन्टरप्राइजेज	गांव दमईबुडा, ब्लॉक नागरम, तालुका किसारा, जिला रंगरेड्डी, आन्ध्र प्रदेश	मौजूदा एक (1) बोरवेल के माध्यम से 0.072 घन मी. प्रति दिन
43.	मैसर्स ओम श्री वेंकटासाई	गांव नागरम, ब्लॉक महेश्वरम, जिला रंगारेड्डी आन्ध्र प्रदेश	मौजूदा एक (1) बोरवेल के माध्यम से 15 घन मी. प्रति दिन
44.	मैसर्स गंगा एक्याप्रोडक्ट्स	गांव कोथावारी पल्ली, मंडल, मदनपल्ली, जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	मौजूदा एक (1) बोरवेल के माध्यम से 40 घन मी. प्रति दिन
45.	मैसर्स देशवाल फूड एंड बीवरेजिस	गांव चुलियाना, ब्लॉक एवं तहसील सांपला, जिला रोहतक, हरियाणा	प्रस्तावित एक (1) बोरवेल के माध्यम से 50 घन मी. प्रतिदिन

1	2	3	4
46.	मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बीवरेजिस	गांव मदुरा नीमम, तालुक पूनममल्ली, जिला थिरूवल्लूर, तमिलनाडु	मौजूदा पांच (5) बोरवेलों एवं प्रस्तावित दो (2) के माध्यम से 480 घन मी. प्रतिदिन
47.	मैसर्स एडवे एक्वा मिनरल प्राइवेट लि.	गांव वैंगल, ब्लॉक इल्लापुरम, जिला थिरूवल्लूर, तमिलनाडु	मौजूदा एक (1) बोरवेल के माध्यम से 150 घन मी. प्रति दिन
48.	मैसर्स सिंथूजा एक्वा प्रोडक्टस	गांव पावीथरम, ब्लॉक के पारामथी, तहसील अरावाकुरीचि, जिला करूर, तमिलनाडु	मौजूदा दो (2) बोरवेल के माध्यम से 45 घन मी. प्रति दिन
49.	मैसर्स ग्लोबल क्रिएटरस	वैल्लारूगमपालयम, देवरायापुरम गांव, थोडामिथूर ब्लॉक, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु	प्रस्तावित एक (1) बोरवेल के माध्यम से 24 घन मी. प्रतिदिन
50.	मैसर्स गोपाल एक्वा मिनरलस	गांव मरचननईकेनपलयम, ब्लॉक अन्नामलई, तालुक कोलाची, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मौजूदा एक (1) डगवेल और दो (2) के माध्यम से 91 घन मी. प्रतिदिन
51.	मैसर्स सिल्वेरी फार्मा एंड एक्वा इंडिया प्रा. लि.	गांव खुशखेरा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान	मौजूदा एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 22 घन मी. प्रतिदिन भूमिजल
52.	मैसर्स सुभाहन वाटर प्लांट	गांव नरसरावपेटा, ब्लॉक नरसरावपेटा, जिला गंटूर, आन्ध्र प्रदेश	प्रस्तावित एक (1) बोरवेल के माध्यम से 28 घन मी. प्रतिदिन
53.	मैसर्स प्योरफूड एंड वीवरेजिस	गांव निलचेरा, ब्लॉक और तहसील बोलकोरा, जिला कसार, असम	मौजूदा एक (1) बोरवेल के माध्यम से 40 घन मी. प्रति दिन
54.	मैसर्स युनाइटेड एक्वा फार्मस	गांव चिथलंगगुडी, ब्लॉक एवं तालुका टीवादी-पट्टी, जिला मदुरै, तमिलनाडु	प्रस्तावित एक (1) बोरवेल के माध्यम से 20 घन मी. प्रतिदिन भूमिजल
55.	मैसर्स ऋषिकेश एक्वाफार्मस	गांव पेरियाकरूपपुर, जिला पेरियाकरूपपुर, ब्लॉक अनंथलूर, तालुका श्रीरंगम, जिला तिरूची, तमिलनाडु	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 20 घन मी. प्रतिदिन भूमिजल
56.	मैसर्स मलार मिनरलस	गांव खुजियाविद्यूती, जिला पुद्दुकोट्टई, तमिलनाडु	मौजूदा एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 200 घन मी. प्रतिदिन भूमिजल
57.	मैसर्स शक्ति पैकेज्ड वाटर	गांव नगईकोट्टई, ब्लॉक और तालुक वेदसांदर, जिला डिंडीगुल, तमिलनाडु	मौजूदा एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 10 घन मी. प्रतिदिन भूमिजल
58.	मैसर्स मधिल एक्वा प्रोडक्टस	गांव अनियाबारानलूर, ब्लॉक, श्रीवेंकुटम, जिला तुथुकुड्डी, तमिलनाडु	मौजूदा एक (1) वोरवेल के माध्यम से 50 घन मी. प्रतिदिन भूमिजल
59.	मैसर्स संतोष स्टार्च प्रोडक्टस	संतोषधाम, सर्वे नं. 459, 460, 462 और 463/1, सुकपर रोड, गांव मोइगर, तालुका बचाऊ, जिला कच्छ, गुजरात	मौजूदा चार (4) बोरवेल के माध्यम से 913

1	2	3	4
60.	मैसर्स यूतीस इंडस्ट्रीज	गांव सीतारामपेट, मंडल, साथियावेदू, अम्बकम ग्रामपंचायत, जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 18
61.	मैसर्स पंचग्वया फूड्स एंड विवरेजिस प्रा. लि.	गांव मौजा कारगानू, ब्लॉक एवं तालुक राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 100
62.	मैसर्स आवांस हेल्थ वेज	गांव थाना, ब्लॉक और तालुका नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 600
63.	मैसर्स शादियोरा ब्रदर्स	गांव लोंगोवाल, ब्लॉक 'चीमा, तहसील एवं जिला संगरूर, पंजाब	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 35 घन मी. प्रतिदन भूमि जल
64.	मैसर्स डॉ. थंग एक्वा इंडस्ट्रीज	गांव वीरूपैची, ब्लॉक एवं तहसील ओडानचतरम, जिला डिंडीगुल, तमिलनाडु	मौजूदा दो (2) बोरवेलों के माध्यम से 30
65.	मैसर्स एन.के.एन. एक्वा कम्पनी	गांव नरसावपैती, ब्लॉक एवं तहसील सलेम, जिला सलेम, तमिलनाडु	मौजूदा एक (1) बोरवेलों के माध्यम से 25
66.	मैसर्स अरूण एसोसिएट	गांव रामपुरम, ब्लॉक विल्लीवकम, तहसील अम्बातुर, जिला थिरूवल्लूर, तमिलनाडु	मौजूदा दो (2) बोरवेलों के माध्यम से 40
67.	मैसर्स सिंधिया ऐक्वा मिरनल प्रा. लिमिटेड	गांव पप्पानकुप्पम, ब्लॉक एवं तहसील गुम्मीदि-पुंडी, चेंगापट्टु, जिला तिरूवल्लूर, तमिलनाडु	विद्यमान दो (2) बोरवेलों और प्रस्तावित दो (2) बोरवेलों के माध्यम से 400
68.	मैसर्स मून बेवरेजेज	इकोटेक-III, उद्योग केन्द्र, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	विद्यमान 1 बोरवेल के माध्यम से 600
69.	मैसर्स इक्वल मिनरलस	औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, पंचकुला, ब्लॉक, पिंजौर, तहसील और जिला-पंचकुला, हरियाणा	विद्यमान एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से 100
70.	मैसर्स एस.बी. बेबरेजेज	गांव रामपुर देवराई, चंद्रिका देवी मंदिर, बक्सी का तालाब, लखनऊ	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 20
71.	मैसर्स दलिप इंडस्ट्रीज	गांव जतौली हल्ली मंडी, ब्लॉक और तहसील-पटौदी, जिला-गुड़गांव, हरियाणा	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 33
72.	मैसर्स गोबिंद एन्कलेव	गांव नुतन बाजार, ब्लॉक नरसिंहपुर, जिला-कछार, असम	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 20
73.	मैसर्स डी.के. फूड प्रोडक्ट्स	गांव बाजरा मंगत, जिला-लुधियाना, पंजाब	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 40
74.	मैसर्स अमृता एग्रो इंटर-प्राइजेज प्रा. लिमिटेड	एस.एफ. नं. 1254/1, गांव कुप्पीनयक्कन थोप्पु, कीला वाडाकराई, पेरियाकुलम ब्लॉक, जिला-थेनी, तमिलनाडु	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 50

1	2	3	4
75.	मैसर्स श्री नारायण बेवरेजेज	गांव उंजमपट्टी, ब्लॉक थेनी, जिला-थेनी, तमिलनाडु	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 15
76.	मैसर्स बी.एन. चौधरी एंड संस	गांव-खरिजापईकन, ब्लॉक एवं तहसील-कृष्णाई, जिला-ग्वालपारा, असम	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 40
77.	मैसर्स इथिक फूड्स एंड बेबरेजेज	गांव-चांदपुर, प्रतापपुर, रामगढ़ रोड, तहसील एवं ब्लॉक-काशीपुर, जिला-उधमसिंह नगर, उत्तराखंड	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 37.5
78.	मैसर्स एस.आर.के. बेवरेजेज प्रा. लिमिटेड	गांव-गिजोर, ब्लॉक एवं तहसील-नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	प्रस्तावित एक (1) बोरवेल के माध्यम से 7
79.	मैसर्स ऐक्वा इंपैक्स फूड्स	गांव-जांबाजपुरा, ब्लॉक-बारामुला, जिला-बारामुला, जम्मू और कश्मीर	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 30
80.	मैसर्स ओम फूड्स	गांव-अलीपुर खालसा, ब्लॉक एवं तहसील-घरौंदा, जिला-करनाल, हरियाणा	प्रस्तावित एक (1) बोरवेल के माध्यम से 17.6
81.	मैसर्स एस.आर. बेवरेजेज प्रा. लिमिटेड	गांव-पावा, ब्लॉक-लुधियाना, जिला-लुधियाना	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल के माध्यम से 80
82.	मैसर्स ढिल्लन कूल ड्रिंक्स एंड बेवरेजेज (प्रा.) लिमिटेड	गांव-बचवाल, ब्लॉक एवं तहसील-फिल्लौर, जिला-जालंधर, पंजाब	प्रस्तावित दो (2) ट्यूबवेल के माध्यम से 853
83.	मैसर्स आर.सी.डी. बेवरेजज	ई-67, इंडस्ट्रीयल एरिया, कुर्सी रोड, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 20
84.	मैसर्स रामवृक्ष फूड एंड बेवरेजेज प्रा. लिमिटेड	ट्रांसपोर्ट नगर, पहाड़ी, पटना, बिहार	विद्यमान एक (1) बोरवेल के माध्यम से 25
85.	मैसर्स ब्लू हैवन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गांव-छोटकीचंदा, ब्लॉक एवं तहसील-कोयलवर, जिला-भोजपुर, बिहार	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से 20
86.	मैसर्स वाई.के.एम. बॉटलिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	गांव-शिकारपुर, ब्लॉक एवं तहसील-डेरावस्सी, जिला-एस.ए.एस. नगर, पंजाब	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से 105.5
87.	मैसर्स वर्षा इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड	जी-32, यू.पी.एस.आई.डी.सी., कुर्सी रोड, ब्लॉक-निंदुरा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 10
88.	मैसर्स क्षितीज इंटरप्राइजेज	एल.एस-2/569, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ-226021	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 3
89.	मैसर्स बालाजी ग्रुप	गांव-पुंख, तहसील-उदयपुर वटी, जिला-झुंझुनू	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 16

1	2	3	4
90.	मैसर्स रथी इंटरप्राइजेज	गांव-सिंधी (एम), तहसील और जिला-वर्धा, महाराष्ट्र	विद्यमान एक (1) डगवेल और प्रस्तावित एक (1) बोरवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 50
91.	मैसर्स एच.एम. फूड्स एंड मिनरलस	गांव-जवाहरपुर, ब्लॉक एवं तहसील-डेरावस्सी, जिला-एस.ए.एस. नगर, (मोहाली), पंजाब	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 12
92.	मैसर्स डी.पी.जी. बेवरेजेज प्रा. लिमिटेड	गांव-हसनपुर, ब्लॉक एवं तहसील-घरौंदा, जिला-करनाल, हरियाणा	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 9.5
93.	मैसर्स शुभम इंटरप्राइजेज	गांव-अलकर, ब्लॉक-जतानी, तहसील-भुवनेश्वर जिला-खुर्दा	प्रस्तावित चार (4) बोरवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 50
94.	मैसर्स शुद्ध गंगा बेवरेजेज	गांव-टिकली, ब्लॉक-सोहना, जिला-गुड़गांव, हरियाणा	विद्यमान एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 20
95.	मैसर्स हले बेवरेजेज	गांव-लपरान, ब्लॉक-दोराहा, तालुका-पायल, जिला-लुधियाना, पंजाब	विद्यमान एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 40
96.	मैसर्स थेनी एक्वा एंड बेवरेजेज	गांव-तिरूविदाईमारूदूर, ब्लॉक एवं तालुका-तिरूविदाईमारूदूर, तंजावूर, तमिलनाडु	विद्यमान एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 10
97.	मैसर्स होलीड्राप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी	गांव-पंपापदायूर, ब्लॉक एवं तालुका-कुबाकोनम, जिला-तंजावूर, तमिलनाडु	विद्यमान एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 5
98.	मैसर्स श्री ईश्वर कृपा इंडस्ट्रीज	गांव-नारायणगढ़, ब्लॉक एवं तहसील-नारायणगढ़, जिला-अंबाला, हरियाणा	प्रस्तावित एक (1) ट्यूबवेल मात्र के माध्यम से भूजल का 198

म्यूरियेट ऑफ पोटाश की मांग

3577. श्री सोमेन मित्रा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) की कुल मांग कितनी हैं;

(ख) क्या देश में एम.ओ.पी. के संभाव्य स्रोत नहीं है जिसके परिणामस्वरूप मांग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान वर्षवार आयात और खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में एम.ओ.पी. के स्रोत को खोजने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) देश में वर्तमान वर्ष 2011-12 में म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) की आवश्यकता (मांग) 48.16 लाख मी.टन है।

(ख) और (ग) जी, हां। देश में एम.ओ.पी. का कोई भी ज्ञात स्रोत नहीं है और इसलिए एम.ओ.पी. की आवश्यकता को केवल आयात के माध्यम से पूरा किया

जाता है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अक्तूबर 2011 तक) देश में एम.ओ.पी. के आयात और कुल मूल्य ($) इस प्रकार है:

वर्ष	एम.ओ.पी. का आयात (मात्रा मी.टन में)	कुल मूल्य ($)
2008-09	5670571	3153339671
2009-10	5242977	2464480436
2010-11	6242126	2268101925
2011-12 (अक्तूबर 2011 तक)	847240	373231359

(घ) से (च) उर्वरक संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) की 20 मार्च, 2009 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि खान मंत्रालय सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने और देश में उर्वरक संसाधन के संवर्द्धन के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से संभावना का पता लगाने का कार्य करेगा।

पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं

3578. श्री मनीष तिवारी: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वच्छ पेयजल और शौचालय सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के समग्र रूप में और सकल घरेलू उत्पाद के अंश के रूप में कम स्वच्छता की वित्तीय लागत का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कम स्वच्छता के कारण भारत में होने वाली मौतों का अनुमान लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) कम स्वच्छता के कारण हुई मौतों की संख्या में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) भारत में शौचालय सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए जरूरी सार्वजनिक शौचालयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ज) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र/संघ सरकार की सहायता के बिना बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(झ) सार्वजनिक शौचालयों के रोजाना रखरखाव के लिए जारी दिशानिर्देश/मानक क्या हैं; और

(ञ) क्या इस पर लगाम लगाने के लिए कोई तंत्र है; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय बसावटों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की कवरेज की निगरानी करता है। आज की तारीख में देश में 16,64,186 ग्रामीण बसावटें हैं। विगत पांच वर्षों अर्थात् 2006-07 से 2010-11 के दौरान इनमें से 6,34,035 लाख बसावटों या कुल बसावटों में से 38.10% बसावटों में पेयजल की सुविधा मुहैया कराई गई है जैसा कि राज्यों ने मंत्रालय की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली पर जानकारी दी है।

विगत पांच वर्षों के दौरान शौचालय सुविधायुक्त परिवारों का वर्षवार प्रतिशत, जैसाकि 2001 की जनगणना के अनुसार उपलब्ध शौचालय सुविधाओं के आधार पर अनुमान लगाया गया है तथा राज्यों द्वारा मंत्रालय की ऑनलाइन डाटा निगरानी प्रणाली के जरिए बताई गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कुल परियोजना उद्देश्यों के हिसाब से टी.एस.सी. के अंतर्गत हुई प्रगति नीचे दी गई है:-

वर्ष	अनुमानित स्वच्छता कवरेज
1	2
2006-07	39.03%
2007-08	48.02%
2008-09	56.03%

1	2
2009-10	63.78%
2010-11	71.65%

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ञ) भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने में राज्यों की मदद करने के लिए वर्ष 1999 शुरू किए गए संपूर्ण स्वच्छता अभियान नामक व्यापक कार्यक्रम का संचालन कर रही है जिसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को दूर करना तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। फिलहाल देश के 607 ग्रामीण जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं - वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लिए सहायता, आंगनवाड़ी शौचालय तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। टी.एस.सी. के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, जब पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी होती है और समुदाय उसके संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं तब सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जाता है। इसका अंतिम उद्देश्य अधिक से अधिक वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना है। टी.एस.सी. के प्रभावी कार्यान्वयन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज नवंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार बढ़कर लगभग 74% हो गई है।

रेल-पथों का रखरखाव

3579. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में रेल-पथों के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेलवे ने निर्माण, पत्तनों को संपर्क मुहैया कराने के लिए रेलवे लाइनों का परिचालन एवं अनुरक्षण, औद्योगिक कलस्टर और कोयला/लौह अयस्क माइंसों में निजी क्षेत्र की भागीदारी में सहायता के लिए आर 3 आई (औद्योगिक पहल के लिए रेलवे की अवसंरचना) और आर 2सी आई नीतियों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। सात परियोजना विशिष्ट रूप से विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के सामरिक स्टेक हॉल्डरों की भागीदारी से बनाया जा रहा है। ये हैं:

पूरी की गई परियोजनाएं:

क्र. सं.	परियोजना	विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) में गैर-रेलवे भागीदारी	
1	2		3
1.	सुरेन्द्रनगर-पीपावाव आमान परिवर्तन (जीसी-267 किमी.)	(i)	गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (जी.पी.पी.एल.)
2.	हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन (जीसी-183 किमी.)	(i)	कर्नाटक सरकार
		(ii)	के-राइड
		(iii)	न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट

1	2	3
		(iv) मिनरल इंटरप्राइजेज लिमिटेड
3.	गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन (जीसी-301 किमी.)	(i) काण्डला पोर्ट ट्रस्ट
		(ii) गुजरात सरकार
		(iii) मुंद्रा पोर्ट
चालू परियोजनाएं:		
1.	हरीदासपुर पारादीप नई लाइन 82 किमी.	(i) ओडिशा सरकार, (ii) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (iii) एस्सेल माइनिंग इंडस्ट्रीज लि., (iv) रूंगटा माइंस (v) पॉस्को इंडिया, (vi) एम.एस.पी.एल. (vii) सेल, (viii) जिन्दल स्टील एवं पावर
2.	ओबुलावारीपल्ले-कृष्णापत्तनम नई लाइन-113 किमी.	(i) कृष्णा पत्तनम पोर्ट, (ii) आन्ध्र प्रदेश सरकार, (iii) एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (iv) ब्रहमनी इंड.
3.	बरूच-दहेज आमान परिवर्तन परियोजना-66 किमी.	(i) गुजरात मैरिटाइम बोर्ड, (ii) दहेज एस.ई.जेड. लिमिटेड, (iii) जी.एन.एफ.सी., (iv) दहेज पोर्ट, (v) हिंडालको इंडस्ट्रीज, (vi) जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर
4.	अनुगुल-सुकिंदा नई लाइन-102 किमी.	जिन्दल स्टील एवं पावर भूषण स्टील

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सिविलियन एयरक्राफ्ट विकास संबंधी समिति का प्रतिवेदन

3580. डॉ. शशी थरूर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सिविलियन एयरक्राफ्ट विकास संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (सी.एस.आई.आर.-एन.ए.एल.), बेंगलूरु में राष्ट्रीय नागर विमान विकास (एन.सी.ए.डी.) कार्यक्रम हेतु व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। 90 सीटों वाले विमान के विकास से संबंधित इस कार्यक्रम के दो चरण होंगे पहला डिजाइन एवं विकास चरण और दूसरा निर्माण चरण। इस एन.सी.ए.डी. कार्यक्रम की कुल अनुमानित बजटीय आवश्यकता रु. 7555 करोड़ है जिसमें से रु. 4355 करोड़ डिजाइन और विकास चरण हेतु तथा रु. 3200 करोड़ शृंखलाबद्ध निर्माण चरण हेतु हैं। योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार इन दोनों चरणों में निजी क्षेत्र उद्योग को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। सी.एस.आई.आर. ने अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना में एन.सी.ए.डी. कार्यक्रम को सम्मिलित किया है।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर उपभोक्ताओं को राजसहायता

3581. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों पर उपभोक्ताओं को राजसहायता देने की नीति को स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा किस तारीख को और किस स्तर पर इस नीति को स्वीकृति दी थी;

(ग) क्या संबंधित विभाग ने इस नीति का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसका औचित्य क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक विभाग का कार्य किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है। किसानों को राजसहायता प्राप्त उर्वरकों से यह लाभ है कि वे उर्वरक वहनीय दरों पर खरीद सकते हैं।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है कि किसानों को, जब भी आवश्यकता हो, राजसहायता प्राप्त उर्वरक हर समय मिले। किसानों को सीधे राजसहायता देने के चिरप्रतीक्षित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्री नंदन नीलेकनी, अध्यक्ष, यू.आई.डी.ए.आई. की अध्यक्षता में फरवरी, 2011 के महीने में उर्वरकों, एल.पी.जी. और केरोसीन पर प्रत्यक्ष राजसहायता देने के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने 5 जुलाई, 2011 को वित्त मंत्री को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट (finmin.nic.in) पर देखा जा सकता है।

संक्षेप में, कार्यदल ने वांछित लाभार्थियों को राजसहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की सिफारिश की है। एन.आई.सी. को सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य दिया गया है, और उर्वरक कंपनियां इसका कार्यान्वयन करने में सहायता कर रही हैं।

चरण-I के अंतर्गत फार्मगेट स्तर पर उर्वरक उपलब्धता को पारदर्शी पोर्टल के जरिए सभी शेयरधारकों द्वारा देखा जा सकेगा। ऐसी संभावना है कि यह पोर्टल इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध हो जाएगा। इस पारदर्शी पोर्टल से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- आस-पास के खुदरा व्यापारी, जिनसे किसान उर्वरक खरीदता है, के पास उर्वरकों की उपलब्धता की सूचना दैनिक और वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होगी। इससे उत्पादन/आयात से अंतिम स्थल (फार्मगेट) पर इसकी उपलब्धता तक उर्वरकों के संचलन का पता लगाया जा सकता है, जिससे सभी शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि राजसहायता-प्राप्त उर्वरक वांछित लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं।
- चरण-II, अर्थात् अंतरिम चरण में ऐसी संभावना है कि खुदरा व्यापारियों (आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम स्थल) के पास उर्वरकों के प्राप्त होने के बाद राजसहायता को अंतरित कर दिया जाएगा। चरण-III के अंतर्गत राजसहायता लाभार्थियों को 'आधार' संख्या प्रदान करने के बाद अंतरित की जाएगी तथा "आधार" समर्थित भुगतान प्रणाली बनाई जा रही है।

(ग) और (घ) जी नहीं, उर्वरक विभाग ने इस नीति का विरोध नहीं किया है।

[अनुवाद]

दिल्ली से कन्याकुमारी तक रेलगाड़ी सेवा

3582. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली दैनिक रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे की योजना नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक बरास्ता त्रिची-मदुरै एक दैनिक रेलगाड़ी चलाने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) नई दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच कोई दैनिक गाड़ी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) मदुरै के रास्ते नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक परिचालनिक कठिनाइयों और कन्याकुमारी में अनुरक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण दैनिक गाड़ी चलाने के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच इस समय, दो जोड़ी साप्ताहिक गाड़ियां यथा मदुरै के रास्ते 12641/12642 कन्याकुमारी-निजामुद्दीन तिरूक्कुराल एक्सप्रेस और 16317/16318 कन्याकुमारी-जम्मूतवी हिमसागर एक्सप्रेस चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना के तहत बनाए गए शौचालय

3583. डॉ. भोला सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित घरों में शौचालयों के निर्माण हेतु निर्धारित राज्य-वार लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या यह लक्ष्य अब तक हासिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अन्तर्गत बनाए गए आवासों में शौचालयों के निर्माण हेतु निधियां जारी करने का है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) 20 दिसम्बर, 2006 से इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) कार्यक्रम से सम्बद्ध किया गया है और आई.ए.वाई. लाभार्थी, अपने आई.ए.वाई. आवास में शौचालय के निर्माण के लिए उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर सकते हैं। इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उदेश्य से इसे दोहराते हुए राज्य सरकारों को दिनांक 18 मई, 2011 को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्हें सभी पात्र आई.ए.वाई. लाभाथियों को टी.एस.सी. के अंतर्गत एक शौचालय स्वीकृति करने को अनिवार्य बनाने के लिए कहा गया है। तथापि, लोगों की पारंपरिक एवं सांस्कृतिक मनोवृति के कारण कई ग्रामीण परिवार मकान में स्वच्छ शौचालय के निर्माण के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तथापि, लाभार्थियों को मकान में स्वच्छ शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लाभार्थियों की मनोवृत्ति में बदलाव लाने के उदेश्य से उनमें शौचालय तथा स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आई.ई.सी. कार्यकलाप भी कार्यान्वित किए जाते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 2007-08 से 2010-11 के दौरान आई.ए.वाई. के अंतर्गत निर्धारित राज्यवार वास्तविक लक्ष्यों, निर्मित आवासों तथा निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) आवासों में शौचालयों के निर्माण हेतु आई.ए.वाई. के अंतर्गत कोई अतिरिक्त राशि रिलीज करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि टी.एस.सी. कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से ही निधियां उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्धारित लक्ष्य, निर्मित आवास एवं निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों की संख्या		
		लक्ष्य	निर्मित	निर्मित स्वच्छ शौचालय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1262379	1322561	154328

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	39682	30461	5537
3.	असम	877500	670218	145324
4.	बिहार	3728687	2265807	70086
5.	छत्तीसगढ़	194171	189802	79320
6.	गोवा	7788	4685	1
7.	गुजरात	620147	600888	441750
8.	हरियाणा	87067	75908	57967
9.	हिमाचल प्रदेश	28148	24697	13053
10.	जम्मू और कश्मीर	87434	69177	5913
11.	झारखंड	430268	407362	7614
12.	कर्नाटक	487178	391505	150932
13.	केरल	270918	219773	181066
14.	मध्य प्रदेश	387791	332314	152615
15.	महाराष्ट्र	762186	641239	313505
16.	मणिपुर	34447	13178	2520
17.	मेघालय	59996	31683	5828
18.	मिजोरम	12786	16755	8113
19.	नागालैंड	39701	67450	0
20.	ओडिशा	729750	592973	12666
21.	पंजाब	107676	86399	22905
22.	राजस्थान	311630	275713	75804
23.	सिक्किम	7591	9685	283
24.	तमिलनाडु	506278	463760	231604
25.	त्रिपुरा	77301	62442	0
26.	उत्तर प्रदेश	1676307	1412447	344724

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	77041	73341	54874
28.	पश्चिम बंगाल	1009817	736094	360383
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11241	1324	641
30.	दादरा और नगर हवेली	1873	162	1
31.	दमन और दीव	837	12	12
32.	लक्षद्वीप	777	375	343
33.	पुडुचेरी	5598	200	143
	कुल	13941991	11090390	2899855

बाढ़ नियंत्रण संबंधी विशेषज्ञ समिति

3584. श्री गणेश सिंह:

श्री गोविंद प्रसाद मिश्र:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "राष्ट्रीय बाढ़ आयोग" ने देश में प्रभावी बाढ़ नियंत्रण हेतु किसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) भारत सरकार ने 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (नेशनल फ्लड कमीशन) का गठन किया था जिसमें देश में बाढ़ के समस्त स्वरूप का अध्ययन किया गया था तथा इसमें 207 सिफारिशों वाली अपनी रिपोर्ट को 1980 में प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने, देश में बाढ़ प्रबंधन के मुद्दे पर केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर विचार किया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों में किसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।

एन.आर.आई. भारतीयों द्वारा मतदान

3585. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रवास के विभिन्न कारणों यथा अध्ययन, नौकरी, अपंगता, बीमारी आदि के कारण अपना मतदान नहीं कर पाने वाले एन.आर.आई. व्यक्तियों सहित काफी बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए पोस्टल बैलट प्रणाली अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सामाजिक प्रतिबद्धता

3586. श्री अंजन कुमार एम. यादव:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालयाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और प्रशासनिक एजेंसियों ने सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत किसी निधि का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र उद्यम-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन निधियों का उपयोग करने वाले उपक्रमों और कार्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निधियों का उपयोग अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा आबंटित/प्रयुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इस विभाग को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा आवंटित/प्रयुक्त निधियां

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और एजेंसियों के नाम	वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित/उपयोग की गई निधि (लाख रुपये में)			कार्य जिनमें निधियों का उपयोग किया गया
	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि. (ए.वाई.सी.एल.)	256.16	-	-	सड़क, बांध और भूमिगत नालियों आदि के अवसंरचना में सुधार, अस्पताल सुविधाएं, चिकित्सा कैंप, टी.बी. कार्यक्रम, मलेरिया विरोधी अभियान, स्कूल और शिक्षा के लिए अवसंरचना में सुधार।
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एच.ई.सी.)	49.80	-	-	पूर्व कर्मचारियों तथा उनके पति/पत्नी को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग स्कूल, दो स्कूल का संचालन, वन कटाई के प्रभावों को कम करने के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान 1000 वृक्षारोपण पर व्यय।
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि. (आर.ई.आई.एल.)	-	3.24	0.18	अस्पताल में एस.पी.वी. प्रणाली तथा फिल्ड तकनीशियन को प्रशिक्षण देना, स्कूल तथा मंदिर में एस.पी.वी. देना तथा निशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित कराना।

1	2	3	4	5
ब्रिज एंड रूफ (बी. एंड आर.)	7.61	-	-	व्यय मुख्यत: कंपनी के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के प्रशिक्षण, खेलकूद गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हुआ।
भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लि. (बी.एच.पी.वी.)	21.95	22.41	21.20	रक्त दान शिविर, अंग्रेजी माध्यम तथा विशेष सेवा स्कूल में शिक्षा के लिए रियायत, कर्मचारियों में एड्स जागरूकता प्रचार तथा स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराना।
भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (भेल)	601	430	180	अवसंरचनात्मक उपकरण शिक्षा और छात्रवृत्ति, पर्यावरण, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, सांप्रदायिक विकास आपदा प्रबंधन और आई.टी.आई. आदि की स्थापना करने के लिए गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट को वित्तीय सहायता, आई.टी.आई. अधिग्रहण करना और कुशलता विकास संस्थान की स्थापना करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन, गांवों को अंगीकार करना, स्वास्थ्य प्रबंधन, अवसंरचनात्मक विकास। वे परियोजनाओं/कार्यक्रमों जो कंपनी की इकाइयों से अलग हैं तथा सी.एस.आर. के बोर्ड अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं, के लिए कंपनी ने विशेष दान/वित्तीय सहायता भी दी है।
इंजीनियरिंग प्रोजेक्स (इंडिया) लि. (ई.पी.आई.)	8.47	17.50	-	कन्या छात्रावास भवन का निर्माण, कक्षा के लिए फर्नीचर, झुग्गियों में रहने वाले अंधे व्यक्तियों के झोपड़ियों की मरम्मत, सी.आई.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन के अनुपालन में जोका, पश्चिम बंगाल में प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण परियोजना करवाना। अभयमिशन में चलायमान पीने का पानी मुहैया कराने बोरवेल का निर्माण, जोका, पश्चिम बंगाल में परियोजना के निकट एवं आसपास रहने वाले व्यक्तियों के लिए राजगीरों, बढ़ईगिरी, शटरींग, प्लम्बिंग आदि जैसे विभिन्न कार्यों में कुशलता का विस्तार और सागर (मध्य प्रदेश) में मेडिकल कॉलेज। अस्पताल परियोजना में कार्य स्थल पर बच्चों की देख रेख।
भारत भारी उद्योग निगम लि. (बी.बी.यू.एन.एल.)	1.00	1.06	1.00	कोलकाता में झुग्गीवासियों के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, कोलकाता के कम्यूनिटी सेंटर में छत की क्रांकिटिंग करवाना।
बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन लि. (बी.बी.जे.)	1.56	1.36	1.5	चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर, अंधे विद्यार्थी एवं बच्चों को उपकरण, यंत्र और मशीन प्रदान करना। "चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट" ग्रामीण कार्यक्रम के तहत कोलकाता में स्थित तीन स्कूलों का निर्माण।

1	2	3	4	5
हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स लि. (एच.पी.एफ.)	1.00	-	-	गरीब बच्चों के लिए स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय और नर्सरी स्कूल को सहायता देना, अनाथालय को सहायता देना, स्थानीय लोगों के लिए सामान्य रोजगार के द्वारा एस.सी./एस.टी. और पिछड़ा वर्गों की सहायता करना, कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण, स्थानीय बच्चों को सीमित परिवहन सुविधा और सहायक उद्योगों का विकास आदि।
भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि. (बी.पी.सी.एल.)	4.25	14.95	5.70	पड़ोसी क्षेत्रों में सांप्रदायिक विकास। गरीब छात्रों को सहायता, छात्रवृत्ति द्वारा उत्कृष्टता को प्रोत्साहन, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को प्रशिक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा बचत और अन्य सामाजिक गतिविधियां।
नेपा लि.	271.26	शून्य	शून्य	टाउनशिप में पेयजल, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी व्यय, स्कूल और शिक्षा, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधियां एवं बागवानी।
हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि. (एच.पी.सी.)	34.98	25.55	25.42	पानी की पाइप लाइन, ग्रामीण क्षेत्रों में तारा पम्प स्थापित करना, जोगी रोड (प्रक्षागृह) को वित्तीय अनुदान, पास के गांवों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक लाइब्रेरी का निर्माण, असम में विभिन्न खेलकूद, टूर्नामेंट का आयोजन, ग्रामीण लाइब्रेरी में कंप्यूटरों तथा सहायक उपकरणों का वितरण, आरोही एन.एफ., रेलवे महिला कल्याण संगठन, गुवाहाटी, पेपर मिल के आसपास के गांवों में पेयजल की आपूर्ति और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, मिल के अपव्यय द्वारा निकट के गांवों के सड़क, भूमि का विकास, नए भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता स्वरोजगार योजना के तहत शेड सहित हैंडलूम और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, पास के गांवों में सड़क में बिजली की आपूर्ति और जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं को सिलाई तथा बुनाई मशीन और बाढ़/ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों पर व्यय।
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.)	9.16	126.00		विद्यालयों की मरम्मत और रखरखाव, चिकित्सा सुविधा, नेताजी पार्क का सौन्दर्यीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीट नियंत्रक उपलब्ध कराना, खेलकूद गतिविधियां, मोटीवेशन और नेतृत्व पर कार्यशाला, पर्यावरण जागरूकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जलापूर्ति पाइप का प्रतिस्थापन, पेयजल की आपूर्ति, मिनरल वाटर आपूर्ति प्रणाली का रखरखाव, दाह संस्कार स्थल का निर्माण।

1	2	3	4	5
फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफ.सी.आर.आई.)	0.28	0.23		दानार्थ और सांस्कृतिक संगठनों को सहायता, सड़क जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों को सहायता, कृत्रिम अंग शिविर को स्पॉन्सर करना, बालिका विद्यार्थी सहवास शिविर कार्यक्रम के लिए सरकारी जनजाति विद्यालय को सहायता, स्थानीय पिछड़े विद्यालय को एक कंप्यूटर देना, एक स्थानीय विद्यालय के खेलकूद क्लब को टेलीविजन दान दिया, एक्स-सर्विसमैन के लिए वेटेरन रैली आयोजित की, कैंसर जागरूकता कार्यक्रम और सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, विद्यालय के बच्चों के लिए निशुल्क सॉफ्ट स्किल विकास कार्यक्रम आयोजित किया।
दी ऑटोमोटिव रिसर्च ऐसोसिएशन ऑफ इण्डिया (ए.आर.ए.आई.)	6.78	11.24		पुणे के निकट एक अनाथालय "आपल घर" में सोलर लाइटिंग सिस्टम फिटिंग में सहायता, गैर सरकारी संगठन "मानव्य" के माध्यम से एच.आई.वी. प्रभावित माता-पिता के बच्चों को प्रायोजित करना, निर्माण कामगारों के बच्चों के लिए चल विद्यालय चलाने के लिए यातायात वाहन का प्रायोजन, अनाथालय "ममता बाल सदन" के लिए कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराना, नेत्रहीनों को शिक्षा के लिए सहायता, ब्लड बैंक की मोबाइल सुविधा द्वारा एकत्र किए गए रक्त के संरक्षण को बढ़ाना, यातायात को नियमित करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन ("निरधर") के स्वयंसेवकों को सहायता, मस्तिष्क की बीमारी से पीड़ित वयस्कों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे संगठन (स्पेस) को पेपर श्रेडिंग मशीन और फाइल फोल्डिंग मशीन के क्रय हेतु वित्तीय सहायता, गैर सरकारी संगठन सेवा इंटरनेशन के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को स्कूल किट उपलब्ध कराना, यातायात को नियमित करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन ("निरधर") के स्वयंसेवकों को सहायता, "सवाली" फाउण्डेशन द्वारा विद्यालय में जाने के लिए विशेष प्रकार के बच्चों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना, थेलेसीमिया प्रभावित बच्चों के इलाज के लिए रेड क्रॉस सोसायटी को वित्तीय सहायता देना, साधारण बच्चों के लिए बॉर्डिंग स्कूल को आवासीय सुविधा हेतु सहायता देना (स्कूल "सेवा धाम" ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है), अनाथ बच्चों (हरमन ग्मेनर सोशियल सेंटर) की शिक्षा के लिए एडवांस्ड लेपटॉप पी.सी. उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों के लिए तम्बाकू निषेध अभियान पर जागरूकता फिल्म तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

भाखड़ा मुख्य लाइन

3587. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखड़ा मुख्य लाइन्स (बी.एम.एल.) नहर को सतलुज नदी के जल के साझेदारी के मुद्दे का समाधान करने के लिए बनाया गया था;

(ख) बी.एम.एल. में साझेदारी वाले राज्यों के लिए सतलुज के जल का प्राधिकृत हिस्सा कितना है;

(ग) क्या रावी और ब्यास नदियों का जल भी बी.एम.एल. के माध्यम से मुहैया कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो रावी और ब्यास के जल में राज्यों की प्राधिकृत हिस्सेदारी कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) सतलुज के जल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हिस्सों का वार्षिक प्रतिशत क्रमश: 52.88%, 32.31% और 9.81% है।

(ग) भाखड़ा मुख्य लाईन (बी.एम.एल.) की अतिरिक्त क्षमता का रावी-व्यास के जल को ले जाने के लिए भी पहले से ही उपयोग किया जा रहा है।

(घ) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बी.एम.एल. द्वारा रावी-व्यास के जल में राज्यों का अधिकृत हिस्सा निम्नानुसार है:-

I. हरियाणा - 3.45 मिलियन एकड़ फीट (एम.ए.एफ.) तक

II. दिल्ली - 0.20 एम.ए.एफ.

III. राजस्थान - 0.17 एम.ए.एफ. (बी.एम.एल. नहर की क्षमता के पुनरूद्धार से संबंधित)

उत्तराखंड में परियोजनाएं

3588. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड में प्रस्तावित स्थापित किए जाने वाले नए रेल स्टेशनों, नवीकरण किए जाने वाली स्टेशनों और बिछाई जाने वाली नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं, विशेष रूप से लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस पर अब तक आबंटित/व्यय की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) उत्तराखंड राज्य में अंशत:/पूर्णत: पड़ने वाली चालू नई लाइन परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	नई लाइन परियोजना	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 2010 तक व्यय	लागत 2010-11	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	देवबंद-रुड़की (27.45 किमी.)	356.85	117.58	38.60	संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है।
2.	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग (125 किमी.)	4295.30	-	6.60	तेजी से निष्पादन के लिए कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

1	2	3	4	5	6
3.	किच्छा-खटीमा (57.7 किमी.)	208.40	0.11	0.0001	भूमि की उपलब्धता, जिसे राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क मुहैया कराया जाना है, के कारण कार्य रुका पड़ा है।

उपर्युक्त परियोजनाओं के परियोजना संरेखण पर पड़ने वाले नए रेलवे स्टेशनों को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के भाग के रूप में स्थापित किया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य में किसी अन्य नए रेलवे स्टेशन की स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तराखण्ड राज्य में हरिद्वार और काठगोदाम स्टेशनों का पुनरुद्धार शुरू किया गया है। हरिद्वार में पुनरुद्धार कार्य में प्लेटफॉर्म सतह में सुधार, ऊपरी पैदल पुल का बदलाव, बुकिंग कार्यालय/पी.आर.एस. का निर्माण, पानी की व्यवस्था आदि और काठगोदाम में प्लेटफॉर्म सतह को ऊंचा करना, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन कार्य आदि शामिल हैं। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके कार्यों की प्रगति पर विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। धन आबंटन/व्यय का विवरण स्टेशनवार नहीं रखे जाते हैं। इन कार्यों का वित्तपोषण "यात्री सुविधाओं" शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। जिन संबंधित क्षेत्रीय रेलों के अंतर्गत ये स्टेशन आते हैं, के संबंध में 2011-12 के लिए आबंटन/व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपये)

रेलवे	आबंटन	व्यय (अक्तूबर, 2011 तक)
उत्तर	85.25	55.08
पूर्वोत्तर	25.12	11.09

[अनुवाद]

इन्दिरा आवास योजना के तहत मकानों का डिजाइन पुनः बनाना

3589. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकलन किया है कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे पुनः परिभाषित करने और पुनः डिजाइन करने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह सूचित किया गया है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। आई.ए.वाई. दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि आई.ए.वाई. मकान का कुर्सी क्षेत्र 20 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आई.ए.वाई. आवासीय इकाईयों का ले-आउट, साइज तथा टाईप डिजाइन स्थानीय परिस्थितियों तथा लाभार्थी की प्राथमिकता पर आधारित होता है। जलवायु की स्थिति तथा पर्याप्त जगह, रसोई, वेंटिलेशन, स्वच्छ शौचालय सुविधाएं, धुंआ रहित चूल्हे आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मकानों का डिजाइन लाभार्थियों की इच्छाओं के अनुसार करना होता है।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. बॉटलिंग संयंत्र

3590. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल विपणन कंपनियों द्वारा आगामी तीन वर्षों के दौरान स्थापित अथवा स्थापना के लिए संभावित एल.पी.जी. बॉटलिंग संयंत्र का देश में स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संयंत्रों द्वारा एल.पी.जी. की आपूर्ति देश में विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मौजूदा मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों से एल.पी.जी. की आपूर्ति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देशभर में एल.पी.जी. की अबाध आपूर्ति कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 01-12-2011 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) नामत: इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) देश में 180 एल.पी.जी. भरण संयंत्रों का प्रचालन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त ओ.एम.सीज ने देश में 27 और नए एल.पी.जी. भरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इन 180 भरण संयंत्रों में से ओ.एम.सीज ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 35859.30 हजार मीट्रिक टन (टी.एम.टी.) एल.पी.जी. की आपूर्ति की है। वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	बिक्री (टी.एम.टी. में)
2008-09	10967.28
2009-10	11799.46
2010-11	13092.56

(घ) इसके अतिरिक्त ओ.एम.सीज द्वारा आवश्यकता पड़ने पर एल.पी.जी. का समय पर आयात करने के अलावा सरकार ने ओ.एम.सीज को सलाह दी है कि वे अवकाश के दिनों में और कार्य के घंटे बढ़ाकर भरण संयंत्रों का प्रचालन करके बैकलॉग, यदि कोई हो, को समाप्त करें।

विवरण

01-12-2011 की स्थिति के अनुसार देश में एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौजूदा भरण संयंत्रों की संख्या	स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित भरण संयंत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-
3.	असम	5	-
4.	बिहार	5	2
5.	छत्तीसगढ़	2	1
6.	दिल्ली	2	-
7.	गोवा	2	-

1	2	3	4
8.	गुजरात	11	2
9.	हरियाणा	6	-
10.	हिमाचल प्रदेश	2	-
11.	जम्मू और कश्मीर	4	-
12.	झारखंड	4	1
13.	कर्नाटक	10	2
14.	केरल	7	-
15.	मध्य प्रदेश	7	3
16.	महाराष्ट्र	19	3
17.	मणिपुर	1	-
18.	मिजोरम	1	-
19.	नागालैंड	1	-
20.	ओडिशा	4	1
21.	पंजाब	5	2
22.	राजस्थान	11	2
23.	सिक्किम	1	-
24.	तमिलनाडु	16	3
25.	त्रिपुरा	1	-
26.	उत्तर प्रदेश	27	2
27.	उत्तराखंड	2	-
28.	पश्चिम बंगाल	9	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	-
30.	पुडुचेरी	1	-
	योग	180	27

[अनुवाद]

आंकड़ों की साझेदारी हेतु नीति

3591. श्री अनंत कुमार: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजकोष द्वारा किए गए व्यय के कारण सृजित आंकड़ों हेतु आंकड़ों की साझेदारी नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नीति के बनाने की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या आंकड़ों में राज्य सरकारों को आवंटित और निर्गत निधियों और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा उनके उपयोग को सम्मिलित करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति (एन.डी.एस.ए.पी.) को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों/एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक निधियों का उपयोग करके सृजित अंकीय अथवा सदृश रूपों में उपलब्ध समस्त भागिता योग्य गैर-संवेदी आंकड़ों पर लागू होने के लिए तैयार किया गया है। एन.डी.एस.ए.पी. को राष्ट्रीय आयोजना एवं विकास के लिए आंकड़ा भागिता को प्रोत्साहित करने और भारत सरकार के स्वामित्व वाले आंकड़ों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) यह राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/एजेंसियों तथा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा प्राधिकृत्त एजेंसियों के माध्यम से प्रदान की गई सार्वजनिक निधियों का उपयोग करके सृजित, निर्मित, एकत्रित और अभिलेखित सभी आंकड़ों तथा सूचना पर लागू होगी।

सामग्री-श्रमिक अनुपात

3592. श्री के. सुगुमार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम के तहत व्यय हेतु सामग्री-श्रमिक का अनुपात 40:60 निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इन मानकों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की सामग्री घटक की लागत, कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित, कुल परियोजना लागत में से 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मजदूरी लागत और सामग्री लागत का अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 के न्यूनतम मानदण्ड से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) से (ङ) अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजना के अनुसार एक वित्त वर्ष में कम से कम, 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराएं। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किया जाएगा तथा परियोजना में 40% से ज्यादा सामग्री घटक की लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में एकीकृत अग्नि और धुआं खोज तंत्र

3593. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों में संस्थापित की जाने वाली एकीकृत अग्नि और धुआं खोज तंत्र प्रक्रिया धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा भविष्य में आग की घटनाओं और दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं, पायलट परियोजना के रूप में भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी गाड़ी के एक रेक पर आग और धुएं का पहले पता लगाने की संसूचक प्रणाली स्थापित की है। इस आरंभिक परीक्षण के आधार पर इस प्रणाली की तकनीकी विशिष्टताओं की समीक्षा की जाएगी, फील्ड परीक्षणों की सफलता और अभिकल्प वैधीकरण के पश्चात् आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जाएगी।

(ग) भविष्य में आग की दुर्घटनाओं की पुनरावर्ती की जांच करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए/ प्रस्तावित किए गए हैं:-

(i) इलैक्ट्रीकल खराबियों के कारण आग की दुर्घटनाओं से बचने के लिए गाड़ी के डिब्बों में आग रेटरडेंट केबल और मल्टी-टियर इलैक्ट्रीकल प्रोटेक्शन प्रणालियों की व्यवस्था की जाती है।

(ii) सवारी डिब्बों में आग रेटरडेंट सुसज्जित सामग्री लगाना आरंभ करना और सवारी डिब्बों में आग के फैलाव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप विशिष्टताओं को नियमित रूप से अपग्रेड करना।

(iii) लिंक हॉफमैन बुश (एल.एच.बी.) प्रकार के सवारी डिब्बों में आग के फैलाव को रोकने के लिए गलियारे के दरवाजों में आग रोधक और थर्मिक लॉक की व्यवस्था करना।

बांधों का कम उपयोग

3594. राजकुमारी रत्ना सिंह:

श्री इज्यराज सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से बेकार पड़े बांधों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा तैयार किए गए बड़े बांधों के अद्यतन राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार भारत में पूर्ण बड़े बांधों की कुल संख्या 4728 है। इन बांधों के उपयोगिता स्तर का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनके अपने संसाधनों से किया जाता है।

[अनुवाद]

सुरक्षा संबंधी उच्चस्तरीय समिति

3595. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:

श्री सुशील कुमार सिंह:

श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे हेतु सुरक्षा तंत्र की आवश्यकताओं के अध्ययन और समेकित योजना के निर्धारण हेतु अतिरिक्त महानिदेशक आर.पी.एफ. की अध्यक्षता में भारतीय रेल हेतु समेकित सुरक्षा योजना संबंधी उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उक्त समिति ने आतंकी/विद्रोही हमले हेतु मेट्रो कोलकाता सहित देश के कुछ स्टेशनों की पहचान संवेदनशील स्टेशनों के रूप में की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलों के लिए एक संघटित सुरक्षा योजना की सिफारिश के लिए वर्ष 2007 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसमें एन.एस.जी., अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली पुलिस रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे के अधिकारी शामिल हैं। उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2008 में संघटित सुरक्षा योजना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, संघटित सुरक्षा योजना में रेलवे सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 21 सिफारिशें की गई हैं। संघटित सुरक्षा योजना में की गई सिफारिशों के अनुसरण में रेलवे सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) संघटित सुरक्षा प्रणाली

(ii) सुरक्षा से संबद्ध आधुनिक उपकरणों की खरीद

(iii) रेलवे सुरक्षा बल मित्र योजना

(iv) सुरक्षा प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिए अ.अ.भा.सं. में रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती

(v) अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संगठन के साथ संपर्क के लिए समन्वय अधिकारी का नामांकन

(vi) रेलवे सुरक्षा विशेष बल बटालियनों, कमांडो प्रशिक्षण केंद्र, सुरक्षा नियंत्रण कक्षों की नेटवर्किंग तथा आल इंडिया सुरक्षा हैल्प लाइन आदि की स्थापना के लिए सुरक्षा अवसंरचना के विकास के लिए बजटीय आबंटन

(ग) और (घ) समिति ने मेट्रो रेलवे, कोलकाता के स्टेशनों सहित भारतीय रेलों के संवेदनशील तथा असुरक्षित स्टेशनों की पहचान की है। उनकी रिपोर्ट तथा फील्ड यूनिटों और आसूचना एजेंसियों से फीडबैक के आधार पर 353 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर संघटित सुरक्षा प्रणाली के कार्यन्वयन के लिए 202 स्टेशनों की पहचान की गई है। संघटित सुरक्षा प्रणाली में निम्न शामिल है:-

(i) इंटरनेट प्रोटोकाल आधारित क्लोज सर्किट टीवी प्रणाली

(ii) पहुंच नियंत्रण

(iii) व्यक्तिगत एवं सामान स्क्रीनिंग प्रणाली

(iv) बम का पता लगाने तथा डिस्पोजल करने की प्रणाली

[हिन्दी]

ए.आई.बी.पी. में संशोधन

3596. श्री वीरेन्द्र कुमार:

श्री मकनसिंह सोलंकी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के नियमों/दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन राज्यों की सिंचित भूमि की प्रतिशतता कम है उनके हितों को किस प्रकार सुरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों सरकारों को केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) जारी करती है।

ए.आई.बी.पी. के तहत वित्त पोषण करने संबंधी दिशानिर्देशों को वित्त पोषण के स्तर को बढ़ाने तथा विकास में पिछड़े क्षेत्रों के लिए वर्तमान में जिसमें पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य, सूखा प्रवण और जनजातीय क्षेत्रों, ओडिशा के के.बी.के. जिले, राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा निम्न सिंचाई विकास वाले राज्य तथा प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत अभिज्ञात कृष्य समस्या वाले जिले शामिल हैं, पर विशेष ध्यान देने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है।

(ग) दिसंबर, 2006 में ए.आई.बी.पी. के दिशानिर्देशों में किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नई परियोजना को शामिल करने से पहले

निर्माणाधीन परियोजना को पूरा किए जाने की शर्त में राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम सिंचाई विकास वाले राज्यों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं के लिए छूट दी गई है।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट शासन

3597. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पर्यावरण अनुकूल कॉर्पोरेट शासन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अनुपालनों की विधिक वैद्यता के लिए सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 की धाराओं 2, 4, 5, 13 और 81 पर विचार के पश्चात् कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से कागजरहित अनुपालनों की अनुमति देकर "कॉर्पोरेट शासन में हरित पहल" की है।

(ख) और (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनियों द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में दर्ज किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेज/विवरणी अब एम.सी.ए. 21 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनियों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा कागज रहित अनुपालन को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए गए हैं:-

(i) कंपनियों द्वारा अपने पणधारकों को तुलन पत्र तथा लेखापरीक्षक रिपोर्ट आदि सहित दस्तावेजों से संबंधित सेवा ई-मेल के माध्यम से प्रदान किए जाने की अनुमति देना।

(ii) निदेशकों तथा शेयरधारकों का विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेना।

(iii) कंपनियों की आम बैठकों में इलेक्ट्रानिक तरीके से मतदान।

(iv) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रमाण पत्र जारी करना।

सिद्धपुर स्टेशन पर ठहराव

3598. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस को साबरमती सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि अनुसार उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 12957/12958 नई दिल्ली-अहमदाबाद "स्वर्ण जयंती" राजधानी एक्सप्रेस को साबरमती और सिद्धापुर स्टेशनों पर ठहराव देने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं लेकिन इन्हें मूर्त रूप देना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली-कानपुर खंड में सिग्नल प्रणाली

3599. श्री प्रेमदास: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-कानपुर रेल लाइन पर सिग्नल प्रणाली संबंधी कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य को किस स्तर तक पूरा कर लिया गया है;

(ग) क्या उक्त कार्य हेतु ठेका किसी विदेशी कंपनी को दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त ठेके को प्रदान करने में भारतीय कंपनियों की तुलना में उक्त कंपनी को वरीयता क्यों दी गई है;

(ङ) क्या उक्त कंपनी द्वारा प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता और किए गए कार्य की जांच हेतु कोई निगरानी समिति गठित की गई है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कंपनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दिल्ली-कानपुर लाइन पर "कानपुर-गाजियाबाद खंड पर सिग्नल और दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण" की परियोजना निष्पादित होने वाली है। इस कार्य में, मौजूदा पुरानी और गतायु इंटरलॉकिंग प्रणाली का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से बदलाव किया जा रहा है। ब्लॉक वर्किंग का एब्सोल्यूट ब्लॉक प्रणाली से मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्यूनिकेशन और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग में बदलाव किया जा रहा है।

(ख) सिगनलिंग के इस कार्य पर अब तक 180 करोड़ रु. (लगभग) की राशि खर्च की गई है। 47 स्टेशनों और ब्लॉक खंडों में से 22 स्टेशनों पर इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है और 28 ब्लॉक खंडों पर ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) 5 कंपनियों के समूह को ठेका प्रदान कर दिया गया है, जिसमें 2 भारतीय कंपनियां और 3 विदेशी कंपनियां हैं। इस समूह की प्रधान भारतीय कंपनी है। इस कार्य के लिए ठेका विश्व स्तरीय खुली निविदा आमंत्रित करके प्रदान किया गया है। चूंकि खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया होने के कारण किसी भी कंपनी को तरजीह नहीं दी गई थी।

(ङ) कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) तथा भारतीय रेल तकनीकी आर्थिक सेवाएं (राइट्स) द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षणों का न्यूनतम मानदंड सत्यापन और वैधीकरण (वी. एंड वी.) प्रलेखों में रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंपनी वी. एंड वी. प्रलेखों के अनुसार आंतरिक जांचें करती है और उसके बाद, प्रणाली निरीक्षण के लिए रेलवे को ऑफर दिया जाता है। परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री तथा रेलवे इंजीनियर्स समिति किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच एवं अनुमोदन करती है।

(च) निरीक्षणों के लिए बेंचमार्क का उपयोग किया जाता है और स्वीकृति अअमासं. विशिष्टयों/जांचों पर आधारित होती है जिसे जांच करने के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है।

विदेशी पूंजी का निवेश

3600. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

श्री अर्जुन राय:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषज्ञों की के. श्रीनाथ रेड्डी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा विशेषकर चिकित्सा उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) योजना आयोग ने यह सूचित किया है कि यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज (यू.एच.सी.) के आधार पर उनके द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ग्रुप (एच.एल.ई.जी.) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ग्रुप (एच.एल.ई.जी.) ने निम्नलिखित के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं- (i) स्वास्थ्य चिकित्सा वित्त-पोषण तथा वित्तीय संरक्षण; (ii) दवाइयों, टीकों तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; (iii) स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए मानव संसाधन; (iv) स्वास्थ्य सेवा मानदंड; (v) प्रबंधन तथा संस्थागत सुधार; (vi) समुदाय सहभागिता और नागरिक सहयोग; तथा (vii) स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक वचनबद्धता।

(ग) उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ग्रुप (एच.एल.ई.जी.) की सिफारिशों की जांच की जा रही है और सरकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली सिफारिशों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. द्वारा औचक निरीक्षण

3601. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य एजेंसी ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनेक ट्रेनों का कोई औचक निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सी.बी.आई. ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) वर्ष	जांचों की संख्या
2008	11
2009	25
2010	16
2011 (नवंबर तक)	16+1 (जी.आर.पी.)

(ग) सी.बी.आई. ने दो मामलों में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और शेष मामलों में अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं:

(घ) सरकारी/प्राइवेट कैश में अधिकता/कमी के मामलों के अलावा, बिना टिकट/अनियमित यात्री ले जा रहे टिकट जांच कर्मचारियों के कुछ मामले सामने आए हैं। सी.बी.आई. ने आरक्षण क्षेत्र यथा आपात कालीन कोटा जारी करने की प्रणाली में सुधार करने के सुझाव भी दिए हैं।

(ङ) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई और अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। सी.बी.आई. की सिफारिश पर गहन विचार के बाद ही सभी क्षेत्रीय रेलों को आपातकालीन कोटे के अंतर्गत बर्थ जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया जारी की गई है।

सीमेंट पिसाई कारखाने की स्थापना

3602. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम के कछार जिले के बैकुंठपुर में सीमेंट कारखाने की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कारखाना सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह कारखाना केवल अपशिष्ट सीमेंट की पिसाई करने का ही कार्य कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (सी.सी.आई.) का असम के कछार जिले के बैकुंठपुर में ग्राइंडिग इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) 39.68 करोड़ रुपए की लागत पर इस प्रस्तावित इकाई की स्थापित क्षमता सिंगल शिफ्ट आधार पर 82500 टन प्रति वर्ष होगी। ग्राइंडिंग इकाई के लिए लगभग 98.36 बीघा भूमि अर्जित कर ली गई है और डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, उपकरणों की आपूर्ति, सिविल कार्य, इरेक्शन और कमिशनिंग के लिए वर्क ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

(ग) कारखाना अभी स्थापित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ग्राइंडिंग इकाई में फ्लाई ऐश को क्विंकर के साथ ग्राइंड करना प्रस्तावित है जिसे पोर्टलैण्ड पोज्जोलाना सीमेंट, एक बी.आई.एस. प्रमाणित उत्पाद, के उत्पादन के लिए सी.सी.आई. को बोकाजन सीमेंट इकाई से मंगवाया जाएगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

परक्राम्य लिखत अधिनियम

3603. श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इच्छा व्यक्त की है कि न्यायपालिका पांच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मामलों की पहचान करेगी और इनके निपटान में तेजी लाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम मामलों की सुनवाई कर रहे प्रत्येक न्यायालय में एक पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 26 नवंबर, 2011 को अपने विधि दिवस भाषण में, अन्य बातों के साथ, यह वर्णित किया है कि 74% मामले, पांच वर्ष पुराने मामलों से कम हैं। 26% ऐसे मामलों के, जो पांच से अधिक पुराने हैं, शीघ्र निपटान पर ध्यान देना चाहिए। न्यायालयों में लगभग 37,95,000 मामले केवल एक धारा अर्थात् धारा 138 के अधीन लंबित हैं। ऐसा, मुख्य रूप से समनों की प्रभावी तामीली की समस्या के कारण है। इस संदर्भ में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने, अपने संबोधन में यह संप्रेक्षित किया है कि इस समस्या का एक समाधान यह है कि ऐसे मामलों का निपटान करने वाले न्यायालयों को पुलिस थानों से जोड़ना है। न्यायालय द्वारा, ड्यूटी करने वाले सिपाहियों को न केवल सुरक्षा कारणों से अभिनियोजित किया जा सकता है बल्कि उनका न्यायालयों से वारंट को संगृहीत करके पुलिस थानों को, जिनके माध्यम से वारंट तामील किए जाने हैं, उपयोग भी किया जा सकता है।

(ङ) और (च) सरकार ने, सभी उच्च न्यायालयों से तारीख 1-7-2011 से 31-12-2011 तक लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक अभियान मोड को आरंभ किए जाने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों से, वरिष्ठ नागरिकों, अल्पवयों, अक्षम तथा अन्य निर्धन समूहों से संबंधित लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान को पूर्विकता देने का भी अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, तुच्छ मामलों, जिनमें परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन मामले भी हैं, के शीघ्र निपटान की दृष्टि से प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालयों के आयोजन द्वारा न्यायालयों के कार्य घंटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2500 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए उपबंध किया गया है।

उर्वरकों की आवश्यकता

3604. श्री पूर्णमासी राम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मुख्य उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरकों की आवश्यकता के आकलन हेतु किसी वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है और आवश्यकता को सामान्यत: पिछले मौसम/वर्ष की आवश्यकता से पांच से दस प्रतिशत वृद्धि के साथ अनुमानित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उर्वरकों की आवश्यकता के निर्धारण में सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय कारकों पर विचार किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उर्वरकों की वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

श्रीकांत जेना): (क) और (ख) केंद्र सरकार प्रत्येक फसल मौसम से पहले क्षेत्रीय सम्मेलनों जिसमें राज्य सरकार और उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, में कृषि आदानों पर उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करती है। मुख्य उर्वरकों जैसे यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और मिश्रित उर्वरकों की मौजूदा रबी 2011-12 मौसम के दौरान राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता को क्रमशः संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

(ग) से (च) राज्य सरकारों द्वारा उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन पूर्व खपत, मौसम की स्थिति, लक्ष्यित फसल क्षेत्र, फसल पद्धति, सिंचित क्षेत्र और मृदा उर्वरता की जांच आदि के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों को उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान वैज्ञानिक आधार पर करने का अनुदेश दिया गया है।

विवरण-I

रबी 2011-12 के लिए यूरिया की माह-वार आवश्यकता

यूरिया

('000 मी.टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अक्तूबर 2011	नवम्बर 2011	दिसम्बर 2011	जनवरी 2012	फरवरी 2012	मार्च 2012	कुल रबी 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिणी क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	320.00	200.00	225.00	300.00	330.00	225.00	1600.00
कर्नाटक	150.00	110.00	100.00	110.00	93.00	97.00	660.00
केरल	25.00	20.00	20.00	15.00	12.00	8.00	100.00
तमिलनाडु	178.00	171.00	130.00	72.00	70.00	79.00	700.00
पुडुचेरी	3.80	3.00	3.00	2.10	2.40	2.70	17.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.05	0.13	0.15	0.11	0.06	0.50
योग	**676.815**	**504.045**	**478.13**	**499.245**	**507.51**	**411.755**	**3077.50**
पश्चिमी क्षेत्र							
गुजरात	210.00	215.00	250.00	215.00	150.00	135.00	1175.00
मध्य प्रदेश	246.47	387.02	322.29	140.63	19.95	8.64	1125.00
छत्तीसगढ़	22.50	30.00	30.00	30.00	30.00	7.50	150.00
महाराष्ट्र	195.00	210.00	240.00	230.00	200.00	175.00	1250.00
राजस्थान	140.00	210.00	340.00	230.00	70.00	60.00	1050.00
गोवा	0.30	0.35	0.55	0.45	0.45	0.20	2.30

1	2	3	4	5	6	7	8
दमन और दीव	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.18
दादरा और नगर हवेली	0.03	0.08	0.10	0.09	0.08	0.05	0.42
योग	**814.33**	**1052.47**	**1182.97**	**846.21**	**470.50**	**386.43**	**4752.90**
उत्तरी क्षेत्र							
हरियाणा	145.00	270.00	335.00	220.00	105.00	50.00	1125.00
पंजाब	300.00	250.00	300.00	300.00	100.00	100.00	1350.00
उत्तर प्रदेश	400.00	650.00	850.00	800.00	400.00	200.00	3300.00
उत्तराखंड	5.00	25.00	25.00	30.00	10.00	20.00	115.00
हिमाचल प्रदेश	5.00	5.00	7.50	5.00	5.00	1.50	29.00
जम्मू और कश्मीर	13.70	24.43	19.17	9.15	7.56	4.00	78.00
दिल्ली	2.00	1.50	1.00	0.20	0.20	0.10	5.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**870.70**	**1225.93**	**1537.67**	**1364.35**	**627.76**	**375.60**	**6002.00**
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	160.00	210.00	285.00	210.00	160.00	125.00	1150.00
झारखंड	21.25	22.50	27.50	16.25	6.25	6.25	100.00
ओडिशा	25.00	15.00	15.00	30.00	50.00	55.00	190.00
पश्चिम बंगाल	95.00	132.50	170.00	182.50	140.50	104.50	825.00
योग	**301.25**	**380.00**	**497.50**	**438.75**	**356.75**	**290.75**	**2265.00**
पूर्वोत्तर							
असम	14.40	20.80	33.60	36.80	33.60	20.80	160.00
त्रिपुरा	9.97	4.47	2.90	2.53	2.79	1.35	24.00
मणिपुर	1.60	2.10	2.60	2.80	1.90	1.50	12.50
मेघालय	0.50	0.20	0.70	1.10	1.20	0.80	4.50
नागालैंड	0.13	0.13	0.10	0.12	0.07	0.14	0.69
अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8
मिजोरम	0.10	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.21
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**26.80**	**27.843**	**40.001**	**43.472**	**39.673**	**24.678**	**202.467**
अखिल भारत	2689.891	3190.288	3736.267	3192.024	2002.19	1489.206	16299.866

विवरण-II

रबी 2011-12 के लिए डी.ए.पी. की माह-वार आवश्यकता

डी.ए.पी. ('000 मी. टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अक्तूबर 2011	नवम्बर 2011	दिसम्बर 2011	जनवरी 2012	फरवरी 2012	मार्च 2012	कुल रबी 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	125.00	100.00	100.00	75.00	50.00	50.00	500.00
2.	कर्नाटक	55.00	50.00	43.00	51.00	35.00	26.00	260.00
3.	केरल	8.00	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	22.00
4.	तमिलनाडु	70.00	55.00	40.00	26.00	20.00	19.00	230.00
5.	पुडुचेरी	1.20	1.10	1.00	0.80	0.80	0.70	5.60
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0.11	0.15	0.15	0.14	0.08	0.70
	योग	**259.27**	**211.21**	**187.15**	**154.95**	**107.94**	**97.78**	**1018.30**
	पश्चिमी क्षेत्र							
1.	गुजरात	120.00	120.00	65.00	45.00	25.00	25.00	400.00
2.	मध्य प्रदेश	217.08	206.68	46.93	8.38	3.68	2.27	485.00
3.	छत्तीसगढ़	6.50	16.26	16.25	13.00	9.75	3.25	65.01
4.	महाराष्ट्र	100.00	130.00	120.00	115.00	100.00	85.00	650.00
5.	राजस्थान	137.00	115.00	37.00	26.00	20.00	15.00	350.00
6.	गोवा	0.05	0.10	0.35	0.50	0.20	0.10	1.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	दमन और दीव	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.07
8.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.07	0.12	0.09	0.08	0.05	0.40
	योग	**580.67**	**588.10**	**285.65**	**207.98**	**158.72**	**130.67**	**1951.79**
	उत्तरी क्षेत्र							
1.	हरियाणा	225.00	125.00	25.00	9.00	8.00	8.00	400.00
2.	पंजाब	225.00	150.00	10.00	10.00	10.00	10.00	415.00
3.	उत्तर प्रदेश	355.00	300.00	150.00	50.00	40.00	20.00	915.00
4.	उत्तराखंड	2.50	6.00	2.50	2.00	0.00	0.00	13.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	जम्मू और कश्मीर	7.79	16.54	11.60	4.30	2.91	1.86	45.00
7.	दिल्ली	1.20	1.30	0.30	0.15	0.05	0.00	3.00
8.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**816.49**	**598.84**	**199.40**	**75.45**	**60.96**	**39.86**	**1791.00**
	पूर्वी क्षेत्र							
1.	बिहार	85.00	80.00	80.00	10.00	15.00	5.00	275.00
2.	झारखंड	15.00	13.00	13.00	2.50	1.50	0.00	45.00
3.	ओडिशा	11.69	9.89	11.15	24.19	25.07	8.01	90.00
4.	पश्चिम बंगाल	76.20	44.00	45.70	52.70	29.30	12.10	260.00
	योग	**187.89**	**146.89**	**149.85**	**89.39**	**70.87**	**25.11**	**670.00**
	पूर्वोत्तर							
1.	असम	3.60	5.20	8.40	9.20	8.40	5.20	40.00
2.	त्रिपुरा	0.27	0.46	0.57	0.49	0.38	0.44	2.60
3.	मणिपुर	0.17	0.21	0.23	0.24	0.26	0.30	1.41
4.	मेघालय	0.15	0.11	0.30	0.51	0.70	0.23	2.00
5.	नागालैंड	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.10	0.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06
7.	मिजोरम	0.23	0.12	0.00	0.06	0.06	0.01	0.47
8.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**4.527**	**6.229**	**9.59**	**10.607**	**9.914**	**6.277**	**47.144**
	अखिल भारत	1848.84	1551.27	831.64	538.38	408.404	299.70	5478.23

विवरण-III

रबी 2011-12 के लिए एम.ओ.पी. की माह-वार आवश्यकता

एम.ओ.पी. ('000 मी. टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अक्तूबर 2011	नवम्बर 2011	दिसम्बर 2011	जनवरी 2012	फरवरी 2012	मार्च 2012	कुल रबी 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	80.00	50.00	60.00	55.00	50.00	40.00	335.00
2.	कर्नाटक	60.00	46.00	51.00	43.00	40.00	35.00	275.00
3.	केरल	25.00	20.00	20.00	15.00	5.00	5.00	90.00
4.	तमिलनाडु	75.00	70.00	61.00	40.00	42.00	32.00	320.00
5.	पुडुचेरी	2.00	1.60	1.60	1.10	1.35	1.35	9.00
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.06	0.06	0.10	0.09	0.03	0.35
	योग	**242.02**	**187.66**	**193.66**	**154.20**	**138.44**	**113.38**	**1029.35**
	पश्चिमी क्षेत्र							
1.	गुजरात	28.00	23.00	20.00	18.00	18.00	13.00	120.00
2.	मध्य प्रदेश	32.28	28.44	11.00	1.84	1.06	0.37	75.00
3.	छत्तीसगढ़	4.50	6.00	6.00	6.00	6.00	1.50	30.00
4.	महाराष्ट्र	50.00	52.00	54.00	55.00	54.00	50.00	315.00
5.	राजस्थान	5.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	20.00
6.	गोवा	0.05	0.05	0.05	0.10	0.08	0.07	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	दमन और दीव	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03
8.	दादरा और नगर हवेली	0.003	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.11
	योग	**119.84**	**113.50**	**95.08**	**83.97**	**81.16**	**66.99**	**560.54**
	उत्तरी क्षेत्र							
1.	हरियाणा	10.00	7.00	7.00	6.00	5.00	5.00	40.00
2.	पंजाब	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
3.	उत्तर प्रदेश	65.00	45.00	45.00	35.00	50.00	10.00	250.00
4.	उत्तराखंड	2.00	1.50	1.00	0.50	0.00	0.00	5.00
5.	हिमाचल प्रदेश	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	1.00	6.00
6.	जम्मू और कश्मीर	4.38	8.40	6.02	2.97	1.75	1.48	25.00
7.	दिल्ली	0.60	0.40	0.20	0.15	0.10	0.05	1.50
8.	चंडीगढ़	0.00		0.00	0.00			0.00
	योग	**99.48**	**77.30**	**64.22**	**52.12**	**61.85**	**22.53**	**377.50**
	पूर्वी क्षेत्र							
1.	बिहार	15.00	65.00	35.00	10.00	5.00	5.00	165.00
2.	झारखंड	6.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	14.00
3.	ओडिशा	10.17	11.04	11.73	18.09	20.20	13.77	85.00
4.	पश्चिम बंगाल	31.96	54.15	59.10	49.65	37.00	18.14	250.00
	योग	**93.13**	**134.19**	**107.83**	**79.74**	**62.20**	**36.91**	**514.00**
	पूर्वोत्तर							
1.	असम	7.20	10.40	16.80	18.40	16.80	10.40	80.00
2.	त्रिपुरा	4.65	1.84	1.01	0.85	0.76	0.40	9.50
3.	मणिपुर	0.08	0.14	0.10	0.17	0.14	0.24	0.87
4.	मेघालय	0.03	0.05	0.07	0.20	0.30	0.05	0.70
5.	नागालैंड	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06
7.	मिजोरम	0.05	0.03	0.00	0.02	0.02	0.01	0.11
8.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**12.05**	**12.50**	**18.01**	**19.66**	**18.04**	**11.14**	**91.40**
	अखिल भारत	566.52	525.14	478.80	389.69	361.69	250.95	2572.80

विवरण-IV

रबी 2011-12 के लिए मिश्रित उर्वरकों की माह-वार आवश्यकता

मिश्रित उर्वरक ('000 मी. टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अक्तूबर 2011	नवम्बर 2011	दिसम्बर 2011	जनवरी 2012	फरवरी 2012	मार्च 2012	कुल रबी 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	225.00	200.00	220.00	200.00	125.00	110.00	1080.00
2.	कर्नाटक	128.00	117.00	114.00	123.00	107.00	91.00	680.00
3.	केरल	40.00	30.00	22.00	15.00	10.00	8.00	125.00
4.	तमिलनाडु	99.00	85.90	75.30	51.40	42.80	35.60	390.00
5.	पुडुचेरी	4.29	3.53	3.45	2.40	2.78	2.85	19.30
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.03	0.15	0.06	0.06	0.04	0.07	0.40
	योग	**496.32**	**436.58**	**434.81**	**391.86**	**287.62**	**247.52**	**2294.70**
	पश्चिमी क्षेत्र							
1.	गुजरात	74.20	67.80	43.00	28.00	21.00	16.00	250.00
2.	मध्य प्रदेश	94.06	98.27	27.39	3.64	1.27	0.38	225.00
3.	छत्तीसगढ़	8.18	10.90	10.90	10.90	10.90	2.73	54.50
4.	महाराष्ट्र	201.00	191.00	169.00	145.00	128.00	96.00	930.00
5.	राजस्थान	32.50	23.50	8.00	6.40	6.20	9.40	86.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	0.30	0.53	0.54	0.57	0.36	0.20	2.50
7.	दमन और द्वीव	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.06
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**410.24**	**392.01**	**258.83**	**194.53**	**167.73**	**124.72**	**1548.06**
	उत्तरी क्षेत्र							
1.	हरियाणा	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	50.00
2.	पंजाब	30.00	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50	50.00
3.	उत्तर प्रदेश	175.00	175.00	125.00	75.00	30.00	20.00	600.00
4.	उत्तराखंड	9.50	11.50	11.00	6.00	5.00	3.00	46.00
5.	हिमाचल प्रदेश	10.00	7.50	7.50	7.50	2.50	0.00	35.00
6.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	दिल्ली	0.80	0.80	0.30	0.06	0.02	0.02	2.00
8.	चंडीगढ़	0.00			0.00			0.00
	योग	**240.30**	**214.80**	**156.30**	**96.06**	**45.02**	**30.52**	**783.00**
	पूर्वी क्षेत्र							
1.	बिहार	50.00	70.00	60.00	12.50	5.00	2.50	200.00
2.	झारखंड	20.00	19.30	11.20	9.00	5.50	5.00	70.00
3.	ओडिशा	12.55	15.62	21.28	27.55	25.57	11.45	114.00
4.	पश्चिम बंगाल	64.05	95.50	116.10	107.50	75.00	41.85	500.00
	योग	**146.60**	**200.42**	**208.58**	**156.55**	**111.07**	**60.80**	**884.00**
	पूर्वोत्तर							
1.	असम	1.80	2.60	4.20	4.60	4.20	2.60	20.00
2.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5. नागालैंड	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.09
6. अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. मिजोरम	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
8. सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**1.91**	**2.71**	**4.22**	**4.62**	**4.22**	**2.62**	**20.29**
अखिल भारत	1295.37	1246.51	1062.73	843.62	615.65	466.17	5530.04

[हिन्दी]

एन.ई.आर./ई.आर. के अंतर्गत नई रेल लाईन

3605. श्री तूफानी सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेल (एन.ई.आर.) और पूर्वी रेल (ई.आर) के अंतर्गत निर्मित की जा रही नई रेल लाइनों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से इनको निर्धारित समय पर पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में 5 नई लाइन परियोजनाएं और पूर्व रेलवे में 10 नई लाइन परियोजनाएं चालू हैं। सभी परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं। विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
उत्तर-पश्चिम रेलवे		
1.	पनियहवा-च्वितौनी-तमखुही रोड (62.50 किमी.)	पनियहवा-च्वितौनी खंड में नींव संबंधी कार्य शुरू हो गया है।
2.	हथुआ-भटनी (79.64 किमी.)	(i) हथुआ-फुलवारिया-बथुआ बाजार (22.0 किमी.): खंड पर कार्य समाप्त हो गया है। (ii) बथुआ बाजार-पंचदेवरी (11.0 किमी.) एवं भटनी-चौरिया (8.0 किमी.) खंड को मार्च 2012 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
3.	किच्छा-खटिमा (57.7 किमी.)	आंशिक रूप से 142.45 करोड़ रुपए के विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। इस परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा भूमि मुहैया

1	2	3
		कराई जानी है लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है।
4.	महाराजगंज-मसरख (65.49 किमी.)	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। कार्य शुरू हो गया है। महाराजगंज-बिशनपुर महुवारी (5.0 किमी.) पूरा कर दिया गया है और बिशनपुर-महुवारी-मसरख (31 किमी.) को 2011-12 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
5.	रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। कार्य शुरू हो गया है।
पूर्व रेलवे		
1.	अजीमगंज (नसीरपुर-जियागंज) से घाट तक (6.6 किमी.)	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। बड़े और छोटे पुलों के लिए कार्य समाप्त हो गए हैं। भूमि संबंधी/निचला सड़क पुल आदि के लिए कार्य शुरू हो गए हैं।
2.	रामपुरहाट-मुरारै के लिए नए एम.एम. सहित दुमका के रास्ते मंदारहिल-रामपुरहाट (29.48 किमी.)-तीसरी लाइन (159.48 किमी.)	मंदारहिल-हंसदिया (26 किमी.) एवं रामपुरहाट एवं पिनरगरिया (19किमी.) खंड का कार्य शुरू हो गया है। शेष खंड में कार्य शुरू हो गया है।
3.	बरियारपुर-मननपुर (67.78 किमी.)	18 किमी. के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण समाप्त हो गया है।
4.	धनियाखली, आरामबाग-इरफला तक विस्तार सहित तारकेश्वर-बिष्णुपुर (154 किमी.)	गोकुलनगर-तलपुर (21.40 किमी.) खंड का कार्य समाप्त हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष खंड में कार्य शुरू हो गया है।
5.	तारकेश्वर-मागरा (51.95 किमी.)	धनियाखली-मागरा के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण समाप्त हो गया है।
6.	देवघर-सुल्तानगंज, बांका-बाराहाट और बांका-भितिया रोड (147 किमी.)	बांका-चंदन खंड (49.93 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष खंडों में कार्य शुरू हो गया है।
7.	हसनाबाद-हिंगलगंज (14 किमी.)	अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
8.	सुल्तानगंज-कटोरिया (74.8 किमी.)	अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू हो गया है। आंशिक अनुमान स्वीकृत हो गए हैं।
9.	देवघर-दुमका (72.55 किमी.)	कार्य समाप्त और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
10.	हंसडीह-गोड्डा (30 किमी.)	कार्य को बजट 2011-12 में शामिल किया गया है। प्रारंभिक गतिविधियां जैसे योजना, अनुमान आदि शुरू हो गई है।

(ग) रेलवे के पास चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवर्ड और संसाधनों की उपलब्धता सीमित है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में देरी होती है जिससे लागत में बढ़ोत्तरी होती है। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण में देरी और वन संबंधी क्लीयरेंस, प्रतिकूल कानून एवं व्यवस्था स्थिति, ठेकेदारों की विफलताओं आदि अन्य कारक इन परियोजनाओं के समय पर पूरे न होने के अन्य कारण हैं।

(घ) राज्य की भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, रक्षा वित्तपोषण और रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को सृजित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी क्लीयरेंस के संबंध में लंबित मामलों को गति देने के लिए और कानून एवं व्यवस्था से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुख्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों द्वारा राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है।

नई रेलगाडियां प्रारंभ करना

3606. डॉ. बलीराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल बजट 2011-12 में 132 नई रेलगाड़ियों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इनमें से कितनी रेलगाड़ियां प्रारंभ की जा चुकी हैं और कितनी को अभी प्रारंभ किया जाना है;

(घ) उक्त शेष रेलगाड़ियों को कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रेल बजट 2011-12 में, 131 नई गाड़ियों की घोषणा की गई थी जिनमें से 68 नई गाड़ियां चला दी गई हैं और 63 नई गाड़ियां अभी चलाई जानी हैं।

(घ) रेल बजट में घोषित नई गाड़ियां सामान्यत: उसी वर्ष के दौरान चलाई जाती हैं।

(ङ) रेल बजट में घोषित नई गाड़ियां चलाने के लिए कोचिंग स्टॉक की अनुपलब्धता, अवसंरचना संबंधी कार्यों को पूरा न किया जाना आदि जैसी विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इन बाधाओं को दूर करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

एस्बेस्टस की खपत

3607. श्री ए. सम्पत: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहरीलेपन के आधार पर एस्बेस्टस के प्रयोग को 40 से अधिक देशों में प्रतिबंधित किया गया है परन्तु भारत में इसके प्रयोग की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कितने टन एस्बेस्टस की खपत की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) एस्बेस्टस की किस्में नामत: क्रोसिडोलाइट, एक्टीनोलाइट, एंथोफाइलाइट, एमोसाइट, ट्रेमोलाइट, एवं क्रीसोटाइल होती है। क्रीसोटाइल को छोड़कर एस्बेस्टस की पांच किस्मों को रोटरडैम समझौते के अनुबंध-III में शामिल किया गया है और इनका उपयोग भारत में नहीं किया जाता है। तथापि, देश में क्रीसोटाइल एस्बेस्टस का उपयोग करने की अनुमति है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने देश में क्रीसोटाइल एस्बेस्टस के प्रयोग से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य संबंधी खतरा, यदि कोई रहा हो, के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय वृत्तिक स्वास्थ्य संस्थान (एन.आई.ओ.एच.) से कहा है। एन.आई.ओ.एच. से अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्रिसोटाइल एस्बेस्टस की खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	एस्बेस्टस की खपत
2008	3,00,000 टन

वर्ष	एस्बेस्टस की खपत
2009	3,60,000 टन
2010	4,00,000 टन
2011	4,15,000 टन (लगभग)

[हिन्दी]

महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव

3608. श्री बलीराम जाधव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उन परियोजनाओं, जिनको सभी राज्य पूर्ण कर पाने में असमर्थ हैं, को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की महाराष्ट्र सरकार की मांग विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में पूरे करने संबंधी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पेयजल सुविधाएं

3609. श्री मोहम्मद असरारूल हक: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के सुधार हेतु कोई योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं में सम्मिलित किए जाने वाले स्कूलों की संख्या और पारंपरिक स्रोतों सहित लगाए जाने वाले हैण्डपम्पों की संभावित संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्यों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना संचालित करता है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत, राज्य सरकारों को पेयजल आपूर्ति योजनाएं बनाने, अनुमोदित और कार्यान्वित करने की शक्तियां दी गई हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएं राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

(ग) मंत्रालय की ऑन-लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार राज्यों ने वर्ष 2011-12 में 2,52,033 बसावटों को कवर करने और 30,380 ग्रामीण विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 120281 हैण्डपम्प/कुआं स्थापित करने और पाइप द्वारा जल आपूर्ति की 70287 योजनाएं कार्यान्वित करने का लक्ष्य तय किया है।

[हिन्दी]

दोहरीकरण कार्य

3610. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर-पश्चिमी रेल के अंतर्गत अलवर और बांदीकुई रेल लाइन का दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक प्रारंभ/पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) अलवर-बांदीकुई दोहरीकरण परियोजना (60.37 कि.मी.) के लिए अद्यतन सर्वेक्षण हाल ही में पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 245.78 करोड़ रुपए है। परियोजना के अभी तक स्वीकृत नहीं होने के कारण परियोजना को शुरू/पूरा करने का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

बायो-डीजल की खरीद

3611. डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:
श्री महेश जोशी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां बायो-डीजल की खरीद की इच्छुक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सीधे बायो-डीजल खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल के आयात पर होने वाले अत्यधिक व्यय को बचाने में बायो-डीजल के प्रयोग की संभावनाओं को खोजने और विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। हाई स्पीड डीजल में 5% तक मिश्रण हेतु जैव-डीजल का प्रापण करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने जैव-डीजल खरीद नीति के तहत पूरे देश में 20 जैव-डीजल खरीद केन्द्र पहले ही खोल दिए हैं।

इसके अलावा, जैव-ईंधनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति की शर्तों के तहत जैव-डीजल का प्रापण मूल्य ओ.एम.सीज द्वारा आवधिक रूप से घोषित किया जा रहा है।

तथापि, आपूर्तिकर्ता घोषित मूल्यों पर इन नाम-निर्दिष्ट खरीद केन्द्रों पर जैव-डीजल देने के लिए आगे नहीं आए हैं। अत: ओ.एम.सीज आज की तारीख तक जैव-डीजल की खरीद नहीं कर सकी हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) सरकार ने दिसंबर, 2009 में जैव-ईंधनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जटरोफा से निर्मित जैव-डीजल सहित जैव-ईंधन शुरू करना शामिल है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद से ऊधमपुर के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की मांग

3612. श्री रेवती रमण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने इलाहाबाद से ऊधमपुर (जम्मू) के लिए एक नियमित सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे के विभिन्न स्तरों यथा स्टेशन, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। बहरहाल, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली मांगों के आधार पर यथा व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण कार्रवाई की जाती है, जो परिचालनिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक अर्थक्षमता पर निर्भर करती है।

बहरहाल, इलाहाबाद और उधमपुर के बीच गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आमान परिवर्तन

3613. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में डिंडिगुल-पलानी मार्ग सहित आमान परिवर्तन की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस हेतु अब तक कितनी राशि आबंटित/व्यय की गई है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं

और इनकी लागत में वृद्धि हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन्हें पूरा करने, विशेषकर डिंडिगुल-पलानी खण्ड का कार्य पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मार्च, 2011 तक किए गए व्यय और 2011-12 के दौरान मुहैया कराए गए परिव्यय सहित तमिलनाडु में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले चालू आमान परिवर्तन का विवरण और उनकी मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2011 तक किया गया व्यय	2011-12 के दौरान उपलब्ध कराया गया परिव्यय	मौजूदा स्थिति और पूरा करने की लक्षित तिथि जहां कहीं निश्चित हो
1	2	3	4	5	6
1.	डिंडीगुल-पोल्लची-पालघाट एवं पोल्लाची-कोयम्बटूर (224.88 किमी.)	900	359.3	150	पोदनूर-कोयम्बतूर (6 किमी.) खंड को पहले ही चालू कर दिया गया है। डिंडीगुल-पलानी खंड (58 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है। पोल्लाची-पालघाट (58 किमी.) एवं पलानी-पोल्लाची (63 किमी.) को 31-3-2012 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है और पोल्लाची-पोदानुर (42 किमी.) खंड को 2012-13 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
2.	किलोन-तिरूनेलवेली-तिरूचेंदुर एवं तेनकासी-विरुद्धुनगर (357 किमी.)	1029	653.18	75	इस परियोजना के तमिलनाडु भाग में विरुद्धुनगर-तेनकासी-सेनगोट्टी (131 किमी.) और तिरूनेलवेलि-तिरूचेंदुर (61 किमी.) खंड पर यातायात चालू हो गया है और तिरूनेलवेली-तेनकासी खंड (72 किमी.) पर कार्य समाप्त होने वाला है।
3.	मदुरै-बोदिनयक्कनुर (90.41 किमी.)	282.66	0.45	15	बड़े पुलों पर कार्य शुरू हो गया है।
4.	मनमदुरै-विरूद्धुनगर (66.55 किमी.)	214.18	138.99	10	संपूर्ण परियोजना पूरी होने वाली है।
5.	मयलिदुतुरई-करैकुडी एवं तिरूतुरैपुंडी-अगस्तियमपल्ली (224 किमी.)	1005.19	145.38	150	मयलिदुतुरै-करैकुडी खंड (38 किमी.) पर कार्य अंतिम चरण में है। करैकुडी की ओर से शुरू होने वाले पट्टुक्कोट्टी की ओर आगे जाने वाले आमान परिवर्तन

1	2	3	4	5	6
					कार्य की निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाकी बचे शेष भाग पर आमान परिवर्तन कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार 3 वर्षों में पूरा किया जाना है।
6.	किलोन-तिरूनेलवेली-तिरूचेंदुर एवं तेनकासी-विरुद्धुनगर (357 किमी.)	1029	653.18	75	इस परियोजना के तमिलनाडु भाग में विरूद्धुनगर-तेनकासी-सेनगोट्टी (131 किमी.) और तिरूनेलवेली-तिरूचेंदुर (61 किमी.) खंड पर यातायात चालू हो गया है और तिरूनेलवेली-तेनकासी खंड (72 किमी.) पर कार्य समाप्त होने वाला है।
7.	चेंगलपट्टु-विल्लुपुरम (103 किमी.) और तांबरम-चेंगलपट्टु (मौजूदा मीटर लाइन का आमान परिवर्तन)	708.66	335.23	100	103 किमी. में से 40 किमी. का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है और शेष भाग को मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने की आशा है। तांबरम-चेंगलपट्टु के बीच मौजूदा मीटर लाइन के आमान परिवर्तन को बजट 2011-12 में शामिल किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) इन परियोजनाओं की गति में तेजी लाने के लिए गैर-बजटीय उपाय जैसे सार्वजनिक/निजी भागीदारी, राज्य सरकारों और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्तपोषण द्वारा अतिरिक्त संसाधनों को सृजित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भूमि उपलब्धता के कार्य को तेज करने और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(ङ) उपरोक्त आमान परिवर्तन कार्यों को अगले 3 वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्यों को वित्तीय सहायता

3614. श्री हरिन पाठक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न योजनाओं के अधीन ग्रामीण विकास क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान की जानी प्रस्तावित है या पहले से ही प्रदान की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो यू.एन.डी.पी. द्वारा राज्य-वार, योजना-वार विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान सहायता प्रदान किये जाने वाले या पहले से ही सहायता प्रदत्त कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार इस प्रयोजन हेतु आवंटित और प्रयुक्त निधियां कितनी हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) यू.एन.डी.पी. ने वर्ष 2008-12 के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने के लिए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का सुदृढ़ीकरण एवं प्रचालन' नामक परियोजना के जरिए 5.65 मिलियन यू.एस. डॉलर की वित्तीय सहायता दी है:

(i) तकनीकी प्रकोष्ठ के जरिए कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाना;

(ii) नवरोपण, ग्रामीण सड़क, वाटरशेड और मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय अन्य कार्यों के लिए कार्य नियमावली बनाना;

(iii) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में जिले की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए पेशेवर संस्थागत नेटवर्क बनाना और सी.एस.ओ./यूनिवर्सिटी/कॉलेज के जरिए सकारात्मक प्रभाव डालना;

(iv) सी.एस.ओ. को अभिनव परियोजना राशि देकर मनरेगा के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए अभिनव प्रायोगिक परियोजना शुरू करना;

(v) आई.सी.टी. प्रायोगिक परियोजना को सहायता प्रदान करना;

(vi) मनरेगा के बेहतर नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए खासकर जिला स्तर और उससे नीचे के स्तर पर विभिन्न सरकारी स्तरों पर क्षमता निर्माण का कार्य करना; और

(vii) फिल्म और प्रकाशनों के जरिए आई.ई.सी. प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना।

राष्ट्रीय डाटा बैंक बनाना

3615. श्री पिनाकी मिश्रा:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के संबंध में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण की स्थिति क्या है और ऐसा डाटाबेस बनाने में कितनी लागत आई है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा डाटाबेस बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या देश में सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के बारे में ठीक सूचना उपलब्ध नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में एक व्यापक डाटाबेस कब तक संगृहीत किए जाने का अनुमान है;

(च) क्या वर्तमान में ऐसा कोई डाटाबेस उपलब्ध है जिससे अल्पसंख्यकों की स्थिति का पता चलता हो; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) सच्चर समिति ने एक ऐसे राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी, जिसमें सभी तरह के सामाजिक-धार्मिक आंकड़ों का रख-रखाव हो सके। सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित करने का निर्णय भी लिया है।

(ख) सरकार ने डाटा बैंक स्थापित करने की जिम्मेदारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपी है। योजना आयोग ने भी राष्ट्रीय डाटा बैंक की मांग की पूर्ति के लिए अपने यहां 'असेसमेंट एंड मानिटरिंग अथारिटी' (ए.एम.ए.) की व्यवस्था की है। ए.एम.ए. द्वारा एक कार्यबल का गठन मुख्यत: चुनिन्दा लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के आंकड़ों की उपलब्धता की देख-रेख के लिए किया गया है। आंकड़ों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा एकत्र किया जाना है, इसलिए डाटाबेस के गठन के लिए लागत-वितरण तैयार नहीं किया गया है। वर्तमान में यह कार्य सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कम्प्यूटर केन्द्र के लिए किए गए बजटीय प्रावधान से किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जनगणना और सर्वेक्षणों से उपलब्ध सामाजिक एवं धार्मिक आंकड़े अधिकांशत: सीमित हैं।

(ङ) सामाजिक-धार्मिक आंकड़ों के अभिनिर्धारण, सृजन और रख-रखाव का कार्य सतत् प्रक्रिया है, इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

(च) जी हां।

(छ) नेशनल सैम्पल सर्वेज के रिपोर्ट में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों की स्थिति से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। जनगणना संबंधी आंकड़ों में भी देश के सामाजिक एवं धार्मिक वर्ग से जुड़े कुछ ब्यौरे हैं।

विदेशों में रेल परियोजनाएं

3616. श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल और इरकॉन इण्टरनेशनल लिमिटेड ने विदेशों में जो रेल परियोजनाएं शुरू की है, उनका देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें निहित वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे रेलवे/इरकॉन को क्या लाभ होने की आशा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ये परियोजनाएं भुगतान के तहत इंजीनियरी, प्रापण और निर्माण (ई.पी.सी.) ठेकों के रूप में निष्पादित की जा रही हैं। सरकार के लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।

(ग) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रोदभूत होने वाली लाभ है:

(i) व्यापार वृद्धि, वाणिज्यिक प्राप्ति और क्रेडेशियल बिल्डिंग

(ii) अधिकारियों को नई प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा माहौल से संपर्क

(iii) देश के लिए विदेशी विनिमय

विवरण

भारतीय रेल विदेश में परियोजना शुरू नहीं करती है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर उद्यम है, देश के बाहर के देशों में परियोजनाओं को निष्पादित करती है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा देश के बाहर निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का विवरण देश-वार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अमेरिकी डॉलर में ठेका मूल्य (मिलियन में)
1	2	3
क.	**श्रीलंका**	
1.	तटीय रेल लाइन के गाले से मटारा खंड तक रेलपथों का अपग्रेडेशन	78.00
2.	आमंथाई से पल्लई तक रेल लाइन का पुनर्निमाण	185.35
3.	मेदावाचचिया से माधू रोड तक रेल लाइन का पुनर्निमाण	81.30
4.	मधु रोड से तलाई मन्नार तक रेल लाइन का पुनर्निमाण	149.74
ख.	**अल्जीरिया**	
1.	अल्जेरियन रेलवे के अलजियर-ओरान खंड में अऊड स्लाई से एल्लेल तक रेलपथ का दोहरीकरण	230.00
ग.	**मलेशिया**	
1.	सेलेमवाम गेमास डबल ट्रैकिंग परियोजना	789.78
2.	रेलगाड़ी इंजन पट्टा और अनुरक्षण ठेका	6.04

1	2	3
घ.	**इथोपिया**	
1.	उप-स्टेशन उपस्कर ई.ए.ई.पी. 10/99 लॉट II का प्रापण	12.82
ङ.	**अफगानिस्तान**	
1.	220/20 के वी आयवाक उप-स्टेशन (नया) के आपूर्ति और स्थापन और 220/20 के वी मजारे-ई-शरीफ उप-स्टेशन (मौजूदा) में वे विस्तार कार्य	7.90
च.	**नेपाल**	
1.	जोगबनी (बिहार) से विराटनगर (नेपाल) के बीच रेल लिंक का निर्माण	46.03
2.	जयनगर-बिजलपुरा-बारदीबास के बीच रेल लाइन का निर्माण	90.91

भारत-निर्माण योजना के तहत सिंचाई

3617. श्री ओम प्रकाश यादव:

श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई संबंधी लक्ष्यों को पूरा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 2005-06 से अब तक की अवधि के दौरान राज्य-वार, विशेषकर बिहार राज्य में, कितनी सिंचाई-क्षमता सृजित की गई;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा डालने वाले कारणों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो भारत-निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से इनके समाधान हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010-11 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता, 13 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 10.38 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) वर्ष 2005-06 से अब तक की अवधि के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बिहार में वर्ष 2005-06 से अब तक की अवधि के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 0.78 मिलियन हेक्टेयर है।

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुख्य बाधा-समुचित प्रचालन एवं अनुरक्षण की कमी, अपूर्ण वितरण प्रणाली, कमान क्षेत्र विकास कार्यों का पूरा न होना, प्रारंभ में अभिकल्पित फसल पद्धति में परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि को अन्य उद्देश्यों में डाइवर्ट करना है।

(घ) जल राज्य का विषय होने के नाते जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, स्कीमों को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम", "कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन" और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई क्षमता की राज्यवार स्थिति (राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित)

(हजार हेक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06 में उपलब्धियां	2006-07 में उपलब्धियां	2007-08 में उपलब्धियां	2008-09 में उपलब्धियां	कुल (2005-09)	2009-10 में उपलब्धियां	2010-11 में उपलब्धियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	70.790	231.275	271.433	225.764	799.262	92.220	34.975	926.457
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.377	3.324	7.000	4.350	19.051	3.470	2.466	24.987
3.	असम	3.314	4.747	15.212	34.504	57.777	82.506	21.130	161.413
4.	बिहार	279.451	199.60	31.750	15.950	526.751	255.290		782.041
5.	छत्तीसगढ़	53.261	40.955	36.273	36.957	167.446	46.501	31.741	245.688
6.	गोवा	1.224	1.233	6.384	3.740	12.581	0.869	1.374	14.824
7.	गुजरात	184.993	153.370	119.632	93.660	551.655	110.410	55.516	717.581
8.	हरियाणा	21.890	12.564	10.356	19.601	64.411	7.890	11.093	83.394
9.	हिमाचल प्रदेश	7.557	4.423	5.845	4.800	22.625	32.925	6.500	62.050
10.	जम्मू और कश्मीर	15.559	25.355	19.443	एन.आर.	60.357	14.620		74.977
11.	झारखंड	14.847	23.710	8.482	36.860	83.899	18.875	42.520	145.294
12.	कर्नाटक	74.563	135.325	51.735	86.357	347.980	85.000	47.814	480.794
13.	केरल	12.382	5.996	7.064	9.072	34.514	9.641	6.309	50.464

14.	मध्य प्रदेश	81.350	103.550	126.200	92.220	403.320	47.484	114.955	565.759
15.	महाराष्ट्र	128.200	210.000	179.000	120.000	637.200	204.423		841.623
16.	मणिपुर	एन.आर.	0.000	12.000	4.140	16.140	3.872	4.000	24.012
17.	मेघालय	1.727	2.554	0.932	5.056	10.269	4.589	4.448	19.306
18.	मिजोरम	0.628	0.003	3.031	5.248	8.910	5.248	4.900	19.058
19.	नागालैण्ड	2.590	2.058	4.195	3.872	12.715	4.053	5.235	22.003
20.	ओडिशा	24.590	43.750	63.427	105.808	237.575	118.069	67.626	423.270
21.	पंजाब	49.665	36.439	26.202	25.192	137.498	15.275	7.890	160.663
22.	राजस्थान	164.580	99.590	93.590	66.880	424.640	66.900	41.400	532.940
23.	सिक्किम	0.800	1.214	1.080	0.797	3.891	0.914	0.000	4.805
24.	तमिलनाडु	5.917	23.877	16.730	437.100	483.624	319.000	674.560	1477.184
25.	त्रिपुरा	4.788	3.985	2.706	0.270	11.749	3.212		14.961
26.	उत्तर प्रदेश	432.236	533.707	544.503	422.730	1933.176	241.711	2.330	2177.217
27.	उत्तराखंड	32.177	35.310	29.506	12.086	109.079	12.139		121.218
28.	पश्चिम बंगाल	17.749	26.095	39.619	53.963	137.426	50.537	27.840	215.803
	कुल	1691.205	1964.009	1733.330	1926.977	7315.521	1857.643	1216.622	10389.785

एन.आर. - सूचना नहीं दी गई।

30-11-2011 तक वर्ष 2010-11 के दौरान हुई प्रगति/कुछ राज्यों से उनकी सूचना प्राप्त होनी है।

गैस बिक्री एवं खरीद समझौता

3618. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:

श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी तटक्षेत्र डी-6 के गैस बिक्री एवं खरीद संबंधी समझौते के परिणामस्वरूप, "विक्रेता" और "क्रेता" के बीच विपणन संबंधी लाभांश के मुद्दे को सरकार के हस्तक्षेप के बिना दोनों पक्षों के बीच ही हल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इस नीति को फिर से निर्धारित करते हुए विपणन-लाभांश के मुद्दे को अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह के समक्ष रखना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी हां।

(ख) केजी डी-6 मामले में विपणन लाभ को खरीददार और बिक्रीकर्ता के बीच आपस में सुलझाया जा रहा है।

(ग) और (घ) उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर केजी डी-6 गैस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) द्वारा प्रभारित विपणन लाभ के मुद्दे को, अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ई.जी.ओ.एम.) की बैठक होने पर उनके विचारार्थ रखे जाने का प्रस्ताव है।

सरकारी उपक्रमों में किए गए पूंजी निवेश

3619. श्री पी.सी. मोहन:

श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों के पुनरुद्धार पर बड़ी धनराशि खर्च की है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों में उपक्रम-वार कितनी पूंजी लगाई गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने दिनांक 30-11-2011 तक कुल रु. 25083.36 करोड़ (रु. 3860.24 करोड़ की नकद सहायता तथा रु. 21223.12 करोड़ की गैर-नकद सहायता) की लागत से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 43 रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार का अनुमोदन किया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अनुमोदित नकद और गैर-नकद सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के नाम	सहायता (करोड़ रुपए)		
		नकद #	गैर-नकद @	कुल
1	2	3	4	5
	भारी उद्योग विभाग			
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	73.30	77.58
2.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92

1	2	3	4	5
3.	बी.बी.जे. कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.	-	54.61	54.61
4.	एच.एम.टी. बीयरिंग्स लि.	7.40	43.97	51.37
5.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	209.71	214.71
6.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पो. लि.	102.00	1116.30	1218.30
7.	सीमेण्ट कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	184.29	1267.95	1452.24
8.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि.	-	-	-
9.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	-	-	-
10.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि.	3.37$	153.15	156.52$
11.	एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि.	723.00	157.80	880.80
12.	भारत हैवी प्लेट वेसेल्स लि.	-	-	-$$
13.	एण्ड्रयू यूले एंड कंपनी लि.	-&	457.14	475.14
14.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	48.36	549.36	597.72$$$
15.	टायर कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	-	1018.45	1018.45&&
16.	नेपा लि.	-	-	-@@
17.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. @@@	14.16&&&	1139.16	1153.32
18.	स्कूटर्स इंडिया लि.	-	-	-****
	खान मंत्रालय			
19.	हिंदुस्तान कॉपर लि.	-	612.94	612.94
20.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पो. लि.	-	104.64	104.64
	पोत परिवहन मंत्रालय			
21.	केंद्रीय अंतरदेशीय जल ट्रांसपोर्ट कॉर्पो. लि.	73.60	280.00	353.60
22.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	148.08	628.86	776.94
	रक्षा मंत्रालय			
23.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.	-	-	-###
	इस्पात मंत्रालय			
24.	मेकॉन लि.	93.00**	23.08	116.08

1	2	3	4	5
25.	भारत रिफ्रेक्टोरीज लि.	-	479.16	479.16
	वस्त्र मंत्रालय			
26.	एन.टी.सी. और उनकी सहायक	39.23	-	39.23
27.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पो. लि.	338.04	108.93	446.97
28.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पो. लि.	483.60	6815.06	7298.66
	फार्मास्युटिकल्स विभाग			
29.	हिंदुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
30.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	207.19	233.41	440.60
	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग			
31.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	250.00	110.46	360.46
32.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	-	267.29	267.29
	उर्वरक विभाग			
33.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	-	670.37	670.37
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
34.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	-	16.28	16.28
	कोयला विभाग			
35.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	-**	-*	-*
	कृषि और सहकारिता विभाग			
36.	स्टेट फार्म्स कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	21.21	124.42	145.63
	रेल मंत्रालय			
37.	कोंकण रेलवे कॉर्पो. लि.	857.05	3222.46	4079.51
38.	भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	52.79~	258.73~	311.52~
39.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.~~	4.00	280.21	284.21
	जल संसाधन मंत्रालय			
40.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पो. लि.	-	219.43***	219.43***

1	2	3	4	5
	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय			
41.	हिंदुस्तान प्रीफेब लि.	-	128.00	128.00
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
42.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	3.00	28.40	31.40
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
43.	बीको लारी लि.	-	59.60	59.60
	कुल	3860.24	21223.12	25083.36

नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता शामिल है।

@गैर नकद सहायता में ब्याज/पेनल ब्याज/भारत सरकार का ऋण/गारण्टी शुल्क की छूट, ऋण को इक्विटी-ऋण-पत्र में बदलना शामिल है।

&भारत सरकार या संयुक्त उद्यम या किसी महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा निधियों के निवेश के संबंध में निर्णय वित्त मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

*सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 2470.77 करोड़ रुपये की नकद भिन्न सहायता और कोल इंडिया लि. से वर्ष 2004-05 से 14 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के सेवा प्रभार की छूट शामिल है।

$इसके अलावा ओ.एन.जी.सी. और बी.एच.ई.एल. क्रमशः 150 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये की नकद सहायता प्रदान करेंगे।

**वी.आर.एस. ऋणों पर 50% ब्याज सहायता अधिकतम 6.50 करोड़ रु. प्रतिवर्ष जारी रखे जाने को छोड़कर।

$$मंत्रिमंडल ने बी.एच.पी.वी. का बी.एच.ई.एल. द्वारा अधिग्रहण करने को सिद्धांत रूप में इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया है कि बी.एच.पी.वी. का मूल्य निर्धारण स्थापित सिद्धांतों के आधार पर विवेकसम्मत ढंग से किया जाएगा और यदि अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो मामले को पुनः मंत्रिमंडल के सम्मुख लाया जाए।

&&संसद ने कंपनी का सरकारी उद्यम स्वरूप बदलने के लिए टायर कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि. (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक 2007 अनुमोदित कर दिया है।

@@नेपा लि. का निजी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के माध्यम से पुनरुद्धार करने तथा ऐसे संयुक्त उद्यम को आरंभ करने के लिए नेपा लि. (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007 अनुमोदित कर दिया है।

***इसके अतिरिक्त सरकार ने आज की तारीख तक भारत सरकार के ऋणों पर देय एवं संचित ब्याज को इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करने तथा मूल्य के 10% का पुनः अवलेखन करने का भी अनुमोदन कर दिया है।

$$$प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण हेतु बी.एच.ई.एल. से 30 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त अग्रिम लेना जिसकी वापसी बी.एच.ई.एल. के क्रय आदेशों के संदर्भ में की जाने वाली आपूर्ति से की जाएगी। वर्ष 2008-09 से अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में बी.एच.ई.एल. से आई.एल.के. को 25 करोड़ रुपये की ब्याजमुक्त अग्रिम राशि जिसकी वापसी उसी वर्ष बी.एच.ई.एल. को की जाने वाली आपूर्ति के माध्यम से की जाएगी।

~भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग लि. के वित्तीय पुनर्गठन के लिए बी.बी.यू.एन.एल. को दी गई राहतों एवं रियायतों के कारण भारत सरकार के ऋणों पर 4.18 करोड़ रुपये (2.51+1.67) के ब्याज में छूट के अतिरिक्त 2.30 करोड़ की नकद सहायता तथा 5 करोड़ की गैर-नकद सहायता जिससे इन दोनों कंपनियों के लेखा पुस्तकों में संगत परिवर्तन।

###"जहां है जैसे है के आधार पर" पोत परिवहन मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय को अंतरण हेतु मंत्रिमण्डल का अनुमोदन तथा एच.एस.एल. की निवेश आवश्यकताओं सहित उसके वित्तीय पुनर्गठन के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय द्वारा उचित कालक्रम में विचार किया जाएगा।

&&&इसके अतिरिक्त दिनांक 31-12-2009 तक कंपनी की ऐसी आकस्मिक देनदारियों, जिसका भुगतान देय हो और जिसका निपटारा कंपनी के आंतरिक संसाधनों अथवा निष्प्रयोज्य परिसंपत्तियों की बिक्री से नहीं की जा सकती हो, के परिसमापन के लिए रेल मंत्रालय को भारत सरकार से सहायता।

~~भारी उद्योग विभाग से अंतरित।

@@@रेल मंत्रालय को अंतरित। बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. के रिफ्रेक्ट्री यूनिट को इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सेल को अंतरित कर दिया गया था।

****समस्त सरकारी इक्विटी उपयुक्ततः अभिज्ञात रणनीतिक भागीदार को अंतरित करना, वेतन सहायता जारी रखना तथा रणनीतिक भागीदार के समावेश हेतु अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के समय तुलन पत्र को संतुलित करने का सैद्धांतिक अनुमोदन।

निवेश योजना

3620. श्री जयवंतराव आवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने मुंबई स्थित 6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली रिफाइनरी को हटाकर 25000 करोड़ रुपये की निवेश योजना सहित उसकी जगह महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र में रत्नागिरी में एक आरंभिक स्तर की रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के वित्त-पोषण का ब्यौरा क्या है और नई रिफाइनरी की स्थापना के कितने रोजगार अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है;

(ग) महाराष्ट्र में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि. के कुल कितने पेट्रोलियम व गैस बिक्री केन्द्र हैं और इनका जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान लातूर क्षेत्र में और अधिक बिक्री केन्द्र खोले जाने के बारे में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 9 मि.मि.ट.प्र. वर्ष क्षमता वाली ग्रासरूट रिफाइनरी के लिए परियोजना पूर्व कार्यों पर अध्ययन की शुरुआत की है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में एच.पी.सी.एल. के कुल 1137 खुदरा बिक्री केन्द्र और 464 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्तमान वर्ष और आगामी तीन वर्षों के दौरान एच.पी.सी.एल. की लातूर जिले में 10 खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने की योजना है।

विवरण

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों का जिला-वार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	62	17
2.	औरंगाबाद	41	12

1	2	3	4
3.	बीड	20	6
4.	नांदूरबार	10	2
5.	धूले	22	5
6.	जलगांव	39	15
7.	जलना	17	2
8.	नांदेड	22	8
9.	लातूर	19	7
10.	पारभानी	18	3
11.	हिंगोली	8	1
12.	मुंबई	97	59
13.	अकोला	13	7
14.	अमरावती	30	9
15.	भंडारा	11	6
16.	बुलधाना	18	4
17.	चंद्रपुर	27	18
18.	गढ़चिरोली	5	6
19.	नागपुर	51	31
20.	वर्धा	15	8
21.	योतमल	21	9
22.	वाशिम	9	0
23.	गोडिया	8	5
24.	ओस्मानाबाद	12	3
25.	पुणे	160	54
26.	शोलापुर	52	8
27.	कोल्हापुर	41	22
28.	रत्नागिरी	15	12

1	2	3	4
29.	सांगली	29	13
30.	सतारा	30	11
31.	सिंधुगढ़	9	3
32.	रायगढ़	40	19
33.	नासिक	81	28
34.	थाणे	85	51
	कुल	1137	464

भूमि बैंक

3621. श्री बैजयंत पांडा:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के समस्त नक्सली-प्रभावित जिलों में भूमि बैंक अथवा अर्ध-विधिक सहायता केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों/केन्द्रों के कृत्य क्या-क्या होंगे;

(ग) क्या उक्त केन्द्र/बैंक भू-बेदखली के सभी मामलों को दर्ज करते हुए भूमि को उसके वास्तविक हकदार को वापस देने हेतु कार्य करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (घ) सरकार द्वारा देश के नक्सली प्रभावित जिलों में अर्ध-विधिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने संबंधी सुझाव पर विचार किया जा रहा है। ये अर्ध-विधिक सहायता केन्द्र संकेन्द्रित रूप से भूमि संबंधी विवादों का निपटारा कर सकेंगे। इसके अलावा, भूमि सुधारों में अधूरे कार्यों पर ध्यान देने के उद्देश्य से दिनांक 9-1-2008 के संकल्प के तहत माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधारों पर अधूरे कार्यों संबंधी समिति" नामक एक समिति का गठन किया गया था। समिति के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, जनजातीय भूमि के अपवर्जन, जिनमें वन आश्रित जन जातियों के परम्परागत मामले भी शामिल हैं, भूमि प्रयोग के पहलुओं आदि की जांच करना शामिल है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसने भूमि बैंक तथा भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट की सचिवों की एक उपयुक्त समिति (सचिवों की समिति) द्वारा जांच की गयी है तथा उक्त रिपोर्ट पर सिफारिशें "भूमि सुधारों हेतु राष्ट्रीय परिषद्' के विचारार्थ प्रधान मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गयी हैं।

'मनरेगा' के अंतर्गत कार्य-दिवस

3622. श्री अब्दुल रहमान:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय श्रमिक सम्मेलन के 43वें सत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत कार्य-दिवसों की संख्या तथा निर्धारित गारण्टीड पारिश्रमिक बढ़ाने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत कार्य दिवसों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत गारंटीशुदा रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 200 दिन करने की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए मांग किए जाने पर प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों तक गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा का संवर्द्धन करना है। महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवार की आमदनी की कमी को पूरा करना है तथा इसका आशय ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका कमाई का एकमात्र साधन बनना नहीं है। कामगारों को उनको उपलब्ध किन्हीं अन्य रोजगार अवसरों का लाभ उठाने के लिए छूट है। महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत प्रति परिवार औसत सृजित श्रम दिवस 2008-09 में 48, 2009-10 में 54 और 2010-11 में 47 थे तथा 100 दिनों तक की अधिकतम सीमा को अभी प्राप्त किया जाना है। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(4) में पहले से इस आशय का प्रावधान है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अन्दर धारा 3(1) के अंतर्गत 100 दिनों की गारंटीयुक्त अवधि के बाद की किसी अवधि के लिए योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को काम देने के लिए यथोचित प्रावधान कर सकती है। महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य कृषि कार्यों से परे शेष अवधि के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था करना है। गारंटीकृत रोजगार दिनों की संख्या में हुई किसी भी वृद्धि से कृषि उत्पादकता पर तुलनात्मक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आदर्श ग्राम परियोजना

3623. श्री प्रदीप माझी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत की आदर्श ग्राम परियोजना के अंतर्गत एक आदर्श ग्राम के विकास के संबंध में दक्षिण कोरिया में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार आदर्श ग्राम परियोजना के तहत ग्राम विकास हेतु दक्षिण कोरिया को सहायता देने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के तहत विकास हेतु ग्राम के चयन का मापदण्ड क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) 4 मई, 2011 को भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत तत्कालीन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिले थे और भारत में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में एक आदर्श गांव को विकसित करने पर विचार किया गया था। तथापि, अब तक दक्षिण कोरिया से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान

3624. श्री मानिक टैगोर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रूड़की में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एन.आई.एच.) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थान के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु में भी ऐसा ही एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जल विज्ञान की स्थापना, दिसम्बर 1978 में जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी जिसका मुख्यालय रूड़की में है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सोसाइटी के अध्यक्ष और केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं। संस्थान का प्रबंधन, संचालन, निर्देशन और नियंत्रण शासी निकाय द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष सचिव (जल संसाधन) हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान, एस एवं टी संगठन है जो देश में जल विज्ञान तथा जल संसाधन के क्षेत्र में बुनियादी, अनुप्रायोगिक एवं कार्यनीतिक अनुसंधान करता है जिसके बेलगांव, जम्मू छावनी, सागर, काकीनाड़ा, गुवाहाटी एवं पटना में 6 क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

(ग) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- जल विज्ञान के सभी पहलुओं के संबंध में सहायता, प्रोत्साहन देने तथा व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य में समन्वय करना;
- अन्य राष्ट्रीय, विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और गठबंधन करना;
- सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसरण में अनुसंधान और सन्दर्भ पुस्तकालय की स्थापना और उसका रखरखाव करना तथा उसमें पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं और अन्य संबद्ध प्रकाशनों की व्यवस्था करना; और
- जिन उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना की गई है उनकी प्राप्ति हेतु सोसाइटी द्वारा वे सभी आनुषंगिक एवं सहायक कार्यकलाप करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

नए रेलपथ बनाना

3625. श्री अशोक तंवर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के, विशेषकर उत्तरी भारत के, खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को अन्य स्थानों से जोड़ने हेतु नए रेलपथ बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या हरियाणा के सिरसा जिले के कृषि-उत्पादन में भारी योगदान को देखते हुए इसे दिल्ली-मुंबई आधारसंरचना परियोजना के अधीन फीडर रेल-संपर्क से जोड़ने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। उत्तर भारत के सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्र को जोड़ने के लिए नई लाइन बिछाने की ऐसी कोई नीति नहीं है। उत्तर भारत के सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में रेलवे नेटवर्क मौजूद है।

(ख) से (घ) सिरसा, पश्चिम समर्पित मालभाड़ा गलियारा के हिसार-भटिंडा-सूरतगढ़ के चिन्हित फीडर मार्ग पर आता है। 25 टन धुरा भार ले जाने के लिए फीडर मार्ग को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है।

बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिले

3626. श्री पी. करूणाकरन:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कासरगौड़ सहित और अधिक जिलों को शामिल करने के बारे में केरल और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत और जिलों को शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। केरल सरकार से हाल ही में

कहे जाने पर उन्होंने यह सूचित किया है कि उनके द्वारा कन्नूर, कोजीकोड, मल्लापुरम, पलक्कड, एर्नाकुलम, कोल्लम और अलप्पुजा जिलों को बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के रूप में शामिल करने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा गया था। मंत्रालय के रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे

3627. श्रीमती मीना सिंह:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को देवगिरि एक्सप्रेस, नंदीग्राम एक्सप्रेस, ओखा-रामेश्वरम एक्सप्रेस और दिल्ली-शामली रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) रेल-डिब्बे बढ़ाने की जगह उनकी संख्या कम करने की प्रवृत्ति छोड़ने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं ताकि प्रतीक्षा-सूची के टिकट वाले अधिक से अधिक यात्रियों को सीट मिल सके और व्यवस्ततम काल में यात्रियों की भारी भीड़ का सुप्रबंधन किया जा सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) इस समय, 17057/17058 मुंबई सी.एस.टी.-सिकंदराबाद देवगिरी एक्सप्रेस अपने अधिकतम अनुमेय भार के साथ चल रही है। अतः इस गाड़ी के भार में और वृद्धि करना परिचालनिक वृद्धि से व्यावहारिक नहीं है। 10-3-2011 से 11401/11402 मुंबई सी.एस.टी.-नागपुर नंदीग्राम एक्सप्रेस में तीन शयनयान श्रेणी और एक ए.सी.-3 टीयर सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं और 03-09-2010 से 16733/16734 रामेश्वरम-ओखा एक्सप्रेस (साप्ताहिक) में दो शयनयान श्रेणी और एक सामान्य श्रेणी सवारी डिब्बा और 28-1-2011 से एक ए.सी.-III टीयर सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं।

(ग) सवारी डिब्बों को केवल कम उपयोग होने के मामले में ही गाड़ी से पृथक/कम किया जाता है। प्रतीक्षा सूची यात्रियों को क्लीयर करने के लिए जहां भी परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक होता है, नियमित आधार पर लोकप्रिय गाड़ियों में अतिरिक्त स्थान मुहैया कराने के लिए सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं। व्यस्त समय के दौरान, मौजूदा गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े जाते हैं और प्रतीक्षा सूची और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को क्लीयर करने के लिए व्यवहार्य सीमा तक विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

नए रेलमार्गों के लिए सर्वेक्षण

3628. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेल नेटवर्क का रूट-किलोमीटर में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो रेल बजटों में की गई घोषणा के अनुसार, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों सहित देश में नए रेलमार्ग बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्य का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस सर्वेक्षण कार्य के पूरे होने की क्या समय-सीमा नियत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 31-3-2011 को राज्य-वार रेलवे नेटवर्क (मार्ग किमी.) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	मार्ग किमी.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5264.15
2.	अरुणाचल प्रदश	1.26
3.	असम	2433.99
4.	बिहार	3612.02
5.	छतीसगढ़	1187.47
6.	दिल्ली	183.23

1	2	3
7.	गोवा	69.31
8.	गुजरात	5270.89
9.	हरियाणा	1540.14
10.	हिमाचल प्रदेश	296.26
11.	जम्मू और कश्मीर	255.67
12.	झारखंड	1984.27
13.	कर्नाटक	3076.24
14.	केरल	1049.74
15.	मध्य प्रदेश	4954.48
16.	महाराष्ट्र	5601.62
17.	मणिपुर	1.35
18.	मिजोरम	1.50
19.	नागालैंड	12.85
20.	ओडिशा	2461.05
21.	पंजाब	2133.89
22.	राजस्थान	5784.16
23.	तमिलनाडु	4062.06
24.	त्रिपुरा	151.40
25.	उत्तराखंड	344.91
26.	उत्तर प्रदेश	8762.30
27.	पश्चिम बंगाल	3936.89
केन्द्र शासित प्रदेश		
1.	चंडीगढ़	15.70
2.	पुडुचेरी	11.10
	कुल	64459.90

नोटः- शेष राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई रेलवे लाइन नहीं है।

(ख) और (ग) 2010-11 और 2011-12 के बजटों में गुजरात और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के लिए घोषित नई लाइन सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं और इनके दिसंबर, 2012 तक पूरे होने की संभावना है।

विवरण

पिछले दो रेल बजटों में घोषित नई लाइन सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है

क्रं.सं.	स्वीकृति का वर्ष	सर्वेक्षण करने के बाद स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूरे किए गए और स्थगित किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पूरे किए गए और जांचाधीन सर्वेक्षणों की संख्या	चालू सर्वेक्षणों की संख्या	सर्वेक्षणों की कुल संख्या
1.	2010-11	8	15	69	77	169
2.	2011-12	0	1	15	91	107
	कुल	8	16	84	168	276

[अनुवाद]

तुंगभद्रा जलाशय की साफ-सफाई

3629. श्री शिवराम गौडा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुंगभद्रा जलाशय की वास्तविक क्षमता उसमें भारी मात्रा में जमा गाद की वजह से कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जलाशय की गाद निकाल कर सफाई करने तथा जल-भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी हां, गाद जमाव के कारण तुंगभद्रा बांध की भंडारण क्षमता में कमी आई है।

(ख) 1953 में जलाशय की सकल भंडारण क्षमता 3751.17 मिलियन घनमीटर (एम.सी.एम.) आकलित की गई थी। 2008 के जलालेखी सर्वेक्षण के अनुसार सकल भंडारण क्षमता 2855.887 एम.सी.एम. तक नीचे आ गई है। पूर्व-अवरूद्ध जल सर्वेक्षण 1953 और जलालेखी सर्वेक्षण 2008 के बीच 55 वर्षों की समयावधि में जल क्षमता में 895.283 एम.सी.एम. तक की कमी आई, जोकि 23.867% की कमी दर्शाती है।

(ग) जलाशय का अवसादन तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है चूंकि यह खुदाई से निकली मिट्टी को हटाने की समस्या और बार-बार गाद हटाने की उच्च लागत से संबंधित है।

[हिन्दी]

दिल्ली जाने वाली मालगाड़ी के टैंकरों में आग

3630. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 सितम्बर, 2011 को बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर मगुरजन और अलुआबाड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली मालगाड़ी के पेट्रोल और डीजल के टैंकरों में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें हुई जान और माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। 28-09-2011 को लगभग 06:47 बजे जब मालगाड़ी संख्या टाटा-बीटीपीएन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी-बरसोई मेन लाइन खंड पर मंगुरजन (बिहार) और अलुआबाड़ी रोड (पं. बंगाल) रेलवे स्टेशनों के बीच ब्लॉक खंड से गुजर रही थी, तब इसके 20 टैंक वैगन पटरी से उतर गए और उनमें आग लग गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 8,27,51,100 रुपए की संपति की हानि का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) एक विशेष मामले के रूप में मृतक के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि के रूप में 2 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

एमपीलैड के लिए दिशा-निर्देश

3631. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) निधि योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों में कई संशोधनों और परिवर्तनों के बाद एक पृथक दिशा-निर्देश संबंधी संकल्प जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य को अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या नोडल अधिकारियों और इन योजनाओं के कार्यान्वयन की संस्वीकृति से संबंधित दिशा-निर्देशों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) एमपीलैड स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी संकल्प के बारे में एमपीलैड्स स्थायी समिति से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। इस संकल्प में बिहार में एमपीलैड स्कीम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया बताई गई है। बिहार सरकार से भारत सरकार के एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय एमपीलैड्स कार्यों के निष्पादन के लिए जिला योजना अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित करने के बिहार सरकार के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है।

(ङ) और (च) बिहार सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह एमपीलैड्स स्कीम के कार्यान्वयन एवं निष्पादन में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी। जहां तक, एमपीलैड्स कार्यों की स्वीकृति तथा कार्यान्वयन का संबंध है, दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि जिला प्राधिकारी कार्यनिष्पादन के मामले में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा तय की गई कार्यविधि का अनुपालन करेंगे।

पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत समपार

3632. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व-मध्य रेलवे के समस्तीपुर और सोनपुर मंडलों के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर समपार का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का इन समपारों पर रेल उपरि पुलों और अंडरपास के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे समपारों संबंधी आंकड़ो को जिलेवार नहीं रखती है। बहरहाल, पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर एवं सोनपुर मंडलों के तहत आने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर समपारों का विवरण नीचे दिया गया है:-

मंडल	राष्ट्रीय राजमार्ग पर समपार	राज्य राजमार्गों पर समपार
समस्तीपुर	29	18
सोनपुर	08	कुछ नहीं

(ख) जी हां।

(ग) समस्तीपुर मंडल में, राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8 ऊपरी सड़क पुल और राज्य राजमार्ग पर 1 ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं। सोनपुर मंडल में, राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1 ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया है। ऊपरी सड़क पुल/नीचले सड़क पुल स्वीकृत करना राज्य सरकार की लागत साझेदारी और समपारों को बंद करने की सहमति की वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों की नियुक्ति

3633. श्री एम.बी. राजेश: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न वैज्ञानिक ग्रेडों के स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण के मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की प्रत्येक प्रयोगशालाओं में विभिन्न ग्रेडों में भर्ती किए गए वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है;

(ग) सामान्य और आरक्षित कोटा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने आरंभिक स्तर पर वैज्ञानिकों की भर्ती वैज्ञानिक 'बी' से बदलकर वैज्ञानिक 'सी' तथा वैज्ञानिक 'ई' ग्रेड से शुरू किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या सी.एस.आई.आर. नौकरी में आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या न्यूनतम प्रवेश ग्रेड में वैज्ञानिकों की भर्ती

के लिए आरक्षण के मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) वैज्ञानिक 'बी' के स्तर के पदों, जोकि न्यूनतम समूह 'क' प्रवेश स्तर पद है, को भारत सरकार के समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण संबंधी मानदण्डों का पालन करके भरा जाता है। इन मानदण्डों के अन्तर्गत, 15% पद अनुसूचित जातियों, 7.5% अनुसूचित जनजातियों तथा 27% अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 23-06-1975 के का. ज्ञा. सं. 9/2/73-स्था. (एस.सी.टी.) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-05-1994 के का.ज्ञा.सं. 36012/27/94-स्था. (एस.सी.टी.) में निर्धारित भारत सरकार के निर्देशानुसार वैज्ञानिक 'सी' और इससे उच्च पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण से छूट के प्रावधान मौजूद हैं।

(ख) और (ग) यह सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, सी.एस.आई.आर. के शासी निकाय के अनुमोदन से अर्हताओं को बढ़ा दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) उपर्युक्त (क) के अनुसार।

(ज) वैज्ञानिक 'बी' की भर्ती के लिए आरक्षण मानदण्डों का पालन किया जा रहा है जोकि मंत्रालय में न्यूनतम समूह 'क' प्रवेश स्तर पद है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र सं.	प्रयोगशाला/संस्थान का नाम	विगत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रत्येक प्रयोगशाला में विभिन्न ग्रेडों में भर्ती किए गए वैज्ञानिकों की संख्या							सामान्य और आरक्षित कोटे का ब्यौरा		कुल
		कनिष्ठ वैज्ञानिक	वरिष्ठ वैज्ञानिक	प्रधान वैज्ञानिक	वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक	मुख्य वैज्ञानिक	उत्कृष्ट वैज्ञानिक/ वैज्ञानिक एच		सामान्य	आरक्षित कोटा (एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. आदि)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (ए.एम.पी. आर.आई.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी.बी.आर.आई.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केन्द्र (सी.सी.एम.बी.)	08	04	02	-	-	-	-	10	04	14
4.	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी.डी.आर.आई.)	04	11	07	-	-	-	-	18	04	22
5.	केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सी.ई.सी.आर.आई.)	-	14	03	-	-	-	-	12	05	17
6.	केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.ई.ई.आर.आई.)	-	30	02	03	-	-	-	30	05	35
7.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.)	08	11	01	-	-	-	-	16	04	20
8.	केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान (सी.जी.सी.आर.आई.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सी.आई.एम.ए.पी.)	03	02	-	01	-	-	-	05	01	06
10.	केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एम.एफ.आर.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सी.एल.आर.आई.)	-	12	02	-	-	-	-	14	-	14
12.	केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान	05	18	08	02	01	-	-	25	09	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	संस्थान (सी.एम.ई.आर.आई.)										
13.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी.एस.आई.ओ.)	08	-	-	-	-	-	-	@08	-	08
15.	सी.एस.आई.आर. मद्रास कॉम्पलैक्स [सीएस.आई.आर. (एम) सी.एक्स.]		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सी.एस.एम.सी.आर.आई.)	05	12	05	-	-	-	-	18	04	22
17.	जीनोमिकी और समवेत जीवविज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.बी.)	-	01	06	-	-	-	-	07	-	07
18.	हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एच.बी.टी.)	-	10	-	-	-	-	-	07	03	10
19.	भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान (आई.आई.सी.बी.)	-	01	04	-	-	-	-	04	01	05
20.	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.टी.)	05	09	12	01	-	-	-	23	04	27
21.	भारतीय समवेत औषध संस्थान (आई.आई.आई.एम.)	-	04	04	02	-	-	-	08	02	10
22.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई.आई.पी.)	06	16	02	-	-	-	-	17	07	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आई.आई.टी.आर.)	06	03	-	-	-	-	-	06	03	09
24.	खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एम.एम.टी.)	04	13	-	-	-	-	-	11	06	17
25.	सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एम.टी.)	-	06	03	01	-	01	-	11	-	11
26.	राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एन.ए.एल.)	-	10	-	-	-	-	-	6	4	10
27.	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन.बी.आर.आई.)	02	04	01	-	-	-	-	05	02	07
28.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन.सी.एल.)	-	04	08	-	-	-	-	12	-	12
29.	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.)	-	14	-	01	-	-	-	11	04	15
30.	उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आई.एस.टी.)	16	07	-	-	-	-	-	15	08	23
31.	राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई.)	17	-	-	02	-	-	-	09	10	19
32.	राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.आई.एस.टी.)	-	03	01	-	-	-	-	02	02	04
33.	राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एन.आई.ओ.)	06	16	01	-	-	-	-	16	07	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (एन.आई.एस. सी.ए.आई.आर.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस.)	-	02	-	-	02	-	-	03	01	04
36.	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोग-शाला (एन.एम.एल.)	11	03	02	04	-	-	-	14	06	20
37.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल.)	07	17	02	01	-	-	-	15	12	27
38.	संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एस.ई.आर.सी.)	04	24	-	-	-	-	-	17	11	28
39.	सी.एस.आई.आर. मुख्यालय	-	04	03	02	01	01	-	10	1	11
40.	सी.एस.आई.आर. कॉम्प्लेक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	125	285	79	20	04	02	-	385	130	515

@-अपनी योग्यता से आने वाले 02 अ.पि.व. उम्मीदवारों सहित।

नोट: यह उल्लेखनीय है कि कुल प्रवेश स्तर भर्ती # 125 है, जबकि भर्ती किए गए कुल एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. # 130 हैं, चूंकि बहुत से उम्मीदवार उच्च स्तर पर भर्ती किए जाते हैं।

नए रेलवे स्टेशन

3634. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नए रेलवे स्टेशनों को शुरू किए जाने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोले गए नए रेलवे स्टेशनों की जोन/राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे को उक्त अवधि के दौरान नए रेलवे स्टेशनों को खोले जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) नए स्टेशन सामान्यत: नई रेलवे लाइनों के शुरू होने के समय खोले जाते हैं। मौजूदा लाइनों पर नए ब्लॉक स्टेशनों का खोलना परिचालनिक आवश्यकताओं, तकनीकी संभाव्यता,

माल-यातायात साइडिंगों को संपर्क मुहैया कराने की आवश्यकता आदि पर निर्भर करता है। हाल्ट स्टेशन जनता की मांग पर खोले जाते हैं यदि वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण हो और परिचालनिक तथा इंजीनियरी दृष्टि से व्यावहारिक पाया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 186 स्टेशन खोले गए। क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 206 नए स्टेशन खोलने की मांग प्राप्त हुई हैं जिनमें से 69 को स्वीकृत कर दिया गया है। 69 स्वीकृत स्टेशनों में से 49 स्टेशन पहले से ही चालू हो चुके हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान (क्षेत्र-वार) खोले गए स्टेशनों की संख्या नीचे दी गई है:

क्षेत्र	स्टेशनों की संख्या
मध्य रेलवे	2
पूर्व तट रेलवे	4
पूर्व मध्य रेलवे	60
पूर्व रेलवे	14
उत्तर मध्य रेलवे	13
पूर्वोत्तर रेलवे	9
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	12
उत्तर रेलवे	19
उत्तर पश्चिम रेलवे	1
दक्षिण मध्य रेलवे	9
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	10
दक्षिण पूर्व रेलवे	11
दक्षिण रेलवे	8
दक्षिण पश्चिम रेलवे	11
पश्चिम मध्य रेलवे	3
कुल	186

[हिन्दी]

बॉम्बे उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन

3635. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपना नाम बदलकर मुम्बई उच्च न्यायालय किए जाने की अनुमति हेतु केन्द्र सरकार को कई पत्र भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकार को अपना अनुमोदन भेजने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने, "बंबई उच्च न्यायालय" का नाम "मुंबई उच्च न्यायालय" के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जो सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

एच.एम.टी. के कर्मचारियों की शिकायतें

3636. श्री एस. सेम्मलई: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) लि. के कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने शिकायतों की सूची वाली एक याचिका प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। अपनी शिकायतों के निवारण हेतु ऑल इण्डिया एच.एम.टी. वर्कर्स एण्ड ऑफिसर्स की संयुक्त कार्य समिति सहित कर्मचारियों के विविध संघों के अभ्यावेदन माननीय संसद सदस्यों के माध्यम से मिले हैं, जिनमें मुख्य रूप से वेतन संशोधन लागू करने, सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने तथा कंपनी का पुनरुद्धार शामिल हैं।

(ग) कंपनी हेतु पुनरुद्धार योजना तैयार की गई है और सभी शिकायतों का पुनरुद्धार योजना में ध्यान रखा गया है।

पृथक रेल सेवा

3637. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का देश में बागवानी संबंधी उत्पादों के परिवहन के लिए एक पृथक रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, नियंत्रित तापमान परिस्थितियों में फलों, सब्जियों, फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन मीट्स/पोल्ट्री, चॉकलेट, अन्य दुग्ध उत्पादों, दवाइयों आदि सहित खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने रेफ्रीजेरेटिड वैनों की सेवाओं को शुरू किया है। फिलहाल, भारतीय रेलवे के पास 10 रेफ्रीजेरेटिड पार्सल वैनों का बेड़ा है, जिनको मांग के अनुरूप लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ जोड़ा जाता है।

[हिन्दी]

सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों में आरक्षण

3638. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि में अल्पसंख्यकों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी और गौर-सरकारी नौकरियों में आरक्षण का श्रेणी-वार प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सरकारी नौकरियों तथा अन्य स्थानों में आरक्षण दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत मुस्लिमों, सिक्खों, इसाईयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार समुदाय-वार संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	धार्मिक समुदाय	जनसंख्या (लाख में)
1.	मुस्लिम	1381.88
2.	इसाई	240.80
3.	सिक्ख	192.15
4.	बौद्ध	79.55
5.	पारसी	0.7

(ख) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर पर किसी आरक्षण का निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों के केन्द्रीय सूची में सूचीबद्ध कुछ अल्पसंख्यक अन्य पिछड़े वर्ग को मिल रही आरक्षण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित दिनांक 14 सितम्बर, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सामान्यत: अल्पसंख्यकों को तथा विशेषकर मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ दिए जाने हेतु विचार करने की अपेक्षा की गयी थी।

(घ) इस पत्र का जवाब दिनांक 14 अक्तूबर, 2011 के पत्र के माध्यम से यह उल्लेख करते हुए दे दिया गया है कि केन्द्र सरकार इस मुद्दे को पूर्णतः समझती है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण सुविधा प्रदान किए जाने की तर्ज पर अपने राज्य में भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण सुविधा का लाभ प्रदान करने की दिशा में उपयुक्त उपाय करने पर विचार कर सकती है।

उर्वरकों की उत्पादन और आयात लागत

3639. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जा रहे उर्वरकों के कितने प्रकार हैं और अन्य देशों से आयात किए जा रहे इन उर्वरकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यूरिया के उत्पादन में प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी लागत वहन की जाती है और जिन कंपनियों को अनुदान दिया जा रहा है, उनके नाम क्या हैं तथा इन कंपनियों को पृथक-पृथक प्रति टन किस दर पर अनुदान दिया जाता है;

(ग) उर्वरकों के आयात किए जाने की स्थिति में उनकी कीमत और देश में उनकी प्रति टन उत्पादन लागत क्या है;

(घ) क्या सरकार उन उर्वरकों के देश में ही उत्पादन के संवर्धन के लिए उनके शोधन हेतु प्राकृतिक संसाधनों की खोज के संबंध में अनुसंधान करवा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के अनुसंधान में लगे हुए संस्थानों के नाम क्या हैं और इस संबंध में किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उर्वरक विभाग वर्तमान में यूरिया की नई मूल्य-निर्धारण योजना तथा नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी. एण्ड के.) उर्वरकों की पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एन.बी.एस.) नीति नामक दो उर्वरक राजसहायता योजनाएं चला रहा है ताकि उर्वरक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा सके। यूरिया का आयात सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के 25 ग्रेड नामतः डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.), डी.ए.पी. लाइट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एम.ए.पी.), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टी.एस.पी.), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.), अमोनियम सल्फेट और 'एन', 'पी', 'के' और 'एस' मिश्रित उर्वरकों के 18 ग्रेडों को नियंत्रणमुक्त पी. एण्ड के. उर्वरकों की एन.बी.एस. नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उर्वरक कपंनियों द्वारा उत्पादित/आयात किए जा रहे पी. एण्ड के. उर्वरक दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) स्वदेशी यूरिया के उत्पादन की औसत लागत 13076 रुपए प्रति मी.टन है। विभिन्न इकाइयों के स्वदेशी यूरिया के उत्पादन की अधिसूचित लागत तथा वर्ष 2010-11 के दौरान उर्वरक विभाग द्वारा उन्हें जारी की गई राजसहायता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान आयातित यूरिया की औसत लागत 12849.44 रुपए मी. टन थी। वर्ष 2011-12 के दौरान आयातित यूरिया की औसत लागत अब तक 20819.94 रुपए प्रति मी. टन रही है।

(घ) और (ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण में संलग्न हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों के उत्पादन के लिए भी अनिवार्य है। जी.एस.आई. ने देश में फॉस्फेटयुक्त खनिजों के लिए 88 खनिज अन्वेषण तथा पोटाशयुक्त खनिजों के लिए 19 अन्वेषण किए हैं।

विवरण-I

पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का उत्पाद/आयात करने वाली उर्वरक कंपनियों के नाम

क्र.सं.	कंपनियों के नाम	इकाई का स्थल	उर्वरक ग्रेड	
			स्वदेशी उर्वरक	आयातित उर्वरक
1	2	3	4	5
1.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	सिक्का बड़ौदा	डी.ए.पी., 12-32-16-0, डी.ए.पी., 20-20-00-0, अमोनियम सल्फेट	-
2.	कोरोमंडल अंतर्राष्ट्रीय लि.	काकीनाड़ा	डी.ए.पी., 20-20-00-0, 14-35-14-0, 10-26-26-0, 12-32-16-0, 14-28-14-0,	एन.पी.के., डी.ए.पी., डी.ए.पी. लाइट, एम.ओ.पी.
		एन्नोर	16-20-0-0	
		विजाग	28-28-00-0, 14-35-14-0, 20-20-00-0, 10-26-26-0, 17-17-17-0, 16-20-0-13, 19-19-19-0	
3.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	दाहेज	डी.ए.पी., 10-26-26-0, 12-32-16-0	एम.ओ.पी., एन.पी.के.
4.	इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर्स कोओपरेटिव लि.	कांडला	डी.ए.पी., 10-26-26-0, 12-32-16-0	डी.ए.पी., एन.पी.के.
		पारादीप	डी.ए.पी., 20-20-00-0	
5.	मै. मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	मंगलोर	डी.ए.पी., 20-20-00-0	डी.ए.पी., एन.पी.के.
6.	पारादीप फॉस्फेट्स लि.	पारादीप	डी.ए.पी., 12-32-16-0, 10-26-26-0, 15-15-15-09, 20-20-00-0	डी.ए.पी., डी.ए.पी. लाइट, एन.पी.के.
7.	टाटा केमिकल्स लि.	हल्दिया	डी.ए.पी., 10-26-26-0, 12-32-16-0, 14-35-14-0	डी.ए.पी., एम.ओ.पी.
8.	ग्रीन स्टार फर्टिलाइजर्स लि./साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन लि.	तूतीकोरीन	डी.ए.पी., 20-20-00-13	डी.ए.पी., एन.पी.के.

1	2	3	4	5
9.	जुआरी इंडस्ट्रीज लि.	गोवा	डी.ए.पी., 10-26-26-0, 12-32-16-0, 19-19-19-0	डी.ए.पी., डी.ए.पी. लाइट, एम.ओ.पी., टी.एस.पी., एन.पी.के.
10.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	चेन्नई	17-17-17-0, 20-20-00-13	-
11.	दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कोरपोरेशन लि.	तलोजा	23-23-00-0, 24-24-00-0	एम.ओ.पी., डी.ए.पी.
12.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि.	भरूच	20-20-00-0	एम.ओ.पी.
13.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	ट्रॉम्बे	15-15-15-0, 20-20-00-0	डी.ए.पी., डी.ए.पी. लाइट, एम.ओ.पी.
14.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	उद्योग मंडल कोचीन	20-20-00-13, अमोनियम सल्फेट	एम.ओ.पी., डी.ए.पी.
15.	इंडियन पोटाश लि.			डी.ए.पी., डी.ए.पी. लाइट, एम.ओ.पी, एम.ए.पी., एम.ए.पी. लाइट, टी.एस.पी., एन.पी.के.
16.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.			डी.ए.पी., डी.ए.पी. लाइट, एम.ओ.पी., एन.पी.के.
17.	चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.			डी.ए.पी., डी.ए.पी. लाइट, एम.ओ.पी., एन.पी.के.
18.	मोजेक इंडिया प्राइवेट लि.			डी.ए.पी.
19.	कृभको			डी.ए.पी., डी.ए.पी. लाइट, एन.पी.के.
20.	के.पी.आर. फर्टिलाइजर्स			डी.ए.पी. लाइट, एन.पी.के.
21.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स			डी.ए.पी.
22.	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स			डी.ए.पी., एम.ए.पी.
23.	एच.पी.एम. केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स			एन.पी.के.

ऊपर उल्लिखित उर्वरक कंपनियों के अलावा पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत 84 सिंगल सुपर फॉस्फेट उत्पादन इकाइयों को भी शामिल किया जाता है।

विवरण-II

विभिन्न इकाइयों के स्वदेशी यूरिया उत्पादन की अधिसूचित लागत और वर्ष 2010-11 में उर्वरक विभाग द्वारा उनको जारी की गई राजसहायता

क्र.सं.	इकाई का नाम	वास्तविक उत्पादन 2010-11 मी.टन	पुनः आकलित क्षमता मी.टन	एनपीएस III ऊर्जा मानक जी कैल/ प्रति मी.टन	वार्षिक (बिक्री कर सहित विभिन्न रियायत मूल्य) 2010-11		
					रुपए/मी. टन सीपी	रुपए/मी. टन एसटी	रुपए/मी. टन योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	फीडस्टॉक: गैस (1992 से पूर्व)						
1.	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	199014	315000	12.688	8778	684	9462
2.	इफको-आंवला	988505	864600	5.690	8480	210	8690
3.	इण्डोगल्फ-जगदीशपुर	1100111	864600	5.534	9177	320	9497
4.	कृभको-हजीरा	1840856	1729200	5.952	7734	478	8212
5.	एनएफएल-विजयपुर	913931	864600	5.952	7865	497	8362
6.	आरसीएफ-ट्राम्बे-V	339910	330000	9.569	12033	138	12171
7.	एनएफसीएल--काकीनाडा	831193	597300	5.712	7801	625	8426
8.	सीएफसीएल-कोटा	1032213	864600	5.621	9755	200	9955
9.	टाटा	1117149	864600	5.417	9216	176	9392
10.	केएसएफएल	1028000	864600	5.712	8914	184	9098
11.	एनएफसीएल-काकीनाडा विस्तार	823849	597300	5.712	8462	618	9080
12.	इफको आंवला विस्तार	1042628	864600	5.522	8719	203	8922
13.	एनएफएल-विजयपुर विस्तार	961570	864600	5.712	8691	466	9157
14.	इफ्को-फूलपुर	745131	551100	7.584	12872	392	13264
15.	एसएफसी-कोटा	404040	379500	7.847	11334	98	11432
16.	इफ्को-फूलपुर विस्तार	1026169	864600	5.883	13027	423	13450
17.	सीएफसीएल-II	1067962	864600	5.678	11638	129	11767

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	जीएसएफसी-बड़ौदा	246135	370590	6.935	9977	573	10550
19.	इफको-कलोल	600086	544500	6.607	10479	86	10565
20.	आरसीएफ-थाल	1779000	1706897	6.938	8679	119	8798
21.	बीवीएफसीएल-नामरूप-II	86129	240000	12.610	11965	680	12645
	उप योग	**18173581**	**16007387**	**6.341**	**9424**	**321**	**9745**
	फीड स्टॉक : नेफ्था (1992 से पूर्व)						
1.	एमसीएफएल-मंगलोर	380800	379500	7.356	27492	899	28391
2.	एमएफएल-मद्रास	478834	486750	8.337	32250	883	33133
3.	एसपीआईसी-तूतीकोरीन	300783	620400	7.382	30756	981	31737
4.	जेडएसीएल-गोवा	397854	399300	7.308	26819	2415	29234
5.	जीएनएफसी-भरूच	643228	636900	7.989	14447	1401	15848
6.	एनएफएल-नांगल	478500	478500	9.517	24816	340	25156
7.	एनएफएल-भटिंडा	553000	511500	10.221	24905	352	25257
8.	एनएफएल-पानीपत	470000	511500	9.654	24275	417	24692
	कुल नेफ्था/एफओ/एलएसएचएस	**3702999**	**4024350**	**8.487**	**25383**	**942**	**26326**
	सकल योग	21876580	20031737	6.772	12631	446	13076

क्र.सं.	इकाई का नाम	निश्चित लागत एनपीएस III रुपए/मी.टन	व्यवहार्य लागत एनपीएस III रुपए/मी.टन	डीलर मार्जन और करों सहित अधिसूचित उपभोक्ता मूल्य रुपए/मी.टन	निवल राजसहायता रुपए/मी.टन
1	2	9	10	11	12
	फीडस्टॉक: गैस (1992 से पूर्व)				
1.	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	2187	7275	5130	4332
2.	इफको-आंवला	2123	6567	5110	3580
3.	इण्डोगल्फ-जगदीशपुर	2062	7435	5130	4367

1	2	9	10	11	12
4.	कृभको-हजीरा	1484	6728	5110	3102
5.	एनएफएल-विजयपुर	1285	7077	5130	3232
6.	आरसीएफ-ट्राम्बे-V	2330	9841	5130	7041
7.	एनएफसीएल-काकीनाडा	3067	5359	5130	3296
8.	सीएफसीएल-कोटा	2577	7378	5130	4825
9.	टाटा	3100	6292	5130	4262
10.	केएसएफएल	2536	6562	5130	3968
11.	एनएफसीएल-काकीनाडा विस्तार	3125	5955	5130	3950
12.	इफको आंवला विस्तार	2541	6381	5130	3812
13.	एनएफएल-विजयपुर विस्तार	2403	6754	5130	4027
14.	इफ्को-फूलपुर	3213	10051	5130	8154
15.	एसएफसी-कोटा	2964	8468	5130	6302
16.	इफ्को-फूलपुर विस्तार	3497	9953	5130	8340
17.	सीएफसीएल-II	3305	8462	5130	6637
18.	जीएसएफसी-बड़ौदा	3187	7363	5130	5420
19.	इफको-कलोल	2432	8133	5130	5455
20.	आरसीएफ-थाल	1727	7071	5130	3668
21.	बीवीएफसीएल-नामरूप-II	3878	8767	5130	7515
	उप योग	**2436**	**7310**	**5123**	**4622**
	फीडस्टॉक: नेफ्था (1992 से पूर्व)				
1.	एमसीएफएल-मंगलोर	2371	26020	5130	23261
2.	एमएफएल-मद्रास	3694	29439	5130	28003
3.	एसपीआईसी-तूतीकोरीन	2568	29169	5130	26607
4.	जेडएसीएल-गोवा	2497	26737	5130	24104
5.	जीएनएफसी-भरूच	2129	13719	5130	10718

1	2	9	10	11	12
6.	एनएफएल-नांगल	2707	22449	5130	20026
7.	एनएफएल-भटिंडा	2609	22648	5130	20127
8.	एनएफएल-पानीपत	2799	21893	5130	19562
	कुल नेफ्था/एफओ/एलएसएचएम	**2660**	**23666**	**5130**	**21196**
	सकल योग	2481	10596	5125	7952

नोट: (1) 01-04-2000 से पुनः आकलित क्षमता

(2) 01-10-2006 से प्रभावी लागत वर्ष 2002-03 के आधार पर निर्धारित लागत (एनपीएस-III के आरंभ से)

(3) एनपीएस-III की अवधि 31-03-2010 को पूरी हो गई और इसे उर्वरक विभाग के पत्र संख्या 12012/9/2009-एफपीपी दिनांक 17-03-2010 द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है

(4) यूरिया का अधिसूचित एमआरपी रुपए 5310 प्रति/मी.टन (उत्पाद शुल्क और वैट तथा अन्य कर कोई हो तो, के अलावा) 5310 रुपए में सहकारी क्षेत्र के लिए 200 रुपए और अन्य के लिए 180 रुपए प्रति मी.टन का डीलर मार्जन शामिल है।

[अनुवाद]

एन.आर.डी.सी. द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकियों का विकास

3640. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) ने किसी नवीनतम प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.आर.डी.सी. ने इन प्रौद्योगिकियों का पेटेंट कराया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपयोगकर्ताओं को एन.आर.डी.सी. द्वारा विकसित इन प्रौद्योगिकियों का विपणन करने की अनुमति दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रौद्योगिकियों के विपणन से अब तक कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) नहीं, महोदया। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) अपनी ओर से स्वयं प्रौद्योगिकियों का विकास नहीं करता है। एन.आर.डी.सी. को सौंपे गए कार्यों के अनुसार इसका कार्य देश के अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा सृजित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, समर्थन प्रदान करना, पल्लवित करना और वाणिज्यीकरण करना है। तथापि, एन.आर.डी.सी. ने सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करते हुए आज तक प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के लिए 4756 लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) से (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी

3641. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस ट्रेन को झारसुगड़ा जंक्शन पर ठहराव के साथ इसे सप्ताह में चार दिन के स्थान पर दैनिक आधार पर चलाने का प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

औषधियों की खोज

3642. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री नवीन जिंदल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भेषज औषधियों की खोज और अनुसंधान के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान औषधियों की खोज के क्षेत्र में फाइल किए गए और भारतीय कंपनियों को जारी किए गए पेटेंटों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) भेषज औषधि की खोज और अनुसंधान में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में भेषज औषधि की खोज तथा अनुसंधान अवसंरचना विकास परियोजना की सहायता के लिए एक उद्यम पूंजी निधि स्थापित की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निधि से निवेश के लिए क्या दिशा-निदेश है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) भेषजीय औषध खोज के क्षेत्र में अनुसंधान करना देश में औषध क्षेत्र के अंतर्गत एम फार्मा, डॉक्टरल और ऐसी ही डिग्रियां प्रदान करने वाले बड़ी संख्या में उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थानों के कार्यकलापों का ही अंग है। सरकारी क्षेत्र में इन संस्थानों का प्रशासन जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), सी.एस.आई.आर. आदि द्वारा किया जाता है। ये संस्थान औषध खोज के क्षेत्र में अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हैं। औषध विभाग के अधीन मोहाली में स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) ने तपेदिक, लिस्मनियासिस, संक्रमण रोगों, मधुमेह आदि जैसे रोगों के संबंध में अनुसंधान कार्य किया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत देश में औषध खोज तथा विकास के क्षेत्र में सहायता की व्यवस्था है:

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रशासनकर्ता विभाग
1.	औषध तथा भेषज अनुसंधान कार्यक्रम (डी.पी.आर.पी.)	विज्ञान और प्रौद्योगिकि विभाग (डी.एस.टी.)
2.	उद्योग अनुसंधान पहल में लघु स्तरीय कारोबार (एस.बी.आई.आर.आई.)	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)
3.	जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान तथा विकास सहायता कार्यक्रम (बी.आई.आर.ए.पी.)	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)
4.	जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बी.आई.पी.टी.)	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)

(घ) और (ङ) देश में भेषजीय औषध खोज तथा अनुसंधान अवसंरचना विकास परियोजनाओं की सहायता हेतु उद्यम पूंजी निधि की स्थापना करने के संबंध में औषध विभाग में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

आई.आई.सी.ए.

3643. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या कोई समय-सीमा तय की गयी है जिसमें उक्त संस्थान कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या इस संस्थान की स्थापना के लिए किसी स्थान की पहचान कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने आई.एम.टी., मानेसर, गुड़गांव (हरियाणा) में 14 एकड़ भूमि पर भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आई.आई.सी.ए.) की स्थापना की है जो एक संपूर्ण विचारक-मंडल, क्षमता वृद्धि तथा सेवा सुपुर्दगी संस्थान के रूप में एक ही स्थान पर बौद्धिक ज्ञान प्रबंधन, सहभागिता एवं समस्या निदान के माध्यम से कॉर्पोरेट वृद्धि, सुधार एवं विनियमन में सहायता करेगा। संस्थान ने हाल ही में मानेसर से अपनी कुछ गतिविधियां प्रारंभ की हैं।

उत्तर प्रदेश में रेल उपरिपुल

3644. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का उत्तर प्रदेश में खुर्जा-जेवर रेलवे लाइन पर 1370/5.7 कि.मी. (टुंडला-गाजियाबाद) के 129बी पर तथा हापुड़-खुर्जा लाइन के मुरादाबाद रोड पर रेल उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) 1370/5-7 कि.मी. पर समपार सं. 129-बी के स्थान पर एक ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया है। यह कार्य नियोजन और डिजाइन/अनुमान स्तर पर है।

हापुड़-खुर्जा खंड में 64/14-15 कि.मी. समपार सं. 39 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल की लागत में भागीदारी के संबंध में रेलवे ने राज्य सरकार से संपर्क किया है। बहरहाल, राज्य सरकार लागत में भागीदारी के आधार पर इसके लिए अभी सहमत नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ओ.एन.जी.सी. को निदेश

3645. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) के कामगारों के संबंध में कोई निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. ने इन निदेशों का अब तक पालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दो मामलों में आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) के कामगारों के संबंध में निर्देश पारित किए हैं:-

(i) ओ.एन.जी.सी. बनाम इंजीनियरिंग मजदूर संघ 2005 का सी.ए. 6607 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 20-11-2006 के आदेश द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06-06-1994 को पारित किए गए आदेश को बनाए रखा था जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने ओ.एन.जी.सी. को निदेश दिया था कि जब-जब

नियमित पदों की रिक्ति होगी ओ.एन.जी.सी. कामगारों को नियमित करेगी बशर्ते कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हों और प्रत्येक कामगार द्वारा किए गए काम के प्रत्येक 240 दिनों के लिए, ओ.एन.जी.सी. उसे आयु में एक वर्ष की ढील देगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि संबंधित श्रेणी में नियमित रिक्त पदों में खपाए जाने तक बाहर से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को 2007 के आई.ए. सं. 10 में दिए गए दिनांक 08-02-2008 के आदेश द्वारा यह बताते हुए और स्पष्ट कर दिया गया था कि जहां तक 153 कामगारों का संबंध है, उनके मामले में योग्यता के मानदण्ड वही होंगे जो न्यायाधिकरण के दिनांक 06-06-1994 के निर्णय की तारीख को थे।

(ii) महाप्रबंधक, ओ.एन.जी.सी. सिल्चर बनाम ओ.एन.जी.सी. संविदात्मक कामगार संघ और अन्य (2001 का सी.ए. सं. 4755) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 16-05-2008 के आदेश द्वारा दिनांक 24-12-1999 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय खंड न्यायपीठ के विरुद्ध ओ.एन.जी.सी. द्वारा दायर की गई अपील निरस्त कर दी थी और सी.जी.आई.टी., गुवाहाटी के अधिनिर्णय (दिनांक 11-07-1994) को बनाए रखा जिसमें न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि संबंधित कामगार ओ.एन.जी.सी. के आकस्मिक कर्मचारी के प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड (2) के अनुसार अपने संबंधित पदों में नियमित किए जाने के पात्र हैं और निर्देश दिए कि नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और अन्य भत्तों के साथ एक बार में नियमित करना संभव न हो तो सभी संबंधित कामगारों की सेवाएं ओ.एन.जी.सी. द्वारा चरण-वार नियमित की जाएं।

(ग) ओ.एन.जी.सी. संबंधित क्षेत्रों में भर्ती की कवायद करते समय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालन करती रही है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरोसीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3646. श्री देवराज सिंह पटेल:
श्री रमाशंकर राजभर:
श्री शिवराज भैया:
श्री मकनसिंह सोलंकी:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री गणेश सिंह:
श्री मोहम्मद असरारूल हक:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने प्रति व्यक्ति केरोसीन की उपलब्धता का आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान देश में इसके अनुरूप उपलब्धता क्या है;

(ख) क्या प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितनी मात्रा में केरोसीन का आवंटन किया गया है; और

(घ) राज्यों को राशन कार्डधारकों की संख्या के अनुपात में केरोसीन का आवंटन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) भारत सरकार ने दिसम्बर, 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) के माध्यम से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) वाले मिट्टी तेल की मांग का विस्तृत अध्ययन आरंभ करवाया था। एन.सी.ई.ए.आर. ने अक्तूबर, 2005 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एन.सी.ई.ए.आर. की रिपोर्ट के अनुसार, समग्र आधार पर पी.डी.एस. मिटटी तेल की मांग 11412.5 हजार किलोलीटर के पी.डी.एस. मिट्टी तेल की कुल बिक्री का 93% थी। इसके अलावा देश में औसत घरेलू उपभोग 55 लीटर/वर्ष होने की रिपोर्ट मिली थी।

(ख) और (ग) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान पी.डी.एस. मिट्टी तेल के आबंटन और पी.डी.एस. मिट्टी तेल के प्रति व्यक्ति आबंटन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को पी.डी.एस. मिट्टी तेल का आबंटन खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से किया जाता है। आगे का वितरण, लाभार्थियों की पात्रता के मानदण्ड और आबंटन का पैमाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

विवरण

राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को पी.डी.एस. एस.के.ओ. का आबंटन किलो मीटर में और राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को प्रति व्यक्ति आबंटन (लीटर में)

राज्य/सं.रा. क्षेत्र	वर्ष 2011-12 के लिए आबंटन	वर्ष 2010-11 के लिए आबंटन	वर्ष 2009-10 के लिए आबंटन	*वर्ष 2011-12 के लिए प्र.व्य.आ.	**वर्ष 2010-11 के लिए प्र.व्य.आ.	*वर्ष 2009-10 के लिए प्र.व्य.आ.
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7248	7248	7272	19.08	19.08	19.14
आंध्र प्रदेश	530808	595800	664476	6.27	7.04	7.85
अरुणाचल प्रदेश	11628	11736	11783	8.41	8.49	8.52
असम	330708	331176	331393	10.61	10.63	10.63
बिहार	820320	824760	827265	7.9	7.95	7.97
चंडीगढ़	7332	9168	9228	6.95	8.69	8.75
छत्तीसगढ़	186600	186972	187381	7.31	7.32	7.34
दादरा और नगर हवेली	2484	3036	3579	7.25	8.86	10.44
दमन और दीव	2016	2328	2664	8.3	9.58	10.97
दिल्ली	61380	138900	173777	3.66	8.29	10.37
गोवा	19776	22680	24684	13.57	15.56	16.93
गुजरात	673584	920556	954328	11.16	15.25	15.8
हरियाणा	157260	172632	186107	6.2	6.81	7.34
हिमाचल प्रदेश	32472	40260	58424	4.74	5.87	8.52
जम्मू और कश्मीर	95082	95082	96794	7.58	7.58	7.71
झारखंड	270276	270852	271089	8.2	8.22	8.22

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	539544	562812	592822	8.83	9.21	9.7
केरल	197124	225096	277958	5.9	6.74	8.33
लक्षद्वीप	1020	1020	1022	15.83	15.83	15.86
मध्य प्रदेश	626412	626412	626881	8.63	8.63	8.64
महाराष्ट्र	1258812	1564176	1640416	11.2	13.92	14.6
मणिपुर	25344	25344	25370	9.31	9.31	9.32
मेघालय	26064	26136	26161	8.79	8.82	8.83
मिजोरम	7836	7920	7943	7.18	7.26	7.28
नागालैंड	17100	17100	17114	8.63	8.63	8.64
ओडिशा	400944	403140	403919	9.56	9.61	9.63
पुडुचेरी	10440	15732	15740	8.39	12.64	12.65
पंजाब	272556	285396	301590	9.84	10.3	10.89
राजस्थान	511404	511644	511984	7.45	7.46	7.46
सिक्किम	6588	6600	7152	10.84	10.86	11.77
तमिलनाडु	551352	633648	717580	7.64	8.78	9.95
त्रिपुरा	39264	39300	39501	10.7	10.71	10.76
उत्तर प्रदेश	1592700	1593768	1594414	7.98	7.99	7.99
उत्तराखंड	107520	111060	115451	10.63	10.98	11.41
पश्चिम बंगाल	964728	965388	965724	10.56	10.57	10.57
योग/राष्ट्रीय औसत	10365726	11254878	11698981	8.57	9.30	9.67

टिप्पणी: जम्मू और कश्मीर के आबंटन में वार्षिक आधार पर लद्दाख क्षेत्र के लिए आबंटित 4626 किलो लीटर शामिल है।
*जनगणना 2011 के अनुसार प्र.व्य.आ. जनसंख्या के अनंतिम आंकड़ों पर आधार है।

अपराधियों को चुनाव लड़ने से वंचित करना

3647. श्रीमती सुमित्रा महाजनः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न पक्षों से अपराधियों को चुनाव लड़ने से वंचित करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में लोक-प्रतिनिधित्व

अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संसद के समक्ष उसके विचारार्थ इस प्रकार का कोई विधान कब तक लाये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि देश में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोक प्रतिनिधियों की विद्यमान संख्या का संग्रहण किया जाना संभव नहीं है।

(ख) से (ङ) किसी आपराधिक पूर्ववृत वाले व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निर्वाचनों के पूर्व विनिर्दिष्ट अवधि के पहले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं, संसदीय और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन में भाग लेने से निरर्हित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, निर्वाचन आयोग, भारत विधि आयोग, आदि सम्मिलित हैं, से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मामले में गहन अध्ययन और उस पर विनिश्चय किए जाने से पूर्व राजनैतिक दलों के साथ परामर्श में सावधानीपूर्वक विचार किया जाना अंतर्वलित है, इस स्तर पर, कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

3648. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री हरीश चौधरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) नीति के अंतर्गत निधियां प्रदान करने एवं परियोजनायें शुरू करने हेतु विभिन्न कंपनियों द्वारा क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा सामाजिक सुधार क्रियाकलापों को शुरू करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आज तक इन कंपनियों द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सी.एस.आर. संबंधी किसी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया गया है तथा क्या इन तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से निधियां व्यय की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (पी.एस.यूज) की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) परियोजनाओं को उनकी समग्र कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने सभी पी.एस.यूज को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे पिछले वर्ष के अपने निवल लाभ की राशि के आधार पर 0.5 से 5.0 प्रतिशत सी.एस.आर. कार्यकलापों पर खर्च करेंगे। तेल पी.एस.यूज द्वारा सी.एस.आर. कार्यकलाप के अंतर्गत परियोजनाओं/कार्यक्रमों की उचित प्रक्रिया अपनाने के द्वारा पहचान की जाती है, इसमें स्थानीय समुदाय की सहभागिता भी होती है। तेल पी.एस.यूज के सी.एस.आर. कार्यकलापों के अंतर्गत सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्मारकों का रखरखाव इत्यादि संबंधी परियोजनाएं शामिल होती हैं।

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रमुख तेल पी.एस.यूज द्वारा सी.एस.आर. कार्यकलापों पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रमुख तेल पी.एस.यूज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सी.एस.आर. निधि को मनमाने तरीके से खर्च करने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रमुख तेल पी.एस.यूज द्वारा सी.एस.आर. कार्यकलापों पर किया गया खर्च

(करोड़ रुपए)

तेल पी.एस.यू. का नाम	खर्च			
	2008-09	2009-10	2010-11	वर्तमान वर्ष
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	169.05	268.87	219.03	21.86 (सितम्बर, 2011 तक)
ऑयल इंडिया लिमिटेड	13.71	24.12	29.40	15.00 (सितम्बर, 2011 तक)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.31	46.85	128.41	48.8 (सितम्बर, 2011 तक)
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.69	13.84	20.10	4.0 (7 दिसम्बर, 2011 तक)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.94	14.12	18.23	2.0 (नवम्बर, 2011 तक)
गेल इंडिया लिमिटेड	24.15	45.78	48.43	16.32 (आज तक)

[हिन्दी]

पहाड़ी जिलों में जल का उपयोग

3649. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहाड़ी राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों के कारण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जल का उपयोग पेयजल की आवश्यकता एवं सिंचाई के उद्देश्य के लिये नहीं कर पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जल का प्रयोग पेयजल एवं सिंचाई के उद्देश्यों के लिये करने हेतु पहल करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के नाते पीने के लिए और सिंचाई प्रयोजनों हेतु जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें स्कीमों का निरूपण, आयोजना और कार्यान्वयन करती हैं। हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों में स्थलाकृतिक समस्याओं के कारण उपलब्ध पूर्ण जल का उपयोग तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम के सहयोग से सभी 53,205 निवास स्थानों में मार्च, 2010 तक पेय जलापूर्ति करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। 0.35 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के मुकाबले 0.24 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित किया गया है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य होने के नाते, सिंचाई परियोजनाओं हेतु

परियोजना लागत के कार्य घटक के 90% हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है।

[अनुवाद]

व्यापार केन्द्रों की स्थापना करना

3650. डॉ. संजीव गणेश नाईक:

श्री संजय दिना पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गांवों में व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना हेतु कितनी निधियां स्वीकृत की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार तहसील स्तर तक निधियां प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम है, के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में ग्राम, जिला एवं राज्य स्तरों पर स्थायी विपणन केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है। इस घटक के अंतर्गत ग्रामीण हाटों के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए तक, जिला स्तरीय हाट के लिए 1.5 करोड़ रु. तक और राज्य की राजधानी में हाट के निर्माण के लिए 3.0 करोड़ रुपए की निधियों की अनुमति दी गई है। केन्द्र और राज्यों के बीच निधियों में हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में और केन्द्र एवं पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में निधियों में हिस्सेदारी 90:10 के अनुसार में होती है।

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 99 ग्रामीण हाटों (प्रति डी.आर.डी.ए. 3 ग्राम हाट) के निर्माण के लिए महाराष्ट्र की 33 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को पहली किस्त के रूप में 556.875 लाख रुपए की निधियां रिलीज की। इसके बाद मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक तीन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को दूसरी किस्त के रूप में 50.625 लाख रुपए की निधियां भी रिलीज की हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 के दौरान ग्राम हाटों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों को निधियों पहले ही उपलब्ध कराई है।

[हिन्दी]

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) तथा हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) की घाटे में चलने वाली इकाइयां

3651. श्री रामसुन्दर दास:

श्री कपिल मुनि करवारिया:

श्री तूफानी सरोज:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) तथा हिंदुस्तान मशीन टूल (एचएमटी) की इकाइयों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सीसीआई और एचएमटी की इकाइयां घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कंपनियों को इकाई-वार कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार सीसीआई तथा एचएमटी का पुनरुद्धार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इन कंपनियों के पुनरुद्धार हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(च) इन कंपनियों का पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है; और

(छ) सीसीआई तथा एचएमटी की इकाइयों को बंद करने के कारण बेकार पड़ी संपत्ति पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा बेरोजगार कर्मचारियों का पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) - सीसीआई की 10 इकाइयां स्थानवार नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

(1) बोकाजन - असम

(2) राजबन - हिमाचल प्रदेश

(3) तांदुर - आन्ध्र प्रदेश

(4) मांढर - छत्तीसगढ़

(5) करकुंटा - कर्नाटक

(6) नयागांव - मध्य प्रदेश

(7) अकलतारा - छत्तीसगढ़

(8) चरखी दादरी - हरियाणा

(9) आदिलाबाद - आन्ध्र प्रदेश

(10) दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट - दिल्ली

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.):- एच.एम.टी. समूह की कंपनियों की 15 इकाइयों का स्थानवार ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

एच.एम.टी. लिमिटेड (एच.एम.टी.एल.): पिंजौर, हैदराबाद, औरंगाबाद

एच.एम.टी. मशीन टूल्स लिमिटेड (एच.एम.टी. एम.टी.एल.): बेंगलूर, पिंजौर, कलामश्शेरी, हैदराबाद, अजमेर

एच.एम.टी. वाचेज लिमिटेड (एच.एम.टी. डब्ल्यू.एल.): बेंगलूर, टुमकूर, रानीबाग

एच.एम.टी. चिनार वाचेज लिमिटेड (एच.एम.टी. सी.डब्ल्यू.एल.): श्रीनगर, जम्मू

एच.एम.टी. बेयरिंग्स लिमिटेड (एच.एम.टी. बी.एल.): हैदराबाद

एच.एम.टी. (आई): बेंगलूर

(ख) **सी.सी.आई.** सी.सी.आई. पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है।

एच.एम.टी. - एच.एम.टी. (आई) को छोड़कर एचएमटी समूह की सभी कंपनियां हानि उठा रही हैं।

(ग) **सी.सी.आई.** प्रश्न नहीं उठता।

एच.एम.टी. कंपनी तथा उसकी सहायक कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाई गई हानियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपए)

कंपनी	एचएमटीएल	एचएमटी एमटीएल	एचएमटी डब्ल्यूएल	एमएमटी सीडब्ल्यूएल	एचएमटी बीएल
2010-11	-79.24	-93.06	-189.76	-41.95	-10.68
2009-10	-52.91	-45.80	-168.35	-49.94	-15.31
2008-09	-68.98	-36.57	-163.83	-69.47	-10.68

आर्थिक सुधार, पुरानी उत्पाद प्रौद्योगिकी, पुराना संयंत्र और मशीनरी तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा इष्टतम से कम निष्पादन के कारण हैं।

(घ) **सी.सी.आई.** पुनरुद्धार योजना पहले ही सरकार द्वारा अनुमोदित और बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत कर दी गई है।

एच.एम.टी. - हल्के उत्पादों पर आधारित वृद्धि पर फोकस करने के लिए व्यवसाय योजना तैयार करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है।

(ङ) **सी.सी.आई.** - स्वीकृत योजना में अन्य बातों के साथ-साथ तीन प्रचालित इकाइयों का विस्तार/आधुनिकीकरण तथा सात गैर प्रचालनरत इकाइयों का समापन और बिक्री परिकल्पित है। 802.05 करोड़ रुपए की राशि (184.29 करोड़ रुपए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और 617.76 करोड रुपए गैर प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री

से प्राप्त होंगे।) कंपनी के पुनरुद्धार के लिए निर्धारित की गई थी।

एच.एम.टी. - जैसा उपर्युक्त (घ) में स्पष्ट किया गया है।

(च) **सी.सी.आई.** - कंपनी पहले ही टर्न अराउण्ड हो चुकी है और इनसे लाभ अर्जित करना प्रारंभ कर दिया है।

एच.एम.टी. - जैसा उपर्युक्त (घ) में स्पष्ट किया गया है।

(छ) बीआईएफआर के निर्देशानुसार बंद की जा चुकी इकाइयों की परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। आदिलाबाद इकाई जहां उच्च न्यायालय ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, को छोड़कर सभी बंद इकाइयों के कर्मचारियों को अलग कर दिया गया है और सरकार द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के अनुसार उपयुक्त क्षतिपूर्ति दे दी गई है।

एचएमटी - कोई इकाई बंद नहीं की गई है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति

3652. डॉ. रत्ना डे:

श्री सी. शिवासामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस की मांग एवं आपूर्ति क्या है तथा देशी उत्पादन कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मांग को पूरा करने हेतु कितनी प्राकृतिक गैस का आयात किया गया तथा देशों का ब्यौरा क्या है जहां से इसका आयात किया गया था;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु अन्य देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशी उत्पादन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस के स्वदेशी उत्पादन की आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मात्रा एम.एम.एस.सी.एम.डी.)

वर्ष	मांग*	आपूर्ति	स्वदेशी स्रोतों से आपूर्ति
2008-09	196.64	104.4	74.15
2009-10	225.52	145.89	111.99
2010-11	262.07	163.36	126.16

*ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में अनुमानों के अनुसार।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुखतः कतर, मलेशिया, रूस, यू.ए.ई., मिश्र, ओमान, आस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, यू.एस.ए., नार्वे, त्रिनिदाद और टोबैगो से आयात की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा (एम.एम.एस.सी.एम.डी.)
2008-09	30.25

वर्ष	मात्रा (एम.एम.एस.सी.एम.डी.)
2009-10	33.9
2010-11	37.2

(ग) और (घ) सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए विदेशों के साथ कोई करार नहीं किया है। तथापि, पिछले दो वर्षों अर्थात् 2009-10 और 2010-11 के दौरान पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने मोबिल आस्ट्रेलिया रिसोर्सिज कंपनी पी.टी.वाई., लिमिटेड (एक्सन मोबिल की एक सहायक कंपनी) के साथ आस्ट्रेलिया में अपनी गोरगोन परियोजना से 20 वर्ष के लिए 1.44 एम.एम.टी.पी.ए. की आपूर्ति हेतु 2014 से आरंभ करने के लिए एक करार किया है। इसके अलावा, गेल ने एल.एन.जी. प्रमात्राओं की 0.25 एम.एम.टी.पी.ए. के लिए मारुबेनि के साथ मध्यकालिक करार किया है और इसकी आपूर्ति आरंभ हो चुकी है।

(ङ) सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित के साथ-साथ बहुमुखी कार्यनीति अपनाई है:-

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) दौरों के माध्यम से घरेलू अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) गतिविधियों का तीव्रीकरण।

(ii) कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) ई एंड पी गतिविधियां।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं संबंधी प्रस्ताव

3653. श्रीमती भावना गवली पाटील:

डॉ. बलीराम:

श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, वर्ष-वार और योजना-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) उक्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव योजना-वार और राज्य-वार सरकार द्वारा मंजूर किये गये तथा कितने प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) उक्त प्रस्तावों से संबंधित मामलों में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय अंश की रिलीज के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करता है। राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की दिशा-निर्देश के संदर्भ में जांच की जाती है। यदि त्रुटि/कमी पाई जाती है तो उसे सुधार अथवा अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए संबंधित डीआरडीए/राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों को भेज दिया जाता है। मंत्रालय द्वारा सभी पूर्ण परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है और मंत्रालय में कोई परियोजना प्रस्ताव लंबित नहीं रहता है। विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त एवं अनुमोदित राज्य-वार एवं योजना-वार परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

विवरण-I

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) की प्राप्त हुई विशेष परियोजनाओं और एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और लंबित परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं				एस.जी.एस.वाई. की महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनाएं		
		कुल प्राप्त	अनुमोदित	प्रक्रिया के अधीन*	राज्यों को लौटाई गई	प्राप्त परियोजनाए (2010-2012)	संस्वीकृत परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं (2011-2012)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	12	3	1	8	23	22	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	24	1	1	22	1	0	2
3.	असम	9	0	0	9			
4.	बिहार	22	2	2	18	3	3	1
5.	छत्तीसगढ़	8	2	1	5			1
6.	गोवा	1	0	1	0			
7.	गुजरात	7	0	7	0	8	0	1
8.	हरियाणा	13	1	3	9			
9.	हिमाचल प्रदेश	14	2	2	10	2	2	4
10.	जम्मू और कश्मीर	31	0	29	2			2
11.	झारखंड	11	0	1	10			
12.	कर्नाटक	11	2	3	6	1	1	2
13.	केरल	3	0	0	3	3	2	
14.	मध्य प्रदेश	23	4	6	13	5	4	2
15.	महाराष्ट्र	43	5	11	27	6	1	2
16.	मणिपुर	37	4	2	31			
17.	मेघालय	2	0	0	2			
18.	मिजोरम	2	0	0	2	8	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	नागालैंड	26	1	0	25			
20.	ओडिशा	23	1	1	21			
21.	पंजाब	12	3	0	9	1	0	2
22.	राजस्थान	28	3	1	24	7	0	5
23.	सिक्किम	1	0	0	1			
24.	तमिलनाडु	10	0	4	6			3
25.	त्रिपुरा	3	0	1	2			2
26.	उत्तर प्रदेश	66	4	16	46			1
27.	उत्तराखंड	11	1	1	9	1	0	
28.	पश्चिम बंगाल	16	0	0	16			1
	विविध राज्य	303	97	102	104			
	कुल	772	136	196	440	69#	35	32

*प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में चल रही सभी परियोजनाएं शामिल हैं।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना वर्ष 2010-11 में ही शुरू की गई है।

#वर्ष 2010-11 में प्राप्त हुई 34 परियोजनाएं दिशानिर्देशों के हिसाब से उपयुक्त नहीं पाई गईं।

विवरण-II

एस.जी.एस.वाई. और समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला हाट लगाने की परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.जी.एस.वाई. के जिला हाट लगाने के प्रस्ताव*	समेकित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या		
			2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7	110	171	173
2.	अरुणाचल प्रदेश		13	32	13
3.	असम		57	86	0

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार		0	0	0
5.	छत्तीसगढ़		41	71	0
6.	गोवा		0	0	0
7.	गुजरात		151	141	104
8.	हरियाणा			0	47
9.	हिमाचल प्रदेश	4	36	44	0
10.	जम्मू और कश्मीर		0	0	0
11.	झारखंड		20	22	19
12.	कर्नाटक	2	119	127	116
13.	केरल		0	26	0
14.	मध्य प्रदेश	25	116	99	0
15.	महाराष्ट्र	5	243	370	215
16.	मणिपुर		0	27	33
17.	मेघालय		18	29	14
18.	मिजोरम		16	16	17
19.	नागालैंड	10	22	19	20
20.	ओडिशा		65	62	68
21.	पंजाब		6	13	0
22.	राजस्थान	5	162	213	229
23.	सिक्किम		3	3	20
24.	तमिलनाडु		50	62	56
25.	त्रिपुरा		10	10	11
26.	उत्तर प्रदेश		66	183	155
27.	उत्तराखंड		0	39	0

1	2	3	4	5	6
28.	पश्चिम बंगाल		0	0	0
	विविध राज्य				
	कुल	58	1324	1865	1310

*योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी उपयुक्त प्रस्तावों की जांच की गई है। पिल्लीकुल्ला मैंगलोर दक्षिण कन्नड जिले में जिला हाट लगाने के कर्नाटक के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।

राजस्थान के उदयपुर जिले और प. बंगाल के दक्षिण पन्न/दक्षिण दीनाजपुर जिले में राज्य स्तर पर राज्य हाट लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विवरण-III

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

(नवम्बर, 2011 तक)

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		प्रक्रियाधीन प्रस्ताव
		प्राप्त हुए सड़कों/ पुलों के प्रस्ताव	संस्वीकृत	प्राप्त हुए सड़कों/ पुलों के प्रस्ताव	संस्वीकृत	प्राप्त हुए सड़कों/ पुलों के प्रस्ताव	संस्वीकृत	प्राप्त हुए सड़कों/ पुलों के प्रस्ताव	संस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1,260	1,260	83		485	485	2		
2.	अरुणाचल प्रदेश	104	104	270	64		95			
3.	असम	2,582	2,582					400		36
4.	बिहार - आरडब्ल्यूडी	4,553	4,553	304		632	0	23		
	बिहार - एनईए	1,074	1,074	847	418		0		647	
5.	छत्तीसगढ़	1,049	1,049	258		383	0	240	101	302
6.	गोवा						0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गुजरात	466	466	1,110	221	668	0		46	
8.	हरियाणा	67	67	138	69		0		0	
9.	हिमाचल प्रदेश	19	19	388	194	128	0		112	63
10.	जम्मू और कश्मीर	440	440	556			494	698	0	492
11.	झारखंड	669	669	1,870	935	580	0		580	
12.	कर्नाटक	308	308	1,591	429	24	24		0	
13.	केरल	200	200				220		0	
14.	मध्य प्रदेश	1,935	1,935	2,284	642	477	57		509	
15.	महाराष्ट्र	128	128	1,057	154	869	1057		0	
16.	मणिपुर	131	131	236		52	69		0	
17.	मेघालय	36	36	108		18	0		18	
18.	मिजोरम	47	47				0		0	17
19.	नागालैंड	11	11	23		104	0		56	
20.	ओडिशा	2,076	2,076	206			122		602	
21.	पंजाब			178	71	36	96		0	63
22.	राजस्थान	337	337	6,374	229	1,798	0		1076	699
23.	सिक्किम	105	105	108	54	45	0		95	
24.	तमिलनाडु	2,409	2,409				0	43	0	
25.	त्रिपुरा	65	65	116		69	0		109	
26.	उत्तर प्रदेश	1,310	1,310	3,828	38	17	224		555	
27.	उत्तराखंड			411	136	12	126		36	
28.	पश्चिम बंगाल	609	609	356			356	148	247	

खरीद नीति

3654. श्री उदय सिंह:

श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व में हैं;

(ख) 20 प्रतिशत वार्षिक खरीद तथा उसमें से 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों से संबंधित फर्मों से करने के संबंध में अनुपालन की जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) एम.एस.एम.ई. की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भविष्य में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 20 प्रतिशत खरीद के लिए वार्षिक योजना तैयार करनी होगी जिसमें से 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की जाएगी तथा इसे अपनी आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना होगा जिससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उनकी अपेक्षाओं के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त कर सकें। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपयुक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के वेंडरों जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम भी शामिल होंगे, के विकास के लिए वेंडर विकास कार्यक्रम/क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित करनी होगी। इन आऊटरीच कार्यक्रमों के अलावा एन.एस.आई.सी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष रूप से अलग से स्पेशल विंडो भी खोलनी होगी।

(ग) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी उपलब्धियां अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दर्शानी होंगी। यदि केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 20 प्रतिशत खरीद कर पाने में असफल रहते हैं तो उन्हें सचिव (एम.एस.एम.ई.) की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति के समक्ष उसका कारण बताना होगा।

विवरण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का राज्यवार ब्यौरा

(संख्या हजार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोड	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उद्यमों की संख्या	
		अ.जा. के स्वामित्व वाले	अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले
1	2	3	4
01.	जम्मू और कश्मीर	0.97	0.83
02.	हिमाचल प्रदेश	2.17	0.53
03.	पंजाब	6.35	0.65
04.	चंडीगढ़	0.01	0.01

1	2	3	
05.	उत्तराखंड	3.52	0.84
06.	हरियाणा	2.82	0.41
07.	दिल्ली	0.11	0.05
08.	राजस्थान	4.47	1.45
09.	उत्तर प्रदेश	14.14	1.47
10.	बिहार	6.20	1.03
11.	सिक्किम	0.01	0.03
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.31
13.	नागालैंड	0.07	1.15
14.	मणिपुर	0.10	1.10
15.	मिजोरम	0.13	3.51
16.	त्रिपुरा	0.15	0.04
17.	मेघालय	0.06	2.81
18.	असम	1.57	1.42
19.	पश्चिम बंगाल	4.28	0.39
20.	झारखंड	1.41	0.73
21.	ओडिशा	0.98	0.46
22.	छत्तीसगढ़	2.85	3.52
23.	मध्य प्रदेश	13.65	7.02
24.	गुजरात	4.90	3.47
25.	दमन और दीव	0.01	0.00
26.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.01
27.	महाराष्ट्र	4.88	1.50
28.	आंध्र प्रदेश	2.03	0.58
29.	कर्नाटक	16.58	5.82

1	2	3	4
30.	गोवा	0.04	0.05
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
32.	केरल	6.17	1.18
33.	तमिलनाडु	18.12	2.46
34.	पुडुचेरी	0.08	0.02
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.04	0.01
	कुल	118.90	44.84

स्रोत: एम.एस.एम.ई. की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 की अंतिम रिपोर्ट : पंजीकृत क्षेत्र

[अनुवाद]

निधियों का उपयोग

3655. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आवंटित निधियों के उपयोग नहीं करने/निर्धारित मात्रा से कम उपयोग किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न प्राधिकारियों के बीच समन्वय के अभाव के कारण निधियों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अल्पसंख्यकों के विकास के लिये निर्धारित निधियों के उचित उपयोग हेतु क्या कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु कुल आवंटन 3780 करोड़ रु. है। इस कार्यक्रम के तहत 3340.19 करोड़ रु. राशि की जिला योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा राज्यों/संघ राज्यों को स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर 2455.67 करोड़ रु. की राशि निर्गत की जा चुकी है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्गत धनराशि तथा उनके द्वारा उपयोग में लायी गयी धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	केन्द्र द्वारा निर्गत राशि (करोड़ रु.)	राज्यों द्वारा संसूचित व्यय (करोड़ रु.)
2008-09	270.85	268.75
2009-10	971.94	648.18
2010-11	913.23	258.00
2011-12	299.65	-
कुल	2455.67	1174.93

वर्ष 2010-11 में निर्गत धनराशि को उपयोग में लाए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को देय होगा। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत निर्गत धनराशि को उपयोग

में लाए जाने में राज्यों द्वारा विलम्ब आम चुनाव के दौरान कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण हुआ। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए कुछ कार्य जैसे - आई.टी.आई., पोलीटेक्नीक, छात्रावास के निर्माण से जुड़े कार्यों के पूरा होने की अवधि अधिक होने के कारण भी धनराशि को उपयोग में लाने में विलम्ब हुआ। राज्यों द्वारा जिलों/कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों को धनराशि निर्गत किए जाने में विलम्ब करने के कारण भी धनराशि को उपयोग में लाने में विलम्ब हुआ।

मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निर्गत की गई धनराशि और प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पिछले 4 वर्षों के दौरान निर्गत की गई धनराशि और प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों के ब्यौरे

वर्ष	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना		मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	
	लाभार्थियों की कुल संख्या	निर्गत धनराशि (करोड़ रु.)	लाभार्थियों की कुल संख्या	निर्गत धनराशि (करोड़ रु.)	लाभार्थियों की कुल संख्या	निर्गत धनराशि (करोड़ रु.)
2007-08	वर्ष 2008-09 से शुरू		24868	9.63	17258	40.80
2008-09	512657	62.21	170273	70.63	26195	64.73
2009-10	1729076	202.94	364387	148.74	35982	97.42
2010-11	4421571	446.25	525644	228.97	41056	108.75
कुल	6663304	711.40	1085172	457.97	120491	311.70

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) की इक्विटी में अंशदान किया जाता है। अब तक एन.एम.डी.एफ.सी. को 875.36 करोड़ रु. राशि का इक्विटी अंशदान किया गया है, तथा एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा 7,19,429 अल्पसंख्यकों के लाभार्थ 1,702.13 करोड़ रु. की राशि संवितरित की जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा संवितरित धनराशि के वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि	एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा संवितरित धनराशि
1	2	3
2007-08	70.00	144.12
2008-09	75.00	130.72
2009-10	125.00	197.74
2010-11	115.00	233.26
2011-12 (30-11-11 तक)	115.00	80.63
कुल	500.00	786.47

(ङ) मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर नियमित समीक्षा की जा रही है और राज्य सरकार के सचिवों मंत्रालयों के अधिकारियों की नियमित बैठकें आयोजित हो रही हैं और राज्यों को दौरा कर उनसे योजनाओं के कार्यान्वयन में तत्परता लाने और समयबद्ध ढंग से धनराशि

को उपयोग में लेने का अनुरोध भी किया जा रहा है। धनराशि, पहले निर्गमित धनराशि को उपयोग में लाये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि देय है तो, प्राप्त होने पर ही निर्गमित की जाती है।

[हिन्दी]

विशेष महालेखाकार की नियुक्ति

3656. श्री धर्मेन्द्र यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में विशेष महालेखाकार नियुक्ति संबंधी कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विशेष महालेखाकार की नियुक्ति कब तक की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सी एंड एजी ने इस तरह से छह से आठ विशेष एजी कार्यालयों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की लेखा परीक्षा करने का कार्य सौंपने की सहमति जताई है जिससे सभी राज्य क्षेत्रीय प्रणाली में कवर हो जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभग्राही

3657. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के खरगांव और बदवानी जिलों में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितने अभ्यर्थियों को मकानों का आवंटन किया गया है; और

(ग) शेष लाभार्थियों को मकानों का आवंटन कब तक किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) खारगौन और बडवानी जिला प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन जिलों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या क्रमश: 96409 और 117121 है। खारगौन और बडवानी जिलों में अब तक इनमें से क्रमश: 27131 और 15478 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत घर आबंटित किए गए हैं।

(ग) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से ही इंदिरा आवास योजना के यथासंभव सभी लक्षित लाभार्थियों को यथाशीघ्र लाभान्वित करने के प्रयास किए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव

3658. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को स्थानीय संसद सदस्य तथा राज्य सरकार से रायपुर मंडल, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पावर हाऊस रेलवे स्टेशन के विस्तार एवं विकास संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भिलाई पावर हाउस स्टेशन में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं। उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, 3 नए बुकिंग काउंटरों, वाटर बूथों का नवीकरण, ऊपरी पैदल पुल और प्लेटफॉर्म शेल्टर के लीक/क्षतिग्रस्त शीट का प्रतिस्थापन, बैठने की व्यवस्था, विकलांग व्यक्तियों के लिए अल्पावधि सुविधाएं, परिपथन क्षेत्र में सुधार और विस्तारित प्लेटफॉर्म पर कवर शेड आदि के निर्माण संबंधित कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों की भर्ती

3659. श्रीमती जे. शांता: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में खेल अकादमी/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान जोन/

राज्य-वार रेलवे में खेल कोटा के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों की भर्ती की गई;

(घ) खेल-कोटा के अंतर्गत रिक्त पदों का जोन/राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली, सिकंदराबाद, चेन्नै, कोलकाता और मुंबई में भारतीय रेलों पर स्पोर्टस एकेडमियों की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में भर्ती किए गए खिलाड़ियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

2008-09	=	509
2009-10	=	233
2010-11	=	361
2011-12 (नवंबर, 2011 तक)	=	63

आंकड़ों को राज्यवार नहीं रखा जाता है। रेलवे जोनवार आंकड़े निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	रेलवे/इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	मध्य रेलवे	43	27	15	4
2.	पूर्व रेलवे	33	18	10	5
3.	पूर्व मध्य रेलवे	4	0	23	2
4.	पूर्व तट रेलवे	20	17	16	1
5.	उत्तर रेलवे	35	12	30	0
6.	उत्तर मध्य रेलवे	24	12	12	10
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	8	13	18	0
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	24	14	18	5
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	7	0	7	0
10.	दक्षिण रेलवे	30	1	15	0
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	25	0	30	12
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	20	10	19	0
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	27	11	25	0
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	24	18	36	6
15.	पश्चिम रेलवे	72	24	14	2
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	31	12	5	0
17.	चिरेका/चित्तरंजन	3	7	14	3

क्र. सं.	रेलवे/इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
18.	डीरेका/वाराणसी	4	3	22	9
19.	डीआका/पटियाला	17	13	2	4
20.	सडिका/चेन्नै	15	14	10	0
21.	रेडिका/कपूरथला	31	4	7	0
22.	रेपधिका/बंगलोर	4	2	3	0
23.	अअमासं/लखनऊ	0	0	5	0
24.	मेट्रो/कोलकाता	8	1	5	0
	जोड़	509	233	361	63

खिलाड़ियों की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए रेलवे को समर्थ बनाने के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। चूंकि भारतीय रेलवे में अलग स्पोर्टस संवर्ग नहीं है, अतः कोई रिक्ति नहीं है। प्रतिभावान खिलाड़ियों की भर्ती विभिन्न अन्य विभागों की रिक्तियों का उपयोग करके की जाती है।

(ङ) रेलवे में क्षेत्रीय रेल खेलकूद संगठन है जो अपने रेलवे में अनेक अलग-अलग विभागों में खिलाड़ियों की आवश्यकताओं का आकलन और निर्धारण करके गहन निगरानी रखता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, अनेक नीतियां बनायी जाती हैं और योग्य खिलाड़ियों को भर्ती करने के लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं। अच्छी प्रतिभा को भर्ती करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्रेलवे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

मुदखेड-परभनी रेलमार्ग

3660. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार मुदखेड-परभनी रेलमार्ग का दोहरीकरण करने का है जैसाकि पिछले रेल बजट में घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई हैं; और

(घ) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरू/पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी हां। मुदखेड़-परभनी (81.43 किमी.) का दोहरीकरण कार्य 334.32 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 2011-12 के रेल बजट में शामिल किया गया है। यह कार्य प्रारंभिक स्तर पर है। रेलवे बजट 2011-12 में इस कार्य के लिए 1.00 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था कर दी गयी है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

लघु सिंचाई योजनाएं

3661. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं हेतु जारी निधियों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) विगत तीन वर्षों में ए.आई.बी.पी. के तहत लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर लाभान्वित किसानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों में ए.आई.बी.पी. के तहत लघु सिंचाई योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को जारी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान ए.आई.बी.पी. के तहत लघु सिंचाई योजनाओं से राज्यवार लाभान्वित किसान

क्र. सं.	राज्य	लाभान्वित किसानों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	8500	3000	4932	16432
2.	असम	69677	75554	84824	230055
3.	मणिपुर	3820	1045	1055	5920
4.	मेघालय	199	1886	6729	8814
5.	मिजोरम	1443	1704	2224	5371
6.	नागालैंड	1250	1368	486	3104
7.	सिक्किम	87	100	113	300
8.	त्रिपुरा	1800	1624	1530	4954
9.	*हिमाचल प्रदेश	5600	15238	11010	31848
10.	*जम्मू और कश्मीर	392325	124188	71800	588313
11.	ओडिशा (के.बी.के.)	1556	2412	3462	7430
12.	उत्तराखंड	86617	53577	27547	167741
13.	आन्ध्र प्रदेश	722	2531	2221	5474
14.	*छत्तीसगढ़	6488	7272	4731	18491
15.	*मध्य प्रदेश	4825	1092	11674	17591
16.	*महाराष्ट्र	364	495	236	1095

1	2	3	4	5	6
17.	बिहार	0	5258	17525	22783
18.	*पश्चिम बंगाल	0	13800	0	13800
19.	*राजस्थान	0	0	112	112
20.	कर्नाटक	0	71	461	532
21.	झारखंड	0	0	0	0
	कुल	585273	312215	252672	1150160

*इन राज्यों के लिए, प्रत्येक किसान के स्वामित्व वाली भूमि (राज्यों द्वारा सूचित) के औसत आकार तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ए.आई.बी.पी. के तहत एम.आई. स्कीमों से सृजित क्षमता पर विचार करते हुए, लाभान्वित किसानों की संख्या आकलित कर ली गई है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान ए.आई.बी.पी. के तहत लघु सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों को जारी अनुदान

क्र. सं.	राज्य	जारी अनुदान (करोड़ रुपये)			
		2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	33.958	30.780	48.6350	113.373
2.	असम	322.7044	577.9694	356.9030	1257.577
3.	मणिपुर	39.5600	42.5403	40.5000	122.600
4.	मेघालय	24.8009	22.5018	110.1951	157.498
5.	मिजोरम	50.7176	36.4500	51.0921	138.260
6.	नागालैंड	48.5979	57.2860	70.0000	175.884
7.	सिक्किम	0.000	2.6049	14.3639	16.969
8.	त्रिपुरा	20.5065	31.3488	0.0000	51.855
9.	हिमाचल प्रदेश	37.5078	37.8195	32.4000	107.727
10.	जम्मू और कश्मीर	297.7547	158.0534	110.7215	566.530

1	2	3	4	5	6
11.	ओडिशा (के.बी.के.)	24.1697	40.5000	27.8538	92.524
12.	उत्तराखंड	371.6580	127.0063	160.0600	658.724
13.	आन्ध्र प्रदेश	231.66	0.00	0.00	231.660
14.	छत्तीसगढ़	151.0212	16.0383	131.7986	298.858
15.	मध्य प्रदेश	51.7594	173.3724	202.5023	427.634
16.	महाराष्ट्र	210.992		256.1439	467.136
17.	बिहार	34.8489		32.3535	67.202
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	8.10	8.100
19.	राजस्थान		14.170	0.000	14.170
20.	कर्नाटक		48.5066	34.6388	83.145
21.	झारखंड			231.6474	231.647
	कुल	1952.2170	1416.9477	1919.9089	5289.074

बी.एस.एल.एल.डी. स्कीम

3662. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों ने मंत्रालय के पास स्थानीय स्तर विकास हेतु मूल सांख्यिकी योजना के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही एवं समीक्षा की गई है;

(घ) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक बी.एस.एल.एल.डी. सरकार को प्रस्तुत करनी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) स्थानीय स्तर विकास के लिए बुनियादी सांख्यिकी एक प्रायोगिक स्कीम है और 2008-09 के लिए स्थानीय स्तर के आंकड़े इकट्ठा करने हेतु बी.एस.एल.एल.डी. का प्रथम चरण 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित हो चुका है जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में लगभग 500 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है। दिल्ली, गोवा तथा चंडीगढ़ में प्रशासनिक कारणों से प्रायोगिक स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा सकी। अब तक लगभग 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। जिन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपनी रिपोर्ट दी है वे हैं:

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर (चार जिलों में से दो जिले), मिजोरम, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक (तीन जिलों में से दो जिले), लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।

(ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की रिपोर्टों पर आधारित

प्रायोगिक स्कीम के पहले चरण के लिए, क्रॉस, सैक्शनल सिंथेसिस रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वर्ष 2009-10 के लिए स्थानीय स्तर के आंकड़े इकट्ठा करने हेतु प्रायोगिक स्कीम का दूसरा चरण उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां स्कीम का पहला चरण पूरा हो गया है और तत्संबंधी रिपोर्ट सहित उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) निम्नलिखित पांच राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् जम्मू व कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुर, दमन व दीव और दादर एवं नगर हवेली ने बी.एस.एल.एल.डी. के पहले चरण की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

समुद्र स्तर की निगरानी

3663. श्री धनंजय सिंह: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय समुद्र तट के आस-पास समुद्र स्तर की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दस वर्षों में भारतीय समुद्र तट के आस-पास समुद्र स्तर में क्या परिवर्तन आये हैं; और

(घ) समुद्र स्तर में वृद्धि रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं जिससे तटीय पारिस्थितिकी की रक्षा हो सके?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारतीय तट पर समुद्र स्तर के सतत् मापन के लिए 26 ज्वारमापी स्थापित किए हैं। ये सभी ज्वारमापी स्टेशन वास्तविक समय के डेट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस), हैदराबाद को भेज रहे हैं। चुनिंदा स्थानों के डेटा को दशकों तक मॉनीटर किया गया है, इससे समुद्र स्तर में हुए दीर्घावधि परिवर्तनों का आकलन किया गया।

(ग) समुद्र स्तर के साकल्यवादी डेटा से पता चलता है कि भारतीय तटरेखा के समुद्र स्तर में भारी परिवर्तन हुआ है। भारतीय तटरेखा वाले प्रदेशों के विगत् ज्वारमापी अभिलेखों का विश्लेषण पिछले 40 वर्षों की अवधि में समुद्र स्तर में औसतन प्रतिवर्ष 1.29 मिमी. की वृद्धि को दर्शाता है। भारतीय ज्वारमापी डेटा ने विगत् शताब्दी के दौरान विभिन्न स्थानों पर समुद्र स्तर में स्थानीय वृद्धि की प्रवृत्ति का संकेत किया है। हाल में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि 2004-2009 की अवधि के दौरान तुंगतामापी से प्रेक्षित हिंद महासागर में समुद्र स्तर वृद्धि की औसत प्रवृत्ति 6.5±0.49 मिमी./प्रतिवर्ष है। परंतु, हिंद महासागर क्षेत्र में अलग-अलग समय के औसत समुद्र स्तर की स्थिति से स्पष्ट पता चलता है कि वर्ष-दर-वर्ष की परिवर्तनीयता अपने आप में महत्वपूर्ण है, इससे इस अध्ययन में अनुमानित मान को दीर्घावधि प्रवृत्ति के द्योतक के रूप में नहीं माना जा सकता।

(घ) समुद्र स्तर में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी परिघटना है जो कि तूफान महोर्मि तथा ज्वारीय परिवर्तन, डेल्टा के कारण सामान्य धंसाव, तटीय कटाव तथा तटरेखा पर स्थित नदी चैनलों में गाद बनने जैसी अधिक आकस्मिक स्थितियां पैदा होने के कारण हो रही है। तटीय क्षरण से उत्पन्न हो रही समस्या से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से उचित सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

सतर्कता और निगरानी समितियों की बैठकें

3664. श्री नवीन जिन्दल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतर्कता और निगरानी समितियों की बैठकें जिला स्तर पर निर्धारित अन्तराल के पश्चात् नियमित रूप से की जा रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में घोर उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग कारण होते हैं, इन कारणों में बैठक की तिथि सूचित करने में अध्यक्ष की ओर से विलंब, अध्यक्ष के बैठक में भाग लेने में असमर्थ होने के कारण बैठक स्थगित होना, चुनाव, सदस्य सचिव की अनिच्छा आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय को किसी भी सतर्कता एवं निगरानी समिति से दिशा-निर्देशों के घोर उल्लंघन से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मंत्रालय को अन्य स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में घोर उल्लंघन के संबंध में रिपोर्टें/शिकायतें प्राप्त होने के बाद, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को तैनात करके प्राथमिक जांच की जाती है तथा रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों को भेज दी जाती है।

[हिन्दी]

मऊ जंक्शन पर टर्मिनल

3665. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उत्तर पूर्व रेल के अंतर्गत मऊ जंक्शन पर रेलवे टर्मिनल के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) मऊ में एक टर्मिनल के निर्माण के लिए संसद सदस्य, लोक सभा श्री दारा सिंह चौहान और संसद सदस्य, लोक सभा श्री सलीम अंसारी से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मऊ में टर्मिनल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

रुग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

3666. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रुग्ण हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या एम.एस.एम.ई. के उत्पादन और उत्पादकता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र में रुग्णता संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संकलित किए जाते हैं। आर.बी.आई. द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2009, मार्च 2010 और मार्च 2011 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत में देश में रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) की संख्या की स्थिति निम्नलिखित थी:-

के अंत में	रुग्ण एम.एस.ई. की संख्या
मार्च 2009	1,03,996
मार्च 2010	77,723
मार्च 2011	90,141

आर.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत मध्यम उद्यमों से संबंधित आंकड़े सिर्फ मार्च 2011 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए हैं जो रुग्ण मध्यम उद्यमों की संख्या 4416 दर्शाता है। रुग्ण एम.एस.ई. और रुग्ण मध्यम उद्यमों की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) सरकार देश में समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना करवाते हुए उनकी प्रगति की निगरानी करती है। नवीनतम गणना (चौथी गणना) संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ करवाई गई थी, जिसमें 2009 तक के आंकड़े एकत्रित किए गए थे और 2009 में परिणाम प्रकाशित हुए। संदर्भ वर्ष 2001-02 के साथ लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना और एम.एस.एम.ई. की चौथी गणना के अनुसार पंजीकृत एम.एस.एम.ई. से संबंधित सकल उत्पादन और रोजगार में प्रगति क्रमशः 30.26% और 8.60% की वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर दर्शाती है। इसी अवधि में सकल उत्पादन के संबंध में प्रति व्यक्ति उत्पादकता 3.3 लाख रुपये से बढ़कर 7.6 लाख रुपये हो गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) सरकार एम.एस.एम.ई. की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत सी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। मुख्य योजनाओं में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना और क्लस्टर विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में स्थित एम.एस.एम.ई. टूल रूम और एम.एस.एम.ई. विकास केंद्र एम.एस.एम.ई. को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाएं प्रदान करते हैं।

विवरण-I

रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या (मार्च के अंत तक)		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5201	3028	11305
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	109
3.	असम	1260	1027	506
4.	बिहार	4778	2205	4872
5.	छत्तीसगढ़	1413	1253	1052
6.	गोवा	135	81	155
7.	गुजरात	3801	4366	4321
8.	हरियाणा	924	1060	344
9.	हिमाचल प्रदेश	232	341	575
10.	जम्मू और कश्मीर	564	2409	1631
11.	झरखंड	2115	1816	1476
12.	कर्नाटक	3114	5331	7034

1	2	3	4	5
13.	केरल	3676	5078	5363
14.	मध्य प्रदेश	5644	2760	8124
15.	महाराष्ट्र	12131	6348	8815
16.	मणिपुर	312	31	23
17.	मेघालय	42	13	276
18.	मिजोरम	0	3	7
19.	नागालैंड	105	12	23
20.	ओडिशा	5035	3063	4967
21.	पंजाब	1726	2236	1478
22.	राजस्थान	2719	3684	1743
23.	सिक्किम	10	61	21
24.	तमिलनाडु	4974	4827	7106
25.	त्रिपुरा	1972	288	13
26.	उत्तराखंड	565	756	362
27.	उत्तर प्रदेश	18506	7217	4674
28.	पश्चिम बंगाल	21416	16853	7904
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	38	8
30.	चंडीगढ़	116	50	147
31.	दादरा और नगर हवेली	562	2	0
32.	दमन और दीव	21	45	0
33.	दिल्ली	904	1370	4250
34.	लक्षद्वीप	-	-	-
35.	पुडुचेरी	22	71	1457
	अखिल भारतीय	103996	77723	90141

विवरण-II

रुग्ण मध्यम उद्यमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुग्ण मध्यम उद्यमों की संख्या (मार्च के अंत तक)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	119
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	229
4.	बिहार	28
5.	छत्तीसगढ़	9
6.	गोवा	4
7.	गुजरात	380
8.	हरियाणा	157
9.	हिमाचल प्रदेश	231
10.	जम्मू और कश्मीर	148
11.	झारखंड	7
12.	कर्नाटक	184
13.	केरल	190
14.	मध्य प्रदेश	82
15.	महाराष्ट्र	201
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	10
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	18
21.	पंजाब	259
22.	राजस्थान	33
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	978
25.	त्रिपुरा	19
26.	उत्तराखंड	45
27.	उत्तर प्रदेश	500
28.	पश्चिम बंगाल	461
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	चंडीगढ़	4
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	28
33.	दिल्ली	85
34.	लक्षद्वीप	-
35.	पुडुचेरी	0
	अखिल भारतीय	4416

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में पेयजल की आपूर्ति

3667. श्री विष्णु पद राय: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुशनाबाद पंचायत, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के अंतर्गत कुछ परिवारों को जल की आपूर्ति 1/2" की पाइप लाइन के माध्यम से की जा रही है और उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जल आपूर्ति के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पंचायत के दो वार्डों की जनसंख्या को जल आपूर्ति हेतु छोटे वाटर टैंक का इस्तेमाल किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कोई नया वाटर टैंक उपलब्ध कराकर जल की भंडारण क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन सरकार ने बताया है कि वितरण नेटवर्क के लिए 1/2" पाइपलाइनें प्रदान नहीं की जाती हैं। सामान्यतया, 1/2" पाइपलाइनें केवल टैप कनेक्शन के समीप उपयोगकर्ता के स्थान पर लगाई जाती हैं। मुख्य वितरण लाइनों में पाइपलाइन नेटवर्क की अपेक्षा के अनुसार उच्च व्यास वाली 3", 2" 1½" की पाइपलाइनें उपयोग की जाती हैं। आम जनता को 40 एल.पी.सी.डी. के न्यूनतम मानक से अधिक जलापूर्ति की जाती है।

(ग) तुशनाबाद में जलापूर्ति में सुधार के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अनुसार, निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं - तिरूर नं. 3 नाला से मानपुर क्षेत्र तक जलापूर्ति का विस्तार, कोलिनपुर क्षेत्र में पाइपलाइन उपलब्ध कराना, गोल टिकरी स्रोत से तुशनाबाद क्षेत्र तक पुरानी पाइपलाइन बदलना, तुशनाबाद पंचायत के अन्तर्गत ओगराबराज क्षेत्र में पाइपलाइन में सुधार और तुशनाबाद टैंक से गोविन्द नगर स्थित बंगाली बस्ती तक पाइपलाइन में सुधार।

(घ) और (ङ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सूचित किए अनुसार, बसावटें/आवास दूर-दूर होने के कारण गुरूत्व फ्लो को बनाए रखने के लिए छोटे एवं मध्यम टैंक निर्मित किए जाते हैं। तुशनाबाद तथा हेप्ताबाद में उपर्युक्त प्रकार का एक-एक छोटा टैंक निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।

गैस का आवंटन

3668. श्री आर. धुवनारायण: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न परियोजना और अलग-अलग प्रयोजनों हेतु गैस का आवंटन करने के संबंध में कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

माल-भाड़ा दर में वृद्धि

3669. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में माल भाड़े की दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और मुद्रास्फीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जिस दर पर व्यस्त समय प्रभार और विकास सरचार्ज लगाया जाता है उसे 15-10-2011 से मामूली रूप से बढ़ा दिया गया है।

(ख) कोयले और कोक के मामले में व्यस्त समय प्रभार संशोधित कर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिए गए हैं और अन्य सभी पण्यों के मामले में 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिए गए हैं। जिस दर पर विकास सरचार्ज लगाया जाता है, उसे संशोधित करके 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) अनिवार्य पण्यों के मूल्यों में बढ़ी दरों का आंका गया प्रभाव नगण्य होने की आशा है। उदाहरण के लिए खाद्यान्नों और उर्वरकों के मामले में प्रति किलोग्राम प्रति 1000 कि.मी. बढ़ोतरी 05 पैसे है, नमक और चीनी के मामले में 04 पैसे, प्याज के मामले में 03 पैसे व खाद्य तेलों के मामले में 06 पैसे है।

हिमालय से निकलने वाली नदियों में गाद

3670. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक अध्ययन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों में गाद की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने के लिए नदी बेसिन विकास प्राधिकरण की स्थापना करने और जल के अपस्ट्रीम भंडारण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) गंगा कार्यनीतिक बेसन आकलन के संबंध में विश्व बैंक की मसौदा रिपोर्ट (अगस्त, 2011) में नदी बेसिन विकास प्राधिकरण को गठित करने का सुझाव नहीं दिया गया है। मसौदा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गाद की मात्रा इतनी अधिक है कि बड़े बांधों के पीछे जमी गाद को हटाना किफायती नहीं होगा, ये बड़ी और कीमती संरचनाएं बड़ी जल्द भर जाती हैं जिससे गाद आगे निकल जाएगी।

(ग) बैठक के दौरान विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी तथा बैठक के दौरान टिप्पणियों के बारे में सूचित किया गया था।

राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा

3671. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति में शामिल की जाने वाली नई गतिविधियों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कोई समीक्षा समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति को कब तक तैयार और घोषित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की समीक्षा आरंभ कर दी है। राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति गठित की गई है।

(ख) और (ग) मसौदा समिति ने राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार किया है जिसकी जल संसाधन मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सिधौली स्टेशन पर सुविधाएं

3672. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उत्तर पूर्व रेल के अंतर्गत सिधौली रेलवे स्टेशन पर एक और टिकट काउंटर, विश्राम घर, प्रतीक्षा कक्ष, सुलभ कम्प्लेक्स आदि खोलने हेतु जन प्रतिनिधियों से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रेलवे द्वारा उक्त स्टेशन पर नैनीताल एक्सप्रेस का ठहराव करने संबंधी मांग पर क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) एक बुकिंग काउंटर चौबीसों घंटे परिचालित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, एक दूसरा बुकिंग काउंटर 6:00 बजे से 14:00 बजे तक परिचालित किया जाता है। स्टेशन पर 49 वर्ग मी. माप का प्रतीक्षालय और 141 वर्ग मी. माप का प्लेटफॉर्म शेल्टर उपलब्ध है। सुलभ कांप्लेक्स का प्रावधान औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। बहरहाल, स्टेशन पर 4 अदद शौचालय और 4 अदद मूत्रालय मुहैया कराए गए हैं।

(ग) 15307/15308 लालकुंआ-ऐशबाग नैनीताल एक्सप्रेस को सिधौली पर ठहराव देने के प्रावधान की जांच की गयी है लेकिन इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

एल.टी.टी.डी. संयंत्रों की स्थापना

3673. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप और चैन्नई को छोड़कर देश के तटीय क्षेत्रों में लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन (एल.टी.टी.डी.)

संयंत्रों की स्थापना की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थल की स्थितियों के आधार पर तटीय तापीय विद्युत संयंत्रों में एल.टी.टी.डी. संयंत्रों की स्थापना की संभावना का पता लगा रहा है।

(ख) तूतीकोरिन, तमिलनाडु में प्रति दिन 2 मिलियन लीटर (2 एम.एल.डी.) स्वच्छ जल तैयार करने की क्षमता वाले एक एल.टी.टी.डी. संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पेट्रोल पंप के डीलरों की मांग

3674. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल पंप डीलरों की कमीशन में वृद्धि करने की मांग पर विचार करने हेतु हाल ही में किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन तथा उसके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) सरकार ने संयुक्त सचिव (विपणन), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए सितम्बर, 2010 में समिति गठित की थी। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, पेट्रोल और डीजल के बीजक मूल्य की निश्चित प्रतिशतता के रूप में डीलर का कमीशन रखने की व्यवहार्यता की जांच करने सहित डीलर के कमीशन को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था के लिए युक्ति निकालना सम्मिलित है। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2011 में प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ 01-07-2011 से पेट्रोल के डीलरों का कमीशन 1218 रु. प्रति किलोलीटर से 1499 रु. प्रति किलोलीटर और डीजल 757 रु. प्रति किलोलीटर से 912 रु. प्रति किलोलीटर संशोधित किया है।

भारत-सूडान भागीदारी

3675. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल क्षेत्र में सूडान भारत का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है और इसकी कंपनियां अपतटीय तेल उद्योग का 25 प्रतिशत कारोबार करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ओ.एन.जी.सी. का एक शिष्टमंडल सूडान में दोहन रहित तेल क्षेत्रों में इक्विटी प्राप्त करने के लिए सूडान गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिष्टमंडल को इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारत विदेश स्थित अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में सूडान का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है। ओ.एन.जी.सी. विदेश लि. (ओ.वी.एल.) सहित, कोई भी राष्ट्रीय तेल कम्पनी (एन.ओ.सीज) सूडान में अपतटीय तेल और गैस कार्यकलाप में नहीं लगी हुई है। तथापि, सूडान के अभितटीय ब्लॉक 1, 2 और 4 में ओ.वी.एल. का 25% हिस्सा है और अभितटीय ब्लॉक 5ए में, ओ.वी.एल. का 24.125% हिस्सा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बडामपहाड़ और टाटा के बीच रेल सेवा

3676. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत बडामपहाड़ और टाटा के बीच कोई यात्री रेल सेवा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 58101/58102 टाटानगर-बादामपहाड़, टाटानगर-बादामपहाड़ के बीच चलाई जा रही है। टाटानगर और बादामपहाड़ के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

सी.एन.जी. आपूर्ति

3677. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत खुर्जा क्षेत्र में मिट्टी तेल के बर्तन उद्योग को सी.एन.जी. की आपूर्ति करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) मैसर्स अदानी गैस लिमिटेड द्वारा बुलन्दशहर से खुर्जा तक बिछाई गई पाइपलाइन के जरिए गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा खुर्जा पॉटरी क्लस्टर को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) खुर्जा को नगर गैस वितरण नेटवर्क के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) द्वारा भौगोलिक क्षेत्र के रूप से नाम निर्दिष्ट कर दिया गया है और तदनुसार, पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा प्राधिकृत कंपनी को उस क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी।

गेल ने सूचित किया है कि मैसर्स अदानी गैस लिमिटेड ने गेल की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से मैसर्स अदानी के मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क तक समबद्धता प्रदान करने के लिए गेल से संपर्क किया है।

तथापि, पी.एन.जी.आर.बी. को खुर्जा में सी.जी.डी. के लिए प्राधिकार अभी प्रदान किया जाना है।

दिल्ली-सहारनपुर लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन

3678. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दिल्ली-शाहदरा-शामली, सहारनपुर लाइन को दोहरीकरण करके उस पर कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा प्रस्तावित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दिल्ली शाहदरा-शामली इकहरी लाइन खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। परियोजना पर आगे का निर्णय सर्वेक्षण के पूरा हो जाने और सर्वेक्षण रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच हो जाने पर लिया जाएगा। शामली आगे तापरी के रास्ते सहारनपुर से जुड़ा है जिस पर तापरी-सहारनपुर खंड एक दोहरी लाइन खंड है। मध्यवर्ती शामली-तापरी इकहरी लाइन खंड का दोहरीकरण करना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक को निधि

3679. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत और ऐसी अन्य योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त निधि प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त वर्णित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक हैं, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना और अन्नपूर्णा भी शामिल हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राज्य योजना में शामिल है और इसके लिए निधियां राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय देता है तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी योजनाओं के लिए संयुक्त आबंटन के रूप में गृह मंत्रालय देता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में प्रदान की गई निधियां इस प्रकार हैं:

(लाख रु.)

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (नवंबर, 2011 तक)
22850.20	31261.00	32296.00	25983.66

(ख) राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कोई अतिरिक्त निधि प्रदान किए जाने का अनुरोध नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 में 510.18 करोड़ रु. की आवश्यकता दर्शाई है।

(ग) और (घ) इन योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को पर्याप्त निधियां दी जाती हैं।

आई.सी.एस.आई.

3680. श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेल: क्या **कॉर्पोरेट कार्य गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आई.सी.एस.आई.) में नियुक्ति, प्रोन्नतियां तथा अन्य सेवा मामलों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के आरक्षण, महिला कर्मचारियों के लिए कल्याण योजनाएं जैसे मातृत्व अवकाश, बाल देख-भाल अवकाश जैसी नीतियां/नियमों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा संस्थान के प्रशासनिक कार्यकरण में पारदर्शिता लाने और संस्थान में सेवा नियमों और वेतनमान का केन्द्रीय सरकार के अनुरूप प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है। अधिनियम की धारा 16 संस्थान की परिषद को अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने, उनके वेतन, शुल्क, भत्ते एवं सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें विहित करने की शक्ति प्रदान करता है।

तथापि, अधिनियम की धारा 35 के तहत केन्द्र सरकार समय-समय पर आई.सी.एस.आई. की परिषद् को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो केन्द्र सरकार के विचार से अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित हैं। किन्तु मंत्रालय संस्थान के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता।

(ग) और (घ) संस्थान के कर्मियों की सेवा की निबंधन

एवं शर्तें संस्थान की परिषद् द्वारा 1979 में बनाई गई सेवा नियमावली (समय-समय पर यथासंशोधित) से विनियमित होती हैं। नियम 12(क) में कहा गया है कि "इन नियमों का समय-समय पर संशोधित आरक्षण/छूट संबंधी केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार नियोजन (सीधी भर्ती एवं पदोन्नयन) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य अपेक्षित छूटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

संस्थान द्वारा अपने कर्मियों के कल्याण हेतु प्रारंभ किए गए उपाय निम्नवत हैं-

1. 135 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश (पूरी सेवा अवधि में दो अवसरों से अधिक नहीं)।
2. 15 दिनों के लिए पितृत्व अवकाश (पूरी सेवा अवधि में दो अवसरों से अधिक नहीं)।

(ङ) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होने के कारण यह संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक लोक प्राधिकारी है एवं अपेक्षित पारदर्शिता बनाए रखता है। संस्थान ने छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अपने कर्मियों का वेतन 1 जनवरी, 2006 से संशोधित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.49 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.15 बजे

*लोक सभा *अपराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत हुई।*

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

---

*सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की गई थी। अपराह्न 12.06 बजे, महासचिव महोदय ने सभा में उपस्थित सदस्यों को निम्नलिखित सूचना दी:-

"माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने निदेश दिया है कि सभा अपराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत होगी।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, आपको यह सूचित करते हुए मुझे खेद है कि हमारे सहयोगी, श्री उमाशंकर सिंह जी के साथ दुर्घटना हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

अपराह्न 12.15¼ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र प्रस्तुत किए जाएं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं:-

(एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 5593/15/11)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक

[श्री प्रफुल पटेल]

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5594/15/11)

(ख) (एक) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5595/15/11)

(ग) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5596/15/11)

(घ) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5597/15/11)

(ङ) (एक) नेशनल बाइसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5598/15/11)

(2) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5599/15/11)

(3) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5600/15/11)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): मैं, श्री सलमान खुर्शीद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदन - दिसंबर, 2011 के 7वें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5601/15/11)

(2) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता निदान) विनियम, 2011 जो 18 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल./08/11/ एन.ए.एल.एस.ए. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5602/15/11)

अपराह्न 12.16 बजे

(श्री इन्दर सिंह नामधारी *पीठासीन हुए)*

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(क) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5603/15/11)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:-

(एक) (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मा-स्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मा-स्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5604/15/11)

(दो) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5605/15/11)

(तीन) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5606/15/11)

(चार) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5607/15/11)

(पांच) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5608/15/11)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): मैं बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:-

बारहवीं लोक सभा

एक. विवरण संख्या सैंतालीस दूसरा सत्र, 1998
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5609/15/11)

तेरहवीं लोक सभा

दो. विवरण संख्या इक्यावन तीसरा सत्र, 2000
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5610/15/11)

तीन. विवरण संख्या अड़तालीस सातवां सत्र, 2001
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5611/15/11)

चार. विवरण संख्या सैंतीस नौवां सत्र, 2002
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5612/15/11)

पांच. विवरण संख्या तेंतीस दसवां सत्र, 2002
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5613/15/11)

चौदहवीं लोक सभा

छह. विवरण संख्या पच्चीस तीसरा सत्र, 2004
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5614/15/11)

सात. विवरण संख्या छब्बीस चौथा सत्र, 2005
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5615/15/11)

आठ. विवरण संख्या तेईस पांचवां सत्र, 2005
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5616/15/11)

नौ. विवरण संख्या बाईस छठा सत्र, 2005
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5617/15/11)

दस. विवरण संख्या बाईस सातवां सत्र, 2006
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5618/15/11)

ग्यारह. विवरण संख्या उन्नीस आठवां सत्र, 2006
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5619/15/11)

बारह. विवरण संख्या अठारह दसवां सत्र 2007
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5620/15/11)

तेरह. विवरण संख्या सोलह ग्यारहवां सत्र 2007
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5621/15/11)

चौदह. विवरण संख्या पंद्रह बारहवां सत्र 2007
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5622/15/11)

पन्द्रह. विवरण संख्या तेरह तेरहवां सत्र 2008
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5623/15/11)

सोलह. विवरण संख्या ग्यारह चौदहवां सत्र 2008
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5624/15/11)

सत्रह. विवरण संख्या दस पंद्रहवां सत्र 2009
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5625/15/11)

पंद्रहवीं लोक सभा

अठारह. विवरण संख्या नौ दूसरा सत्र 2009
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5626/15/11)

उन्नीस. विवरण संख्या सात तीसरा सत्र 2009
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5627/15/11)

बीस. विवरण संख्या सात चौथा सत्र 2010
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5628/15/11)

इक्कीस. विवरण संख्या चार पांचवां सत्र 2010
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5629/15/11)

बाईस. विवरण संख्या तीन छठा सत्र 2010
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5630/15/11)

तेईस. विवरण संख्या दो सातवां सत्र 2011
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5631/15/11)

चौबीस. विवरण संख्या एक आठवां सत्र 2011
(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5632/15/11)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5633/15/11)

(ख) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5634/15/11)

(ग) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5635/15/11)

(घ) (एक) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5636/15/11)

(ङ) (एक) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5637/15/11)

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेलवे रेड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 21 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 826(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5638/15/11)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): मैं, श्री आर.पी.एन. सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्रों को सभापटल पर रखता हूं:-

(एक) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5639/15/11)

(ख) (एक) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5640/15/11)

[श्री एम. वीरप्पा मोइली]

(ग) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5641/15/11)

(घ) (एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5642/15/11)

(दो) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5643/15/11)

(तीन) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679(अ) जो 14 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कंपनियों को निधि का दर्जा दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5644/15/11)

(चार) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 1 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या आई.सी.एस.आई. संख्यांक 1 जो 1 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना की गई है तथा निदेशक (अनुशासन) की तैनाती की गई है।

(दो) अधिसूचना संख्या 104/31/लेखा जो 27 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे दिए गए हैं।

(तीन) 1 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या आई.सी.एस.आई. संख्यांक 1 जो 18 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो व्यवसायी कंपनी सचिवों द्वारा अनुप्रमाणन सेवा की पी.आर. रिव्यू के लिए मार्गनिर्देश के बारे में है।

(चार) 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या आई.सी.एस.आई. संख्यांक 1 जो 6 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 11वें परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों में निर्वाचन कराया गया है।

(पांच) 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या आई.सी.एस.आई. संख्यांक 1 जो 23 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 11वें परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों में निर्वाचन कराया गया है।

(छह) 2 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या आई.सी.एस.आई. संख्यांक 2 जो 27

दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद् में निर्वाचन कराया गया है।

(पांच) उपर्युक्त (चार) की मद संख्या (चार), (पांच) और (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5645/15/11)

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं, श्री प्रदीप जैन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5646/15/11)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं, श्री अश्विनी कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5647/15/11)

(2) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5648/15/11)

(3) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5649/15/11)

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5650/15/11)

(5) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इन्फार्मेशन सर्विसेस, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

[श्री पबन सिंह घाटोवार]

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इन्फार्मेशन सर्विसेस, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5651/15/11)

(6) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओसियन रिसर्च, वास्कोडिगामा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओसियन रिसर्च, वास्कोडिगामा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5652/15/11)

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5653/15/11)

अपराह्न 12.18 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: सभापति महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(i) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है

कि राज्य सभा 14 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में 12 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(ii) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है

कि राज्य सभा 14 दिसम्बर, 2010 को हुई अपनी बैठक में 12 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.18¼ बजे

56वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत के संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय मैं 10-19 सितम्बर, 2010 तक नैरोबी, केन्या में आयोजित हुए 56वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत के संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5654/15/11)

अपराह्न 12.18½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

(सातवां) प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टनम): महोदय मैं 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विकास' विषय पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (पन्द्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.19 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 218वें और 219वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दिनांक 01-09-2004 के बुलेटिन-भाग-II के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में मैं सभा पटल पर एक विवरण रख रहा हूं जिसमें उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 218वीं और 219वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न है।

विभिन्न सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूरी कर ली गई/आरंभ की गई है। प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्रवाई के संबंध में कार्रवाई नोट समिति के समक्ष क्रमश: 21-06-2011 और 13-06-2011 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

अपराह्न 12.19¼ बजे

(दो) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): सभापति महोदय, श्री आर.पी.एन. सिंह की ओर से मैं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2011-12) से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की 37वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण दे रहा हूं।

कुल मिलाकर, उपरोक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा छह सिफारिशें की गईं थीं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। सरकार ने "सैद्धांतिक रूप से" समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस विवरण के अनुलग्नक में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुलग्नक के सभी अंशों को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.19½ बजे

(तीन) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): सभापति महोदय श्री सलमान खुर्शीद की ओर से मैं सभा की कार्यवाही और प्रक्रिया नियमावली के नियम 389 के तहत माननीया लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश सं. 73-ए के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विषय से सम्बद्ध स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की सत्रहवीं रिपोर्ट में उल्लिखित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वर्ष 2011-12 की मांग अनुदानों से संबंधित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विषय से संबंधित स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की मांग अनुदानों से संबंधित अपनी सत्रहवीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 04 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत की थी। अनुशंसाओं पर विचार किया गया तथा सरकार द्वारा इन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समिति को 29 नवम्बर, 2011 को प्रस्तुत की गई थी।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 5656/15/11.

सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए संख्या एल.टी. 5657/15/11.

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 5655/15/11.

[श्री विन्सेंट एच. पाला]

रिपोर्ट में कुल 15 अनुशंसाएं थीं। इन सभी 15 अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख अनुलग्नक में है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदय, मेरा जीरो आवर का नोटिस है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के बाद "शून्यकाल" के दौरान इस बात को उठाएंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: मुझे कॉलिंग अटेंशन से पहले मौका दिया जाए। उसके बाद कॉलिंग अटेंशन हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के बाद आपका विषय सुनूंगा।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: ऐसी घटना घटी है कि एक व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली में तीन-तीन एफआईआर हुए और वे तीनों एफआईआर होम मिनिस्ट्री के कहने पर वापस लिए गए हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* दो मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.21 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आई.डी.बी.आई. लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के बाद "शून्य काल" के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, लोक महत्व के मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह उस पर एक वक्तव्य दे सकते हैं:

"आई.डी.बी.आई. लि. के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय मंत्री आप सभा-पटल पर अपना वक्तव्य रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): *महोदय, समामेलन की स्कीम की शर्तों के अनुसार पूर्ववर्ती आई.डी.बी.आई. बैंक लि. का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि. के साथ 2 अप्रैल 2005 से समामेलन किया गया। यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का 3 अक्तूबर, 2006 से आई.डी.बी.आई. लि. के साथ समामेलन किया गया। 7 मई 2008 से नाम बदल कर आई.डी.बी.आई. बैंक लि. कर दिया गया।

आई.डी.बी.आई. लि. के प्रबंधन और अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ के बीच 17 मार्च 2006 को 5 वर्षों की अवधि, जो 1 नवंबर, 2002 को शुरू हुई, के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसे बाद में आई.डी.बी.आई. लि. और अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ के बीच 20 जनवरी, 2007 को हस्ताक्षरित अनुपूरक समझौता ज्ञापन के जरिए संशोधित किया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि:

"हम इस बात से भी सहमत हैं कि उक्त अवधि के लिए समझौते का समय बीतने पर सभी प्रकार के वेतन एवं भत्तों पर वेतन निर्धारण के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बैंक और

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 5658/15/11

उसके कर्मचारियों के बीच बातचीत की जाएगी और आपस में सहमति की जाएगी।"

आई.डी.बी.आई. लि. के साथ इसके विलय से पहले पूर्ववर्ती यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक के कामगार कर्मचारियों की सेवा की नियम एवं शर्तें भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों के सदृश थीं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू थीं। समामेलन की स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ती यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक के कर्मचारियों के लिए 3 वर्षों की अवधि के भीतर वही मुआवजा दिया जाना था और सेवा के वही नियम एवं शर्तें निर्दिष्ट की जानी थीं जो आई.डी.बी.आई. लि. के कर्मचारियों पर लागू थीं।

भारतीय बैंक संघ ने 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी होने वाले वेतन एवं भत्तों में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आई.डी.बी.आई. लि. की ओर से सम्पूर्ण इंडस्ट्री के अधिकारियों और कामगार संघों के साथ बातचीत करने के लिए आई.डी.बी.आई. लि. से नवम्बर, 2007 में आदेश चाहा। लेकिन, विलय के पूर्व तीनों विलयित संगठनों में विद्यमान भिन्न-भिन्न मुआवजा पैकेजों के परिप्रेक्ष्य में आई.डी.बी.आई. लि. ने भारतीय बैंक संघ को अपना आदेश नहीं दिया और अपना स्वयं का मुआवजा पैकेज तैयार करने का निर्णय लिया।

मुआवजा पैकेज तैयार करते समय, आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के प्रबंधन ने 16 अप्रैल, 2009 को अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ को विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें तब प्रस्तावित वेतनमानों और सेवा के नियम एवं शर्तों की प्रतियां सौंपी गईं। अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ के साथ एक और बैठक 13 मई, 2009 को आयोजित की गई। लेकिन, अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ ने 12 मई, 2009 के अपने पत्र के द्वारा विचार-विमर्श के लिए परस्पर सुविधाजनक तिथि की मांग की। विचार-विमर्श का एक और दौर 2 जून, 2009 के लिए निर्धारित किया गया लेकिन अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ ने उसमें भाग नहीं लिया।

आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के निदेशक-मंडल ने 23 मई, 2009 को आयोजित हुई अपनी बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए मुआवजा पैकेज का अनुमोदन किया। इस पैकेज को अधिकारियों के लिए नवम्बर 2007 से अक्तूबर 2012 तक की अवधि के लिए जनवरी 2010 में क्रियान्वित किया गया है। हालांकि, कामगार कर्मचारियों के मामले में वेतन संशोधन समझौते को, उसी अवधि के लिए अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के प्रबंधन के भरसक प्रयासों के बावजूद अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ ने निपटान के द्विपक्षीय समझौते को निष्पादित करने पर अब तक सहमति व्यक्त नहीं की है।

मामले का सौहार्दपूर्ण निपटान करने के लिए, आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के प्रबंधन ने अपने संशोधित प्रस्ताव पर अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ के साथ परामर्श करने के लिए तीन कार्यपालक निदेशकों की एक समिति का गठन किया। अनौपचारिक परामर्शों की एक शृंखला के अलावा, जब संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो दिनांक 26 अगस्त, 2011 को एक बैठक भी आयोजित की गई। तथापि, प्रस्तावित मुआवजा पैकेज पर कोई समझौता नहीं हो सका।

अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ विचार-विमर्श के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक में दिए जा रहे वेतन और भत्तों के साथ समानता की मांग करते रहे हैं। वे प्रबंधन द्वारा आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ, जो मुख्य तौर पर पूर्ववर्ती यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, के साथ बातचीत करने का भी विरोध करते हैं। आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ द्वारा दायर रिट याचिका सं. 3699 पर माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने दिनांक 18 अगस्त, 2011 के आदेश के तहत उप श्रम आयुक्त को निदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता संघ की सदस्यता सत्यापित करें।

अक्तूबर, 2004 में आई.डी.बी.आई. लि. का बैंकिंग कम्पनी के रूप में परिवर्तन होने के पश्चात, आई.डी.बी.आई. बैंक लि. को अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के प्रबंधन तथा अखिल भारतीय आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ के बीच 20 जनवरी, 2007 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार वेतन और भत्तों का उत्तरवर्ती परिनिर्धारण वेतन निर्धारण के सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना था और आर.बी.आई. के साथ उसकी कोई संबद्धता नहीं रही। चूंकि भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपनाए गए वेतन परिनिर्धारण की आर.बी.आई. के वेतनमानों के साथ समानता नहीं है, इसलिए आई.डी.बी.आई. बैंक लि., जो सरकारी

[श्री नमोनारायन मीणा]

क्षेत्र का एक बैंक है, में ऐसी समानता की मांग करने का औचित्य नहीं है और इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है।

आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के प्रबंधन ने नवम्बर, 2011 में तथा पुनः दिसम्बर, 2011 में अखिल भारतीय आई.डी. बी.आई. कर्मचारी संघ को सलाह दी कि वह द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए तैयार है और मुआवजा पैकेज को अंतिम रूप देने में उनके सहयोग की मांग की। आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के प्रबंधन का यह प्रयास है कि इस मामले को उचित, युक्तिसंगत तथा सौहार्दपूर्ण तरीके से शीघ्रतापूर्वक निपटाया जाए।

अपराह्न 12.22 बजे

इस समय, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.22¼ बजे

इस समय श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः जब मैं खड़ा हूं, तो आप कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाइए। मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अब क्या जुलूस निकालने में लगे हुए हैं लोकतंत्र का?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, यह जो चिदम्बरम साहब का मामला है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः किसी की भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 2.0¼ बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री एस. सेम्मलई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखे गये माना जाएगा। माननीय सदस्य, जो अपने मामलों को सम्मिलित करवाना चाहते हैं, वे अपनायी गई परम्परा के अनुसार तत्काल सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां भेज सकते हैं

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभा पटल पर रखे माने गये।

(एक) नागरकोईल-बंगलुरू और कन्याकुमारी-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री माणिक टैगोर (विरुद्ध नगर): रेलवे देश में यात्रियों के आवागमन और माल की ढुलाई में मुख्य भूमिका निभा रही है। दिन प्रतिदिन रेल का उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, विशेषकर पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थानों पर। कन्याकुमारी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र और तीर्थ स्थान है, इसलिए वर्षभर यहां जीवन के हर क्षेत्र से लोग एकत्र होते हैं। आगे दिल्ली भारत की राजधानी है जो राजनीतिक राजधानी भी है और वहां पर्यटकों के आकर्षण के अनेक स्थान हैं। लेकिन कन्याकुमारी और दिल्ली के बीच चलने वाली एकमात्र साप्ताहिक रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस चल रही है जो दिल्ली पहुंचने से पहले अनेक राज्यों में अनेक महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। इसलिए विवेक एक्सप्रेस साप्ताहिक रेलगाड़ी को जनता के लाभ के लिए रोज चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में परिवर्तित किया जाना चाहिए। बंगलुरू शहर पर्यटकों, साफ्टवेयर और हार्डवेयर व्यवसायियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जो अनेक उद्योगपतियों और व्यापारियों को अपनी व्यापार गतिविधियां करने के लिए इस शहर की ओर आकर्षित करता है, इसलिए लोग वर्षभर अनेक स्थानों से इस शहर की यात्रा करते हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों से अनेक लोग बंगलुरू में काम करते हैं और अनेक छात्र बंगलूरू में अध्ययनरत करते हैं। लेकिन फिलहाल अनेक औद्योगिक और पर्यटन स्थलों से गुजरती हुई नागरकोइल से बंगलुरू के बीच एकमात्र साप्ताहिक रेलगाड़ी चल रही है। उक्त रेल में काफी भीड़ रहती है जिससे लोगों को असुविधा होती है। इसलिए उक्त साप्ताहिक रेल गाड़ी को दैनिक रेल गाड़ी में बदला जाए।

इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वे नगरकॉयल-बेंगलुरू एक्सप्रेस तथा कन्याकुमारी-दिल्ली विवेक एक्सप्रैस रेलगाड़ियों को इसी वर्ष दैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(दो) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से पुणे और हैदराबाद बरास्ता अमेठी और रायबरेली, रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के लोग रोजगार के लिए हैदराबाद एवं महाराष्ट्र के पुणे शहर में काफी संख्या में रहते हैं जो अपने पैत्रक गांव आते जाते हैं, परंतु उनको प्रतापगढ़ से हैदराबाद एवं पुणे के लिए कई रेल सेवा बदलनी पड़ती है एवं इन लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ लगे रायबरेली एवं अमेठी से हजारों की संख्या में लोग इन शहरों में कार्यरत हैं। अगर प्रतापगढ़ से वाया अमेठी एवं रायबरेली होकर पुणे एवं हैदराबाद के लिए रेल सेवाएं चलाई जाएं तो इन शहरों में काम करने वालों को काफी सुविधा होगी। मेरा संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। इन रेल सेवाओं के चलने से मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ को विकास की गति भी मिलेगी।

सरकार से अनुरोध है कि प्रतापगढ़ से वाया अमेठी, रायबरेली होते हुए पुणे एवं हैदराबाद के लिए एक-एक रेल सेवा जनहित में आरंभ की जाए।

(तीन) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में गंगा कार्य योजना के अंतर्गत एक विद्युत शवदाहगृह का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 62 लाख से भी अधिक जनसंख्या है। तथापि वहां पर केवल तीन विद्युत शवदाहगृह ही हैं। भागीरथी नदी के साथ-साथ बड़े पैमाने पर क्षरण के कारण शमशान घाट की भूमि कम होती जा रही है।

इस जिले में विद्युत शवदाहगृह की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को शमशान घाट तक पहुंचने के लिये काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और प्रत्येक स्थान पर लंबी कतार होने के कारण उन्हें कई घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गंगा कार्य योजना (जी.ए.पी.) के अन्तर्गत पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना शवदाह को सुविधाजनक बनाने के लिए और अधिक विद्युत शवदाहगृह बनाने का प्रस्ताव है। परंतु इस परिदृश्य में मांग और उपलब्धता के बीच भारी अंतर है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों सहित जी.ए.पी. के अन्तर्गत और अधिक शवदाहगृहों का निर्माण करने की पहल करनी चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल के

[श्री अधीर चौधरी]

मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत एक विद्युत शवदाहगृह का निर्माण किया जाए।

(चार) अस्थायी और तदर्थ आधार के स्थान पर नियमित और स्थायी आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में चल रही संविदा एवं तदर्थ आधार पर नियुक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं सरकारी प्रभुत्व वाली कंपनियों में कर्मचारियों की अत्यंत कमी है तथा इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पढ़े-लिखे एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा एवं तदर्थ आधार पर की जा रही है एवं कई जगह तो यह देखने में आया है कि इनकी नियुक्ति कांट्रेक्ट बेस पर ठेकेदार के माध्यम से अल्पकाल के लिए की जाती है। इन कर्मचारियों की तदर्थ एवं संविदा आधार पर नियुक्ति होने के कारण इनकी सरकार एवं जनता के प्रति कोई जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व भी नहीं होता है तथा वे सरकारी गोपनीयता के नियम के प्रति भी बाध्य नहीं होते हैं।

इनको इनकी सेवा के लिए जो वेतन एवं प्रतिफल दिया जाता है वो भी तय मानकों से बहुत कम होता है। इस प्रकार उनका शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से शोषण भी होता है।

मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि संविदा एवं तदर्थ आधार पर नियुक्ति को बंद किया जाए एवं सरकारी माध्यम से नियमित आधार पर कर्मचारी नियुक्त किए जाएं जिससे कि देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके।

(पांच) राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिन मजदूरों की सेवाएं ली गई हैं उन्हें बकाया मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): प्रति वर्ष की भांति भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस वर्ष भी अप्रैल से जून, 2011 के मध्य श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई थी। लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के तुलाई मजदूरों की देय राशि जो लगभग 2.25 से 2.50 करोड़ रुपये है, अदा करने से इंकार कर दिया गया है तथा इसके अतिरिक्त गत वर्ष दी गई लगभग 1.00 करोड़ रुपये की तुलाई राशि की वसूली का भी निर्णय लिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई, गेहूं की खरीद की तुलाई, उठान एवं लदान से संबंधित मजदूर प्रायः दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। इस वर्ष अप्रैल, 2011 में मजदूरों द्वारा की गई मजदूरी उन्हें अभी तक भुगतान नहीं होने से मजदूर वर्ग परेशान तो है ही, इसके साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत वर्ष भुगतान की गई तुलाई की राशि की रिकवरी के आदेश से मजदूर वर्ग में आक्रोश बढ़ रहा है। मजदूर वर्ग यदि आंदोलन पर उतर आया तो इन दोनों जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एवं इन दोनों जिलों की मंडियों का व्यापार भी ठप्प हो जाएगा। इससे व्यापारी वर्ग प्रभावित होगा, इसके साथ-साथ राज्य सरकार की राजस्व आय में भी कमी आएगी।

इन दोनों जिलों के मजदूरों द्वारा पूर्व में दिनांक 1 सितम्बर से व्यापार ठप्प कर हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई थी लेकिन व्यापारियों द्वारा उच्च अधिकारियों से चर्चा करने एवं उनके आश्वासन पर मजदूर वर्ग को समझाने के पश्चात हड़ताल पर जाने का निर्णय स्थगित कर दिया गया। अब लगभग दो माह का समय व्यतीत होने के बाद भी उनको तुलाई का भुगतान नहीं होने के कारण यह वर्ग पुनः संगठित हो रहा है एवं आंदोलन की राह पर जाने के लिए अपनी योजना बना रहा है।

मेरा भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि समस्या का समाधान कराया जाए एवं मजदूरों को उनकी तुलाई का भुगतान कराया जाए। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आड़तियों को दिया जाने वाला कमीशन भी देश में एक जैसा नहीं है। श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में निगम द्वारा की जा रही खरीद पर आड़तियों को 2 प्रतिशत तथा हरियाणा-पंजाब राज्य में ढाई प्रतिशत कमीशन दिया

जाता है। इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करते हुए निगम को आदेश करें कि हरियाणा राज्य की तर्ज पर ही श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ के व्यापारी-आड़तियों को कमीशन दिया जाए तथा खरीद की जाए।

(छह) केरल राज्य के वेडर समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मेवलीकरा): केरल का वेडर समुदाय बड़े ही लंबे समय से बेहद शोचनीय और दयनीय जीवन जी रहा है। केरल सरकार ने वेडर समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी ताकि इस समुदाय के लोगों को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। इस समुदाय के लोग अपने आपको अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वेडर समुदाय के सदस्यों ने गिरिवर वेडार महा सभा के तत्वावधान में अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 5 मई, 2003 तथा 19 दिसम्बर, 2005 को संसद के समक्ष सत्याग्रह किया था।

उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया था परंतु यह मामला अभी तक लंबित है। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी इनकी मांग उचित है और उनकी शिकायत का समाधान किया जाना चाहिए।

अत: यह अनुरोध है कि वेडर समुदाय को केरल की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए।

मैं सरकार से अनुसूचित जनजातियों की सूची में वेडर समुदाय को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

(सात) मध्य प्रदेश के बेतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला बैतूल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एक वरदान साबित हुई है, किंतु विगत दो वर्षों से मेरे क्षेत्र को योजनांतर्गत मार्गों की नई स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बैतूल जिले के ग्यारहवें चरण में योजनांतर्गत 77 मार्गों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं। यदि इन 77 मार्गों की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण अंचल का सतत् संपर्क तहसील जिला मुख्यालय एवं शहरी क्षेत्रों से हो सकेगा।

ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के कुछ जिलों को जैसे कि छिंदवाड़ा, शिवपुरी, राजगढ़, सागर, सिहोर आदि के मार्गों की ग्यारहवें चरण में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार से बैतूल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

अत: उपरोक्त संबंध में आपसे अनुरोध है कि बैतूल जिले के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत ग्यारहवें चरण के लंबित 77 मार्गों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे 70 प्रतिशत से अधिक इस आदिवासी बहुल क्षेत्र को सड़कों से अच्छी तरह से जोड़ा जा सके।

(आठ) कानपुर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-86 तथा झांसी-छतरपुर-सतना खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग-75 को चार लेन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 कानपुर-देवास एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 झांसी-छतरपुर-सतना की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पूरे रास्ते में बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा रास्ता खराब होने के कारण अनेक मरीज एवं इंटरव्यू देने जाने वाले युवकों को समय पर झांसी नहीं पहुंच पाने के कारण ट्रेन पकड़ने से वंचित होना पड़ता है जिससे अनेकों कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। वाहनों में भी टूट-फूट भारी मात्रा में होने से वाहन चालकों को खर्चा भी रखरखाव में बढ़ रहा है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्गों की शीघ्र मरम्मत कराने के साथ ही

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

इनका पूर्व में प्रस्तावित फोर लेन एक्सप्रेस हाइवे में परिवर्तित कर चार लेन वाली सड़क बनवाने का सहयोग करें।

(नौ) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच अंतर्गत भरूच एवं नर्मदा जिलों में अधिकतर जनजाति वर्ग के गरीब परिवार रहते हैं। इन जिलों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण अपने खेतों में सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर पूरी तरह निर्भर है क्योंकि सिंचाई की सुविधा यहां पर नाममात्र की है और इन दोनों जिलों में बरसात कम मात्रा में होती है। जिसके कारण इन जिलों में जनजाति वर्ग के लोग काफी मेहनत के बाद अपने खेतों में खाद्यान्नों का उत्पादन कर पाते हैं। खेद की बात है कि सिंचाई परियोजना के लिए इन जनजातियों को विस्थापित किया गया और ऐसी जगह पुनर्वास किया गया जहां पर सिंचाई की सुविधा बिल्कुल नहीं है यानि जहां पर सिंचाई की सुविधा हुई वहां से इनको विस्थापित कर दिया गया। सिंचाई के अभाव में चारा एवं पानी के अभाव में पशुपालन कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहां पर पशुपालन करके डेयरी संबंधी कार्य कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई के कार्यों को करने के लिए काफी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता है। इसके लिए त्वरित लाभार्थी सिंचाई कार्यक्रम में केन्द्र सरकार धन उपलब्ध करवा सकती है और इन जिलों के जनजाति के लोगों को खेती बाड़ी एवं पशुपालन के लिए सिंचाई साधन मुहैया कराने में मदद कर सकती है जो अभी तक नहीं की है। देश के जनजाति लोगों के विकास की गति काफी धीमी है जिसे हमें सिंचाई की सुविधा देकर गति को बढ़ा सकते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच अंतर्गत भरूच एवं नर्मदा जिलों में रहने वाले जनजातियों के खेती बाड़ी एवं पशुपालन कार्यों के विकास कार्य के लिए सिंचाई कार्यों का अध्ययन कर उनको सिंचाई की सुविधा दिलाने की मदद प्रदान करें।

(दस) देश में लोगों को सस्ते मूल्य पर जेनरिक औषधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): इस समय देश में दवा उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। जीवन रक्षक दवाएं ऊंची-ऊंची कीमतों पर बाजार में बिक रही हैं। इंसान की मजबूरी है इसलिए उसे इस कीमत पर दवा लेनी ही है। जिसकी जेब जितनी बड़ी है, उतना इलाज वो ले रहे हैं। मुश्किल में केवल माध्यम और निम्न वर्ग का वह इंसान है जिसके पास संसाधन और स्रोत सीमित हैं। यह सही है कि देश में प्रभावी चिकित्सकीय प्रगति हुई है लेकिन घरों में प्रिस्क्रिप्शनों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ दवाओं की खपत में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। वृद्धावस्था में दवाओं की आवश्यकता तो होती ही है किन्तु देश के युवा और बच्चे भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और दवाओं पर निर्भर हैं। दवा उद्योग के लिए लाभ की स्थिति तो यही होगी कि उनके उत्पादों की मांग बनी रहे। लेकिन कीमत तय करने वालों ने यह कभी नहीं सोचा है कि दवा की इस कीमत पर सबसे अधिक लाभ में कौन है, दवा कंपनी या फिर मरीज महोदया, सरकार जेनरिक दवाओं का प्रचार कर रही है कि ये दवाएं सस्ती हैं, सुलभ हैं। लेकिन क्या चिकित्सक जेनरिक दवाएं लिखते हैं? आम आदमी जेनरिक और ब्रांडेड के अंतर को नहीं समझता। आज बड़ी और गंभीर बीमारियों के लिए भी जेनरिक दवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन खुले बाजार में मिलने वाली एक दवा के ब्रांडेड और जेनरिक वर्जनों की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं है। तब कैसे मरीज को जेनरिक दवा खरीदने में फायदा होगा, यह समझ से परे है। जेनरिक दवा पर जितनी कीमत प्रिंट होती है उसमें कई गुना मुनाफा जुड़ा होता है। अधिकतर होता यह है कि दवाएं फुटकर विक्रेता से खरीदी जाती हैं और दवा पर लिखी कीमतों पर ही दवा बेची जाती हैं। यह उचित नहीं है कि जेनरिक दवा, जिसका निर्माण आम आदमी को सस्ता इलाज मिलने के लिए होता है, वह उसे महंगी कीमत पर मिले। अतः केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि सभी बीमारियों के लिए जेनरिक दवायें उपलब्ध हों और चिकित्सक उन्हें प्रिस्क्रप्शन पर स्पष्ट रुप से लिखे ताकि सस्ता इलाज व सस्ती दवायें आम आदमी को मिल सकें।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी में गाद निकासी का कार्य आरंभ किए जाने तथा क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): बांधों का निर्माण करने का

प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र में बाढ़ आने से रोकना है। दामोदर घाटी निगम वर्षों से पश्चिम बंगाल में अपनी सेवाएं दे रहा है। यह सही समय है जब हमें उन उद्देश्यों पर गंभीरता से विचार करना होगा जिन उद्देश्यों के लिये 1948 में दा.घा.नि. की स्थापना की गई थी। सरकार को बांध की ऊंचाई बढ़ाने और बड़े पैमाने पर गाद निकालने के कार्य पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर दामोदर नदी घाटी से गाद निकालने का कार्य कब किया गया था।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र में बाढ़ न आये बांध की ऊंचाई बढ़ाने के और बड़े पैमाने पर गाद निकालने के बारे में पुनः प्रयास किए जायें।

(बारह) ओडिशा में केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डाकघरों में बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वैजयंत पांडा (केन्द्रपाड़ा): एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं का केन्द्र रहा ओडिशा राज्य केन्द्रपाड़ा जिले को लगातार भारी वर्षा और उसके बाद जल्दी-जल्दी विध्वंसक बाढ़ को झेलना पड़ रहा है जिसमें हाल ही में बाढ़ सितम्बर, 2011 में आयी थी। इस क्षेत्र के ग्रामीण डाकघर आधारभूत अवसंरचना से वंचित हैं। इनमें धन राशि रखने के लिए लोहे की तिजोरी और अलमारी तथा फर्नीचर/बेंच आदि की कमी है। वर्षा के दौरान जीर्ण-शीर्ण दीवारों की सीलन तथा डाकघर भवन की छतों की तुरंत मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है। भवनों का नियमित रूप से रखरखाव और मरम्मत नहीं होने के कारण वर्षा के दौरान मिट्टी की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं।

उपरोक्त में उल्लिखित दयनीय स्थिति इस क्षेत्र के अधिकांश 268 ग्रामीण डाकघरों में विद्यमान है। प्रभारी अधिकारियों द्वारा डाकघरों के भवनों के रखरखाव के लिए प्रति माह मात्र 100 रुपये की राशि प्रदान की जाती हैं। यह सही समय है जब केन्द्र सरकार को इस गम्भीर मुद्दे को देखना चाहिये तथा इस क्षेत्र के गांवों में रह रहे लोगों द्वारा सामना की जा रही उपरोक्त समस्याओं को ग्रामीण डाकघरों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिये तत्काल दूर करना चाहिये।

(तेरह) झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कन्हार बांध का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): मैं अपने पलामू संसदीय क्षेत्र के वर्ष 1975 में स्वीकृत कनहर जलाशय योजना के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने हेतु लोकहित और कार्यहित में जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि:-

(क) उक्त योजना की वर्ष 1975 में स्वीकृति प्रदान की गई है, लगभग 36 वर्ष के बाद भी उक्त योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस योजना से 490 गांव के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ख) इस योजना के निर्माण हेतु माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा आदेश पारित करने के बाद भी सरकार ने कोई कारगर कार्रवाई नहीं की है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस लाभकारी जनहित एवं कार्यहित योजना को तुरंत निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया जाए।

अपराह्न 2.02 बजे

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 19

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): श्रीमती अंबिका सोनी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम,

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 15-12-11 में प्रकाशित।

[उपाध्यक्ष महोदय]

1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कमार बंसल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत हो जाएं और अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 2.02½ बजे

इस समय डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 21 अर्थात् अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय रेल मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2011-12 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर हुई चर्चा के संबंध में उत्तर देना चाहता हूं...*(व्यवधान)* मैं सभी संसद सदस्यों को धन्यवाद देता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल 16 दिसंबर, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 16 दिसंबर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 (शक), के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री रमेश बैस श्री श्रीपाद येसो नाईक	301
2.	श्रीमती सुप्रिया सुले श्री संजय दिना पाटील	302
3.	श्री रमाशंकर राजभर	303
4.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री ए. गणेशमूर्ति	304
5.	श्री सी.एस. चांग श्री निशिकांत दुबे	305
6.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	306
7.	श्री बृजभूषण शरण सिंह श्री पी.आर. नटराजन	307
8.	श्री लालचन्द कटारिया श्री पी.टी. थामस	308
9.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश श्री इज्यराज सिंह	309
10.	श्री प्रताप गणपतराव जाधव श्रीमती रमा देवी	310
11.	श्री राकेश सिंह	311
12.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	312
13.	श्री जोस के. मणि	313
14.	श्री उदय प्रताप सिंह	314
15.	श्री धर्मेन्द्र यादव श्री गजानन ध. बाबर	315
16.	श्री अजय कुमार	316
17.	शेख सैदुल हक डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	317
18.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	318
19.	श्री विश्व मोहन कुमार श्री एस.आर. जेयदुरई	319
20.	श्री कामेश्वर बैठा	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री बसुदेव आचार्य	3460
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3534, 3560
3.	श्री आधि शंकर	3564
4.	श्री आनंदराव अडसुल	3534
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3458, 3673
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3644
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	3510, 3655
8.	श्री अनंत कुमार	3591
9.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3581
10.	श्री सुरेश अंगड़ी	3489
11.	श्री घनश्याम अनुरागी	3480
12.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	3620
13.	श्री गजानन ध. बाबर	3534, 3560
14.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3465
15.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3518
16.	डॉ. बलीराम	3606, 3653

1	2	3
17.	श्री अम्बिका बनर्जी	3547
18.	डॉ. शफीकुर्रमान बर्क	3638
19.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	3563, 3589
20.	श्री ताराचन्द भगोरा	3618
21.	श्री शिवराज भैया	3566, 3646
22.	श्री संजय भोई	3549, 3603
23.	श्री उदयराजे भोंसले	3545
24.	श्री समीर भुजबल	3517
25.	श्री पी.के. बिजू	3527
26.	श्री भजन लाल	3468
27.	श्री हेमानंद बिसवाल	3641
28.	श्री सी. शिवासामी	3479, 3652
29.	श्री हरीश चौधरी	3506, 3645 3648
30.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3493
31.	श्रीमती राजकुमार चौहान	3515
32.	श्री दारा सिंह चौहान	3482, 3665
33.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	3628
34.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3642
35.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3613, 3653
36.	श्री निखिल कुमार चौधरी	3630
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3486, 3669
38.	श्री खगेन दास	3455
39.	श्री राम सुन्दर दास	3651
40.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3540
41.	श्रीमती अश्वमेध देवी	3531
42.	श्री के.पी. धनपालन	3526
43.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3484, 3668
44.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3496, 3643
45.	श्री निनोंग ईरिंग	3557
46.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3563, 3637
47.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3549, 3603
48.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	3618
49.	श्री वरुण गांधी	3546
50.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	3516
51.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3662
52.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	3635
53.	श्री राजेन गोहैन	3575
54.	श्री एल. राजगोपाल	3558
55.	श्री शिवराम गौडा	3629
56.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3576, 3647
57.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	3611
58.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	3609, 3646
59.	श्री महेश्वर हजारी	3561
60.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3524
61.	श्री बलीराम जाधव	3608
62.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3498
63.	श्री बद्रीराम जाखड़	3504, 3558 3646
64.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3544

1	2	3
65.	श्री हरिभाऊ जावले	3483, 3666
66.	श्री नवीन जिन्दल	3642, 3664 3478
67.	श्री महेश जोशी	3611
68.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3600
69.	श्री प्रहलाद जोशी	3619, 3679
70.	श्री पी. करुणाकरन	3622, 3626
71.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3535, 3651
72.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3456, 3649
73.	श्री राम सिंह कस्वां	3494
74.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	3640
75.	श्री हसन खान	3476
76.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	3497
77.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3610
78.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	3559
79.	श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेल	3680
80.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3590, 3646
81.	श्री पी. कुमार	3548
82.	श्री शैलेन्द्र कुमार	3543
83.	श्री यशवंत लागुरी	3550
84.	श्री सुखदेव सिंह	3511
85.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3647
86.	श्री नरहरि महतो	3521
87.	श्री प्रदीप माझी	3473, 3623
88.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	3571, 3648

1	2	3
89.	श्री मंगनी लाल मंडल	3631
90.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	3572
91.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	3567
92.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	3554
93.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3503
94.	श्री भरत राम मेघवाल	3587
95.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	3584
96.	श्री पिनाकी मिश्रा	3615
97.	श्री सोमेन मित्रा	3577
98.	श्री पी.सी. मोहन	3619
99.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3508, 3644 3677
100.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3650
101.	श्री इंदर सिंह नामधारी	3532
102.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3496, 3643
103.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	3595
104.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	3533
105.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3500, 3675
106.	श्री वैजयंत पांडा	3597, 3621
107.	श्री रवीन्द्र कमार पाण्डेय	3483, 3537 3563
108.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3457, 3658
109.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	3565
110.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3549, 3603
111.	श्री कमलेश पासवान	3498

1	2	3
112.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	3477
113.	श्री देवराज सिंह पटेल	3646
114.	श्री देवजी एम. पटेल	3475
115.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3585
116.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3473, 3623
117.	श्री हरिन पाठक	3614
118.	श्री संजय दिना पाटील	3650
119.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3539, 3654
120.	श्रीमती भावना पाटील गवली	3653
121.	श्री सी.आर. पाटिल	3542
122.	श्री भास्कररराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3474, 3549, 3627, 3660
123.	श्रीमती कमला देवी पटले	3463
124.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3512, 3621
125.	श्री अमरनाथ प्रधान	3488
126.	श्री नित्यानंद प्रधान	3597
127.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	3502
128.	श्री प्रेमदास	3599
129.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3523
130.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	3602
131.	श्री एम.के. राघवन	3464
132.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	3462, 3661
133.	श्री अब्दुल रहमान	3622
134.	श्री प्रेम दास राय	3536
135.	श्री रमाशंकर राजभर	3646

1	2	3
136.	श्री सी. राजेन्द्रन	3601
137.	श्री एम.बी. राजेश	3615, 3633
138.	श्री पूर्णमासी राम	3604
139.	प्रो. राम शंकर	3552
140.	श्री रामकिशुन	3470
141.	श्री जगदीश सिंह राणा	3509, 3678
142.	श्री निलेश नारायण राणे	3514
143.	डॉ. के.एस. राव	3558, 3570
144.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3459
145.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3454
146.	श्री रामसिंह राठवा	3556
147.	डॉ. रत्ना डे	3652
148.	श्री अशोक कुमार रावत	3525
149.	श्री अर्जुन राय	3600
150.	श्री विष्णु पद राय	3451, 3667
151.	श्री रुद्र माधव राय	3485
152.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	3616
153.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3634
154.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3521
155.	श्री एस. सेम्मलई	3636
156.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3487, 3670
157.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3520, 3616
158.	श्री चन्दू लाल साहू	3558
159.	श्री विष्णु देव साय	3513
160.	श्री ए. संपत	3607

1	2	3
161.	श्रीमती सुशीला सरोज	3492, 3561, 3672
162.	श्री तूफानी सरोज	3605, 3651
163.	श्री तथागत सत्पथी	3507
164.	श्री हमदुल्लाह सईद	3481
165.	श्रीमती जे. शांता	3472, 3659
166.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	3519
167.	श्री नीरज शेखर	3562
168.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3495, 3528
169.	श्री राजू शेट्टी	3469, 3565
170.	श्री एंटो एंटोनी	3574
171.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3466, 3671
172.	डॉ. भोला सिंह	3583
173.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3501
174.	श्री दुष्यंत सिंह	3453, 3558
175.	श्री गणेश सिंह	3584, 3646
176.	श्री इज्यराज सिंह	3594
177.	श्री जगदानंद सिंह	3530, 3558
178.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3588
179.	श्रीमती मीना सिंह	3627
180.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3559
181.	श्री राधा मोहन सिंह	3593
182.	श्री रवनीत सिंह	3522, 3558
183.	श्री सुशील कुमार सिंह	3595, 3617
184.	श्री उदय सिंह	3654
185.	श्री यशवीर सिंह	3562, 3573
186.	चौ. लाल सिंह	3490
187.	श्री धनंजय सिंह	3452, 3663
188.	श्री रेवती रमन सिंह	3612
189.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3581
190.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3569, 3594
191.	डॉ. संजय सिंह	3569
192.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3495, 3621
193.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3598
194.	श्री मकनसिंह सोलंकी	3467, 3596, 3646, 3657
195.	श्री ई.जी. सुगावनम	3529
196.	श्री के. सुगुमार	3592
197.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3647
198.	श्री एन. चलुवरया स्वामी	3499, 3674
199.	श्री मानिक टैगोर	3624
200.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3579
201.	श्री अशोक तंवर	3625
202.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	3491
203.	श्री मनीष तिवारी	3578
204.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3456, 3649
205.	श्री आर. थामराई सेलवन	3603
206.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3582
207.	डॉ. शशी थरूर	3580
208.	श्री मनोहर तिरकी	3571, 3648
209.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3563

1	2	3
210.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	3626
211.	श्री लक्ष्मण टुडु	3505, 3676
212.	श्री शिवकुमार उदासी	3461
213.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3471
214.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3586, 3645, 3648
215.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3541
216.	श्रीमती ऊषा वर्मा	3561
217.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3596
218.	श्री अद्‌गुरू एच. विश्वनाथ	3568
219.	श्री पी. विश्वनाथन	3551
220.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3553
221.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	3586
222.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3534, 3560, 3656
223.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3632
224.	श्री ओम प्रकाश यादव	3595, 3617
225.	श्री अरुण यादव	3538
226.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3639
227.	श्री मधुसूदन यादव	3555
228.	योगी आदित्यनाथ	3563

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	305, 318
कॉर्पोरेट कार्य	:	
पेयजल और स्वच्छता	:	320
पृथ्वी विज्ञान	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	308
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
अल्पसंख्यक कार्य	:	317
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	301, 304, 313, 314
रेल	:	302, 306, 307, 311, 315
ग्रामीण विकास	:	303, 310, 312, 316
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	309, 319.

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	3464, 3465, 3469, 3472, 3478, 3482, 3483, 3490, 3507, 3518, 3534, 3537, 3538, 3539, 3545, 3548, 3558, 3577, 3581, 3600, 3604, 3607, 3639, 3642
कॉर्पोरेट कार्य	:	3471, 3522, 3549, 3554, 3597, 3643, 3680
पेयजल और स्वच्छता	:	3535, 3536, 3578, 3609, 3667
पृथ्वी विज्ञान	:	3459, 3496, 3543, 3559, 3574, 3663, 3673
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3452, 3481, 3484, 3495, 3497, 3529, 3532, 3546, 3553, 3586, 3602, 3619, 3636, 3651
विधि और न्याय	:	3454, 3456, 3461, 3487, 3489, 3531, 3540, 3585, 3603, 3635, 3647

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	3473, 3527, 3528, 3556, 3654, 3666
अल्पसंख्यक मामले	:	3476, 3491, 3499, 3510, 3513, 3615, 3626, 3638, 3655
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	3470, 3479, 3498, 3517, 3555, 3564, 3571, 3573, 3590, 3611, 3618, 3620, 3645, 3646, 3648, 3652, 3668, 3674, 3675, 3677
रेल	:	3453, 3460, 3466, 3474, 3475, 3477, 3480, 3485, 3486, 3488, 3492, 3493, 3500, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3508, 3509, 3512, 3514, 3515, 3516, 3519, 3520, 3523, 3524, 3525, 3526, 3565, 3566, 3568, 3569, 3570, 3572, 3579, 3582, 3588, 3593, 3595, 3598, 3599, 3601, 3605, 3606, 3610, 3612, 3613, 3616, 3625, 3627, 3628, 3630, 3632, 3634, 3637, 3641, 3644, 3658, 3659, 3660, 3665, 3669, 3672, 3676, 3678
ग्रामीण विकास	:	3451, 3455, 3521, 3533, 3541, 3544, 3550, 3551, 3557, 3561, 3562, 3563, 3575, 3583, 3589, 3592, 3608, 3614, 3621, 3622, 3623, 3650, 3653, 3656, 3657, 3664, 3679
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	3560, 3580, 3591, 3633, 3640
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	3468, 3631, 3662
जल संसाधन	:	3457, 3458, 3462, 3463, 3467, 3494, 3501, 3511, 3530, 3542, 3547, 3552, 3567, 3576, 3584, 3587, 3594, 3596, 3617, 3624, 3629, 3649, 3661, 3670, 3671

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।